राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: **2** सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सोलहवां दिवस संख्या: **8**

गुरुवार,
18 जुलाई 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, जय श्री राम। विराजें। माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 2 मिनट।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
मदन दिलावर, श्री, शिक्षा मंत्री द्वारा आदिवासी समाज पर की गई टिप्पणी पर खेद प्रकटीकरण

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं और मुझे पता भी है क्योंकि मैंने मेरे परिवार वालों से पूछा था, तो मैं खुद आदिवासी हूं। क्योंकि मेरे पिताजी सहरिया क्षेत्र में, मेरे दादाजी वगैरह सब सीताबाड़ी के जंगलों में निवास करते थे। वहीं उनका मकान था। इसलिए आदिवासी समाज के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान का भाव है।

मैं यह भी जानता हूं कि महाराणा प्रताप ने जब स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए अकबर से जब लड़ाई लड़ी तो आदिवासियों ने ही उनका सहयोग किया। उनके साथ देने से ही उनको सफलता प्राप्त हुई।

मैं यह भी जानता हूं कि भगवान राम जब वनवास गये तब उनको सहयोग करने वाले आदिवासी ही थे। भगवान राम ने शबरी मां के घर पर जाकर झूठे बेर खाये।

मैं यह भी जानता हूं कि जो मानगढ़ धाम है वहां पर 15 हजार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में बात कहें। संक्षेप में कह दो ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह क्या है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। अनुमति मैंने दी है। सुनना पड़ेगा। बैठो, नहीं सुनना तो जा

सकते हो। ऐसे थोड़े ही होगा।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैं संक्षिप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको 2 मिनट ही दिये हैं।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। मैं 2 मिनट में ही पूरा करुंगा।

श्री अध्यक्ष: 2 मिनट में, संक्षेप में कह दो।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): यह हिन्दू समाज का श्रेष्ठ अंग है। इनके बारे में नकारात्मक भाव रखना मैं नहीं मानता हूं। विपक्ष को या किसी आदिवासी बंधु को जो कि मेरी जाति के हैं, उनको कहीं कष्ट हुआ हो मेरे बोलने से, मेरे बात करने से या कुछ शब्दों से तो मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्न काल। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर, जैसलमेर व बालोतरा जिलों में पाक विस्थापितों को नागरिकता

105. श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत पांच वर्षों में पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त आवेदनों में से कितनों का निस्तारण किया गया तथा कितने लंबित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लंबित आवेदनों को समयबद्ध निस्तारित कर नागरिकता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं बोलते हैं। प्रश्न संख्या ही बोलते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप प्रश्न संख्या बोलेंगे, यह अपने आप जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं पढ़ते। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में विगत 5 वर्षों में प्राप्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	स्थान का नाम	विगत 5 वर्षों में कुल प्राप्त आवेदन	निस्तारित	लंबित
1.	बाड़मेर	72	28	44
2.	जैसलमेर	294	56	238
3.	बालोतरा	07	00	07
	TOTAL	373	84	289

(2) जी हां। निकट भविष्य में जिला स्तर पर विशेष नागरिकता कैम्प आयोजित किये जाकर पात्र आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): क्या यह सही है कि पाक विस्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं से परिचित नहीं होने के कारण आवश्यक कमी-पूर्ति समय पर नहीं कर पाते हैं तथा नागरिकता आवेदन-पत्रों के निस्तारण में विलंब हो रहा है? यदि हां, तो विभाग जिला स्तर पर इस हेतु विशेष हैल्प डेस्क, सलाह केन्द्र, नोडल अधिकारी नियुक्त कर आवेदन-पत्रों के शीघ्र निस्तारण का राज्य सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो कारण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहां पर सूचना, फिगर्स भी हैं। पूरे राजस्थान का ही मैं आपको एक बार बता देता हूं। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 2465 हैं, उसमें से सर्टिफिकेट इश्यूड 350 हैं। 2016 से 2024 तक सिटीजनशिप ग्रांटेड पूरे राजस्थान में 2329 हुई हैं। राजस्थान की जो पूरी पैंडेंसी है टोटल पैंडिंग 1566 हैं और उसमें से 300 आई.बी. की रिपोर्ट के लिए पैंडिंग हैं।

माननीय सदस्य ने जो बोला उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि नये एक्ट के तहत कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है। वही इसके इंचार्ज रहेंगे। गृह विभाग ने कलेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखी है। इसको फास्ट फारवर्ड करने के लिए हर महीने कैम्प रखे जायेंगे। प्रोसेस को बिलकुल सिंपलीफाई कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा कि 6 बी के तहत क्या-क्या दस्तावेज चाहिए। बहुत कम दस्तावेज चाहिए। उसके बाद जो दूसरे सैक्शन 5 और 6 हैं, उसके अन्दर क्या-क्या चाहिए, वह मैं बता दूंगा।

अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां से माइनोरिटी जिनको गिना गया है, उसमें हिन्दू, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, ऐसी 6 केटेगरी हैं जिनको हम माइनोरिटी मानते हैं। जो इंडिया में आ रहे हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। वीजा वैलिड होना चाहिए। हम इनको प्रायोरिटी पर प्रोसेस कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जल्दी कराना चाहिए। श्री गणेश घोघरा।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया। उन्होंने उत्तर दे दिया। कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कलेक्टर्स के पास में पहले से ही पैंडेंसी रहती है। एक विशेष नोडल अधिकारी जिला स्तर पर रखने का प्रावधान रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): एक सप्लीमेंट्री तो कर लूं।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, अगला प्रश्न हो गया। बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्षः नो, किसी और को अनुमति नहीं है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 000

श्री अध्यक्षः यह मेरा काम है। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजा डूंगर बरण्डा की प्रतिमा स्थापित करने की कार्ययोजना

106. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नगर परिषद डूंगरपुर में स्थित धनमाता की पहाड़ी, राजा डूंगर बरण्डा की छतरी (समाधि) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैण्ड के बाहर तिराहे पर राजा डूंगर बरण्डा की प्रतिमा स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जिला डूंगरपुर के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) (पर्यटन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणा पैरा संख्या 40 द्वारा डूंगरपुर में जनजातीय नायक डूंगर बरंडा स्मारक का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। विगत वर्षों में नगर परिषद, डूंगरपुर द्वारा धनमाता की पहाड़ी पर कराये गए विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रोडवेज बस स्टैण्ड के बाहर तिराहे पर राजा डूंगर बरण्डा की प्रतिमा स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। प्रतिमा स्थापित किए जाने संबंधी प्राप्त प्रस्तावों को प्रचलित नियमों, दिशा-निर्देशों के आधार पर निर्णीत किया जाता है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा डूंगरपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य के पैरा संख्या 53 के अन्तर्गत आस्था केन्द्र बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर के विकास कार्य करवाये जाने की घोषणा की गई है। साथ ही परिवर्तित बजट 2024-2025 के पैरा संख्या 40 द्वारा डूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाए जाने की घोषणा की गई है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि आपने यह घोषणा तो कर दी कि जनजाति नायक डूंगर बरंडा के स्मारक का निर्माण किया जायेगा। लेकिन वहां क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है कि जो बस स्टैंड के पास तिराहा है, वहां पर डूंगर बरंडा की मूर्ति की स्थापना की जाये। इसमें आपने लिखा है कि जी नहीं, तो आप वहां पर क्यों नहीं मूर्ति स्थापित करना चाहते?

दूसरा, इसमें आपने कह दिया कि धनमाता की पहाड़ी पर पूरा विकसित हो चुका है। लेकिन वहां मौके पर जाकर देखो नगर परिषद ने फर्जी बिल बनाकर पैसा उठा लिया है, लेकिन मौके पर वहां कोई काम नहीं हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए।

हमारा जो भील राजा था, उसके नाम से डूंगरपुर शहर बसा है। डूंगरपुर का संस्थापक था डूंगर बरंडा भील। वहां पर धनकी और कालखी 2 रानियां थी। वह वहां पर जौहर हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): प्रश्न पूछ रहा हूं कि वहां पर विकास नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: भूमिका नहीं, सीधा प्रश्न पूछो।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): आप वहां पर विकास करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: हां, यह प्रश्न है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): उसकी मूर्ति वहां तिराहे पर क्यों नहीं स्थापित करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, हो गया। उत्तर आने दीजिये। माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 2 में बता दिया है कि प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर तिराहे पर देखना पड़ेगा कि वहां पर यातायात विभाग भी उसकी अनुमति देता है कि नहीं देता है। उसके प्रचलित नियम और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी जांच करवाकर वहां पर प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया जायेगा।

Spp/Rtm/18 07.2024/11:10/1b

और सैकण्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि धनमाता क्षेत्र के अन्दर, तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूं कि जिस तरह नगर परिषद द्वारा वहां पर कार्य करवाये गये और यदि वहां पर किसी तरह की कोई आपत्ति है या वहां पर कार्य सही नहीं हो पाये हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करवाकर, जो दोषी अधिकारी होंगे, उन पर कार्यवाही करवायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिये घोषणा की है। इस बजट घोषणा में बेणेश्वर के लिये क्या करेंगी आप, इसमें तो कोई घोषणा नहीं है। दूसरी बात देव सोमनाथ, एक रात में यह देव सोमनाथ मन्दिर बना है, उसके लिये भी कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन जनजाति पर भारतीय जनता पार्टी ने बजट में कोई घोषणा नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया। बैठिये। ..(व्यवधान).. माननीय मंत्रीजी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 2022-23 के अन्दर डूंगरपुर के लिये वागड़ ट्यूरिज्म सर्किट द्वारा डूंगरपुर-बेणेश्वर धाम का विकास करने के लिये सिर्फ घोषणा की गयी थी। इसके अलावा

2023-24 में जो 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, उसमें भी सिर्फ आचार संहिता के लागू होने के एक दिन पहले इन्होंने एन डी एफ चालू की थी और हमने अभी जो घोषणा की है, 2024-25 के अन्तर्गत वोट ऑन अकाउंट के अन्तर्गत, उसमें कार्यकारी एजेंसी भी हमने डिसाइड कर ली है, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा और जो उसका स्थान है, वह भी चिह्नित करके उसकी विस्तृत DPR तैयार करवायी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री धर्मपाल।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बेणेश्वर के लिये नहीं लिखा है। बेणेश्वर के लिये गलत उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। दो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके हो गये। उत्तर आ गया। बैठिये आप। ...(व्यवधान).... श्री धर्मपाल।

खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पद

107. श्री धर्मपाल (खेतड़ी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के कितने पद सृजित हैं तथा कितने रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (कृषि मंत्री के स्थान पर): (1) क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर कृषि पर्यवेक्षकों के पदों एवं मुख्यालयों का सृजन किया जाता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक पद सृजित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि पर्यवेक्षक के 29 पद सृजित हैं तथा 03 पद रिक्त हैं।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1952 की धारा 9 के अनुसार मन्दिर-माफी की कृषि भूमि पर काश्त करने वाले वास्तविक किसानों के नाम जमाबंदी में अंकित नहीं होने के कारण उन किसानों को सरकार द्वारा प्रदत्त विभागीय अनुदानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या राज्य सरकार ऐसे किसानों का नाम जमाबंदी में अंकित करने की मंशा रखती है, विचार रखती है? यह मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि इस चीज का हम परीक्षण करवा लेंगे और जिस तरीके से माननीय सदस्य ने चाहा है, उसकी जांच करवाकर उचित निर्णय लिया

जायेगा।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न और है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं किसानों की मांग एवं आवश्यकता फसल प्रबन्धन हेतु क्या राज्य सरकार विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि सेवा केन्द्रों में विस्तार के लिये विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय या विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: बैठिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि पूर्व प्रश्न के अन्दर भी मैंने बताया कि क्षेत्र की आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर यह फैसले लिये जाते हैं तो जैसाकि माननीय सदस्य ने आवश्यकता बतायी है, यदि वहां पर निरीक्षण करने पर उचित पाया जायेगा तो महाविद्यालय के लिये विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कृषि से जुड़ा हुआ मामला है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं क्या सरकार कृषि मंत्रीजी ने जो इस्तीफा दिया है, उसको स्वीकार करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: अभी वह छुट्टी पर हैं। आप बैठिये। अगला प्रश्न श्री हरिसिंह रावत। ..(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक मेरा निवेदन है, जोगेश्वर जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं? आप बचकाना प्रश्न पूछ रहे हैं। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इसी सदन ने छुट्टी स्वीकार की है, इसलिये उस पर कोई प्रश्न नहीं आ सकता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा एक निवेदन है कि हम माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करते हैं और यह बोलते हैं तो हमारा धर्म है कि हम इनको डिस्टर्ब नहीं करें। ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप तो बैठो। आपको क्या हो गया?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हम इनको डिस्टर्ब नहीं करें, यह हमारा फर्ज है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता भी जरूरी हो तो ही बोलें। हर बार बोलेंगे तो फिर उनका वह सम्मान उतना रह नहीं पाता है। आप हमारे लिये सम्माननीय है। यह गड़बड़ क्यों हुई है? पड़ोसी आते हैं तो फिर वह गडबड़ी हो जाती है। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: चलो हो गया। अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): कृषि मंत्री गायब हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: वह छुट्टी पर हैं, गायब नहीं हैं। माननीय सदस्य, आप बैठिये। उत्तर मैंने दे दिया। ...(व्यवधान)... संसदीय मंत्रीजी। यह प्रश्न काल है। माननीय सदस्य , बैठिये।

...(व्यवधान)... माननीय मंत्रीजी, इधर भी देखा करो। ..(व्यवधान)..

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): गहलोत साहब कितने दिन से गायब हैं?

श्री अध्यक्ष: यह भी छुट्टी पर है। आपको प्रश्न पर पूछना था, इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं थी।

अगला प्रश्न श्री हरिसिंह रावत।

उप जिला चिकित्सालय भीम का क्रमोन्नयन

108. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भीम के कस्बा भीम जिला राजसमंद में वर्तमान में 100 शैय्याओंयुक्त उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2023 में शैय्याओं की उपयोगिता दर (बीओआर) 69.47 प्रतिशत ही रही है।

राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 06.12.2019 को किसी भी जिले पर संबंधित चिकित्सालय की शैय्याओं की उपयोगिता दर (बीओआर) 95 प्रतिशत या उससे अधिक होने के नॉर्म्स घोषित किये गये हैं। इसलिए उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्हीं के नोर्म्स के द्वारा एक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप-2 से एक अध्यादेश जारी हुआ है, जिसमें लिखा है जिला चिकित्सालय घोषित किये जाने के नोर्म्स। उस नोर्म्स के अनुसार हर नोर्म्स मेरे यहां फुलफील करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होंने लिखा है कि कम से कम 150 बेड होना चाहिये, 150 बेड मेरे यहां है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि सम्मिलित चिकित्सालय में लाभान्वित होने वाली संख्या 8 से 10 लाख है। मेरे चार जिलों का 8-10 नहीं करीब 15 लाख की पापुलेशन मेरे सराउंडिंग में होती है। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि सम्बन्धित चिकित्सालय से 70 किलोमीटर की परिधि में अन्य जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज नहीं होनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तो नाथद्वारा में जिला चिकित्सालय केवल 15 किलोमीटर ही है तो फिर नोर्म्स कहां गये? जबकि हमारे यहां 100 किलोमीटर दूर है और इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है जिसमें मेरे यहां 326 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र है। उसके बावजूद भी अगर यह नहीं खोलते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तो हमारे लिये कोई दुर्भाग्य होगा नहीं। इसको स्पष्ट करें

और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज नहीं खोल सकते तो कम से कम नर्सिंग कॉलेज तो खोल दें। इससे हमारे बेरोजगार युवाओं को सहायता मिल सकती है।

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछें। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद जिला एक छोटा जिला है। इसके अन्दर दो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आलरेडी वर्किंग में हैं- राजसमंद और नाथद्वारा। जो भीम विधान सभा क्षेत्र है, इसमें दो SDH अभी देवगढ़ को भी SDH बनाया CHC से इस बजट में घोषणा हुई। दो CHC, 12 PHC और सब सेंटर 59 हैं।

यह जो नियम बनते हैं, अब हमने चार-पांच पैरामीटर्स यूज किये हैं1 उसके अन्दर एक पैरामीटर रिलेक्स हो सकता है, अगर आवश्यकता हो, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे यहां 150 बेड्स हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि 2022 में 76 प्रतिशत इनकी ओक्यूपेंसी थी 150 बैड की और 2023 के अन्दर वह गिरकर 69 आ गयी। हमें खुशी है कि बीमार लोग कम आये। इसके अन्दर 70 किलोमीटर का जो रेडियस है, इसका मतलब 140 किलोमीटर के अन्दर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिये और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनके पास है ही। राजसमंद वहां से 100 किलोमीटर है। देवगढ़ अभी CHC से SDH बना ही है। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराता हूं कि अगले वर्ष हम बजट में यह देखेंगे कि क्या ओक्यूपेंसी है और हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे बजट में अलाउ करता है तो प्रायोरिटी से इनका काम करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न श्री हरिमोहन शर्मा। आपका हो गया। आपका उत्तर आ गया। ...(व्यवधान)..

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम नर्सिंग कॉलेज की घोषणा तो कर ही सकते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवा दो। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री हरिमोहन शर्मा।

बूंदी विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में विज्ञान संकाय

109. श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी के कितने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित है? उक्त संकाय में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कितने पदों पर अध्यापक नियुक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में से कितने विद्यालयों में प्रयोगशाला, विषय अध्यापक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों में कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

शिक्षा मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधान सभा क्षेत्र बूंदी में 07 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित किये जा रहे हैं। उक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में प्रयोगशाला(भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान) की उपलब्धता/आवश्यकता की स्थिति का विवरण तथा अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धता व आवश्यकता का विवरण क्रमश: परिशिष्ट ''ख'' एवं ''ग'' पर संलग्न है।

उक्त विद्यालयों में दी गई नियुक्तियों का पदवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है।

(3) उक्त विद्यालयों में कौन-कौनसे पद हैं एवं कब-कब से रिक्त है, का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित है।

Jyg/rtm/18.07.24/11.20/1c

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन सातों विद्यालयों में अधिकांश प्राध्यापक और लेक्चरर लगा रखे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): खाली पड़े हैं। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उत्तर आने दीजिए। ..(व्यवधान)... उत्तर सुनिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): लेकिन जो पद रिक्त हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, एग्रीकल्चर वाले जो दो-तीन-चार पद रिक्त हैं, उनको आप कब तक भर देंगे? नम्बर एक।

नम्बर दो, जो लैब की रिक्वायरमेंट का आपने माना है कि इन-इन विद्यालयों में ये-ये लैब की रिक्वायरमेंट है, उन लैब के अभाव में वहां पर शैक्षणिक कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है तो आप उन वांछित स्थानों पर जहां सरकार यह मानती है कि यहां पर इतनी लैब वहां पर होना आवश्यक है, तो उनको आप कब तक पूरा कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सीनियर सेकण्डरी स्कूल गुडानाथावतान करके जो है उसमें साइंस में जो बच्चे पढते हैं वो तो तीन हैं, कक्षा ग्यारह में और बच्चियां हैं दो, कुल पांच स्टूडेंट हैं। इसी प्रकार से नीम का खेड़ा में पांच तो छात्र हैं और चार छात्राएं हैं, इसी प्रकार से स्कूल सिलोर में पांच छात्र हैं और पांच छात्राएं हैं। इसी प्रकार से सेकण्डरी स्कूल, बून्दी में एक भी छात्र नहीं है और छात्राएं बयालीस हैं। महात्मा गांधी स्कूल नमाना में ग्यारहवीं में एक है, बारहवीं में एक भी नहीं है। इसी प्रकार से बालचंद पाड़ा जो बून्दी में है उसमें बालक तो है बारह और बालिकाएं हैं सात।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि इनमें सारे पद भर दिए जाएं,

मुझे आपत्ति नहीं है, मैं भरना भी चाहता हूं, लेकिन ये जिस दिन पर्याप्त नामांकन कर देंगे उस दिन हम इनके पद भर देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, हो गया।

अगला प्रश्न, श्री पब्बाराम विश्नोई ।

फलौदी में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की योजना

110. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की कितनी ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा उप केन्द्र से वंचित है? ग्राम पंचायतों का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में उक्त केन्द्र कब तक खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की 31 ग्राम पंचायतें पशु चिकित्सा संस्था विहीन है, जिनका ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। नवीन पशु चिकित्सा संस्थायें आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विभागीय मापदण्ड पूर्ण होने पर खोली जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्रीजी ने बजट घोषणा 2024-25 में 500 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की घोषणा की है जिनमें आवश्यकतानुसार फलौदी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में परीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार खोलेंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जहां पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत हैं, वहां पर भवन निर्माण कब तक करा दिए जाएंगे?

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फलौदी में जहां भी भवनों की कमी है उनकी एक बार जांच करवा लेंगे और आवश्यकतानुसार बजट की उपलब्धता के आधार पर इनसे राय करके आवश्यकतानुसार इनसे राय करके प्राथमिकता से इनके कार्य करवाएंगे।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही पूरक प्रश्न हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को और मंत्रीजी को कि आपने 108 की तर्ज पर हर पंचायत समिति में एक वैन भेजी है और उसके अन्दर स्टाफ भी है। हर जगह पशु पालक के घर पर जाकर वो इलाज करती है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं परंतु पिछली सरकार के दौरान जिस प्रकार से घोषणाएं हुईं, वो इस तरह की घोषणाएं थी कि जिसे कहते हैं कि एक शंख हुआ करता था, उस शंख से पूछते थे उससे दस गुना वह

देने को कह देता था। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): तो मैंने वो असंसदीय शब्द हटा दिया है। मैं सिर्फ 'शंख' ही बोल रहा हूं। इन्होंने इस तरह से घोषणाएं की।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछो।

श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार की घोषणाओं में स्वीकृत पदों को कब तक भर दिया जाएगा? आप लोगों ने कोई पद भी नहीं भरे थे। परंतु आपसे निवेदन करता हूं कि स्वीकृत पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने पूरे राजस्थान में उप केन्द्र खूब खोले, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जनता की सुविधा के लिए खोले। उप केन्द्र 2422 खोले, उप केन्द्र से चिकित्सालय में 325 क्रमोन्नत किए, औषधालय से 198 चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए, पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी 77 किए और 10 को प्रथम श्रेणी से पॉलीक्लिनिक में किए, लेकिन इन्होंने उनके लिए भवनों का बजट का प्रावधान नहीं रखा। कई केन्द्र बिना भवनों के आज भी चल रहे हैं। 977 ऐसे उप केन्द्र हैं जहां पर पशु धन सहायक भी नहीं है और भवन भी नहीं है, कागजों में ही चल रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से हम प्राथमिकता से काम करेंगे और इनके लिए पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डॉक्टर प्रियंका चौधरी।

बाड़मेर में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से स्वीकृत कार्य

111. डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सही है कि डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत जमा राशि को उसी जिले के विकास के कार्यों में व्यय किया जाता है? यदि हां, तो जिला बाड़मेर में वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक उक्त फण्ड में कितनी राशि जमा हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उक्त अवधि में डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत कितनी राशि जमा हुई तथा उक्त समयावधि में कौन-कौनसे विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार जमा राशि एवं व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के खनन क्षेत्र में प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): (1) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों व भारत सरकार के निर्देश दिनांक 12.07.2021

के अनुसार ट्रस्ट फण्ड में जमा राशि का उपयोग जिले में खनन से प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 31.12.2023 तक बाड़मेर जिले के ट्रस्ट फण्ड में राशि रुपये 16823.28 लाख जमा हुए। जमा राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा बाड़मेर से उक्त अवधि में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड में राशि रुपये 12820.26 लाख जमा हुई। उक्त समयावधि में विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में विभिन्न विकास कार्यों पर राशि रूपये 4036.80 लाख व्यय की गई, जमा एवं व्यय हुई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त समयावधि में व्यय हुई राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(3) के क्लॉज (i)(A)(b) व क्लॉज (i)(B)(d) में खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु ट्रस्ट फण्ड के उपयोग के संबंध में समुचित प्रावधान किये गये है, संबधित नियम की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि नियमों में खनन प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण सहित अनुमत विभिन्न कार्यों पर निर्णय गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया जाता है। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के खनन प्रभावित क्षेत्रों में गवर्निंग काउसिंल के अनुमोदन उपरांत पर्यावरण संरक्षण हेतु 4 स्थानों पर राशि रुपये 39.90 लाख व्यय कर वृक्षारोपण कराया गया है, विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है, अगर आप अनुमति दें तो।

श्री अध्यक्ष: हां, सीधा पूरक प्रश्न पूछें।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें 2018-19 वित्तीय वर्ष से लेकर 2023-24, 31 दिसम्बर तक का विवरण है। उसमें मेरी जानकारी में आया है कि जो प्रायोरिटी एरियाज तय किए गए हैं, कुछ एरियाज हैं जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं और कुछ दूसरे प्रायोरिटी एरियाज हैं। लेकिन जो फण्ड खर्च किया गया है, हाई प्रायोरिटी एरिया में मुख्य रूप से पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए तो एन्वायरनमेंट पर वर्ष 2018 के बाद से 1 रुपया भी बाड़मेर में खर्च नहीं किया गया। स्किल डवलपमेंट और रोजगार देने का जो हाई प्रायोरिटी का विषय है उसमें मेरी जानकारी में अभी पिछले 5 वर्ष में नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: केवल प्रश्न पूछें।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जो 168 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है पिछले 5 वित्तीय वर्षों में तो उस राशि का उपयोग तय प्राथमिकताओं में खर्च करने के मद के अलावा किसी और मद में किया गया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा

क्षेत्र बाड़मेर के अन्दर एन्वायरनमेंट के अन्दर 4 काम हुए हैं। एक तो इनका ग्राम पंचायत गेहूं हैं, उसमें 37 लाख, राणीगांव में 80 हजार, विशाला में 80 हजार और विशाला आगोर में 80 लाख के खाली प्लांटेशन के काम हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपके यहां पर जो डी.एम.एफ.टी. की मीटिंग है, वो कई वर्षों से, मेरे ख्याल में वर्ष 2012-13 से हुई ही नहीं है। पहले तो जिला प्रमुख थे इसके चेयरमैन उसके पश्चात् मंत्रीजी बन गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोर्म्स के अनुसार अब इनके कलक्टर को बनाया है।

अब मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि एन्वायरनमेंट अधिकांश जो फण्ड आता है डी.एम.एफ.टी. का वो बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र से ही आता है बाड़मेर जिले का, मैं कलेक्टर साहब से बात करके जो भी आपका आगे जो फण्ड आएगा उसमें अब जैसे रोड्स हैं, मिसिंग लिंक्स की बहुत रोड्स ली गई, डामर रोड बनाने का मतलब ही एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है पोल्यूशन का कि पक्की रोड में फिर मिट्टी नहीं उड़ती है तो वहां पर आपके सिलीकोसिस के कोई केस नहीं है, आपके पीएचसी में भी पैसा खर्च किया हुआ है। आपके थोड़ा-बहुत अपग्रेडेशन किया हुआ है तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आगे का जो बजट होगा, हमारी सरकार के तहत हम एन्वायरनमेंट को प्राथमिकता देंगे और कलक्टर को हम डाइरेक्शन देंगे कि एन्वायरनमेंट के अन्दर आप थोड़ा ज्यादा बजट अलोकेट करें।

MLS/RTM/18.07.2024/11:30/1d

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): एक प्रश्न और है। आपने बिलुकुल सही फरमाया कि जो 168 करोड़ 23 लाख की आमदनी पूरी जिले से हुई है, उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र का है, जो कि 73 परसेंट है, लेकिन पिछले पांच सालों की अगर व्यय राशि देखें तो केवल 23 परसेंट ही खर्च हुई है, जो कि बहुत कम है। चालीस करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। हमारी मुख्य समस्या वहां युवाओं के रोजगार और पर्यावरण की है। मैं आपसे फिर से एक बार प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या युवाओं के स्किल डवलपमेंट और रोजगार को लेकर भी कोई स्पष्ट नीति बनाकर ट्रांसपैरेंसी रखकर ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट करके युवाओं की योग्यतानुसार मैरिट के हिसाब से उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था करने का विचार सरकार रखती है? अगर हां तो कब तक?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में जो दुरुपयोग किया गया, अनियमितताएं की गईं, हमारे मारवाड़ में एक कहावत है, ''खावे सूर ठोकीजै पाडो'', तो आपका जो भी फंड बचा है, यह हमारी सरकार पर आरोप नहीं आना चाहिये। अभी छह महीने ही हुए हैं, जो भी आपका बैलेंस पैसा बचा है और आगे का हम कलक्टर को निर्देश देंगे, क्योंकि आपकी विधान सभा से बहुत ज्यादा फंड आता है, एन्वायरनमेंट के जितने भी कार्य हैं, आप आउटलाइन कर दीजिये, हम उन्हें प्राथमिकता देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह सुनिश्चित कीजिये कि सारे जिलों में डीएमएफटी की

मीटिंग्स ...(व्यवधान)... बैठिये, आपको अनुमति नहीं है। सारे जिलों को यह बता दें कि उनके यहां डीएमएफटी की मीटिंग्स रैगुलरली होती रहें, जो वर्षों तक नहीं होतीं कई बार। इसके लिए निर्देश जारी करें कि ये मीटिंग्स नियमित रूप से होती रहें। इसकी व्यवस्था करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, उन मीटिंग्स में जन प्रतिनिधियों को बुलाया जाये।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रावधान यह है कि क्वार्टरली होनी चाहिये मीटिंग्स। Rules of DMFT say कि हर तीन महीने में मीटिंग होनी चाहिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएलएज को उनमें आवश्यक रूप से बुलाया जाये। इन लोगों ने सारा कलक्टरों को सौंप दिया था। उनमें विधायकों को शामिल किया जाये।

श्री अध्यक्ष: मैंने निर्देश दे दिये हैं। मैंने कह दिया है, उसके बाद क्या बचता है?

श्री अरुण चौधरी।

बालोतरा से समदडी सड़क के पुनर्निर्माण की कार्य योजना

112. श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बालोतरा से समदडी सड़क की वर्तमान में क्या स्थिति है? उक्त सड़क का निर्माण किस वर्ष में किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (डॉ. मंजू बाघमार): (1) बालोतरा से समदडी सड़क, स्टेट हाईवे-68 का भाग है, जिसकी कुल लम्बाई 38.00 किमी. (किमी. 94/0 से 132/0) एवं 7.00 मीटर चौड़ाई में है। बालोतरा से समदडी सड़क कुल 38.00 किमी. में से 33 किमी. सड़क (किमी. 94/0 से 127/0) का दोहरीकरण वर्ष 2012 में हुआ था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त (नॉन पैचेबल) है। 3 किमी. सड़क (किमी. 127/0 से 130/0) का नवीनीकरण वर्ष 2023 में हुआ था, जिसकी स्थिति सन्तोषजनक है। 2 किमी. शहरी क्षेत्र सड़क (किमी 130/0 से 132/0) तक नगर परिषद् बालोतरा के अधीन है एवं सन्तोषजनक है।

(2) उक्त सड़क का पुनर्निर्माण करना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर मुझे मिल चुका है, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो पूरक सवाल करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरा यह है कि बालोतरा एक औद्योगिक नगरी है और बालोतरा जिला हैडक्वार्टर भी है। बालोतरा से सिवाना की जो रोड है, उस पर एक-एक फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। यह स्टेट हाइवे नं. 68 है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: पूछें, निवेदन नहीं।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): इस बजट सत्र में आपने यह घोषणा नहीं की है, लेकिन इसे किसी भी मद में, चाहे यह आरएसएच मद में हो, वैसे 2018 में यह सीआरआईएफ फंड के तहत स्वीकृत भी हो गयी थी, लेकिन यह रोड अभी तक बनी नहीं है। कृपया इसे बनाने की आप घोषणा कराएं, अति मेहरबानी होगी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कें अभी जहां-जहां क्षतिग्रस्त हैं, वहां पर तो रिपेयरिंग का कार्य करवा रहे हैं। चूंकि इस सड़क में नरेगा द्वारा वाइडनिंग का कार्य करवाया गया था, यह पीडब्ल्यूडी के रोड सेफ्टी के नॉर्म्स के अनुसार अप टू द मार्क है या नहीं, सड़क का लेवल क्या है, इसके लिए विस्तृत तख़मीना रिपोर्ट बनाकर पीडब्ल्यूडी द्वारा इसकी डीपीआर तैयार करवायी जा रही है। इसका एस्टीमेट तैयार करके जितना जल्दी होगा, चरणबद्ध तरीके से इसका कार्य करवाया जायेगा।

श्री अरूण चौधरी (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक क्वेश्चन और है। यह जो बालोतरा औद्योगिक नगरी है, इसका पाली से ज्यादा कनेक्शन है। यह रोड बालोतरा से समदडी होते हुए सीधी पाली जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप इस रोड को नेशनल हाईवे के लिए यहां से केन्द्र सरकार को अनुशंसा भिवाएंगे तो अति मेहरबानी होगी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह एनएचएआई का विषय है, हम नियमानुसार परीक्षण करवाकर इसका प्रस्ताव तैयार करवाकर केन्द्र सरकार को भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति माहेश्वरी।

ग्राम पंचायतों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र की स्थापना

113. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं? यदि हां तो उक्त केन्द्र का प्रबन्धन किस प्रकार किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतों में उक्त केन्द्र संचालित हो रहे हैं एवं कितनी ग्राम पंचायतों में सहायता केन्द्र स्थापित किया जाना शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) लोक सुनवाई सहायता केन्द्र को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में क्या प्रयास किये गये एवं क्या भावी योजना है?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग) (जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री के स्थान पर): (1) प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोक सुनवाई सहायता केन्द्र का प्रबन्धन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 09.04.2013 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया

जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिलों से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत कार्यालयों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र संचालित हो रहे हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) लोक सुनवाई सहायता केन्द्र को सक्षम एवं प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपत्र/निर्देश जारी किये गये। आदेश/परिपत्र/निर्देश दिनांक 25.10.2019, 02.03.2021, 09.03.2021, 19.04.2022, 08.02.2024, 13.03.2024 का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

जिलों में स्थित सहायक निदेशक, लोक सेवा कार्यालयों को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु जिलों में प्रतिवर्ष राज्य स्तर से बजट आवण्टित किया जाता है।

ग्राम पंचायतों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र के माध्यम से जन सुनवाई के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.03.2021 एवं 19.04.2022 के तहत माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न?

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें यह अंकित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में माह के प्रथम गुरुवार को जन सुनवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक शुक्रवार को त्रिस्तरीय सुनवाई व्यवस्था जिला स्तर, उप-खण्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर दोपहर 12 से दिन में 3 बजे तक करने के निर्देश दिये गये हैं और प्रत्येक पंचायत में हर दिन कार्य दिवस में 10 से 12 बजे तक लोक सुनवाई केन्द्र खुला रखकर परिवाद लेने के निर्देश दिये गये हैं, किन्तु ग्राम पंचायत कार्यालय प्रतिदिन खुलते ही नहीं है। राज्य सरकार इन निर्देशों की पालना के लिए क्या-क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार के निर्देशानुसार माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की जा रही है। विगत तीन वर्षों में चुनाव आचार संहिता अवधि यथा लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों को छोड़कर नियमित रूप से जन सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राजकीय कार्य दिवसों में ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रतिदिन खोलने के निर्देश हैं। प्रतिदिन पंचायत कार्यालयों में आने वाले परिवादी की सुनवाई की जाती है। मैं आपके मार्फत् माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा...

श्री अध्यक्षः उनके प्रश्न का उत्तर दीजिये। यह पढ़िये मत। ...(व्यवधान)... अगला प्रश्न आप लगा देना, आपका आ जायेगा।

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने

बताया, समय-समय पर अलग-अलग निर्देश जारी किये गये हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में 8.02.2024, 13.03.2024 को जो निर्देश दिये गये हैं, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की भी तुलनात्मक जानकारी देना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय जो शिकायतें प्राप्त होती थीं, उनका एवरेज डिस्पोजल टाइम 45 दिन होता था, लेकिन जब से नये निर्देश जारी किये गये हैं, उसके बाद में 15 दिनों के अन्दर शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। पहले उन शिकायतों में 47 परसेंट रिलीफ था, वह अब 8 प्रतिशत बढ़कर 54 प्रतिशत हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपको अनुमति नहीं है। पूरक प्रश्न।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन के साथ-साथ मेरी भी यही बात है, हर सदस्य के द्वारा मैं यह बात रख सकती हूं कि टाइम टू टाइम निर्देश बहुत बार दिये गये हैं, जिनका विवरण बहुत अच्छे से हमें मिला है। विगत राज्य सरकार और हमारी सरकार की अगर तुलना करें तो वह विवरण भी जैसा कि आपने बताया कि अब व्यवस्था बैटर हो रही है, लेकिन आज भी पीड़ा यही है कि every day monitoring, 10 से 12 बजे, मेरे साथ भी, जब मैं पिछली बार विधायक थी, मैं हमारी गोवाथला पंचायत में गयी तो बन्द था, ताला लगा था पंचायत पर, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए अगर कोई कमेटी का गठन या अधिकारियों को ऐसे निर्देश मिलें कि वे कभी भी जाकर उसका निरीक्षण कर सकें, इसके लिए हम सरकार द्वारा कोई मॉनिटरिंग टीम बैठाएं। निर्देश तो बहुत बार दिये हैं। क्या हम ऐसी कोई मंशा रखते हैं?

mkd/rtm/18.07.2024/11:40/1e

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, वीसी के मार्फत कलेक्टर के द्वारा, सम्भागीय आयुक्त के द्वारा एवं चीफ सेक्रेटरी के द्वारा भी महीने में दो दिन मॉनिटरिंग की जाती है। सम्भागीय आयुक्त भी दो दिन के लिए दो ग्राम पंचायतों से जुड़ते हैं, कलेक्ट्रेट में भी जुड़ते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा हर चीज ऑन द रिकॉर्ड है और मैं आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, सरकार यह सुनिश्चित करे कि बैठक लगातार हो और जनता की समस्याओं का समाधान हो।

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम। अगला प्रश्न पुकार लिया है। माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न के अलावा किसी को अनुमति नहीं है।

करौली में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना

114. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला करौली में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत विगत पांच

वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि में से कितनी राशि माह मार्च, 2024 तक व्यय की जा चुकी है तथा कितनी शेष है? वर्षवार, व विधान सभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत कितने मरीजों को लाभान्वित किया गया है? वर्षवार व विधान सभा क्षेत्रवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के अन्तर्गत करौली जिले में विगत पांच वर्षो में आवंटित बजट निम्नानुसार है:-

क्र सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (राशि लाखों में)
1	2019-20	1554.72
2	2020-21	1345.92
3	2021-22	1984.44
4	2022-23	2865.86
5	2023-24	3730.47

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत करौली जिले के विधानसभावार आवंटित राशि, व्यय एवं व्यय होने से शेष राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत करौली जिले में वर्ष 2019-2024 (मार्च 2024 तक) 12906823 मरीजों को लाभन्वित किया गया। लाभान्वितों का वर्षवार एवं विधानसभावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ चुका है। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अप्रेल से अब तक इस मद में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और कितनी खर्च हुई है? इसके अलावा मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि इस योजना के तहत अभी तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मूल प्रश्न पूछा है, इन्होंने पांच साल के आंकड़े मांगे हैं। पांच साल, यह जो लास्ट वित्तीय वर्ष है, वह 1 अप्रेल, 2023 से लेकर 31 मार्च, 2024 को खत्म होता है। आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, उनमें पांच साल की बात की है। पिछले पांच साल में 5 लाख बेनिफिशरी जो हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय मंत्री जी, नहीं-नहीं। मंत्री महोदय, इसमें पांच साल का तो जवाब आ गया है। मैं चार महीने का पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके सदस्य पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच साल का जवाब आ गया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जितना बजट दिया, वह पूरा खर्च हो गया, इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अब यह पूछना चाहता हूं कि आज तक, 31 मार्च से अब तक इन्होंने कितना पैसा दिया और वह कितना खर्च हुआ? उससे कितने लोग लाभान्वित हुए?

श्री अध्यक्ष: बजट तो अब प्रस्तुत हुआ है। बजट तो आज दे रहे हैं। आप बैठिये। मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूं। मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। अब पारित होना है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि हॉस्पिटलों में रेबीज की दवाई नहीं हैं, स्नेक बाइट के इंजेक्शन नहीं हैं। हम कई महीनों से सीएमएचओ व उच्चाधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, आज तक वहां दवा उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं इस मामले में भी माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ये दवाइयां कब तक उपलब्ध हो जाएंगी?

इसके साथ-साथ हमारी जो चिरंजीवी योजना थी, उसको बन्द किया है तो उसका भी लोगों पर भारी असर है। लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह आप कब तक करा देंगे?

श्री अध्यक्ष: हरि मोहन जी, बैठे-बैठे बोलना मना है। आप सबसे पुराने हैं। माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अन्दर पांच साल का पूछा था। अब ये कह देंगे कि मई में कितना खर्च हुआ था, तो ये जो तीन-चार महीने का कह रहे हैं, इसकी सूचना आपको आज भेज दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि एक बात जो आपने छिपाई है कि आपके कार्यकाल के अन्दर इन्हीं के जिले के अन्दर, इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र के अन्दर और दूसरे में भी बहुत भारी राशि ये दवाइयों पर खर्च नहीं कर पाये। इसके अन्दर करौली विधान सभा क्षेत्र में 13 लाख रुपया बच गया। इनके सपोटरा के अन्दर लगभग 1 करोड, टोडाभीम के अन्दर 1 करोड़ 20 हजार। ऐसे ही आपके करौली विधान सभा क्षेत्र में 1 लाख 2 हजार, हिण्डौन के अन्दर 1 लाख 18 हजार, तो ये इन्होंने वर्ष दर वर्ष 1 साल इन्होंने सवा करोड़ रुपये खर्च नहीं किये हैं। आपने जो तीन महीने की सूचना मांगी है, वह मैं आपको आज ही दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपके दो प्रश्न हो गये हैं। श्री मनोज कुमार।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसमें तो जवाब आया है। आपने जीरो-जीरो बताया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना को आगे जारी रखना चाहती है या

नहीं?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सरकार बिलकुल जारी रखेगी और इसको बेह्तर करेगी, आपने जो चलाया था।

श्री अध्यक्षः बस हो गया। श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर में स्वीकृत नलकूप

115. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की पंचायत समिति राजगढ़ में विगत तीन वर्षों में पंचायत समिति मद से स्वीकृत पम्प/नलकूपों को किस-किस स्थान पर लगाया गया है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, राजगढ़ में उक्त अवधि में पंचायत समिति मद से स्वीकृत हैण्डपम्पों, नलकूपों को कतिपय सरपंचों द्वारा निजी खातेदारी भूमियों में लगाये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृत हैण्डपम्प, नलकूप चालू स्थितियों में हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार गारंटी अवधि में खराब हैण्डपम्प एवं नलकूपों को संबंधित फर्म द्वारा ठीक करवाने का विचार रखती है?

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) विधानसभा सादुलपुर की पंचायत समिति, राजगढ़ में विगत तीन वर्षों के दौरान पंचायत समिति मद से नलकूप स्वीकृत किये गये हैं। जिनके स्थान का विवरण परिशिष्ट-1 के कॉलम संख्या 4 में अंकित है।

(2) जी नहीं। निजी खातेदारी भूमि में नहीं लगाये गये हैं।

(3) उक्त स्वीकृत 16 नलकूप में से 05 नलकूप पूर्ण हुए हैं, जो सभी क्रियाशील हैं।

गांरटी अवधि में खराब हैंडपम्प एवं नलकूपों को संबंधित कार्यकारी एजेंसी से ठीक कराया जाता है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये 16 नलकूप तीन वर्ष में स्वीकृत हुए, ये कब स्वीकृत हुए? वर्क ऑर्डर कब जारी हुआ? किस एजेंसी के नाम हुआ? और कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया? क्या लम्बे अर्से से पेंडिंग कार्य के लिए भुगतान कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही विस्तृत जानकारी चाही है, मैं दे रहा हूं। राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नोहद में सार्वजनिक ट्यूबवैल निर्माण, 33 केवी के पास एक क्रियाशील है। दूसरा है नोहद में ही सार्वजनिक ट्यूबवैल निर्माण, ग्राम बास मामराज में स्वीकृत हुआ है। यह 07.01.2022 को

हुआ था और इसमें 7 लाख 92 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। यह गैर मुमकिन कुएं के पास बना है। थिरपाली बड़ी में पेयजल हेतु कुआं निर्माण, खातियों की बाड़ी अमर सिंह जांगिड़ के पास बना है और यह कार्य अभी पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन लम्बित है। यह 12.10.2022 को स्वीकृत हुआ था। इसमें 9 लाख 48 हजार रुपये खर्च हुए हैं और यह गैर मुमकिन आबादी में है। इसी प्रकार से, गुगलवा पंचायत में सार्वजनिक कूप निर्माण सहित स्मारक बालाण के पास स्वीकृत हुआ है, इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, बिजली का कनेक्शन अभी लम्बित है। यह 01.12.2022 को स्वीकृत हुआ था। इसमें 8 लाख 43 रुपये खर्च हुए हैं और डिमांड नोट हेतु विद्युत निगम को आवेदन किया हुआ है। थिरपाली बडी में पेयजल ट्यूबवेल, गुर्जरों का मोहल्ला, देव नारायण मन्दिर के पास लगाया गया है, कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन अभी लम्बित है, इसमें 9 लाख 98 हजार रुपये खर्च हुए हैं। गुगलवा में ही दूसरा सार्वजनिक कुआं निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र में हुआ है, यह क्रियाशील है और इसमें 8 लाख 22 हजार रुपये खर्च हुए हैं। उसके बाद गुगलवा में ही एक ट्यूबवैल लगा है, जिसका कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन लम्बित है। इसी प्रकार से नौरंगपुरा में सार्वजनिक ट्यूबवैल कुलहाड़ियों के मौहल्ला, नौरंगपुरा में क्रियाशील है, इसके ऊपर 3 लाख रुपये खर्च हुए हैं। सुलखनिया छोटा में, सिंगल फेज बोरवेल निर्माण आंगनबाड़ी के पास, सुलखनिया बड़ा में लगा है, इसका कार्य पूर्ण नहीं है, बिजली का कनेक्शन अभी लम्बित है, इस पर 6 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री अध्यक्षः यह पर्याप्त हो गया है। अगला प्रश्न।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): नहीं सर, 16 हैं। इन्होंने सबका पूछा है। नूहद में ही ट्यूबवैल निर्माण मीणा व खातियों ढाणी के पास लगा है, इसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, बिजली का कनेक्शन बाकी है। और पूरा बताऊं?

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं यह चाहता हूं कि 2021-22 से पेंडिंग हैं, जनता के आठ-आठ लाख रुपये एक-एक ट्यूबवैल पर खर्च हो गये हैं, अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिला है। क्या सरकार की मंशा है कि उनकी जांच करें? और तुरन्त प्रभाव से कितने दिन में बोरवेल को चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्षः ठीक है। इसका पूरा उत्तर दीजिये।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न पूछा है। क्योंकि कनेक्शन नहीं होता है, ट्यूबवैल चालू नहीं होता है तो जितना पैसा उसमें लगता है, वह निष्फल हो जाता है। मुझे इस बात का बहुत दु:ख है कि 2022 का ट्यूबवेल जनवरी 2024 तक भी पूर्ण नहीं हुआ था। अब हम उसको पूर्ण कराकर जल्दी कनेक्शन करायेंगे।

मुझे बहुत कष्ट हुआ है कि जनता का इतना पैसा पूर्ववर्ती सरकार ने बेकार किया, निष्फल हुआ। उस समय के जो अधिकारी हैं, जो निष्फल हुआ है, उस पर कार्रवाई करेंगे और जिन अधिकारी, कर्मचारी ने इसमें डिले किया है, उसके खिलाफ भी कार्यवाहीं करेंगे।

श्री अध्यक्षः ठीक है। अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

जैसलमेर में गोशालाओं द्वारा फर्जी अनुदान

116. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में कई गौशालाओं द्वारा फर्जी गौवंश बताकर अनुदान उठाया गया है? यदि हां, तो कितनी गौशालाओं द्वारा कितना अनुदान उठाया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अनुदान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से उठाया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन इसमें सम्मिलित हैं तथा सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

गोपालन मंत्री (श्री जोराराम कुमावत): (1) जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशालय गोपालन द्वारा जैसलमेर जिले की गौशालाओं की गोपनीय जांच/औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 32 गौशालाओं में घोर अनियमितताएं पाई गईं जिसका संज्ञान लेते हुए जैसलमेर जिले की उक्त 32 गौशालाओं का वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रोक दिया गया। इस प्रकार 32 गौशालाओं को फर्जी अनुदान उठाने से रोक दिया गया।

(2) गौशालाओं की अनुदान प्रक्रिया में पर्यवेक्षीय लापरवाही बरतने पर तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जैसलमेर को निलंबित किया गया तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की संलिप्तता पर जांच प्रक्रियाधीन है।

Bhs/Rtm/18.7.24/11.50/1f

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इन 12 गोशालाओं में 7,129 गायें बताई गई और जांच के समय 310 मिली। आपने उनका अनुदान रोक दिया यह तो सही है पर क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय दो साल में 51 करोड़ 23 लाख का अनुदान उठा लिया गया? यदि हां, तो इस दिये गये अनुदान की राशि वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? नंबर एक।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या यह गोशालाओं में जो गबन हुआ इसके लिए आपने 7 मार्च, 2024 को मुख्य मंत्री जी को इसकी जांच एसआईटी से कराने की अनुशंसा की थी? यदि हां, तो उस जांच का क्या हुआ? ये दोनों बातें बतायें तो फिर में दूसरा प्रश्न पूछूं।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में गोशालाओं के फर्जी अनुदान की बहुत सारी शिकायतें आई। कई अखबारों में भी ये खबरें छपी तो हमने निदेशालय से जांच दल गठित

करके 7 व 8 फरवरी, 2024 को जैसलमेर जिले की गोशालाओं की गोपनीय जांच व औचक निरीक्षण किया, जिसमें जांच दल को गोशालाओं ने भौतिक सत्यापन के दौरान जितना गोवंश गोशालाओं द्वारा बताया गया था उतना गोवंश नहीं मिला तथा अन्य अनियमितता भी पाई गई, जिसके आधार पर इन 12 गोशालाओं की अनुदान वितरण प्रक्रिया रोक दी गई। इसके बाद 12 गोशालाओं में अनियमितता पाये जाने पर निदेशालय ने जिले की अन्य गोशालाओं की जांच हेतु जिला कलेक्टर को लिखा जिस पर जिला कलेक्टर, जैसलमेर से जांच कराये जाने पर 16 अन्य गोशालाएं भी अपात्र पाई गईं, जिससे इनका भी अनुदान रोक दिया गया। 4 गोशालाओं की आईबी में शिकायत के आधार पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग ने जांच करायी जिसमें भी अनियमितताएं पाई गईं, इनका भी अनुदान रोक दिया गया। जांच में अनियमितता पाये जाने पर तत्कालीन पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक, जैसलमेर को मार्च, 2024 में निलम्बित किया। 2 अन्य डॉक्टर्स को 16 सीसी के नोटिस दिये व 4 डॉक्टर्स के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कार्मिक विभाग को अप्रैल, 2024 में लिखा है।

इस प्रकरण में 2 उपखंड अधिकारी भटियाना, पोकरण के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा हुआ है। गोशालाओं को अनुदान देने हेतु भौतिक सत्यापन के लिए भौतिक सत्यापन दल का गठन किया जाता है जिसमें 2 डॉक्टर, पशुपालन विभाग के, 1 प्रशासनिक अधिकारी उपखंड अधिकारी या उसका प्रतिनिधि एवं 3 पशुपालन हेतु अधीनस्थ विभागीय कर्मचारी होते हैं।

वर्तमान में इन 32 गोशालाओं सहित जैसलमेर जिले की सभी अनुदानित गोशालाओं की...।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): ...अनियमितताओं के प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से जांच करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उक्त गोशालाएं जिनका अनुदान रोका गया, पिछली सरकार में जो पूर्व मंत्री थे और जो पूर्व विधायक +++ वो और उनके नजदीकी लोगों की ये गोशालाएं थी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नाम न लें। कह दिया मैंने।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और उन्होंने यह गड़बड़ की और राजनीतिक पहुंच के कारण उसकी जांच नहीं हुई। तो क्या आप इनकी जांच करा कर इनकी गोशालाओं के लाइसेंस रद्द करेंगे और जो गड़बड़ की उसका जो अनुदान लिया उसको आप वसूल करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री जोराराम कुमावत (पशुपालन एवं डेयरी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन

को बताया कि यह जो 32 गोशालाएं हैं उनका अनुदान रोक दिया गया। अभी उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है और मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने पत्र लिख कर और खुद मिल करके भी निवेदन किया और उन्होंने इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसीबी से कराने हेतु लिखा है और शीघ्र ही जाचं करायेंगे। यदि कोई इसमें दोषी है और कोई संलिप्त है चाहे वह राजनीतिक दल का नेता हो या कोई और भी सरकारी अधिकारी हो, विभाग के हों, कोई भी हो तो जांच रिपोर्ट आयेगी उसके बाद में निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। यदि फर्जीवाड़ा हुआ, अनुदान में फर्जीवाड़ा हुआ और वसूली के लायक होगी तो वसूली भी करेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री भगवाना राम सैनी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः नो, बैठिये।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव।

श्री अध्यक्षः सुझाव बाद में देना। सुझाव भाषण में देना, अभी नहीं। प्रश्न काल में कोई सुझाव नहीं। माननीय मंत्री जी। उत्तर सुनिये। नो, कोई अंकित नहीं हो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। अंकित नहीं होगा। बैठिये। आप पुराने हैं। प्रश्न काल में किसी को कोई सुझाव देने या बोलने की अनुमति नहीं है। जिसका प्रश्न है वह दो पूरक प्रश्न पूछेगा उसके बाद विपक्ष के नेता को यदि कुछ कहना होगा तो कहेंगे।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): 000

श्री अध्यक्षः नहीं, सुझाव के लिए अलग से आइये। मंत्री जी से मिल कर दे दीजिये।

उदयपुरवाटी में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

117. श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्र सरकारी भवन में संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (डॉ. मंजू बाघमार): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र, उदयपुरवाटी में 224 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है । संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में संचालित कुल 224 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 210

आंगनबाड़ी केन्द्र राजकीय भवनों में संचालित है एवं 14 आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों में नि:शुल्क संचालित है।

विभागीय भवन के अलावा अन्यत्र संचालित किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये राज्य सरकार विभागीय भवन निर्माण करने का विचार रखती है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आंवटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये निर्धारित नार्म्स के अनुसार करवाया जाता है।

(3) परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 89(1) के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोले जाने की घोषणा के क्रम में विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में भी 5 नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोले जायेंगें।

इसके अतिरिक्त स्थानीय आवश्यकता/निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परीक्षण कर पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोलने का निर्णय लिया जावेगा।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष जी, जवाब आ गया, प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया चलो, हां पूरक प्रश्न।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में नगरपालिका में 35 वार्ड है और ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह सदन है नियमों से चलता है। यह सदन नियमों से चलता है।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): 60 हजार की जनसंख्या है और वहां मात्र केवल 8 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। इसके अलावा 2 नगरपालिकाएं और 41 पंचायतें हैं, वहां और खोलने की आवश्यकता है। इस बजट में मात्र 5 आंगनबाड़ी केन्द्र दिये हैं जो ऊंट के मुंह में जीरा है यानी की बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): तो क्या सरकार और खोलने की मंशा रखती है? दूसरा सामान्य-सा प्रश्न मेरा यह है कि इन आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बाकी है वह कितने दिन से बाकी है और उसका सरकार कब तक भुगतान कर देगी?

श्री अध्यक्ष: ठीक है। माननीय मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, हमने अपने परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 के बिन्दु संख्या 89(1) के अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा की थी। उसमें उदयपुरवाटी में भी 5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे। चूंकि माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता जाहिर की है तो निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से अभी तो पहला साल ही है चरणबद्ध तरीके से और नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जायेंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष जी, मैंने जो मानदेय का पूछा है वह कब तक आ जायेगा?

श्री अध्यक्षः हो गया। आपका उत्तर आ गया पूरा।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): मानदेय के लिए पूछ रहा हूं, वह बाकी है, वह कब तक आ जायेगा? मानदेय के लिए पूछ रहा हूं मैं कि वह कब तक आ जायेगा? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः जवाब दे रहे हैं।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी हमने बजट में घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी...।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैडम, अगला प्रश्न शुरू हो गया, आप बैठ जाओ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया, बोल दिया उनको। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बैठिये, विपक्ष के नेता। साहब, इनको इतना अधिकार क्यों दे रखा है? आप चौबीस घंटे बोलते रहते हैं, बीमारी है क्या?

बहरोड़ में आगजनी व अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

118. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में आगजनी, अतिवृष्टि व अन्य कारणों से हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बहरोड में विगत पांच वर्षों में उक्त कारणों से लोगों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ है? सरकार द्वारा कितने लोगों को कितना-कितना नुकसान का मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता (श्री ओटा राम देवासी): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, हां। अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से क्षति/नुकसान होने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को जारी एसडीआरएफ मानदण्डानुसार सहायता उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रावधान निर्धारित किये गये है। एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में विगत पांच वर्षों में अधिसूचित प्राकृतिक

आपदाओं में केवल अग्नि से 04 आवासों में क्षति हुई है, जिनका अनुमानित नुकसान राशि 10.97 लाख (दस लाख सत्तानवे हजार) रुपये है तथा पाला एवं शीतलहर व ओलावृष्टि से कुल 119289 (एक लाख उन्नीस हजार दो सौ नवासी) काश्तकारों का 12430.73 लाख (एक सौ चौबीस करोड़ तीस लाख तिहत्तर हजार) रुपये का अनुमानित राशि का फसल नुकसान हुआ है।

अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान नहीं हुआ है।

प्राकृतिक आपदा अग्नि से प्रभावित 04 प्रकरणों में 0.24 लाख (चौबीस हजार) रुपये तथा ओलावृष्टि एवं पाला शीतलहर से प्रभावित 36051 (छत्तीस हजार इक्यावन) काश्तकारों को राशि रुपये 3021.20 लाख (तीस करोड़ इक्कीस लाख बीस हजार) रुपये की कृषि आदान-अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

शेष काश्तकारों के द्वारा आधार एवं जनाधार प्रस्तुत नहीं करने एवं जनाधार बैंक खातों से लिंक नहीं होने एवं अन्य राज्यों में निवास करने के कारण भुगतान से शेष है। जिनमें भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्षः आप पूरक प्रश्न पूछो। टाइम हो रहा है। आप बीच में खड़े क्यों हो रहे हो? आपका हो गया। अगला प्रश्न पुकार लिया। बैठिये।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): मंत्री जी ने जवाब तो दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्षः यह काम मेरा है। जवाब आया कि नहीं, आप मेरे से मिल लेना।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार घरों में आगजनी की घटना घटी, यह सरकार ने जवाब दिया है और उनका मूल्यांकन किया 10 लाख 97 हजार तो यह ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): भारत सरकार के नोर्म्स के हिसाब से दिया है पर मैं आपके माध्यम से इसकी आपसे भी मदद चाहता हूं, राज्य सरकार से फेवर चाहता हूं और चीजों में जैसे मैचिंग ग्रान्ट मिलाया जाता है, अब 11 लाख का नुकसान हो और 24 हजार रुपये उसको अनुदान मिले तो गांव में तो बीमा होता नहीं है मकानों को, तो मैं तो सरकार से उम्मीद करता हूं ...।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): राज्य सरकार क्या इसके अन्दर केन्द्र सरकार के जो नोर्म्स हैं इसके अलावा अपनी तरफ से मैचिंग ग्रान्ट मिलाती है कि नहीं मिलाती? और सेकंड है कि जो 2022 का फसल नुकसान हुआ था, 2024 तक अभी तक नहीं बंटा है तो क्या मंत्री महोदय, उन अधिकारियों के खिलाफ या किस कारण से जांच करा करके कोई भी कार्यवाही करेंगे, ऐसी मंशा रखते हो?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

अनुमति से जिस तरह से माननीय सदस्य ने पूछा है...।

Kas/rtm/18.07.2024/12.00/1g

श्री अध्यक्षः प्रश्न काल समाप्त। माननीय मंत्री जी, प्रश्न काल समाप्त, इनका लिखित में भेज देना।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से चित्तौडगढ़ जिले की सम्पूर्ण बिलानाम भूमि को गोचर भूमि में रूपान्तरित करने से नई परियोजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में ग्रामदानियों में अध्यक्ष का चुनाव करवाये जाने के संबंध में।

(3) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में 01 वर्ष पूर्व निर्मित सड़क पर पड़ने वाले भानौत बाईपास पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से प्रदेश में आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सर्जरी करवाने वाले मरीजों की चेहरे के साथ-साथ प्राइवेट पार्ट की फोटो अपलोड किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से पूर्व सरकार द्वारा बिना कार्ययोजना बनाए हिन्दी माध्यम के विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री हरीश चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों को सर्टिफिकेट जारी होने के उपरान्त भी राजकीय सहायता राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(7) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री विकास चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में युवाओं में बढ़ रही नशे की लत एवं ड्रग्स के अवैध कारोबार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री डूंगरराम गेदर, सदस्य की ओर से प्रदेश में जनता जल योजना के मजदूरों का मानदेय बढ़ाने एवं स्थाई करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की क्रय- विक्रय सहकारी समिति के उपकेन्द्र परसनेऊ तथा भाणूदा में मूंगफली फसल खरीद की बकाया राशि का किसानों को भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह भाटी, श्री विकास चौधरी, श्री डूंगरराम गेदर एवं श्री पूसाराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत करवाये जाने के संबंध में।

(2) श्री उदयलाल भडाणा, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा में गाडरी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने में हो रही समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

(3) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना की चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से बांसवाड़ा जिले के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा सोने की खान की नीलामी की सूचना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की कतिपय पंचायतों को ब्यावर जिले में शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(6) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की कतिपय सड़कों का नवीनीकरण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्री गोपीचन्द मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर से गुजरने वाले राजकीय राजमार्ग संख्या 148 के दोषपूर्ण निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में।

(8) श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से हनुमानगढ जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन रेण्डम विधि से ही करवाये जाने के संबंध में।

(9) डॉ. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गांवों में पेयजल की कमी होने के संबंध में।

(10) श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की ग्राम पंचायत खानपुर को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।

(11) श्री कंवरलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश के पुलिस विभाग में समय पर डी.पी.सी. करवाने एवं साप्ताहिक अवकाश दिये जाने के संबंध में।

(12) श्री राम सहाय वर्मा (रैगर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू क्षेत्र में विगत 05 जुलाई, 2024 को हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिये जाने के

संबंध में।

(13) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमी, स्वायत्त संस्थाओं, बोर्ड एवं निगमों के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों के अनुरूप ही आर.जी.एच.एस. की सुविधा का लाभ दिये जाने के संबंध में।

(14) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से कोटा शहर में यू.आई.टी. द्वारा अमृत जल योजना 2.0 की तैयार की गई डी.पी.आर. की कमियों को दूर कर वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

(15) श्री अरुण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्रामों में अघोषित विद्युत कटौती से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ा हुआ माना गया।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 18.07.2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 52 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	पर्ची संख्या	नाम सदस्य	विषय
1.	47	श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा	मसूदा विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षो से उत्पन्न पेयजल की समस्याओं के सम्बन्ध में।
2.	31	श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा)	विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के बनास नदी में बजरी माफियाओं द्वारा जान-माल को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कार्यवाही हेतु चर्चा।
3.	30	श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद)	नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के पीसांगन में संचालित श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति पीसांगन में हुए 19.60 करोड़ रुपये गबन के पीड़ित उपभोक्ता को न्याय दिलाने एवं समिति की परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
4.	46	श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी)	राजस्थान में बिजली की भारी कमी और सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण आमजन की परेशानी के सम्बन्ध में।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

श्री भीम राज भाटी (पाली): अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: एक लाइन में बोलते हैं।

श्री भीम राज भाटी (पाली): मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जीरो ऑवर के बाद पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन। माननीय भाटी जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

स्थानीय युवाओं को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान स्थानीय को रोजगार के मामले में आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान के उस सीमांत क्षेत्र से आता हूं, जहां हमेशा से भौगोलिक रूप से अभाव रहे हैं। रोजगार के कोई साधन नहीं थे। हमारे लोग रोजगार के लिये, व्यापार के लिये देश के अलग-अलग हिस्सों में गये और उन्होंने अपना काम किया। वर्तमान में स्थितियां-परिस्थितियां अलग हैं। हमारे उस क्षेत्र में कई सारी मल्टीनेशनल कम्पनीज आई हैं और व्यापार के लिये जितनी भी मल्टीनेशनल कम्पनीज आई हैं, उस क्षेत्र की तरफ से, उस क्षेत्र के आम लोगों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जीरो ऑवर चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, सीटों पर विराजो। ये आपके कमरे में आ जायेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्थानीय युवाओं को उन मल्टीनेशनल कम्पनीज में रोजगार मिले, ताकि वहां के युवा मुख्य धारा से जुड़ सकें। आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी थोड़े दिन पहले एक नया बिल लाया गया, जिसमें 50 परसेंट रिजर्वेशन की बात की गई। स्थानीय को रोजगार में वरीयता की बात की गई। कुछ दिन पहले हरियाणा में एक बिल पर डिसकस हुआ, जिसमें कहा गया कि स्थानीय को रोजगार के लिये हम 70-75 परसेंट तक स्किल और अनस्किल में रिजर्वेशन देंगे। प्रदेश की सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि आप स्थानीय को रोजगार दें। युवाओं को आगे बढ़ने का एक मौका दें। अगर वहां स्थानीय को मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वह बार्डर मजबूत हो पायेगा, वह सीमांत क्षेत्र मजबूत हो पायेगा। आज के समय में तमाम युवा साथी बेरोजगारी के उस आलम से गुजर रहे हैं और दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उनकी पीड़ा को समझना चाहिये और स्थानीय को वहां की मल्टीनेशनल कम्पनीज में, चाहे वह सोलर की हो, विंड की हो, पैट्रो केमिकल की हो, तमाम मल्टीनेशनल कम्पनीज में उन युवाओं को रोजगार के नये संसाधन देने चाहिये और साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि उनको स्किल के रूप में अच्छी स्किल देकर तैयार करने की भी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की और हम सबकी होनी चाहिये। मेरा निवेदन रहेगा कि स्थानीय को आप रोजगार देने का श्रम करावें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री विकास चौधरी।

msk/rtm/18.07.2024/1210/1h

किशनगढ़ में युवाओं में बढ़ती नशे की लत एवं ड्रग्स का अवैध कारोबार

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षण का समय दिया, धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब 2023 का विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए मैं जनता के बीच गया तो मैं एक चुनाव घोषणा-पत्र लेकर जनता के बीच गया। उस चुनाव घोषणा-पत्र का पहला बिन्दु नशा, ड्रग्स व अपराध मुक्त किशनगढ़ के लिए मैंने रखा था। आज जिस प्रकार से नौजवान नशे की लत से न केवल समाज, राष्ट्र को हानि पहुंचा रहे हैं, राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपराध भी बढ़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी व रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने एसओजी में नशे की रोकथाम हेतु स्पेशल टॉस्क फोर्स एंटी ड्रग्स के गठन की स्वीकृति देकर एक यूनिट का गठन किया, परन्तु वर्तमान सरकार के सात महीने में इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। एनडीपीएस प्रकरणों में यह सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ व्यापारिक नगरी है और उस व्यापारिक नगरी में एक काली गैंग, नाम की गैंग है, जो कि नशे की तस्करी की सबसे बड़ी गैंग है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 10 हजार से ज्यादा नौजवान नशे की लत के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम हमेशा सुनते आये हैं कि नशा नर्क का द्वार है, नशा नाश का कारण है। आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, इस सदन को चिन्ता करनी चाहिए। मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस नशे की रोकथाम के लिए जन जागरूकता क्षेत्र में लानी चाहिए और इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किशनगढ़ में आये दिन अपराध बढ़ते हैं। इस अपराध के पीछे पिछले जन प्रतिनिधियों द्वारा जो नशे की खेप किशनगढ़ में लाकर, किशनगढ़ के व्यापारियों को आतंकित किया, न केवल उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वह बेरोजगारी है। इसलिए मैं सदन को आग्रह करता हूं कि नशे के कुप्रभावों से लोगों को जागरूक करें और चेतना शिविर यहां से चालू किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री डूंगर राम गेदर।

जनता जल योजना के मजदूरों के मानदेय में वृद्धि एवं स्थायीकरण

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। नियम 50 के तहत स्थगन पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना 1995 में

शुरू की गयी, उसके कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने, स्थायी करने को लेकर वे पिछली 11 तारीख से हड़ताल पर हैं। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिले के अन्दर लगभग 400 से 450 कर्मचारी हैं। जनता जल योजना के सभी कर्मचारियों को एक माह में 26 दिन का भुगतान दिया जाता है, यह प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। ये मजदूर 30 दिन, 24 घंटे कार्य करते हैं। इस योजना के इन मजदूरों को 7,410 रुपये मासिक वेतन मिलता है, जो बहुत कम है और उनके परिवार का भरण-पोषण करना बहुत मुश्किल है। जनता जल योजना के सभी कर्मचारी अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर 11 तारीख से हड़ताल पर हैं, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों में पेयजल की आपूर्ति बाधित हो रही है। तीनों जिलों में पेयजल आपूर्ति की समस्या का सामना विशेषकर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है और पेयजल आपूर्ति नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को एक हजार रुपये टैंकर के हिसाब से पानी गिरवाना पड़ रहा है, जो बहुत ही मुश्किल है। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता जल योजना के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाये, उनको स्थायी किया जाये और उस क्षेत्र के अन्दर जो पेयजल आपूर्ति बाधित है, उसको बहाल किया जाये, ताकि वहां के क्षेत्र के लोग आराम से अपना जीवनयापन कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री पूसाराम गोदारा।

परसनेऊ तथा भाणूदा (रतनगढ़) में मूंगफली खरीद की बकाया राशि का भुगतान

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के 112 किसानों को काफी लंबे समय से उचित मूल्य पर मूंगफली खरीद का भुगतान 1 करोड़ 30 लाख रुपये का नहीं हुआ। यह भाणूदा और परसनेऊ ग्राम सेवा क्रय-विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़ के निर्देशन में खरीद की गयी। करीब 400-450 किसानों की मूंगफली खरीदी, उनमें 112 किसान ऐसे हैं, जिनको आज तक भुगतान नहीं हुआ। जबकि राजफैड के एमडी ने दिनांक 23.09.2021 को स्पष्ट आदेश कर दिया कि 1 करोड़ 30 लाख रुपये क्रय विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़ को आरटीजीएस के अंतर्गत ट्रांसफर किये जाते हैं और इनका भुगतान बकाया है और 112 किसानों को भुगतान किया जाए। इसके लिए एक कमेटी बनायी गयी, जिसमें एडिशनल रजिस्ट्रार, बीकानेर को और क्रय विक्रय सहकारी समिति को पाबन्द किया गया, परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और उसके बाद 12.06.2024 को रजिस्ट्रार महोदय ने भी आदेश एडिशनल रजिस्ट्रार, बीकानेर को भेजा कि इनकी मूंगफली खरीदी जा चुकी है। सरकार ने स्वीकार किया है कि 112 किसानों के भुगतान बाकी है, इसके लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपये राजफैड ने क्रय विक्रय सहकारी समिति, रतनगढ़ को ट्रांसफर कर दिये और मात्र यह शर्त लगायी गयी है। वे रुपये आज भी रिजर्व पड़े हैं। किसानों को ही भुगतान करना है, लेकिन एडिनशल रजिस्ट्रार, बीकानेर और क्रय-विक्रय सहकारी समिति के जीएम और अध्यक्ष की हठधर्मिता के कारण आज तक भुगतान नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना गंभीर मामला है। किसान कितनी मुश्किल

से मूंगफली पैदा करता है, उसका तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिये जाएं और राजफैड के आदेश, अगर आज्ञा हो तो माननीय मंत्री महोदय के पास भिजवा देता हूं और कृपया जवाब दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मौका दिया, सुना, किसानों को तत्काल भुगतान की कार्यवाही के निर्देश दें, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: पर्ची, श्री विरेन्द्र सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मसूदा में उत्पन्न पेयजल समस्या

श्री विरेन्द्र सिंह (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूदा विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर पेयजल के सन्दर्भ में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विगत पांच सालों में मसूदा विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर पानी की टंकियां और पाइपलाइन 2003 से 2008 के कार्यकाल में बनी थीं, वे टंकियां आधी से ज्यादा खाली रह गयीं। बीसलपुर की पानी की टंकियों को भरने का जिस भी ठेकेदार का काम था, उस ठेकेदार के खिलाफ, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, क्योंकि पूरे विधान सभा क्षेत्र में, गांवों में पीने के पानी के लिए एक महीने से गांवों में पेयजल की भारी समस्या है।

बीसलपुर परियोजना मूलत: अजमेर जिले के लिए, अजमेर जिले में पेयजल की व्यवस्था के लिए बनायी गयी थी, लेकिन उसका विस्तार हुआ और सभी जिलों में पानी पहुंचाया, अच्छी बात है, लेकिन मसूदा विधान सभा क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में सरकार के अधिकारियों की लापरवाही से मसूदा विधान सभा क्षेत्र की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा कि विधान सभा क्षेत्र में सरवाड़ पम्प हाउस से जो पानी मिलता है, उसकी मात्रा बढ़ायी जाये। गांवों में जो एक-एक महीने से पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो लोगों को कम से कम 96 से 120 घंटे में पेयजल के रूप में पानी पीने के लिए मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री लादु लाल।

सहाड़ा में बजरी माफियाओं द्वारा जान-माल की कारित क्षति

श्री लादु लाल पितलिया (सहाड़ा): खजुरिया श्याम की जय। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में बजरी माफियाओं के द्वारा बनास नदी के किनारे स्थित चरागाह, श्मशान घाट व किसानों के खेत से चोरी-छिपे बजरी का धड़ल्ले से अवैध-खनन व दोहन कर रहे हैं और इस कारण से मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। महोदय, मेरे क्षेत्र की जनता की रक्षा व भलाई ही मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए जांच व सर्वे करवाकर, जहां पर अवैध खनन हो रहा है, उन्हें तुरन्त प्रभाव से बन्द कराया जाये। जो अवैध खनन कर रहे हैं, उन पर कठोर कानूनी कार्यवाही करायी जाये। अवैध खनन की वजह से जान-माल को किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुंचे। राज्य सरकार को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। महोदय, अवैध खनन

करने वाले आये दिन ग्रामीणों से लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। भू-माफियाओं व अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए।

mdp/rtm/18.07.2024/12:20/1j

महोदय, बजरी माफियाओं ने बनास नदी में गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिनमें आए दिन बड़ी संख्या में पशु गिर कर मर रहे हैं। यहां तक कि बजरी माफियाओं ने श्मशान भूमि पर भी अतिक्रमण करके अवैध भंडारण कर रखा है। अतः इन अवैध खनन करने वाले बजरी माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि क्षेत्र की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।

अध्यक्ष महोदय, हमीरगढ़ एरिये में, हमारे बनास नदी के अन्दर डेली के एक हजार के आसपास बजरी के डम्पर, ट्रोले चल रहे हैं। मैंने भी कई बार एस.एच.ओ. साहब को बोला है कि ये हमारे इधर डेली का नुकसान कर रहे हैं। सहाड़ा विधान सभा को छोड़कर बाहर ये डेली सप्लाई कर रहे हैं। बजरी हमारे खेतों के, गांव में किसान भाई जो अपना घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम है, उसके लिए तो सही है। हमारी विधान सभा छोड़कर बाहर जो हजारों ट्रेक्टर, डम्पर, ट्रोले जा रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसान हो रहा है। मैं विधायक बनने के बाद बहुत बार बोल चुका हूं तो भी ये बात नहीं सुन रहे हैं। मैंने बोला कि बंद कर दीजिए। हमारी विधान सभा क्षेत्र में बनने के लिए चलेगा, दूसरे के लिए नहीं चलेगा। यह मैं बहुत बार बोला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-जय श्री राम, गौ माता की जय।

श्री अध्यक्ष: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

पीसांगन की श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पीसांगन, अजमेर के जो पीड़ित उपभोक्ता हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए एवं समिति की परिसंपत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने नुकसान पहुंचाया हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

पीसांगन ग्राम में श्री लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति, पीसांगन का 28 अगस्त, 1946 से संचालन हो रहा है। समिति द्वारा एक मिनी बैंक का भी संचालन किया जा रहा है। इस मिनी बैंक में समिति के सदस्यों के अलावा तीन हजार मजदूर, किसान, बाहर से आने वाले, हमारे बाहर भी काम कर रहे हैं, पीसांगन में उन उपभोक्ताओं की जमा पूंजी भी जमा है। दिनांक 23/11/23 को एक अख़बार के माध्यम से समिति में 19.60 करोड़ का गबन जांच अधिकारी द्वारा पाया गया, जिसमें समिति के व्यवस्थापक, तत्कालीन स्पेशल ऑडिटर, केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक एवं बैंक अधिकारियों का भी भागीदार होना पाया गया है।

उक्त गबन की राशि में से 14.62 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जमा पूंजी मय ब्याज पूंजी

है। इसी क्रम में पीसांगन की कृष्णा ग्राम सेवा सहकारी समिति का हस्तांतरण भी लक्ष्मीनाथ समिति में कर लिया गया है, जिसकी पीसांगन के नया बाजार में भी दुकान है। दुकान का किराया भी तत्कालीन व्यवस्थापक द्वारा लिया जाता रहा है एवं समिति में जमा नहीं कराना पाया गया है। समिति के नियमों के मुताबिक जमा राशि का 60 परसेंट मिनी बैंक, शाखा पीसांगन में जमा रहना चाहिए, लेकिन यह जमा भी शून्य है। जो कि पूर्व व्यवस्थापक, केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक व तत्कालीन स्पेशल ऑडिटर, जो कई वर्षों तक स्पेशल ऑडिट यहां पर करती रही, उनके द्वारा ऑडिट भी किया जाता रहा और उसको दर्शाया भी जाता रहा। इसमें जो भी दोषी हैं, उन पर कार्यवाही की जाए और आम जनता को, चाहे मजदूर हो, किसान हो, उनकी जमा पूंजी चाहे सेविंग बैंक अकाउंट के माध्यम से हो, चाहे एफडीआर हो, चाहे किसी भी तरह से, उनको सरकार, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी उनका निस्तारण करें और उनको उनकी जमा पूंजी का लाभ दिलाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

बिजली की कमी व सरकार की दोषपूर्ण नीति

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या कोई इस तरफ वाले विधायकों की नहीं है, पूरे राजस्थान की समस्या है। मान्यवर, जब रात को 9-10-11 बजे तक सोते रहते हैं तो गांवों से लगातार फोन आते रहते हैं कि आप तो विधान सभा के बनाये हुए अच्छे बंगलों में रह रहे हैं, आप तो ऐशो-आराम से रह रहे हैं। सारा मंत्रिमंडल अलग से मजे ले रहा है। हम जब खेती करके आते हैं तो हमारे बच्चों को खाना भी समय पर हम ठीक प्रकार से नहीं खिला सकते और मच्छर काटते हैं, परेशानियां हैं। पूरे राजस्थान में इतने हालात खराब हैं और फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ज्यादा अच्छा होता कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि इस सीजन में हमको कितनी यूनिट बिजली चाहिए और किस प्रकार से हम व्यवस्थित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दे सकते हैं, किसानों के लिए दे सकते हैं और आवास के लिए दे सकते हैं, लेकिन सरकार आराम से अपनी नींद में सोती रही। यह कल्पना नहीं थी कि अगर हमारा कोई एम.ओ.यू. पहले हुआ है तो हमको नया एम.ओ.यू. करके इस समय के लिए कितने यूनिट बिजली चाहिए, इस पर सरकार ने विचार नहीं किया।

मान्यवर, ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सरकार को अभी 5-7 दिन पहले यह कहा है कि आप अपना प्रोडक्शन 85 परसेंट कीजिए, जो आपकी यूनिट लग रही है। आप तो 85 के बजाय 65 तक भी करिए तो भी ठीक है, लेकिन आप तो अपनी यूनिट में केवल मात्र 52 प्रतिशत ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसके कारण, आपके विजन के अभाव के कारण, आपकी सोच के अभाव के कारण, आपकी व्यवस्था के अभाव के कारण पूरा राजस्थान जल रहा है। सारे ग्रामीण रोज आंदोलन कर रहे हैं। जगह-जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ विवाद हो रहा है। सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर तो हालात ये हैं और दूसरी ओर आप ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, इनको तो बिजली नहीं दे सके, आपने कहा है कि 2 लाख 8 हजार घरेलू कनेक्शन को हम बिजली दे देंगे, इस साल में। तमाशा है क्या? वर्तमान में तो व्यवस्था हो नहीं रही है और आप आगे की परिकल्पना के आधार पर लोगों को असत्य झांसा दे रहे हैं और बहकावे में ले रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी व्यवस्था नहीं है और 1 लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन कृषि वालों को इसी वर्ष में देने की बात करते हैं। आपके पास सामान ही नहीं है। जो हैं, उनको तो आप दे नहीं पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे हैं। इतनी परेशानी मैंने मेरे जीवन में, इस समय में गांव में लोगों के जो हालात हैं, परेशान हैं, उनके हालात चिंताजनक है। देखने लायक नहीं है।

माननीय मंत्री महोदय, बूंदी गये थे, तब भी मैंने इनका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन 'वही ढाक के तीन पात', व्यवस्था में जीरो प्रतिशत भी सुधार नहीं हुआ। हमारे टाइम पर हमने तो जो व्यवस्था की पूर्व में, उस पर हमको गर्व है। आप तो उस व्यवस्था को बनाए ही नहीं रख सके। आपने तो उस व्यवस्था को और बिगाड़ा। हालात खराब किए, जन आंदोलन पैदा किया। जगह-जगह आदमी जाकर आंदोलन कर रहे हैं, बिजली घरों को घेर रहे हैं, सहायक अभियंता के साथ विवाद कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें तो मान्यवर, उनके खिलाफ असत्य मुकदमे ये सरकार और बना रही है। बूंदी में आंदोलन हुआ, मांग की तो गिरफ्तारी की बात, कोटा में हुआ तो माननीय हमारे विपक्ष के नेता बिजली के आंदोलन में कोटा गये, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गये, हमारे और भी विधायक गये तो व्यवस्था सुधारना तो दूर, उनको राजनीतिक द्वेष में फंसाने के कारण इन्होंने असत्य मुकदमे दर्ज किए। एक ओर तो आप व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं और दूसरी ओर, जो शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र में उनकी मजबूरी है, अगर जनता की आवाज सरकार नहीं सुनेगी तो आम जन की आवाज सुनाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसमें अग्रेषित होना पड़ेगा।

आप भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, बहुत शांति से इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि वे भी परेशान हैं। बहुत परेशान हैं। गांवों के जो हालात हैं, (समय सूचक घंटी) फिर भी सरकार सोयी पड़ी है। सरकार इस ओर कदम नहीं उठा रही।

श्री अध्यक्ष: पर्ची में अनुमति नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): न कोई आश्वासन दे रही है, न कोई व्यवस्था सुधारी जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मान्यवर, लोगों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में जन आंदोलन पैदा हो गया है। किसान परेशान हैं, काम करने ...(व्यवधान)... वाले परेशान हैं, हालात खराब हैं। ...(व्यवधान)... हालात चिंताजनक हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पूरे प्रदेश के अन्दर जो हालात बन रहे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ से बिजली लाने की बात कर रहे हैं। वहां पर हमारे माइंस

अलॉट की बात कर रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री उस चीज के लिए मना कर रहे हैं। आप बताइए मंत्री जी, आपके पास प्लान क्या है? बताइए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हां, जवाब देंगे। आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे से बात कीजिए। उत्तर देंगे।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जवाब देंगे, साहब। माननीय सदस्य बूंदी से आने वाले अभी कह रहे थे कि हमारे समय में जो पीएलएफ है, वह हमारे पॉवर प्लांटों का 52 परसेंट रहा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि अप्रैल, 2019 में आपका पीएलएफ रहा 49.82 परसेंट ...(व्यवधान)... बात सुनिए। पहले सुनिए।

श्री अध्यक्ष: सुनिए आप। ...(व्यवधान)... उत्तर तो सुनना पड़ेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपने जो पूछा, वही मैं बता रहा हूं। ...(व्यवधान)... आप सुनेंगे तो सही।

Ans/rtm 12.30 1k 18.07.2024

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको उत्तर सुनना पड़ेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपकी पूरी बात सुन ली है। अब मेरी बात सुनो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सरकार का उत्तर सुनना पड़ेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सुनो। आप सुनिए तो सही।

श्री अध्यक्ष: सरकार का उत्तर सुनिये। उत्तर तो सुनना पड़ेगा ...(व्यवधान)... नहीं ता मुझे मजबूर होकर पर्ची प्रक्रिया पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपने बोला, अब उत्तर सुनिये। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय अप्रैल 2019 में पीएलएफ 49.82 परसेंट था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।...(व्यवधान)... इससे कुछ नहीं होगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमारी सरकार के समय अप्रैल 2024 में 73.76 परसेंट हमारा पीएलएफ रहा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय सदस्य, क्या आप चाहते हैं कि पर्ची बंद करूँ ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके समय मई, 2019 में 58.89 परसेंट रहा था।

श्री अध्यक्ष: मुझे पर्ची की प्रक्रिया बंद करनी पड़ेगी। ...(व्यवधान)..

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हमारे समय मई में 71.98 परसेंट पीएलएफ रहा। आपके समय जून 2019 में 67.62 पीएलएफ था और हमारा जून, 2024 में 74.64 परसेंट पीएलएफ था। हमने आपसे ज्यादा उत्पादन किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः उत्तर के बाद।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपसे ज्यादा उत्पादन किया है।

श्री अध्यक्षः उत्तर तो सुनना पड़ेगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप बात सुनो। बात तो सुनो। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज की स्थिति पर जवाब दिला दो ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हां, आज की स्थिति। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः उत्तर देना मंत्री का अधिकार है, पर्ची पर बोलना आपका अधिकार है।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सुनो तो सही ...(व्यवधान)... मेरे पास पूरी लिस्ट है। हमने किस दिन कितनी बिजली काटी और कितनी लौटाई, एक-एक रिकार्ड है, एक-एक दिन का। आप सुन लीजिए ...(व्यवधान)... हमने 24.05 को 86 लाख यूनिट काटा, 147 लाख यूनिट लौटाया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...उत्तर सुनिये।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप पूरा सुन लो, यह रिकार्ड रहा। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ज्यादा काटा हो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः उत्तर तो सुनना पड़ेगा। इनका अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 000

श्री अध्यक्षः उत्तर सुनना पड़ेगा। आप बोलिए, जो उत्तर देना है वह दीजिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आपके कारनामे तो सुन लो।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह सब आपके कुप्रबंधन की वजह से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कुप्रबंधन की वजह से राजस्थान की जनता को सफर करना पडा है। ...(व्यवधान)... आप अगर यह बैंकिंग नहीं करते तो राजस्थान की जनता को बिजली कटने की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। ...(व्यवधान)... अभी तो सितम्बर तक और लौटाना है। सितम्बर तक लौटाएंगे।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारे)

श्री अध्यक्षः अपनी सीटों पर जाइये। आपके ध्यानकार्षण है। फिर ध्यानकार्षण नहीं होंगे। ...(व्यवधान)... मैं ध्यानाकर्षण स्थगित कर दूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बुलवा रहा हूं। नहीं बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्षः बैठिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ...(व्यवधान)... बैठिए। अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री अमित चाचाण। बोलिए।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): सच्चाई सुनिये। अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अमित चाचाण। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नोहर में बाईपास की स्वीकृत सड़कों के अलानमेन्ट में प्रस्तावित परिवर्तन

श्री अमित चाचाण (नोहर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीया मंत्री जी।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर-साहवा सडक से नोहर-सरदार शहर सड़क तक बाईपास सड़क एवं नोहर-पल्लू सड़क से नोहर-रावतसर सड़क तक बाईपास सड़क की स्वीकृति पात्रांक एफ.7(191)/एएण्डएफ/अनु-2/2023-24/डी-1974 दिनांक 04.09.2023 क्रमशः राशि रुपये 219.00 लाख व 675.00 लाख जारी की गई।

उक्त दोनों सड़क के लिये निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् कार्यादेश दिनांक क्रमशः 27.09.2023 व 30.09.2023 को जारी किये गये। उक्त दोनों सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास दिनांक 07.10.2023 को किया गया। उक्त दोनों कार्य दिनांक 08.10.2023 से प्रारम्भ किये गये परन्तु भूमि विवाद के कारण कार्य वर्तमान में बन्द हैं। दोनों सड़क निर्माण कार्यों हेतु राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा नि:शुल्क भूमि दान में देने हेतु सहमति पत्र विभाग को दिये गये थे, जिसके आधार पर विभाग द्वारा तकमीने स्वीकृत कर कार्यादेश जारी कर मिटटी का कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु पूर्व में सहमत काश्तकारों द्वारा प्रस्तावित भूमि पर कार्य करने पर आपत्ति जताई एवं विवाद उत्पन्न किया, जिसके कारण कार्य बन्द करवा दिया गया। तत्पश्चात् विभाग द्वारा राजस्व विभाग को नोहर-साहवा सड़क से नोहर-सरदार शहर बाईपास सड़क हेतु सहमत काश्तकारों की भूमि को नामान्तरित करने हेतु विभाग के पत्रांक 222 दिनांक 06.05.2024 एवं नोहर-पल्लू सड़क से नोहर-रावतसर सडक बाईपास सड़क हेतु सहमत काश्तकारों की भूमि नामान्तरित करने हेतु विभाग के पत्रांक 250 दिनांक 13.05.2024 के द्वारा राजस्व विभाग को लिखा गया था।

वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा उक्तानुसार दान दी गई भूमि के नामान्तरण, नोहर-सहवा सड़क से नोहर सरदार शहर बाईपास सड़क का दिनांक 18.06.2024 व नोहर-पल्लू सड़क नोहर रावतसर सड़क बाईपास का दिनांक 02.07.2024 को किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त दोनों सड़कों हेतु नामांतरित भूमि पर ही निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसकी लम्बाई स्वीकृत लम्बाई के अनुरूप होने के कारण उक्त दोनों सड़कों के निर्माण से राजकोष पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, कार्य स्वीकृत राशि की सीमा में ही पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन कोई पक्ष या विपक्ष का नहीं, बल्कि विधायकों के अधिकारों का संरक्षण करने वाला है। यह सदन सात करोड़

जनता की आस्था का सदन है। कोई भी विधायक इस सदन में अपनी बात रखता है तो क्षेत्र की जनता को यह उम्मीद होती है कि विधायक द्वारा कही गई बात पर संज्ञान लिया जाएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं। जिस तरीके से मंत्री महोदया ने पढ़ा कि सड़कों की स्वीकृति हुई। मेरे स्वयं के द्वारा, जब मैं पूर्व में विधायक था, मेरे द्वारा सड़कों का शिलान्यास किया गया, सड़कों का काम भी शुरू हो चुका जिसका विभाग के ठेकेदार द्वारा लगभग 30-35 लाख रुपये खर्च कर दिए गए।

मैं माननीया मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपसे गलत जवाब पढ़वाया गया है, सदन को गुमराह करने का काम किया गया है, वह कौनसे काश्तकार है जिन्होंने आपत्ति दर्ज की? क्या विधायक के शिलान्यास करने के बाद अर्थवर्क काम शुरू होने के बाद उस सड़क का अलानइमेंट चेंज किया जाए, क्या यह न्याय संगत है? आप तो मुझे उन काश्तकारों के नाम बताए, जिन्होंने यह आपत्ति दर्ज करवाई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया।

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, निश्चित रूप से इसकी उचित स्तर पर जांच करवाकर, अगर कोई अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो नियामानुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही करवाई जाएगी।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय अध्यक्ष, एक मिनट। मेरे कहने का यह मतलब है कि गलत जवाब दिया गया है। काश्तकार तो स्वंय कोर्ट में गए हैं कि हमने जो खेत में समर्पण किया है, दान भूमि नि:शुल्क दी है, उसमें सड़क बनाई जाए। उन अधिकारियों पर कार्यवाही हो। मंत्री जी यह कह दे कि मेरी ये दोनों सड़कें उसी यथास्थान पर बनवाई जाएगी। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: जांच करने के बाद।

श्री अमित चाचाण (नोहर): नहीं, नहीं। दोनों सड़कें यथा स्थान पर बनवाई जाए। माननीय मंत्री महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया, कुछ कहेंगे?

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह राजकीय भूमि थी और काश्तकारों द्वारा दान में दी गई थी। निश्चित रूप से इसकी जांच करवाकर, यदि अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो कार्यवाही की जाएगी। ...(व्यवधान)...

श्री अमित चाचाण (नोहर): मैं आपसे यह चाहता हूं यथा स्थान पर सड़कों का निर्माण ...(व्यवधान)...

डॉ. मंजू बाघमार (राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण): इस पर उचित निर्णय लिया जाकर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मंत्री महोदया, यथा स्थान पर सड़कें बनाई जाए, हम आपसे यह चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आ गया उनके ध्यान में।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वहां 35 लाख रुपये का अर्थवर्क हो गया और किसी की शिकायत नहीं मिली है, खुद मंत्री जी मान रही हैं। आपके पास हो तो आप दिखा दो, किसी ने शिकायत की हो तो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः जांच करवाकर कार्यवाही होगी। श्री कैलाश चन्द वर्मा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप डायरेक्शन दे दो कि वहां बनवाए।

श्री अध्यक्षः श्री कैलाश चन्द वर्मा। ...(व्यवधान)...

मुहाना मण्डी की सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल की आड़ में अवैध अतिक्रमण

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य निष्पादन सम्बन्धी नियम-131 के तहत मुहाना मण्डी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बात रखना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कृषि उपज मण्डी समिति (फल एवं सब्जी) जयपुर के मुख्य मण्डी प्रांगण मुहाना में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। मुख्य मण्डी प्रांगण में समुदाय विशेष के कुछ अनुज्ञापत्रधारी आवंटी व्यापारियों, फल सब्जी क्रय-विक्रय हेतु बाहर से आये व्यक्तियो, ट्रक ड्राईवरों सहित पल्लेदार/हम्माल इत्यादि के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल के पास बी ब्लॉक की दुकानों के सामने के एक प्लेटफार्म के आंशिक भाग पर इबादत की जाती है।

VPS-RTM-18.07.2024-12.40-1l

कॉमन ऑक्शन प्लेटफार्म पर कोई निर्माण करवाया जाकर अथवा स्वरूप परिवर्तन किया जाकर उक्त स्थल पर धार्मिक स्थान नहीं बनाया गया है। इस स्थल पर अन्य धार्मिक स्थलों की भांति कोई गुम्बद/माइक की स्थापना सहित इबादत/प्रार्थना की कोई सामग्री की उपलब्धता एवं क्रय-विक्रय का कार्य नहीं किया जाता है और न ही कोई धार्मिक व्यक्ति कार्यरत है। प्लेटफार्म के आंशिक भाग पर बांस की फंटियों से जालीनुमा ढांचा लगाकर अस्थाई कवर किया हुआ है। मंडी में समुदाय विशेष के लिए इबादत/प्रार्थना के लिए धार्मिक स्थान उपलब्ध करवाने की मांग भी की जाती रही है लेकिन मंडी नियमों, आवंटन नीति में प्रावधान नहीं होने से धार्मिक आधार पर स्थान उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है।

इस विषय के सम्बन्ध में समुदाय विशेष से सम्बन्ध रखने वाले समझदार व्यक्तियों से बांस की फंटियों से निर्मित जाली हटाने हेतु आग्रह किया जाकर साम्प्रदायिक सौहार्द को

बनाये रखने हेतु कार्यवाही की जा रही है। मुहाना मंडी में जो दुकानें व्यापार के लिए आवंटित की गयी हैं उन पर भी अवैध धार्मिक स्थान नहीं बनाये गये हैं। भूखण्ड आवंटन पश्चात निर्मित दुकानों पर स्वयं व्यापारियों द्वारा स्वयं की धार्मिक मान्यता के अनुसार धार्मिक/पूजा पाठ/इबादत आदि किये जाने का प्रचलन है। स्थानीय व्यापारियों एवं किसानों के साथ इन समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा कोई मारपीट की घटना तो नहीं हुई है पर मंडी में कृषि जिंसों का क्रय-विक्रय हेतु सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुहाना मंडी से जुड़ा हुआ मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जो सवाल था। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार मुहाना फल एवं सब्जी मंडी जो करीब 100 बीघा से भी ज्यादा, 550 बीघा के अन्दर यह मंडी फैली हुई है और तुष्टिकरण की नीति के चलते हुए इस मंडी की जो पिछले पांच साल के अन्दर दुर्दशा हुई, जिस तरीके से यह मंडी 2008 के अन्दर मुहाना के अन्दर स्थापित हुई, उस समय माननीय मंत्री महोदय घनश्याम तिवाड़ीजी थे और वहां पर इस मंडी के अन्दर जो हम देखते आये हैं कि विशेषकर जो बात भारतीय जनता पार्टी के राज में थी, विजयराजे सिंधिया, महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण करके करोड़ों लोगों की आस्था के माध्यम से यह मंडी बनी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर तुष्टिकरण के चलते हुए मंडी दुर्दशा का शिकार हो गयी और मंडी अपराधियों की शरण स्थली बन गयी। अभी की जो पोजीशन मंडी की है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा प्रमुख मीडिया चैनलों को कि गुप्त ऑपरेशन चलाकर मंडी में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जों एवं अवैध धार्मिक स्थलों के निर्माण का जो खुलासा किया है, वह खुलासा अगर आपकी अनुमति होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उस खुलासे के पूरी रिकार्डिंग मेरे पास इस पेनड्राइव के अन्दर है, मैं इसको टेबल करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी को दे देना आप। मंत्रीजी को दे देना।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मगर आपको बताते हुए कि प्रदेश की इस मंडी के अन्दर हर रोज करोड़ों रुपये का कारोबार होता है और इस मंडी से निकला हुआ फूल जब हम यह देखते हैं कि हमारे आस्था के केन्द्रों के ऊपर चढ़ता है और इस मंडी की सब्जियां भारत के कोने-कोने तक पहुंचती हैं मगर पिछले पांच साल के अन्दर जिस तरीके से मंडी की दुर्दशा हुई। भारतीय जनता पार्टी के समय लाल कोठी फल सब्जी मंडी को 2008 के अन्दर मुहाना टर्मिनल मार्केट में शिफ्ट किया गया। भाजपा सरकार के समय मुहाना मंडी के अन्दर 27 करोड़ रुपये की लागत से डोम का निर्माण करवाया गया कि उसमें आने वाले किसान और जो सब्जी लेकर यहां के आस-पास के क्षेत्र के लोग आते हैं, वे बारिश के अन्दर नहीं भीगे और उनकी सब्जियों का रख-रखाव हो तो एक बहुत बड़े डोम का निर्माण किया गया और भारतीय जनता पार्टी के समय एक करोड़ 75 लाख रुपये के खर्चे से पार्क की योजना भी

स्वीकृत हुई।

भाजपा सरकार में मुहाना मंडी में राज्य की पहली पुष्प मंडी बनाने का भी कार्य किया मगर बड़ी शर्म की बात है कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने इस मंडी की दुर्दशा की क्योंकि यह एशिया की सबसे बड़ी मंडियों के अन्दर शुमार होती है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मुहाना मंडी के अन्दर विशेष समुदाय के मेवाती गिरोह ने नाकाम मंसूबा करके अतिक्रमण कर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बिहार यू.पी., बांग्लादेशी जो पलदारी के नाम के ऊपर यहां पर रात को रहते हैं और जो किसान यहां पर सुबह अपनी सब्जी बेचने आते हैं, हो सकता है कि किसान की आमदनी हजार, दो हजार, बीस हजार रुपये तक की हो तो उनके ऊपर उनकी नजर रहती है और जैसे ही किसान वहां से निकलता है तो उनके साथ में लूटपाट होती है। इस गैंग ने अतिक्रमण करते हुए एक बांस का बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है।

श्री अध्यक्षः यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सीमित समय होता है।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सेंसेटिव मामला है। किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। मंत्री महोदय ने जिस तरीके की बात यहां पर रखी है, मंत्री महोदय के पास में जो जवाब आया है, वह जवाब बिलकुल ही गलत है मगर मंत्री महोदय से मेरे को पूरा विश्वास है और मैं यह आशा भी रखता हूं कि मंडी में फैल रहे विशेष समुदाय के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, यहां पर जिस तरीके से वसूली का काम किया है तो मेरी तीन-चार मांगें रहेंगी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह है कि मुहाना मंडी की वस्तुस्थिति जानते हुए कार्यवाही हेतु तत्काल प्रभाव से एक उच्चस्तरीय कमेटी बनायी जाये और चार जन-प्रतिनिधि इस मंडी के अन्दर जो अवैध अतिक्रमण हुआ है, उसके साक्षी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी उजागर कर दूंगा। इनमें से दो तो इसी विधान सभा के सदस्य हैं और दो पूर्व के अन्दर सदस्य रह चुके हैं जिसमें एक तो माननीय मुख्य मंत्रीजी के सलाहकार थे। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जिन जन-प्रतिनिधियों ने या लोगों ने इस माफिया मंडी को पनपाया है उनका नाम सार्वजनिक करें।

दूसरा, उस समय इस मंडी के अन्दर सचिव कौन था? बड़ी शर्म की बात है कि जिस मंडी के अन्दर ऐसा कृत्य हो रहा है, वहां पर छोटे बच्चों तक को भी बेचा जाता है और ऐसा कोई काम नहीं है जो रात के समय के अन्दर इस मंडी के अन्दर नहीं होता।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंड अप करिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): मेरी एक मिनट की बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार से सम्बन्धित तीनों विभाग, कृषि विपणन विभाग, गृह विभाग एवं नगरीय विकास विभाग मिलकर संयुक्त कार्यवाही करें और जिन व्यापारियों की यहां पर दुकानें अलॉट हैं, जो लाखों करोड़ों रुपये लगाकर यहां पर दुकानें

लेते हैं, अभी कुछ दिनों पहले प्रशासन के लोग वहां पर गये तो जिस तरीके से उनके साथ में लूट हुई, उनके साथ मारपीट हुई, वह इस पेनड्राइव के अन्दर है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही आग्रह है कि समय रहते हुए जो किसानों की ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। माननीय मंत्रीजी, आप कुछ कहेंगे? आप बैठिये।

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): किसानों की बात इससे जुड़ी हुई है तो आप एक टीम बनाकर इस पर उचित कार्यवाही की जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने जो प्रश्न उठाया है, मंत्रीजी, आप कुछ कहेंगे?

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बगरू से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मंडी नियमों/आवंटन नीति में धार्मिक आधार पर स्थान उपलब्ध नहीं करवाया जाता है और उसकी पालना सख्ताई से की जा रही है। उसी सन्दर्भ में 17 मई, 2024 को वहां पर कार्यवाही की गयी, अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाले उपद्रवी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना, मुहाना में एफ.आई.आर. संख्या 0530, 17.05.2024 को दर्ज करवायी गयी। घटना में संलिप्त दो व्यापारियों के अनुज्ञा पत्र क्रमांक 179 पन्द्रह दिवस के लिए निलंबित किये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जो मुहाना मंडी है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब भी आती हैं वह किसानों के लिए, मंडियों के लिए अच्छा कार्य करती है। मुहाना मंडी का भी अच्छा कार्य हुआ है। उसमें पिछले पांच सालों में जो भी कमियां रहीं, जिसके कारण मंडी का आपने प्रश्न उठाये हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर और वहां पर जो अवैध ढांचे बनाये गये हैं धार्मिक, उसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर उसकी जांच की जायेगी और जो भी दोषी है, उसमें संलिप्त है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस कमिश्नर, गृह विभाग को भी यह बात संज्ञान में लायी गई है और जो भी अवैध वहां पर ढांचे हैं, जो भी किसी भी तरह के किये गये हैं, उनको बिलकुल वहां से हटा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक कुमार कोठारी।

भीलवाड़ा शहर स्थित गांधी सागर तालाब में प्रदूषित जल

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के गांधी सागर तालाब में गंदे व प्रदूषित पानी से हो रही समस्या के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को यह अवगत करवाना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में गांधी सागर तालाब में एक बड़ा बरसाती नाला एवं छह छोटे नाले आकर गिरते हैं। तालाब प्रदूषित न हो इसके लिए तालाब के inlet पर गंदे पानी को पृथक करने के लिए

एक sluice gate एवं एक 24 इंच मोटी व्यास की पाइप लाइन डाली गयी थी, बहुत वर्षों पहले जो क्षतिग्रस्त हो गयी, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यवधान अब वर्तमान में जरूर आ रहा है। पुरानी पाइप लाइन के विकल्प के रूप में नये नाले के निर्माण एवं सौन्दर्यकरण हेतु रुपये राशि 8 करोड़ की कार्य योजना हेतु डी.पी.आर. का वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है।

SSY/RTM/18.07.2024/12.50/1m

वर्तमान में शहर में शत-प्रतिशत घरों में सीवर कनेक्शन होने से तालाब में सीवरेज के पानी की आवक ना के बराबर है। नगर परिषद द्वारा सभी नालों पर लोहे की जालियां लगाकर कचरे को रोका जाता है। तालाब में 4 फ्लोटिंग फाउंटेन लगाये हुए हैं। नियमित अंतराल में नाव एवं एक्वेटिक बीड हार्वेस्टर मशीन, डीवेडिंग मशीन द्वारा तालाब की सफाई करवायी जाती है।

आपके अंतरमन में इस तालाब के सौंदर्य करण को और बाकी कामों को लेकर जो भाव, विचार हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए जो डीपीआर का काम है वह 1.10.2024 तक पूर्ण हो जायेगा। उसके बाद नगर परिषद, भीलवाड़ा बजट की उपलब्धता के आधार पर यथा शीघ्र उस काम को पूर्ण करवाकर उस तालाब की जो भी समस्याएं हैं, उनका पूर्ण रूप से समाधान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ कहना है?

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): आपने जो बताया है, वह पूरा तो सही नहीं है। बरसाती नाले के साथ 6 नाले जो गिरते हैं, वह कंटीन्यू चलते रहते हैं। अभी तक भी वहां पर कचरे का ढेर भी पूरा है। पानी की आवक भी कम नहीं हो पायी है। उसके लिए मैं स्वयं भी मौके पर अधिकारियों के साथ विजिट कर चुका हूं। उसके अलावा कल की फोटो भी मेरे पास है। आपने जो आगे डीपीआर के लिए कहा है, उसके लिए तो आपका धन्यवाद है। लेकिन मैं आपका ध्यानाकर्षित करुंगा कि गांधी सागर, भीलवाड़ा उदयपुर के फतह सागर की तर्ज पर बना हुआ है। पिछले 15 सालों से उस समस्या से हम जूझ रहे हैं। वहां पर गंदे पानी की जो स्थिति है, कचरे की जो स्थिति है, वह कहते हमेशा हैं, बजट भी दे देते हैं, इसमें लिख भी देते हैं कि सफाई कर ली है, फाउंटेन चल रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। पूरी सफाई भी नहीं है।

हम आपसे निवेदन करेंगे कि फतह सागर की तर्ज पर भीलवाड़ा का जो गांधी सागर है, हम 15 साल से जिस समस्या से जूझ रहे हैं, वह छोटे से 8 करोड़ के बजट से पूरा नहीं हो पायेगा। इसमें आपको बड़ा बजट लेना पड़ेगा। इसमें बीच में एक आइलैंड भी है। यह भीलवाड़ा का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। इतनी जो पीड़ा हमने देखी है, उसके लिए आप बजट को भी बड़ा करें।

इसमें आपने एनजीटी के अन्दर भी शपथ-पत्र दे रखा था। उसकी भी अभी तक पालना नहीं हुई है। आप तो 6 माह से ही आये हैं। लेकिन पिछले समय से, 15 साल से भी यह

स्थितियां ऐसी ही चलती आई हैं। उस शपथ-पत्र की भी पालना नहीं हो पायी है। बीच में जो आइलैंड है वह भी ऐसा का ऐसा ही निर्जन, बबूल वहां पर उग रहे हैं। वहां ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो वहां गलत कार्य करते हैं, अवैधानिक कार्यवाही करते हैं।

आपसे निवेदन है कि इसके लिए बड़ा बजट दिया जाये और डीपीआर में हमें भी परामर्श में लिया जाये।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): इनका भी परामर्श लें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय विधायक महोदय को एवं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि एक बड़ा बरसाती नाला है और उसके अलावा 6 छोटे नाले हैं। उसमें शहर के गंदे पानी की निकासी होती है। उसी के समाधान के लिए डीपीआर बनवायी जा रही है। डीपीआर कितनी बनेगी, यह अभी प्रारंभिक आकलन 8 करोड़ रुपये का है। अगर डीपीआर में बजट ज्यादा होगा तो फिर उसके मुताबिक बजट की उपलब्धता के आधार पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

मैं नगर परिषद के आयुक्त को यह निर्देशित कर दूंगा कि डीपीआर बनाने में और बाकी कामों के लिए वह आपसे विचार-विमर्श करेंगे। आप जो भी सुझाव देंगे, वह सकारात्मक सुझाव शत-प्रतिशत रूप से डीपीआर में और बाकी कामों में शामिल किये जायेंगे। पिछले वर्षों में क्या हुआ, हम उस पर चर्चा-परिचर्चा नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। हम विगत को भूलें और वर्तमान को देखें। आने वाले समय में आपकी समस्या का स्थाई समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): आप इसमें सौंदर्य करण को भी शामिल कर लेना।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): वह आपके परामर्श से हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमराज भाटी। कोई पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन दे रहे हैं। पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन है। माननीय सदस्य, आपको बोलने की आदत पड़ गयी है क्या? इन्फार्मेशन करिये 2 लाइनों में।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 3-4 दिन पहले यहां सदन में कहा था कि हमारे पाली में पीने के पानी की समस्या है। टैंकर 800 सौ रुपये से लगाकर 2200 रुपये तक बिक रहे हैं। मैं मेरे हितों का संरक्षण आपसे चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन नहीं है। यह इन्फार्मेशन नहीं है। इन्फार्मेशन तो कोई घटना होती है। यह घटना नहीं है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): इन्फार्मेशन ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यह घटना नहीं है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): उन्होंने कहा है कि बंद करवा दिया है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। अंकित नहीं होगा।

श्री भीम राज भाटी (पाली): 000

श्री अध्यक्ष: यह समस्या है। पानी पर बोलना। इन्फार्मेशन नहीं है। इन्फार्मेशन में तो

कोई घटना होती है। लाठी चार्ज होता है। प्रदर्शन होता है। बैठिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38 के अंतर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज ऋषि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अंतर्गत राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वाषिक प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22) एवं बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज़ पर रखता हूं।

घोषणा/व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की व्यवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस सदन की परंपरा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वह यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है, जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय या मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। ऐसा मेरा अनुरोध है।

जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परंपरा इस सदन की

रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये, वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ, उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वह भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे। उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर ना मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 24 घंटे में मिलने की परंपरा है।

श्री अध्यक्ष: वैसे तो वह मंत्री महोदय बतायेंगे। साधारणत: परंपरा रही है कि 48 घंटे के अन्दर माननीय सदस्यों को उनके कटौती प्रस्तावों के उत्तर मिल जाया करते हैं। माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग में यह व्यवस्था करें कि उनके कटौती प्रस्तावों के उत्तर 48 घंटों के अन्दर मिल जायें।

आज बहस में नाम आ चुके हैं। सार्थक बहस हो। सब लोग शांति पूर्वक सुनें। जिन क्षेत्रों की समस्याएं हैं, वह सब रुचिपूर्वक उनके सचेतकों द्वारा जो सूची दी गयी है, नाम और समय उनको अलाटेड हैं, उन पहले, दूसरे के अलावा बाकी समय के अनुसार जितनी देर सदन चले, उतने में उनके जवाब आयेंगे, 2 मंत्रियों के जवाब भी आयेंगे। इसलिए आप अपनी जो समय सीमा है, उसके अंतर्गत सब करेंगे तो शायद सदन सही समय पर समाप्त भी हो सकेगा और आप सबको बोलने की अनुमति दी जायेगी।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): देर तक चलाओ।

श्री अध्यक्ष: देर तक ही चलायेंगे। 6 बजे तक तो होगा ही नहीं। यदि ज्यादा चलाओगे तो फिर आपके रात्रि के भोजन की भी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। आप कहोगे तो यहां भी व्यवस्था सोचेंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, भोजन चाहे रहने दो, आप तो समय बढ़ा दो।

श्री अध्यक्ष: बस इतना ही। भोजन घर पर कर लेंगे। चलिये। सदन की कार्यवाही दोपहर 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.00 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Spp/Rtm/18.07.2024/14:00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि रात्रि को 9.00 बजे तक अपना

सदन चले कोशिश यहीं करे। तब तक दोनों पक्ष अपने-अपने समय के अनुसार अपनी सूची के अनुसार बोलें। इसमें दोनों मंत्रियों का रिप्लाई भी होगा तो एक तरह से अपनी बहस 8.00 बजे तक हो जाए।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री बाबूलाल खराड़ी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,14,43,85,60,000/- (तीन खरब चौदह अरब तैंतालीस करोड़ पचासी लाख साठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की प्रस्तुति

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,72,89,37,000/- (एक खरब अठारह अरब बहत्तर करोड़ नवासी लाख सैतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास व

मांग संख्या 31 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, आज सदन में चर्चा जनजाति विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर हो रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि वास्तव में जनजाति के लिये अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। आज बड़े हर्ष के साथ कहना मैं उचित समझ रहा हूं कि कितना सुखद अवसर है जो आज देश का सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति का, और वहां कौन बिराजमान है? एक जनजाति की और वह भी महिला, यह किसी की खोज है तो माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी साहब की सोच है, पिछले समय में जनजाति को 70 साल में किसी ने सम्मान नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मोदीजी ने राष्ट्रपति बनाकर द्रोपदी जी का ही नहीं, हमारी जनजाति का सम्मान किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं -

जो जंगल में रहता है,

जो जमकर मेहनत करता है,
जो सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहते हैं,
फिर भी कुछ नहीं कहते हैं।
आओ बात करें उस जनजाति की
जंगल में रहने वाले साथी की
योजना तो उनकी खूब बनती है,
पर जमीन पर नहीं उतरती है।
पर वो गरीब मन के मतवाले
भजनलाल जी जिनके रखवाले हैं।
बाकी पहले गरीबी हटाओ के नारे कोरे नारे थे,
धोखे देकर वोट के बस बंटवारे थे।
दिया जी ने बजट में खूब दिया है
जनजाति भाई-बहनों पर उपकार किया है।
सदियों से जो बेबस औरे लाचार रहे हैं
भजनलाल जी उनको संभाल रहे हैं।
हाथ जोड़ अनुरोध यही गरीबों को पट्टे दिलवा देना
उनकी मिट्टी की झोंपड़ी से केलू उतरवा देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने वास्तव में 70 साल में केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की। कांग्रेस ने हमेशा जनजाति से असत्य वादे कर बस वोट बटोरने का काम किया था। कांग्रेस ने अपने राज में आदिवासियों के लिये योजनाएं तो खूब बनायीं लेकिन उनको धरातल पर उतारने का कोई काम नहीं किया। उनके पैसे खुर्द-बुर्द कर दिये जाते थे। प्रधान मंत्री राजीव जी ने इस बात को माना है कि मैं प्रदेश में 100 पैसे भेजता हूं और आदिवासी लाभार्थियों के पास में केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। यह कांग्रेस की 70 साल की राजनीति में यह हुआ। मैं मोदीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आते ही जन-धन योजना से खाता खुलवाकर सारे उनके घर तक पहुंचाये। यही नहीं कांग्रेस की कूटनीतियों के कारण आदिवासियों की गरीबी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन का खुला खेल खेला गया और कांग्रेस राज में ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया। वास्तव में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने आजादी के बाद आदिवासियों के हक के धन को ही नहीं छीना, धर्म भी छीन लिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन गरीबों की भावनाओं के साथ में हमेशा खिलवाड़ किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल में कांग्रेस सरकार ने आदिवासी बच्चे-बच्चियों को आगे बढ़ाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। उनके लिये न तो अच्छे स्कूलों की व्यवस्था की, न हॉस्टल की व्यवस्था की, न कॉलेजों की व्यवस्था की। 70 साल में आदिवासी जहां का तहां आज भी विकास का इंतजार कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूर्व सरकार का बता रहा हूं कि इन्होंने क्या-क्या अपनी सरकार में घोषणा की थी। 2023 में इनका जो घोषणा-पत्र था, उसके अन्दर इन्होंने कहा था। जन घोषणा पत्र में पैरा 25 और उसकी क्रम संख्या 5 पर उन्होंने यह लिखा था - आपका वादा, आपका वचन, आपकी घोषणा। मैं बताना चाहता हूं हमारे यहां पर पूर्व जनजाति मंत्री महोदय नहीं हैं, वास्तव में उन्होंने मेरे को बीच में बोलने से भी रोका पूर्व सरकार में, और उन्होंने यह भी कहा राठौड़ साहब को, कि ग्रामीण विधान सभा में फूलसिंह जी को क्यों भेज रखा है? हरीश जी ने भी कहा था कि वहां से यहां आकर राजनीति कर रहे हो। चौधरी साहब भी उदयपुर आये थे। मैं धन्यवाद देता हूं ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की आम जनता का, कि उन्होंने जो मुझे मौका दिया, मैंने उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया। इनकी पूर्व सरकार ने मेरे विधायक फण्ड को भी रोक दिया। साढ़े पांच करोड़ रुपये मेरे विधायक फण्ड का, जो जनजाति के अन्दर चाहे स्कूलों में कमरा हो, चाहे सड़क हो, सामुदायिक भवन हो, पानी का हैण्डपम्प हो, चाहे वह पनघट हो, मैं तो धन्यवाद देता हूं भजनलाल जी की सरकार को, कि आते ही पहले इनकी पहले मानसिकता समझ ली थी, मगर मैंने सैंक्शन निकलवा दी इस वजह से वह पैसे लैप्स नहीं हुए। बाकी पूर्व सरकार ने तो DMFT फण्ड का भी रोक दिया। हमारे यहां पर PHED का जनजाति मंत्रीजी ने, जो वास्तव में घोषणा की थी, इतना देंगे, इतना देंगे, मगर अधिकारियों को कह दिया कि यहां ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में कुछ काम मत करवाना। आज भी मेरे सौर ऊर्जा की पनघट हो, चाहे हैण्डपम्प हो, चाहे सी.सी.सड़क हो, सारे के सारे काम मेरे रोक दिये गये। पर फिर भी जनता ने भरपूर मदद की। 2013 में 13,764 वोटों से जिताया। 2018 में 18,760 वोटों से जिताया।

Jyg/rtm/18.07.24/14.10/2d

और इनके ब्रेक लगाने के बाद भी जनता ने 27,345 वोट से जीता कर यहां पर मेरे को उनकी समस्या को समाधान करने के लिए भेज दिया। यही नहीं, इन्होंने वादा किया था कि एनआरएचएम एवं एनएचएएम कर्मी, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुम्बिश कर्मचारी, आँगनबाड़ी कर्मचारी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक आदि अनेक ऐसे वायदे किए थे कि आपके पैसे बढ़ा देंगे। 15 परसेंट हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद देता हूं कि पूर्व सरकार ने वास्तव में 4 साल तक कुछ नहीं किया, मगर हमारे भजनलालजी ने आते ही पहले सारे के सारे, कांग्रेस ने पहले वादा जरूर किया था मगर उन्होंने पूरा नहीं किया, भजनलालजी ने आते ही पहले 15 परसेंट सबका बढ़ाकर उनको राहत प्रदान की। यह भारतीय जनता पार्टी की काम करने की वास्तव में कार्यशैली है।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के लिए मैं क्या कहूं, मैं तो बहुत, 5 साल

तक यहां पर बोल-बोलकर थक गया, इन्होंने यह कहा था कि हम गौरव पथ का नाम बदल देंगे, विकास पथ रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, एक किलोमीटर का वह विकास पथ नहीं दिया, एक किलोमीटर भी। मेरी जनता इंतजार करती रही और गौरव पथ वास्तव में बदल कर इन्होंने विकास पथ किया, मगर इन्होंने वह भी नहीं दिया। किसान निधि के अन्दर भी हमारी सरकार ने 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार करने का वादा किया और पहली किश्त इन्होंने भजन लालजी ने किसानों के खाते में डालकर वास्तव में हमारे को बहुत बड़ी मदद की है। किसानों की कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं सुनता था। जो किसान फसल बोने के टाइम पर बीज और खाद के लिए इधर-उधर दौड़ता था मगर मोदीजी ने 6 हजार रुपये किसान निधि के लिए दिये और जो बढ़ाकर, पूर्व सरकार ने किसानों की बातें खूब कीं, मगर एक रुपया उनको फायदे का नहीं दिया। यही नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की भजन लालजी की सरकार ने हमारे लिए किसानों की किश्त डालकर बहुत बडी किसानों को राहत प्रदान की। यही नहीं, महिलाओं के लिए सिलेण्डर के अन्दर 450 रुपये का करने में 4 साल तक इंतजार नहीं किया, 450 रुपये में देकर आम जनता को इन्होंने राहत प्रदान की। सभी संविदा कर्मियों का मानदेय भी 15 परसेंट बढ़ाकर हमारे भजन लालजी ने हमारे उन गरीबों के लिए किया, वास्तव में मैं धन्यवाद देता हूं। अब मैं बताता हूं कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल दिए, मगर उनके अन्दर न तो टीचर लगाए और न हमारे वहां पर भवन है, न जमीन है। मैं बारापाल पंचायत की बात करूं, वहां पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय खोल दिए, अब हिन्दी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे कहां जाएंगे? वे इधर-उधर भटकते फिरें, आज भी बारहवीं तक अंग्रेजी विद्यालय तो है, मगर भवन नहीं है। उनकी जमीन अलोट कर दी, मगर एक कमरा तक पांच साल में नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे बारापाल के बच्चे हिन्दी माध्यम स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं के बाद में बच्चे कहां जाएं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की। कोई व्यवस्था नहीं की, हमारे आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ किया। खैर, जनता ने इनको जवाब दिया, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में जब दस-दस किलोमीटर तक हिन्दी माध्यम की स्कूल नहीं होती है तो बच्ची को वहां पर कहां स्कूल के लिए भेजें? वह पढ़ाई छोड़ देती है, बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, उदयपुर में मजदूरी के लिए निकल जाता है। पूर्व सरकार 2018 से 2023 तक रही पर जनजाति एरिया में विकास की बात तो दूर कोई काम नहीं करवाया। हमारे रतनलाल मीणाजी शहीद हुए थे, वो 2002 में हुए थे मगर वहां पर लाइट नहीं थी, लाइट भी मैंने 2013 में आकर वहां पर लाइट का एक उजाला करवाया। जब दीनदयाल ज्योति योजना में भी लाइट नहीं गई, उसके बाद में भी जो वास्तव में रोड की जरूरत पड़ी तो रोड भी यह वादा कर लिया, चुनाव जीत लिए, प्रधान बन गए, सब कुछ बन गए, मगर वहां पर रोड का एक कंकर भी नहीं लगाया, कंकर भी। वह भी मैंने विधायक फण्ड से वन विभाग के अन्दर जो वास्तव में मेरे सामने लड़ने वाला सरपंच वहां बीजेपी का था, उसको गुमराह किया, बोला कि मेरी सरकार है और मैं यह रोड बना दूंगा। रतनलाल के परिवार वाले

आज भी उस रोड का इंतजार करते रहे। मैंने भी देखा, पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं, हमारा शहीद रतनलाल पूरा मेवाड़ संभाग के अन्दर एक ही शहीद हुआ और उसके गांव तक रोड नहीं बनी। मैंने देखा बना देंगे, इनकी सरकार है, चार साल तक मैं इंतजार करता रहा, वहां, एक कंकर नहीं लगा, जब मैंने वन विभाग और दूसरे विभाग से आग्रह किया कि मेरे कोटे से बनाओ तो कम से कम आने जाने का रास्ता तो करवाओ। मैंने 20 लाख रुपये मेरे विधायक फण्ड से देकर आने-लाने का रास्ता करवाया। यह कांग्रेस केवल वादा करने वाली है। उन्होंने कोई हमारा जनजाति परिवार के लिए कोई कुछ नहीं किया। हमारी जो बड़ी ऊंदरी स्कूल है वह बारहवीं तक है। वहां पर कमरे 6 है और वह 2 शिफ्टों में चल रही है। विद्यार्थी 600-700 के बीच में हैं, वे कैसे पढ़ाई करते हैं? बरसों ने इनको वोट दिया मगर वहां पर एक कमरा तक नहीं दिया। डीएमएफटी फण्ड में देने लगा तो मेरे डीएमएफटी फण्ड को भी इन्होंने रोक लिया।

माननीय सभापति महोदय, इनकी कहां क्या-क्या कहूं, वागड़ मेवाड़ के क्षेत्र में निरक्षता और निर्धनता का लाभ उठाकर भोले-भाले मासूम जनजातियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। एक ही घर-परिवार में सांस्कृतिक बिखराव पैदा हो रहा है। धर्मांतरण के माध्यम से सामाजिक विखण्डन का कलुषित माहौल पैदा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले और ऐसे धर्म परिवर्तन कर हमारे आदिवासियों का आरक्षण खाने वाले इस पर ऐसा कोई नियम बनना चाहिए कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो जैसे एससी के अन्दर जो धर्म परिवर्तन हो जाता है तो स्वतः ही उनका आरक्षण बंद हो जाता है, वैसे ही हमारे एसटी में भी अगर धर्म परिवर्तन होता है तो उनका आरक्षण बंद करने की कोई योजना बनाई जाए। उनको डबल फायदा मिल रहा हे, हमारा आदिवासी परिवार मतलब अपने धर्म में रहता है तो उसको कोई कुछ नहीं मिलता है, उनको विदेशों से धर्म परिवर्तन करने के बाद सब कुछ मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव आते है और कोई गरीब परिवार को गुमराह करके कहते हैं कि आपके यहां पर ट्यूबवैल खोद रहे हैं, पनघट लगा रहे हैं, और जब हमारे को पता पड़ता है तो हम कहते हैं कि ये तो मेरे पैसे से कर रहा हूं और उससे पैसे कितने लेते हैं, 2 हजार या 5 हजार, और 2.5 लाख रुपये की पनघट लगती है, ऐसे गुमराह करते हैं तो उनको डबल फायदा हो रहा है तो, मंत्री महोदय, हमारे पास में बैठे हैं, आप नोट करो, जो हमारे आदिवासियों का आरक्षण का लाभ लेने वालों पर ब्रेक लगाने के लिए कोई न कोई ऐसा प्रावधान आए और हमारे इन आदिवासियों का भला करने के सोचें। ये धर्म परिवर्तित भ्रमित युवाओं से ही पथराव, करवाते हैं, उनको रोजगार नहीं है, ये भ्रमित युवा ही पथराव और अपराधों में संलग्न होते जा रहे हैं। क्षेत्र में भय का माहौल बढ़ता जा रहा है। धर्मांतरण के विरुद्ध सख्त कानून बनाने का जो मैंने कहा है, उस पर कुछ करें।

माननीय सभापति महोदय, धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए मैंने कहा कि आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही नहीं, राज्य सरकार से निवेदन है कि भगवान बिरसा मुण्डा, राणा पूंजा, वीर बाला, काली बाई, शहीद रतनलालजी मीणा जैसे जनजाति महानायकों के

जीवन पर फिल्म बनाने के लिए निर्माताओं को प्रेरित करें, उन्हें आर्थिक सहयोग करें।

MLS/RTM/18.07.2024/14:20/2e

क्योंकि सिनेमा एक लोकप्रिय माध्यम है। इससे जनजातियों का भारत देश और राजस्थान के विकास में योगदान सबको पता लगेगा और विखण्डन वाले षड्यंत्रकारी असफल होंगे। पिछली सरकार के दौरान मैंने जनजाति विभाग के हॉस्टलों में बायोमैट्रिक मशीनें लगाने के लिए कहा था। वे मशीनें लगीं भी, मगर उन्हें बन्द कर दिया गया। जनजाति छात्रावास में कितने बच्चे आ-जा रहे हैं, बायोमैट्रिक से उनकी वस्तुस्थिति का मालूम पड़ता था, मगर उन्हें पैसे कहां से मिलें, इसलिए वे मशीनें बन्द कर दीं। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बायोमैट्रिक मशीनें वापस लागू करें और उन छात्र-छात्राओं की बराबर मॉनिटरिंग करें ताकि उनके खातों में पैसे बराबर जाएं। जो आते हैं, उन्हीं को उसका लाभ मिले।जनजातीय बच्चों की पढ़ाई और उनके सर्वांगीण विकास का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े।

सरकार को जनजातीय पर्यटन के लिए विशेष कार्ययोजना बनानी चाहिये। पर्यटक हमारे घरों में ठहरें, वास्तव में पर्यटकों के लिए कोई ऐसी योजना बनाएं, हमारे आदिवासियों का कल्चर कैसा है, कैसे वे रहते हैं, पर्यटक हमारे आदिवासियों के यहां आकर यदि भोजन करेंगे, चाय पीएंगे, वहां के बारे में जानेंगे तो हम आदिवासियों का राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में प्रचार-प्रसार होगा।

सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस बजट में आदिवासी विद्यार्थियों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार से 4 हजार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी जनजाति के लिए बहुत कुछ करने का जो वादा किया, उस पर आप खरा उतर रहे हैं। मेरा सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से भी यही अनुरोध है कि पाई-पाई का सदुपयोग बच्चों के विकास और उनके जीवन के लिए करें। सभापति महोदय, राज्य योजना से जनजाति योजना में मांग संख्या 30 की प्रकृति, 2023-24 में जो पूर्व सरकार ने जनजाति उपयोजना मद से 26918.63 करोड़ रुपये प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 2023 तक केवल 14046.76 करोड़ रुपये ही खर्च किये।

ये हमारे आदिवासियों के लिए पैसे की घोषणा तो कर देते हैं, मगर उस बजट को धरातल पर नहीं उतारते। यानी पुराने ढर्रे को बरकरार रखा। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में इन्होंने 1 करोड़ 84 लाख 64 हजार 439 रुपये खर्च करने के लिए रखे थे, मगर उसमें से खर्च सिर्फ 1404675.72 रुपये ही किये। ये पैसे अगर हमारे विकास पर लगते तो मैं यह कहता हूं कि हमारी जनजाति का उद्धार होता और उनके लिए कुछ न कुछ आधारभूत सुविधाएं मिलतीं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी एक प्रश्न लगाया था कि जो

हमारे उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें ग्रामीण विधान सभा के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने भरे हुए हैं और कितने रिक्त हैं। मेरे जवाब में आया है, जो हमारे यहां 10-12 सीएचसी हैं, उनमें 91 स्वीकृत पदों में से 36 कार्यरत् हैं और 55 पद आज भी रिक्त हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पूर्व सरकार ने तो अपने पिछले पांच सालों में हमारे आदिवासियों का भला नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए हमारी जनजाति बस्तियां कहां जाएंगी? आपसे उम्मीद है कि उनके लिए इन रिक्त पदों पर भर्ती करवाकर आप हमें राहत प्रदान करेंगे। यह जो मेरे प्रश्न का जवाब आया है, उसे मैंने आपके बीच में रखा है।

सभापति महोदय, मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, मगर कहां से शुरू करूं और कहां रुकूं, मेरा तो सारा बाकी रह गया। पूर्व सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मोटा-मोटा पॉइंट कह दूं। प्रताप जी कह रहे हैं कि पांच ही मिनट रह गये, मैंने तो घड़ी की तरफ देखा ही नहीं कि 25 मिनट कब निकल गये। मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने जनजाति एरिया में एक छात्रावास खोला था और उसके लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपये मंजूर किये गये थे खेल गांव में। खेल गांव में 4 करोड़ 5 लाख रुपये की मंजूरी की थी। इनके मंत्री महोदय ने कहा था, काम चालू है, मगर अभी तक उसकी जमीन का ही पता नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे आदिवासियों के लिए आप तुरन्त प्रभाव से उस खेल छात्रावास को चालू करवाएं। ये जमीन का बहाना कर रहे थे, अब इस सरकार में जमीन का बहाना नहीं हो।

आपसे उम्मीद है, मुख्य मंत्री भजनलाल जी जनजाति के लिए बहुत ही सोचने वाले हैं, दीया कुमारी जी ने खूब दिया है, मगर आप और कहकर जमीन अलॉट करें। हमारे यूडीएच मंत्री महोदय खर्रा साहब यहां बैठे हैं। आप हमारे आदिवासियों के लिए जमीन का आवण्टन करवाएं। पूरे राजस्थान के खिलाड़ी वहां पर आते हैं और वहां अगर यह छात्रावास बन जायेगा तो हमारा भला होगा। 7 मंजिला इमारत का पैसा है। हमारे पूर्व मंत्री महोदय नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में आदिवासी इलाके में मंत्री आये, टीए-डीए का फंड, हमारे जनजातीय मंत्री महोदय, मैं एक खाका बता रहा हूं, वास्तव में मैं बताऊं कि पूर्व बांसवाड़ा में 1202 कार्य स्वीकृत किये गये और 220 करोड़ 10 लाख रुपये इन्होंने बांसवाड़ा में दिये।

नोट कीजियेगा, मंत्री महोदय, वापस मांगने आएंगे। यह हिसाब लेना। उदयपुर ग्रामीण में 141 काम दिये और 29 करोड़ साल में दिया। मेरे कहने से नहीं दिया, जो उनकी सैटिंग थी, उनके माध्यम से इन्होंने दिया है। कोई बात नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 29 करोड़ रुपये लगे, वह बड़ी किस्मत थी मेरी। यही नहीं, डूंगरपुर में 255 काम दिये और 66 करोड़ दिये। बागीदौरा में 180 कामों के लिए 32 करोड़ 38 लाख दिये। प्रतापगढ़ में 244 कामों के लिए 80.46 करोड़ रुपये दिये। धरियावद में 230 कामों के लिए 21 करोड़ रुपये दिये। ग्रामीण विधान सभा को इन्होंने लावारिस छोड़ दिया। गोगुन्दा और इनका भी लिया, मगर समय नहीं है, मैंने अपनी बात कर दी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शीघ्र पूर्ण करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मेरे आदिवासी

परिवारों में कक्षा संकाय खोलने हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरपीएससी द्वारा एक वर्ष में आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एससी-एसटी वर्ग में आरक्षण नियमों के अनुसार पद आवण्टित नहीं किये गये हैं, जिससे आरक्षित वर्ग के लाखों विद्यार्थी परेशान हैं। 2014 की भर्ती में बैकलॉग के 153 पदों को शामिल नहीं किया गया। इसमें एससी के 87, एसटी के 66 पद खाली हैं।

mkd/rtm/18.07.2024/13:30/2f

अगली भर्ती परीक्षा 2021 में हुई, इसमें 2014 की भर्ती के बैकलॉग को शामिल नहीं किया गया है। आरपीएससी में रोस्टर को सही ढंग से लागू नहीं किया गया है तथा अधूरी जानकारी दी गई है। 1986 की भर्ती में रोस्टर रजिस्टर में ईडब्ल्यूएस वर्ग लिखा गया है, जबकि यह कैटेगरी 2019 में शामिल की गई। वहीं एमबीसी वर्ग के पद भी गलत लिखे गये हैं, क्योंकि यह वर्ग 2007 में ही शामिल किया गया था। इस लिहाज से 2007 से पहले के सभी एमबीसी वर्ग गलत हैं। रोस्टर में रिटायर्ड कर्मचारियों की भी जानकारी नहीं दी गई है। अतः आरपीएससी द्वारा भर्ती में रोस्टर को सही ढंग से लागू किया जाये और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान की जाये।

सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा। सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, सहरिया क्षेत्र में लगभग 85 हजार बालक-बालिकाओं के लिए 2834 मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है एवं 325 मां-बाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण की भी..।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य। श्री हरीश चौधरी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, दो मिनट।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने 250 नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की बजट घोषणा की है। बजट घोषणा में 15 प्रतिशत वृद्धि की है। सभापति महोदय, बोलना तो बहुत है, मगर, मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय हमारे मां-बाड़ी को जो दें, उसको प्राथमिकता में लेकर, मां-बाड़ी, आगनबांड़ी और विद्यालय में कक्षा-कक्ष नहीं हैं, दोनों मंत्री यहां बैठे हैं, भवन भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, ऐसी स्थिति में, एक मिनट, चौधरी जी, सभापति महोदय, मेरे देवालय ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूल है, तीन कक्षा-कक्ष है, जमीन नहीं है, वहां कैसे बालक पढ़ते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी हैं, यूडीएच मंत्री भी हैं और हमारे जनजाति मंत्री जी भी हैं, उस देवालय ग्राम पंचायत की स्कूल को जमीन देकर भवन का निर्माण करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री हरीश चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): धन्यवाद, सभापति महोदय। आपने मुझे दोनों डिमांड्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।

सभापति महोदय, इस देश में, इस प्रदेश में और इस बजट के अन्दर हमारी दलितों की, पिछड़ों की क्या स्थिति है? यह हम लोग ही महसूस कर सकते हैं, ये बड़े लोग महसूस नहीं

कर सकते हैं। हममें से ही किसी भी क्षेत्र में होगा तो वही महसूस कर सकता है। ओमप्रकाश वाल्मिकि जी, जो क्रांतिकारी कवि थे, उन्होंने यह दर्द अपनी कविता में बयां किया। वही पूरा का पूरा इस बजट को, जब पढ़ने के लिए एक दफा नहीं, कई दफा पढ़ा, मैं कम पढ़ा जरूर हूं, मैं सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हूं, क्योंकि इससे भी आगे पढ़ाई होती है, डॉक्टरेट होती है, उससे आगे भी पढ़ाई होती है। उन्होंने जो अपनी बात रखी, जो भी इस बजट को पढ़ेगा वह महसूस करेगा। +++

क्या है हम लोगों के लिए इस बजट के अन्दर कुछ भी नहीं है। सब कुछ ठाकुर का। सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अन्दर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। हम लोगों को कुचला जाता है। उसके बावजूद भी हम अपना दर्द बयां करते हैं तो हंसी उड़ाई जाती है। यह विडम्बना है। आप किसी भी क्षेत्र में संसाधन की गणना निष्पक्ष तौर पर करें, दुनिया की सबसे विश्वसनीय संसाधन की गणना करने वाली फोर्ब्स, उन्होंने जब भारत के अन्दर संसाधन की गणना की तो मिलिनियर्स के अन्दर, 2013 के अन्दर उच्च जाति वालों का पूरे के पूरे संसाधनों में 80.3 प्रतिशत है और पिछड़ों का कितना 17.8 प्रतिशत।

पांच वर्ष बाद 2019 के अन्दर वह बराबर होने की जगह वह और बढ़ा, 81 प्रतिशत, 4 प्रतिशत उन ऊंची जाति वालों का और पिछड़े वालों का 15.2 प्रतिशत, वह रफ्तार अगली बार जब चोट पड़ी, जब वोट की चोट अगली बार हम पिछड़ों को वापस पड़ी तो वह और तेज गति से, जो आखिर में आंकड़े आये, 2022 के अन्दर 78.4 प्रतिशत और पिछड़ों का 9 प्रतिशत, 80 प्रतिशत से 88 प्रतिशत का सफर पिछले पांच-सात सालों के अन्दर और हम लोगों का क्या, ओबीसी, पिछड़ों का क्या, 17.8 प्रतिशत, सब किसका ठाकुर का।

नौकरियों में क्या हालात है? किसी भी सन्दर्भ में अगर नौकरियों की गणना करें। नौकरियों के अन्दर वो के वो ही हालात। रोस्टर के नाम पर क्या खेला खेला जाता है? बड़े-बड़े वकीलों को खड़ा करके न्यायपालिका के माध्यम से हम लोग अगर कहीं हम लोग राहत लेना चाहते हैं तो हम लोगों को नहीं मिलती है। आप कहीं भी देख लो, किसी भी नौकरी में देख लो। मेरे से पूर्व वक्ता ने किसी और जगह से बात की, शुरू में तो उनकी बात अलग थी, क्योंकि वह दिमाग से थी। अन्त में उन्होंने बात दिल से की तो अन्त के दो-तीन मिनट में इन्होंने पूरी की पूरी हकीकत बयां की।

जो आरयूएचएस के अन्दर जो नौकरियां निकाली गईं, उनमें क्या हालात कर रखे हैं? जो कुल 148 पद थे, उसके अन्दर ओबीसी के सिर्फ 12, एससी के सिर्फ 2, एसटी के सिर्फ 4 और एमबीसी के शून्य। हर नौकरी के अन्दर यह की यह चीज हो रही है। आप कहीं पर

भी देख लो निष्पक्ष तौर के ऊपर, दैनिक भास्कर ने अब इसका आकलन किया तो उन्होंने खुद ने अपने अख़बार के अन्दर, 16.07 के अन्दर 18 मुख्य विषय से और एससी, एसटी वर्ग की कुल 134 पद हुए कम, आरक्षण नियमों की नहीं की गई पालना। हर बार यह हुआ है।

माइनिंग इंजीनियर के अन्दर भी जब विज्ञप्ति देखी तो 67 पद होने चाहिए। उन 67 पद की जगह ओबीसी को सिर्फ 20 पद। यह अहंकार मत रखो कि कहीं कमी हो गई, गलती हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन है, सरकार में बैठने वालों से भी निवेदन है, आप आवाज उठाओ। हम लोग भी सरकार में थे तो आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद में वनपाल भर्ती के अन्दर सही रोस्टर नहीं था तो उसमें संशोधन करके, वापस सही रोस्टर करके संशोधित भर्ती निकाली थी। सिर्फ वनपाल की बात नहीं है। वनपाल की जो प्रथम विज्ञप्ति थी और बाद में विवाद देख लो, आरपीएससी के अन्दर देख लो। जो 2022 वाली आरपीएससी की थी, उसमें शून्य और उसको वापस संशोधित करके किया तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह जो रोस्टर के नाम, इस व्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा प्रहार कोई नहीं कर सकता, आज राजस्थान के अन्दर रोस्टर नहीं बना हुआ है। ये बड़े गुरूर से बोल रहे थे, लैंड बैंक बनायेंगे, पूंजी लायेंगे, मल्टीनेशलन कम्पनी हैं, सोलर के लिए, उनके लिए तो जमीन चिन्हित करके, एक-एक इंच जमीन चिन्हित हो रही है, पर नौकरी के अन्दर रोस्टर बनाने के संन्दर्भ में इतनी बड़ी फौज सरकारी कर्मचारियों की सरकार में है, उसके बाद भी संविदाओं के अन्दर, उसके बाद एडवाइजर के नाम पर कितने लोग लेकर आये, पर यह रोस्टर आज भी राजस्थान सरकार का नहीं बना हुआ है। इसकी चोट सिर्फ और सिर्फ किसको, पिछड़ों को, एससी को, एसटी को और एमबीसी को।

सभापति महोदय, और तो और जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी, रिमार्क्स की, कोई भर्ती होती थी, उसके बाद में उसका किस वर्ग से है।

Bhs/Rtm/18.7.24/14.40/2g

उस वर्ग के लिए अनिवार्य तौर पर था और यह कोई सरकारी फैसला नहीं था। यह सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. सभरवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व यूनियन ऑफ इंडिया केस में 10.2.1995 में यह फैसला किया था कि आपको वर्ग को अंकित करना जरूरी है पर सभापति महोदय, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब लोग लगे हुए हैं पता नहीं अलोकतांत्रिक ढंग से केबिनेट की जगह किसकी सरकार है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): यह ठाकुर का मामला है।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): जी, यह ठाकुर का मामला है यही मैं कहना चाह रहा हूं और आज के समय में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, आप रोक सको तो रोक दो इनको और

अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। इनको बोलने का अवसर मिलेगा या तो आप अपने खुद के मंत्री को अयोग्य मानते हो वो जवाब देने योग्य नहीं हैं, इसलिये उनकी जगह आप खड़े होकर कहना चाहते हो तो यह बात कह दें कि मंत्री की जगह आप इसका जवाब दे देना। यह व्यवस्था भी हो सकती है अगर ये इस तरह का करेंगे तो।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, यह जो कैटेगरी 2021 के अन्दर नहीं लिखी गई है यह किसके साथ अन्याय है, इनकी मंशा क्या है? यह आरएएस के अन्दर जो हम लोगों का हक है किसी ने भीख नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकारी हक हम लोगों का है और आप लोगों ने वह हक छीना है। यह हक छीन नहीं सकते हो आप। इसको संशोधन करवाओ।

सभापति महोदय, एसआई की 2021 के अन्दर भी इसी प्रकार उसके आगे उल्लेखित नहीं किया। इनकी मंशा क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं जब ये जवाब दें तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इनकी मंशा क्या है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि इनकी मंशा सही नहीं है। अगर मेरा आरोप, मैं चाहता हूं कि गलत सिद्ध हो और यह ये इसके ऊपर कैटेगरी लिखें उसी तरह से करें।

सभापति महोदय, कॉलेज शिक्षा में सरकार तो कैबिनेट की होती है पर कैबिनेट की जगह इन्होंने सरकार किसी एक व्यक्ति की बना दी। चलो व्यक्ति की बना दी और वह व्यक्ति जो मुख्य मंत्री है वह क्या कह रहे हैं कि पैंसठ वर्ष उम्र की जायेगी। वह पैंसठ वर्ष कॉलेज लैक्चरार की उम्र करने से किसको नुकसान है? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि नुकसान किसी को है तो वह आरक्षित वर्ग को है। वह नुकसान ओबीसी को है, वह नुकसान एससी को है, वह नुकसान एसटी को है, वह नुकसान युवाओं को है, हर तरह का नुकसान, उसके बावजूद भी उनकी मंशा क्या है वह प्रदेश आज जान चुका है इन 6 महीनों के अन्दर। इस सोच के कारण आज यह पैंसठ वर्ष की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सिर्फ नौकरियों के सन्दर्भ में नहीं, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, यह अन्याय उसी प्रकार का रहेगा। मेरे बड़े विद्वान, मेरे पड़ोस के विधायक आहोर के सम्मानित विधायक ने कहा कि मैंने बजट नहीं पढ़ा। दस बार बजट पढ़ने के बावजूद भी बजट नहीं पढ़ पाये तो हां, ढाणी से आने वाला व्यक्ति हूं बजट नहीं पढ़ पा रहा यह मेरे ज्ञान के अन्दर कुछ कमी है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इस बजट में बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ उन्होंने श्रेणियां भी बताई। 2 लाख 90 हजार करोड़ इस प्रदेश को मिलने हैं। इन्होंने 3-4 श्रेणियां बताई कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के विकास के लिए 1,500 करोड़। उन्होंने वह श्रेणी बताई वंचित वर्ग आबादी को आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़, टीएसपी एरिया के लिए 75 करोड़, एससी/एसटी, ओबीसी, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 100 करोड़।

सभापति महोदय, मेरी तो पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ इकोनोमिक्स में है तो मेरी तो इतनी

ज्यादा अगर इस गणना में कमी आ गई है तो वह बता देना। यह पूरी की पूरी जब गणना की जाती है तो 1875 करोड़, 2 लाख 90 हजार करोड़ के अन्दर 1875 और यह मैं नहीं कह रहा हूं इन्होंने खुद ने यह बात की और पूरी की पूरी कितने प्रतिशत हुई 0.64 प्रतिशत। पूरी की पूरी इन्होंने 0.64 प्रतिशत की। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, ये हर क्षेत्र में ही अन्याय कर रहे हैं। इन्होंने क्या-क्या किया। इन्होंने जो स्कूटी के लिए योजना की घोषणा इस बजट में की, सबके लिए की पर पता नहीं वोट लेते वक्त तो आपको ओबीसी नजर आते हैं इन स्कूटी के अन्दर एक वर्ग जिसको वंचित रखा है इस स्कूटी योजना के अन्दर वह ओबीसी वर्ग के लिए रखा है। मेरा नम्र निवेदन है जब जवाब दें मंत्री महोदय, आपके अधिकार क्षेत्र में है। इस जवाब में आप इस ओबीसी को भी जोड़ो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है क्योंकि ये लोग तो, इनकी बात, इनकी भाषा, इनका अहंकार यह सब तो अलग ही है। मैं इनके लिए क्या कहूं,

'बेशक नफरतों के बीज बोते हैं वो हर बार,
हम मोहब्बत के फूल खिला कर देंगे उन्हें करार।
उनकी चालों से रुकती नहीं हमारी राहें,
हम तो सच की रोशनी में जलने वाले हैं,
अपनी जुबां से जहर उगलते हैं वो,
हम अपने अलफ़ाज़ों से उन्हें देंगे सुकून और सौगात।'

वे और उनके पीछे कई थालियां बजाने वाले, तालियां बजाने वाले टेबलें भी बजा देते हैं उनको यह पता नहीं है, उन लोगों को सिर्फ वोटों के वक्त ओबीसी में कैसे दूरियां पैदा हो, मूल ओबीसी और ओबीसी के अन्दर उस वक्त तो मूल ओबीसी याद आ रहे हैं और उस पूरे ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उस वक्त उनको उनके विरोध में तालियां बजाने के अलावा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। यह इस तरह की इन लोगों की सोच है।

सभापति महोदय, हम लोगों के यहां जब औद्योगिक क्रान्ति आई, औद्योगिक क्रान्ति के वक्त मजदूर एक वर्ग और श्रेणी दुनिया में आई और मैनचेस्टर में उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ बड़े आन्दोलन हुए और कानून बने। इस नये दौर के अन्दर एक नया वर्ग आया है इस नये वर्ग को गिग वर्कर कहते हैं और उनकी संख्या कम नहीं है। 77 लाख के करीब अंदाजन इस देश में सर्वे हुआ तो उसमें आया। ये गिग वर्कर हैं कौन, जो हम लोगों के परिवार के लोग इन गिग वर्कर्स के माध्यम से जो डिलीवरी देते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रान्ड अमेजन जैसे के लिए भी अगर कोई रीढ़ की हड्डी है ता ये गिग वर्कर हैं। ये गिग वर्कर हम लोगों को सामान पहुंचाते हैं। इनके अलावा जो ऊबर, ओला जैसे दुनिया के बहुत बड़ी एमएनसीज हैं उनके अन्दर जो ड्राइवर लोग हैं वे भी इन गिग वर्कर में शामिल हैं।

इस देश में सबसे पहले उन लोगों के लिए चर्चा की, चिन्ता जाहिर की, उन लोगों की

आवाज बन कर कोई उभरा है तो उनका नाम है राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब यहां राजस्थान में राहुल गांधी जी आये तो उनसे सवाल किया, राजस्थान सरकार को हम लोगों को कहा कि इन गिग वर्कर्स के सम्बन्ध में कुछ कार्य करो और राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर कानून बनाया और जिस गिग वर्कर के साथ आज अन्याय हो रहा है यह खेल अलग ही है। मजदूर को हक नहीं मिले इसके लिए सब लोग पूरा तंत्र एकजुट हो जाता है। उस मजदूर को ये बड़े एमएनसीज, बड़े पूंजीपति क्या कहते हैं कि ये हमारे पार्टनर हैं उनको पार्टनर बनाने की मंशा से नहीं वो पार्टनर उनके हक और अधिकार दबाने के लिए उनको पार्टनर बनाकर और मजदूर को जो अधिकार है उस मजदूर को अधिकार नहीं मिल रहा है जो न्यूनतम वेतन उन लोगों को मिलना चाहिये वह न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है जो न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उनकी मिलनी है वह न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उनको नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय, ये तमाम हक और अधिकार छीनने के लिए इस तरह के नियम और कानून बने हुए हैं। मेरा निवेदन है सरकार में मंत्री महोदय, आप जवाब दो उस वक्त इन गिग वर्कर्स को जो हमारे परिवार के गिग वर्कर हैं इन गिग वर्कर्स के लिए कानून बना कर हम लोग इनकी पहचान के साथ-साथ इनको अधिकार कैसे देंगे उसकी घोषणा आज इस सदन के अन्दर करो जिससे आज लाखों गिग वर्कर जो राजस्थान में हैं उनके अधिकारों का हम लोग संरक्षण करें।

सभापति महोदय, मैंने आज सुबह भी निवेदन किया था सिलिकोसिस के सन्दर्भ में। सिलिकोसिस के सन्दर्भ में क्यों नहीं आवाज उठती है क्योंकि 90-95, 99 प्रतिशत वो किस वर्ग से आते हैं, वो पिछड़ों से आते हैं, वो दलितों से आते हैं, वो आदिवासियों से आते हैं इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों के वहां से नहीं आते हैं वो आज बाध्य होते हैं डीएमएफटी फंड के लिए उस गरीब की क्या स्थिति है। पिछले सप्ताह ही मैं पाटोदी में एक मजदूर के वहां गया वो आज सिलिकोसिस के कारण सांस तक नहीं ले पा रहा है। जब कोविड के वक्त बड़े-बड़े लोगों के वहां ऑक्सीजन प्लांट लगे रहते थे उस गरीब के वहां उस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से वह सांस ले रहा है। उसका बुजुर्ग बाप 85 साल का उसके परिवार में उसकी दो बेटियां, उसकी पत्नी और उसकी मां को दो वक्त की रोटी कैसे मिले उनका भरण-पोषण करने के लिए उस मजदूर का बाप 85 साल का उस घर में नहीं था। हम सबके माता-पिता उस उम्र में घर में जितना हम लोगों से बन पाता है उनकी सेवा करते हैं उनको संसाधन हम मुहैया कराते हैं पर उसकी मजबूरी है कि सिलिकोसिस की बीमारी होने के कारण आज 85 वर्ष की उम्र में वह मजदूरी के लिए नहीं जाये तो उसके घर में दो टाइम का चूल्हा नहीं जले।

Kas/rtm/18.07.2024/14.50/2h

पूरे एक साल से ज्यादा हो गया। आप दोषारोपण करोगे, कांग्रेस करोगे, बी.जे.पी. करोगे। इधर पक्ष-विपक्ष की बात करेंगे, परंतु उस गरीब का चूल्हा कांग्रेस, बी.जे.पी. नहीं देखता है,

उस गरीब की थाली कांग्रेस, बी.जे.पी. नहीं देखती, पक्ष-विपक्ष नहीं देखती है। सिलिकोसिस से बीमार होने वालों के लिये, हमारी और कोई प्राथमिकता नहीं है, सबसे पहली प्राथमिकता उस मजदूर की है, आज सबसे बड़ा मिनरल डिपोजिट कहां है, पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में है। उस पर कितना खेला खेला जा रहा है, कितना विवाद हो रहा है। क्या-क्या संसाधन की लूट हो रही है और उस गरीब मजदूर को बीमार होने के बाद हम न्यूनतम 3 लाख रुपये दे रहे हैं। वह भी एक साल हो गया, उन गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह तमाम बजट में हालात बने हुए हैं। बड़े-बड़े महलों के लिये, ठाकुरों के लिये तो बहुत कुछ है।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): साहब, यह रिफाइनरी कौन खा गया?

श्री हरीश चौधरी (बायतू): यह रिफाइनरी कौन खा गया है, वह भी पता है। ...(व्यवधान)... हिम्मत हो तो वहां जाकर बात कर लो। ...(व्यवधान)... हिम्मत हो, वो कर लो। ...(व्यवधान)... सब अच्छी तरह से कर लो। ...(व्यवधान)... यह आवाज मजदूर की, यह आवाज पिछड़ों की है, ये तमाम लोग इकट्ठा हो जायें, यह आवाज दबा नहीं सकते हैं। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, यह हरीश चौधरी, वोट के लिये डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। ...(व्यवधान)... हम लोग राजनीतिक ताकत के लिये इन लोगों के आगे नहीं झुकेंगे। ...(व्यवधान)... यह अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं। ...(व्यवधान)... कितने भी खड़े हो जाएं, यह आवाज दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं दबा सकते हैं, धन्यवाद, जय हिन्द। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ...(व्यवधान)...विराजिए, विराजिए। श्री अर्जुन लाल जीनगर। ...(व्यवधान)... विराजिए, विराजिए। ...(व्यवधान)...श्री अर्जुन लाल जीनगर। ...(व्यवधान)... श्री अर्जुन लाल, बोलिए आप। ...(व्यवधान)... आप विराजिए, विराजिए। ...(व्यवधान)... अर्जुन लाल जी, एक मिनट, मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप विराजिए, विराजिए। माननीय मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा आपसे अनुरोध है, हम सब एक हैं, अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को ऐसे शब्दों से संबोधित किया हो जिससे वह आहत होता है, मेरा निवेदन है कि इसको डिलीट किया जाए और आपका ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति: ऐसा शब्द, जो सदन के अनुकूल नहीं है, उसको एक बाद देखें। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने अभी तक गलत बोला है, हमने आपको टोका नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ...(व्यवधान)... ऐसा कुछ है, तो अंकित नहीं होगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हरीश जी, अभी तक जो आपने बोला है, वह आज के विषय से सम्बन्धित नहीं है। आपने गलत बोला है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप अपनी बात कहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः जो अनुकूल नहीं है, वह अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... विराजिए आप। श्री अर्जुन लाल जीनगर। ...(व्यवधान)... आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप भी बैठिए, बैठिए आप। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): 000

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): 000

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): 000

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, सदन थोड़ा सा गर्म हो गया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापतिः एक सैकिण्ड, हम किसी की भी भावनाओं को ठेस न पहुंचाये। यह सदन हमेशा परम्पराओं से चला है। हम प्रयास करें कि हम अपनी बात तो कहें, लेकिन ऐसी बात न कहें जिससे आपस में हमारी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ...(व्यवधान)... शांत रहें, शांत रहें। आप बोलिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, सदन में थोड़ी सी गर्मा-गर्मी है।

श्री सभापतिः अगर कुछ असंसदीय होगा तो प्रोसेडिंग देख लेंगे, बता दिया है। ...(व्यवधान)... उसको देख लेंगे। माननीय सदस्य, आप विराजिए। एक बार उस पर विचार कर लेंगे, अगर कोई असंसदीय भाषा होगी तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा, अब विराजिए। आप बोलिए, आपका समय प्रारम्भ हो गया है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि सदन में कुछ शब्दों का चयन ठीक नहीं होने से थोड़ी सी गर्मा-गर्मी हो सकती है। आज जिस बात पर बहस हो रही है, वह इतना महत्वपूर्ण विषय है। वंचित वर्ग है, वंचित तबका है, जो वर्षों से पिछड़ा हुआ है, उसके बारे में बात की जा रही है। आज मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या-31 सामाजिक न्याय व अधिकारिता पर बहस हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य किसी वर्ग के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी केवल अछूतपन का व्यवहार के रूप में ही भेदभाव से तात्पर्य नहीं है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी व्यवस्था के प्रति अन्याय भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सबको समानता का अधिकार न मिले, वह सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। इसके लिये अभी हमारे बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था, भारत रत्न आचार्य विनोबा जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है, जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ तक ही सीमित रहे। इसी विचार को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने यह कहा कि आज हमारी सरकार का एक ही ध्येय है, नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सरकार की प्राथमिकता है, वंचितों को प्राथमिकता। यदि हमने वंचितों को प्राथमिकता दी तो हमारा संपूर्ण समाज, संपूर्ण प्रदेश और

संपूर्ण देश आगे बढ़ जायेगा। हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत और सुदृढ करने का प्रयास कर रही है। सरकार की सहायता अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इस बात की प्राथमिकता को हमारी सरकार लेकर चल रही है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे प्रणेता हैं, उन्होंने चिंतन के आधार पर कहा कि सरकार की सारी सुविधाएं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जब तक हम नहीं पहुंचायेंगे, तब तक इस देश और देश में रहने वाले व्यक्तियों के आर्थिक जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको ऊँचा नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार इसी उद्देश्य को लेकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास करने के लिये तत्पर है।

सामाजिक न्याय की अवधारणा के ऊपर बोलने के लिये हम आज खड़े हुए हैं। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो मैं वहां से लेकर चलता हूं कि हमारे समाज में भेदभाव, छुआछूत, गरीबी और जो लोग वंचित रह गये थे, उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाये। जब सामाजिक न्याय की बात है तो बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक, छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और संविधान निर्माता बाबा साहब डाक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अलग-अलग तरीके से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन और क्षमता लाने का काम किया।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन।)

हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखें तो ज्योतिबा फूले ने बाल्यकाल से ही सामाजिक न्याय और वंचित परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये, उन अछूतों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिये, आदिवासी और घुमंतू जातियों के सामाजिक व बौद्धिक उत्थान के लिये संघर्ष किया।

msk/rtm/18.07.2024/1500/2j

पिछड़ों और अछूतों एवं महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले को शिक्षित किया और पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले ने एक बालिका पाठशाला चलाने का काम किया। जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज के योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने राज्य में वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के स्कूल खोले, सार्वजनिक जल स्रोतों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने स्वयं के शासन में अपने राज्य में शासकीय नौकरियों में 1901 में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर वंचित वर्ग के लोगों को आगे लाने का काम किया। वे भेदभाव के तीव्र विरोधी थे। एक बार तो शाहू जी महाराज बिना बताये बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के घर पहुंच गये और वहां जाकर बोला कि आज मैं रमा बाई के हाथ की चाय पीने आपके घर आया हूं। जब उन्होंने यह बात कही, तब बाबा साहब अंबेडकर साहब सामाजिक न्याय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो उनके मन में था कि संसार के अन्दर

लोग जिस प्रकार से भेदभाव करते हैं, उस भेदभाव को किस प्रकार से मिटाया जा सके, इसके लिए बाबा साहेब ने अनेक काम किया। आज बाबा साहब अंबेडकर का सामाजिक न्याय के बारे में बहुत बड़ा अध्ययन है और उनका चिन्तन भी है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि संसार में कोई दु:ख है तो दु:ख का कोई कारण भी है और यदि दु:ख का कोई कारण है तो दुख का निराकरण भी किया जाता है। जब दु:ख का निराकरण करना है तो बाबा साहब अंबेडकर मानते हैं कि भारत में सामाजिक अन्याय के पीछे समाज की सामाजिकव्यवस्था है। हमारे समाज की जो व्यवस्था बनी थी, हमारी जातिगत व्यवस्था थी, उस जातिगत व्यवस्था के अन्दर वर्ग भेद, वर्ण भेद और जातीय भेदभाव के कारण इन समस्याओं का निर्माण हुआ था।

बाबा साहब मानते थे कि समाज में सबसे बड़े समूह के साथ केवल जातीय श्रेष्ठता के घमण्ड के रूप में एकाधिकार के कारण अन्याय होने लगे थे। जब तक भारत में जातीय व्यवस्था इसी प्रकार से मजबूत होती रहेगी, तब तक सामाजिक न्याय की बात हम करें तो वह ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं और बाबा साहब चाहते थे कि वंचितों को न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब स्त्री दासता के लिए भी सामाजिक व्यवस्था को दोषी मानते हैं। इसलिए स्त्रियों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए और उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए वे इस देश में कानून मंत्री बने, तब उन्होंने हिन्दू कोड बिल तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी नेहरू जी सहमति से सदन में पेश किया। इसके बाद पंडित साहब के सहयोग नहीं करने के कारण वह बिल संसद में पास नहीं हो सका। मैं उस समय की बात बता रहा हूं, जिस समय बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री थे और उनके कहने के अनुसार नेहरू जी सहमति ली कि इस हिन्दू बिल को मैं संसद में रखना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने संसद के अन्दर सहयोग नहीं किया और वह बिल पास नहीं हो सका। इसी कारण से उन्होंने एक आयोग का गठन करना चाहा। इसके विरोध स्वरूप पिछड़ी जातियों के अध्ययन के लिए पंडित नेहरू द्वारा आयोग गठित नहीं करने के विरोध में बाबा साहब ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब नारी शिक्षा व समाज की प्रगति के प्रेरक माने जाते थे, लेकिन बाबा साहब का संसद के अन्दर बार-बार अपमान हुआ और उनको कांग्रेस पार्टी एवं नेहरू जी ने सांसद बनने से भी रोकने का बार-बार काम किया। ऐसा पाप कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आ रही है। बाबा साहब ने एससी, एसटी और वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन बाबा साहब को पीछे धकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और बाबा साहब के नाम से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजीनीतिक रोटियां सेकने का काम किया।

बाबा साहब का जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश था, तब उन्होंने समाज के अधिकारी, वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करना शुरू किया था। सामाजिक न्याय के प्रति कांग्रेस पार्टी चाल और चरित्र भिन्न है। उनका एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। सभापति महोदय, 1918 में छत्रपति शाहू जी महाराज ने डॉ. अंबेडकर साहब और पिछड़ी जाति के भास्कर राव जाधव के प्रतिनिधिमण्डल को काउंसिल में अछूतों और पिछड़ों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए अंग्रेज सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। इस बात को लेकर कांग्रेस के

तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को इतना बुरा लगा कि 15 फरवरी, 1918 को अथनी या बेलगांव की एक सभा में उन्होंने कहा कि संसद कोई खेत नहीं है जहां तेली, तमोली, कुनभटों को वहां जाकर हल चलाना है। इस प्रकार वहां उपस्थित गाडगे बाबा जो धोबी जाति के थे, उन्होंने कहा कि, तिलक महाराज, आप हमें ऐसा बना दीजिये। तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की सोच केवल दिखावे की रही है। सामाजिक न्याय के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं किया है।

मैं इस अवसर पर राजनीति के अजातशत्रु हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत को याद करना चाहूंगा। उन्होंने जिस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं में राजनीतिक चेतना लाने के लिए जो काम किया, मैं जब पहली बार 1993 में जीतकर आया था, जब मैं देखता था कि न तो किसी भी ग्राम पंचायत में, न ही किसी जिला परिषद में, न ही कहीं प्रधान, न ही कोई पंचायत का सरपंच, न ही नगरपालिका पार्षद, न कोई चेयरमैन एससी, एसटी, ओबीसी का होता था, न कहीं महिला होती थी। लेकिन मैं उस महान विभूति भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 1995 के अन्दर एससी, एसटी, ओबीसी का कानून लाकर, राजनीति चेतना लाकर सामाजिक न्याय करने का काम अगर किसी ने किया तो उस प्रणेता का नाम भैरोंसिंह शेखावत है। राजनीति में आरक्षण मिलने से लोगों के अन्दर आज चेतना आयी है। आज महिलाएं सरपंच बनती हैं, जिला प्रमुख बनती हैं, पार्षद बनती हैं, चेयरमैन बनती हैं, वार्ड पंच बनती हैं। यह भैरोंसिह जी शेखावत की देन है कि उन्होंने संविधान के अन्दर ऐसे प्रावधान किये। हर व्यक्ति को राजनीतिक चेतना के लिए अपने आप को आगे लाने के लिए उन्होंने एक मौका दिया।

कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक शासन किया। क्या आपके राज में आप बता सकते हैं 1952 से जब आम चुनाव हो रहे हैं, लोक सभा के और सारे चुनाव, तब क्या आपने किसी एससी को सरपंच बनने दिया, एसटी को, ओबीसी को, किसी महिला को? आपकी कथनी और करनी में रात दिन का फर्क है। आपने 50 साल तक राजस्थान की जनता को लूटा और देश की जनता को भी लूटा। आज मुझे यह कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि 1990, जिस समय मैं अध्यापक था, अख़बार की कटिंगें पढ़ता था, कश्मीर के अन्दर लोगों की हत्याएं करके उनके सामान, मकान और उनकी सम्पत्तियों को लूटकर कश्मीर से उन लोगों को निकाला जा रहा था, तब वहां कांग्रेस का शासन था, कश्मीर में और भारत की सरकार भी कांग्रेस की थी। उनके लिए कोई कानून नहीं था। उनकी एफआइआर दर्ज नहीं हुई। उनकी सारी सम्पत्तियां छीन लीं। आज एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी कोई थप्पड़ मार दे तो उसको 151 में पाबन्द किया जाता था, लेकिन 1990 के अन्दर इतना अत्याचार हुआ, इतनी गुण्डागर्दी हुई, इतने लोगों से मारकाट की, क्या उस समय ये सो रहे थे? ये लोग तो वही हैं। यह पार्टी वही है। इनको सोचना पड़ेगा।

मैं आज निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक कि बाबा साहब को इन्होंने संसद में जाने से बार-बार रोकने का काम किया। एक बार नहीं, दो बार। बाबा साहब चाहते थे कि गरीब और

पिछड़े लोगों की उन्नति हो, उत्थान हो, लेकिन उनका उत्थान नहीं हो सके। इन्होंने हमेशा उनको रोकने का काम किया। यहां तक कि बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दे सके। मैं हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देकर उनका सम्मान करने का काम किया। आज इंग्लैण्ड के अन्दर वहां की यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति लगी है। ऐसे महान व्यक्ति, जो संविधान का निर्माण करने वाला था, उनसे आपने काम करा लिया।

mdp/rtm/18.07.2024/15:10/2k

उनको उचित सम्मान भी नहीं दे सके। सामाजिक न्याय के लिए सेवन स्टार में रुकने वाले आज वंचितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, सेवन स्टार क्या टेन स्टार में रुकिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। यानी समाजिक न्याय की जहां बात आती है, उस संविधान निर्माता के लिए बार-बार मेरे मन में इतनी चिंता होती है कि इतने महान व्यक्तित्व, उनको हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने देखा नहीं। आज हम उनके चरण छूते हैं। आज यदि आधुनिक भारत के कोई प्रणेता है, यदि वास्तव में इस राष्ट्र का कोई प्रमुख व्यक्ति कहलाने योग्य है तो मैं सोचता हूं कि महात्मा गांधी से भी उनका नाम ऊपर होना चाहिए। मैं यह मानता हूं आज की तारीख में।

सभापतिमहोदय, बाबा साहब कहते थे समाज का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज की नारी कितनी शिक्षित है। प्रगतिशील समाज में नारी का सम्मान होना बहुत जरूरी है। समाज और देश की नारी शक्ति से समुचित प्रतिनिधित्व की भागीदारी का समर्थन करता है, यही सामाजिक न्याय की अवधारणा है। देश में नारी शक्ति का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन इसके अन्दर भी वर्गों की संख्या के हिसाब से उपस्थित भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। समाज के वंचित भी विधि मंडल के अन्दर बैठने चाहिए। जब तक एससी/एसटी के लोग नीति-निर्धारण मंडल में नहीं बैठेंगे तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है।

बाबा साहब अम्बेड़कर व अन्य प्रगतिशील नेतृत्वकर्ता सर छोटूराम का नाम प्रमुख रूप से हैं। ये दो नेता ऐसे थे, जो प्रगतिशील भारत के लिए काम करते थे। उनके लगातार प्रयास और संघर्ष की बदौलत 1927 में साइमन कमीशन भारत में अछूत, पिछड़ों और वंचितों को समुचित प्रतिनिधित्व एवं पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। अब सोचिए, उस समय बाबा साहब ने और सर छोटूराम जी ने 1927 के अन्दर जब इंग्लैंड से साइमन कमीशन आया था, वह अध्ययन करना चाहता था अछूतों,पिछड़ों और वंचित समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व के लिए, गांधी जी ने उनका घोर विरोध किया। यह मैं नहीं बोल रहा, यह पुस्तक बोल रही है। इसमें लिखा है कि 1927 में इस कमीशन का विरोध करने के लिए ताकि वंचितों को कोई अधिकार नहीं मिल जाए, इसके लिए उन्होंने कहा था 'साइमन गो बेक' का नारा दिया था। यह पाप भी कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने किया था।

हमें समाज के उस बड़े वर्ग के साथ भी हो रहे भेदभाव, अत्याचार, अन्याय से निजात दिलाने के लिए अतिरिक्त ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जब तक हम उनको अलग से स्पेशल पैकेज नहीं देंगे तब तक वंचितों को लाभ नहीं मिल सकता है। आज हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अतिरिक्त भी है। हम सिर्फ इसी के लिए नहीं जी रहे हैं। मानवीय मूल्यों की रक्षा करना और मान-सम्मान की जिदंगी जीने के साथ-साथ, वह सार्वजनिक साधन-संसाधन संवैधानिक रूप से हासिल करने के अधिकारी हैं। इसे छीनना या उससे वंचित करना न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिसकी लाठी, उसकी भैंस। पिछली सरकार में आपने देखा मर्जी पडा, उसको पकड़ा और गला काट दिया। मर्जी पडा जहां लाठी रोक दी, यह जमीन मेरी। इस प्रकार के हालात इस राजस्थान में रहे हैं।

मैं यह चाहता हूं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। जब तक भेदभाव होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव करेगा, तब तक सामाजिक न्याय की अवधारणा न्यायोचित नहीं होगी।

आज देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं भी जातिगत जनगणना का समर्थक हूं। हमारे 1931 के बाद जातिगण जनगणना के बारे में कोई सर्वे नहीं किया गया। हमारे ओबीसी के नेता दिवंगत गोपीनाथ जी मुंडे, जातिगत जनगणना कराने के पुरजोर समर्थक थे। हम भी इस बात की पैरवी करते हैं। ओबीसी और एससी/एसटी की वर्तमान संख्या का पता चलने के लिए इन वर्गों की वास्तविक जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आज जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व जहां का तहां पडा हुआ है।

आज ओबीसी में बढ़ रहे असंतोष को दूर करने लिए, उनकी वास्तविक जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना न्यायोचित होगा। वास्तविक जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हर बार हम सामाजिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम समझ लेते हैं जो संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। संविधान की भावना यह है कि सबको समानता का अधिकार मिल सके। आज इस देश में बढ़ रही गरीबी और अमीरी की खाई, मूल कारण ये भी है। संघर्ष का मूल कारण ये भी है। आज देश में बढ़ रही गरीबी और अमीरी की खाई के कारण असंतोष बढ़ रहा है, उसे समय रहते दूर करना होगा, अन्यथा वर्ग संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी।

दिनांक 10 जुलाई, 2024, जिस दिन यहां पर बजट भाषण हो रहा था, उस दिन अख़बार में एक खबर छपी थी। असिस्टेंट प्रोफेसर, 2023 के अन्दर 16 विषयों में एससी/एसटी वर्ग के कुल 134 पद कम हो गये।

देश और प्रदेश में रोस्टर प्रणाली का कहीं पर भी सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मेरे मन की पीड़ा है यदि विषय कम हो गये, हमारे पद कम हो गये, एससी/एसटी के पद कम नहीं होने चाहिए और रोस्टर प्रणाली का तुरंत प्रभाव से सही क्रियान्वयन होना चाहिए। देश में 13 पाइंट के ऊपर रोस्टर के स्थान पर, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन

करना चाहूंगा, देश में 13 पाइंट रोस्टर के स्थान पर 200 पाइंट रोस्टर लागू कर दिया, इसके कारण पूरे देश के अन्दर आंदोलन हुआ, असंतोष उपजा। इसके चलते जब लोग इकट्ठे हुए तो 13 पाइंट ही रोस्टर में रखने पड़े।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के ऊपर बढ़ते हुए अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, बलात्कार की जैसी घटनाओं के कारण प्रदेश की सरकारों की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। वास्तविक स्थिति यह है, चाहे सरकार यह रही हो, मैंने ये सरकार भी देखी, ये सरकार भी देखी, लेकिन हमारी कानून व्यवस्था, हमारा सुशासन मजबूत होना चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। बदमाशों का इलाज करने की ताकत हमारे में होनी चाहिए। ये मेरा भाई है, इसको बचा लूं, मेरे बच्चे के ऊपर यदि बलात्कार का केस लगा तो मैं इसको बचाने का काम करूं। मुझे याद है पिछली सरकार में यहां कोई मंत्री बैठा करते थे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, जूली साहब को याद होगा, उनके आगे वाली लाइन में बैठते थे, उनके बच्चे का बलात्कार में नाम आया था। वह नाम क्यों निकल गया? क्योंकि वह बड़े व्यक्ति का बेटा था। बड़े व्यक्ति का बेटा था, वह अधिकार लेकर आया जन्मजात। वह जन्म से अधिकार लेकर आया था कि वह बलात्कार कर सकता है और उसको छूट मिलेगी? यह असंतोष का कारण क्या है समाज में? आज कोई चम्बल के बीहड़ों के अन्दर किसी ने बंदूक उठाई तो क्यों उठाई? उसके खिलाफ कोई न कोई घटना घटी है, इसलिए उसने बंदूक उठाई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस न्याय प्रणाली के अन्दर हमारी इच्छा शक्ति जोरदार होनी चाहिए।

जिस प्रकार सरकारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण किया जा रहा है, उसको देखते हुए समाज के कमजोर व वंचित वर्गों के लिए निजी क्षेत्र में भी उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहिए। आज जैसे इंडस्ट्री लग रही है या कोई भी अन्य चीज लग रही है, सरकारी में तो हमको आरक्षण मिल जायेगा, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं, उनके अन्दर हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा, जनसंख्या के अनुसार तो कहीं न कहीं गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में भी उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर गंभीर विचार करके इसको लागू करना चाहिए।

यदि हम देश में वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें देश के संविधान को ईमानदारी के साथ और कड़ाई के साथ लागू करना होगा, उसको शत-प्रतिशत लागू करना होगा। हमें देश के संविधान के प्रति ईमानदारी और कड़ाई रखनी होगी। संविधान की अवहेलना करने वाले राजनेताओं पर, लोक सेवकों पर भी देशद्रोह की कार्यवाही होनी चाहिए। हम राजनेता बन गये, लोक सेवक बन गये और यदि हम भी गड़बड़ करें तो हमारे ऊपर भी संविधान का डंडा चलना चाहिए। कानून का डंडा, संविधान कानून ही है। हमें देश के मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराना होगा।

Ans/rtm 15.20 2l 18.07.2024

1953 में पंडित नेहरू सरकार ने पिछड़े वर्ग के नेतृत्व और बाबा साहेब द्वारा पिछड़े वर्ग को अपने अधिकारों के लिए संगठित करने के दबाव में आकर, इन वर्गों पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया। अध्ययन के दौरान काका कालेलकर बाबा साहेब से आकर मिले और निवेदन किया कि, बाबा साहेब, पिछड़े वर्ग के बारे में आपका बहुत विस्तृत अध्ययन है, आप बताइये इस वर्ग के लिए बेहतरीन क्या किया जा सकता है, आपके मन में क्या- क्या उपाय है। तो बाबा साहेब ने कालेलकर साहब को बताया कि शासकीय नौकरियों में इस वर्ग के नौकरशाहों को नीति निर्धारक पदो पर पद स्थापित होगा। आज हम देंखे कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के नाम मात्र के लोग हैं। सचिव और मुख्य सचिव के पद पर भी नाम मात्र के लोग हैं। संविधान लागू होने से आज तक सभी सरकारों ने इस बात की घोर उपेक्षा की है। कहने के लिए तो बहुत बातें है, पर मैं इतना निवेदन करुंगा कि संविधान को हम कड़ाई से लागू करें, इसकी पालना कराए।

अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री जी ने, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कई काम ग़रीबों के लिए किए हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देकर उन तमाम व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने का काम किया। गाड़िया लुहार के मकान बनाने के लिए 70 हजार रुपये सरकार देती थी, हमारी सरकार बनते ही हमने उसका 1 लाख रुपये करने का काम किया। छात्रावास में निवास करने वालों को प्रति छात्र मैस भत्ते के 2500 रुपये मिलते थे, हमने आते ही उसको 3000 रुपये कर दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत हमने 1 हजार रुपये के स्थान पर 1 हजार 150 रुपये करने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद एससी, एसटी और टीएसपी फण्ड की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किए। बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। गोविन्द गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए हमने काम किया। मुख्यमंत्री स्वनिधि के लिए काम किया। प्रधानमंत्री आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को 25 हजार रुपये तक के अतिरिक्त अनुदान देने का काम किया। आश्रय स्थल, आवास से वंचित परिवार को मुख्यमंत्री घुमंतू आवासीय, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़े निगम, अल्पसंख्यक विकास निगम आदि के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। ईडब्ल्यूएस हेतु रियायती ब्याज दर पर 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 36 लाख रुपये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। तीन दिन तक आंगनबाड़ी में बच्चों को दूध पिलाने का काम करेंगे। इस प्रकार से हमने कई काम किए हैं।

मैं कई वर्षों से मांग करा हूं। मेरा जनजाति मंत्री जी से विशेष आग्रह है, टीएसपी एरिया के अन्दर एसटी के लोग रहते हैं, इनके अलावा एसटी के लोग बिखरी आबादी में रहते हैं,

टीएसपी एरिया के लोगों को तो विद्युत कनेक्शन में पूरा लाभ है लेकिन बिखरी आबादी में कृषि कनेक्शन अगर कोई भी व्यक्ति लेना चाहे तो उनको जनरल की सूची में आना पड़ता है, इसलिए मेरा आग्रह है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की तर्ज पर बिखरी आबादी में एसटी के लोगों को भी, प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देने की मांग कर रहा हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट में अपनी मांग पूरी कर रहा हूं। मैं सामाजिक कल्याण मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि हमारा चित्तौड़ जिला बहुत बड़ा है। हमारे यहां उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, इस कार्यालय को क्रमोन्नत करके संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किया जाकर चित्तौड़ में एक पद संयुक्त निदेश का और एक प्रशासनिक अधिकारी का सृजित कराएं। नम्बर एक। राशमि के अन्दर अम्बेडकर छात्रावास जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसको ठीक किया जाए और संचालित करके उसको आवासीय किया जाए। चित्तौड़ ज़िले में मानसिक विमंदितों हेतु पुर्नवास केन्द्र अभी तक नहीं है, अतः वह ज़िले में होना चाहिए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर वृद्धाश्रम केन्द्र संचालित हो जाए। जिन नालायक बेटों ने अपने मां-बाप को बाहर निकाल दिया, उन नालायकों के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए सरकार उनके पिताजी को आश्रय स्थल पर रख सके, ऐसी व्यवस्था करे।

श्री सभापतिः श्री रतन देवासी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सर, एक मिनट। ज़िले में नशा मुक्ति केन्द्र संचालित हो। पंचायत समिति, भोपाल सागर में एक छात्रावास खुले। भोपाल सागर में राशमि अनुसूचित जाति बालिका का एक छात्रावास खुल जाए। भोपाल सागर में एसटी का एक छात्रावास हो। दोनों मंत्रियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, दोनों मंत्री सुन रहे हैं। जनजाति मंत्री जी, मेरा एक निवेदन है, सांवरिया में एक छात्रावास 15 साल पहले बना, पीडब्ल्यूडी के एक ठेकेदार ने बनाया..

श्री सभापतिः प्लीज।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मुझे आज तक पता नहीं चला कि यह छात्रावास एसटी का चलाएगा या सामाजिक कल्याण मंत्री जी का विभाग चलाएगा। ना ही उस विभाग ने अभी हैंड ओवर किया है। वह बालिका छात्रावास किसके लिए बना, क्यों बना, मैंने इस बात को लेकर 15 साल में कई बार क्वेश्चन लगा दिए, कट मोशन लगा दिए, याचिकाएं लगा दी लेकिन उन हॉस्टल का पता नहीं चला कि यह चलेगा या नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, जय हिन्द जय भारत।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, वित्त मंत्री का जवाब आने के बाद, जो माँग हैं उस पर आज पूरा सदन चर्चा कर रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं जनजाति की दो मांग है। विभिन्न मांगें, विभिन्न सदस्यों ने यहां दी होंगी। दोनों विभागों में

जो मांगें आई हैं, मैं कुछ बातें उन दोनों पर कहना चाहता हूं, जो उससे सम्बन्धित है। विभाग के प्रयास और प्रगति का वर्ष 2023-24 का उल्लेख भी आपने किया था, उसमें से कुछ अंश आपके बीच साझा करना चाहता हूं।

आज हमारे प्रदेश में विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभागों के अन्दर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता बड़ा विभाग है। इसमें विभिन्न योजनाएं छात्रों, दिव्यांगों, बुज़ुर्गों से लेकर पशुपालकों तक, उनके छात्र-छात्राओं को पढ़ाई की सुविधा देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए, लाभान्वित करने के लिए इस विभाग को चलाया जा रहा है। राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद जब भी चुनी हुई सरकारें आईं, हमने देखा कि इस विभाग के माध्यम से जो समाज पीछे छूट गए उनको जोड़ने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम लोगों ने काम किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। कोई भी सरकार रही हो मगर हमने इस विभाग को चलाया। विभिन्न योजनाओं में इसका संचालन कराया। विभिन्न घोषणाएं की होगी, मगर इसको धरातल तक पहुंचाने में हमारी जो कमियां रह गई, अगर उस पर हम कार्य नहीं करेंगे तो छात्र-छात्राएं दिव्यांग जो आपके भरोसे बैठे हैं, वह भविष्य में हमको माफ नहीं कर पाएंगे।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हू सामाजिक न्याय के पांच सिद्धांत क्या थे। सामाजिक न्याय के बारे में विश्व के बड़े थिंकटैंक थे, विश्व के बड़े लेखक थे, नेता थे, हमारे देश में भी भले ही गांधी जी रहे हों, बाबा साहेब अम्बेडकर रहे हों, अन्य जो भी नेता या लेखक रहे हों, उन्होंने हमेशा यह कहा कि सामाजिक न्याय के पांच सिद्धान्त रहे। सामाजिक न्याय के पांच सिद्धांतों में संसाधनों तक पहुंच, भागीदारी, विविधता और मानव अधिकार की बात हमने कही है। यही राजस्थान सरकार हमारे सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रमों में, जब उसका प्रतिवेदन भी आता है तो उसमें इस बात को लिखती है।

VPS-RTM-18.07.2024-15.30-2m

माननीय सभापति महोदय, आज हम किन छात्रों की बात कर रहे हैं? जो लोग, जो समाज, जो छात्र अग्रणी समाजों में नहीं आये, जिनको पढ़ा नहीं पा रहे थे, जिनको सहायता की जरूरत थी, अंग्रेजी में कहते हैं- Helping Hands. वे सरकार की ओर देख रहे थे कि सरकार हमारी तरफ देखेगी, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा, छात्रवृत्ति उसको भी मिलेगी, वह भी पढ़-लिखकर बड़ा अधिकारी, नेता बनेगा, वह भी पढ़-लिखकर अपने परिवार, अपने कुल और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत विभिन्न योजनाओं में ये लोग लाभान्वित हो। दिव्यांग जो चल-फिर नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, जो मूवमेंट नहीं कर पाये उसको सरकार की सहायता मिले, उसको यह महसूस हो कि इस दुनिया में मेरी तरफ देखने वाला कोई है और मुझे सहायता मिलेगी और मैं भी अग्रणी व्यक्तियों के साथ में आकर आगे बढ़ूंगा, नौकरी लगेगी, कमाऊंगा, मेरे परिवार का

पालन-पोषण मैं करूंगा, उसके लिए सामाजिक व्यवस्थाएं तय की हुई थीं।

आज मैं इस बात को मानता हूं और मैंने पहले ही यह कहा कि कोई भी सरकार रही हो मगर जो कमियां रही हैं वे तो कमियां हैं और उन कमियों को अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, वे इस सदन में आने के बाद में अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने विभिन्न वर्गों में और विभिन्न सेक्टर में छात्रावास खोले, आवासीय विद्यालय खोले और आज कई जगह पर 12वीं तक वे विद्यालय संचालित हो रहे हैं मगर उनके हाल क्या है? क्या हम यह मानते हैं कि उनको पूर्ण तरीके से वहां पर भोजन जिस रूप में मिलना चाहिए वह मिल रहा है, उसमें कोई कमीबेशी नहीं है? उनके कपड़े, उनके जूते क्या उस रूप में हम दे पा रहे हैं? उनको संचालन करने वाले अधीक्षक, वहां पर रहने वाला चौकीदार, जितने लगाने हैं, वे हम लगा पा रहे हैं और जहां पर नामांकन कम है तो वह नामांकन क्यों कम है? उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा और यह भी तय करना पड़ेगा कि एक किलोमीटर वाले बच्चे को अगर वहां पर एडमिशन मिल रहा है और सौ किलोमीटर से आने वाला बच्चा एडमिशन चाह रहा है और उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वह एडमिशन कैसे मिल पाएगा, मंत्रीजी, इस बात को भी हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसी के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि वे जो विद्यालय 12वीं तक संचालित हो रहे हैं उन विद्यालयों को आप महाविद्यालय में परिवर्तित करो तो कई जगह पर महाविद्यालय बनेंगे तो वह बच्चा 12वीं के बाद बाहर जाता है तो उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं आस-पास के उन महाविद्यालयों में, उस सेक्टर में, उस सेंक्शन में, उन वर्गों में जो आपने ये आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोले हैं, उसको वहां पर पढ़ाई करने का मौका मिल जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जो हमारे स्टेट में कोचिंग करने के लिए छात्र आते हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं, हम 12वीं तक उनको छात्रावासों में पढ़ा रहे हैं। वह अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, पिछड़े वर्ग का बच्चा हो, 12वीं तक हमने छात्रावास दिये, आवासीय विद्यालय दिये पर पढ़ाई करने के बाद में जब वह जयपुर आता है, उसको कोचिंग करनी है, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उसको आर.ए.एस., आई.ए.एस. की तैयारी करनी है तो वह बच्चा कहां जाता है? वापस उसको हाथ फैलाना पड़ता है। वापस उसको यह तय करना पड़ता है कि मैं कहां पर रहूंगा? किन के पास रहूंगा? वह जगह देखता है कि कम कीमत में दूरदराज की जगह पर जाकर उसको रहना पड़ता है। कई माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, उनको ध्यान में होगा, वह उनके पास में भी आता है कि मेरा बच्चा यहां पर रह जायेगा तो वह पढ़ाई कर लेगा, आप उसको आपके पास रखो।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब, मंत्रीजी, आप घोषणाएं करें तो आप यह माद्दा दिखाओ और सरकार यह करे कि जो वहां संचालित

छात्रावास में पढ़कर बच्चे जयपुर आएंगे, वह चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, जिनके छात्रावास, आपके विभाग के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, उनके लिए हर 200 विधान सभा क्षेत्र के अनुपात में, हर विधान सभा क्षेत्र का अनुपात लेकर जयपुर के अन्दर एक छात्रावास समाज कल्याण विभाग का बड़ा खोला जाये जहां पर केवल कोचिंग करने वाला छात्र यहां आकर पढ़ें और उसके माता-पिता को एक्स्ट्रा भार उस पर नहीं लेना पड़े, यह मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे निष्क्रमणीय पशु पालक हैं, जिनके आपने आवासीय विद्यालय विभिन्न सरकारों ने कई जगह पर खोले हैं, जिनके माता-पिता अपने पशु लेकर एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं और उनके वे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे तो उनके लिए हमने निष्क्रमणीय पशु पालकों के विद्यालय खोले हैं। मैं यह समझता हूं कि उनमें भी कहीं एक जगह उनको महाविद्यालय में परिवर्तित करना चाहिए और मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी, जब जवाब दें तो मैं आपसे यह मांग करता हूं कि हमारे रामसिंह-जालोर, सांचोर- चितलवाना और बाकासर, सेड़वा, यह जो पूरा बोर्डर है, वहां पर कहीं पर जगह देखकर निष्क्रमणीय जो पशु पालक हैं, उनके लिए एक आवासीय विद्यालय और खोला जाये, यह माननीय मंत्री महोदय से मैं मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो बातें आपको और कहना चाहता हूं विशेष योग्यजन के बारे में। आज जो दिव्यांग हैं हम उनको विभिन्न स्कीम्स में लाभान्वित तो करते हैं मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूर्ति हम पहले कैसे करेंगे? मैं सरकारों में नहीं जाना चाहता कि किस सरकार में भर्ती कितनी हुई, क्या है? यह हम बजट में कह चुके हैं। मैं समाज कल्याण पर ही बोलना चाहता हूं मगर हमारे यह जो छात्रावास हैं, यह जो स्कीम्स हैं हमारी समाज कल्याण की, यह जो हम दिव्यांग की बात करते हैं, विशेष योग्यजन की बात करते हैं तो जब तक इसके अन्दर ये पद नहीं भरे जाएंगे तब तक हम हमारी सेवाएं नहीं दे पाएंगे और एक प्रकार से कुठाराघात इन व्यक्तियों के साथ में होगा।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग का जो प्रयास और प्रगति प्रतिवेदन 2023-24 का है, उसके माध्यम से और उसके बाद वाला मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ज्यादा आकड़े तो नहीं बताना चाहता मगर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सामाजिक सुरक्षा के अधिकारियों के 150 के करीब पद खाली पड़े हैं। हमारे जो सूचना सहायक है उनके 225 के करीब पद खाली पड़े हैं। छात्रावास अधीक्षकों के 300 के करीब पद खाली पड़े हैं और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो चौकीदार वहां पर रहेगा, जो अधीक्षक उसको सम्भालेगा, जो बच्चों को खाना खिलाएगा, जो रसोइया हैं, जो चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति है, उनके 2047 में से करीबन 1650 पद हमारे खाली पड़े हुए हैं और वे पद अगर खाली पड़े हैं तो आप समझिये कि कैसे तो खाना बनेगा, कौन चौकीदारी करेगा, कैसे काम पूरा होगा? मैं यह मानता हूं कि अगर किसी विभाग में बजट कम भी पड़ेगा तो वह चल सकता है मगर

समाज कल्याण, दिव्यांग और अधिकारिता का जो हमारा विभाग है, उसके अन्दर अगर पद नहीं भरे गये और जो आपके ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हैं अगर उनके पद नहीं भरे गये, एक ब्लॉक में एक ऑफिसर रहना चाहिए, उसके पास तीन-तीन का चार्ज है तो अगर वे चार्ज खतम नहीं हुए तो इन बच्चों के साथ में और इस प्रदेश के भविष्य के साथ में और यह जो वर्ग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनके साथ में हम लोग धोखा कर रहे हैं, कुठाराघात हो रहा है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, विशेष योग्यजन की एक-दो बातें कह कर मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। विशेष योग्यजन में हम उनको लाभान्वित करना चाहते हैं तो मेरे मंत्री महोदय से दो निवेदन है उनके बारे में। एक, हम उनको स्कूटी की योजना से लाभान्वित करते हैं, वह ठीक बात है और स्कूटी उनको देते हैं। अब वह स्कूटी लेकर घर जाता है, आने-जाने का उसको पेट्रोल का भार खुद को जेब से देना पड़ता है। उसमें से कई लोग बेरोजगार भी होते हैं और जो रोजगार पर लगे हुए हैं, उनकी अलग बात है। मेरे दो निवेदन उनके लिए आपसे है। पहला निवेदन, जो ये विशेष योग्यजन हैं, जिनको आप स्कूटी दे रहे हैं, उसकी जगह पर आप उनको ई-रिक्शा का प्रावधान करो, अगर वह मुख्यालय पर आया है और अपने घर या गांव वापस जा रहा है तो वह ई-रिक्शा के माध्यम से जाये और उसके अन्दर वह सवारी भी लेकर जा सकता है, उनको घर छोड़ सकता है तो उससे रोजगार मिलेगा, उसको आमदनी भी हो जायेगी और जो आपके नौकरियों में लगे हुए हैं, कई लोगों के यह ज्ञापन भी आये थे और उनमें से कई लोग यह कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा भार आता है, चलकर दूर जाना पड़ता है, कोई स्कूटी चलाता है, कोई नहीं चलाता, बस में जाता है, पंचायत समिति गया, नगरपालिका गया, जहां भी वह काम कर रहा है, वहां पर गया। अब तो हम लोगों ने सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है तो आप एक बार उसका प्रयोग कीजिए। एक हफ़्ता, पांच दिन महीने में उसको वर्क फ्रॉम होम दें ताकि वह व्यक्ति घर में रहकर अपना दूसरा काम भी निकाल सके, आने-जाने का भार भी उसके ऊपर नहीं पड़े और उस दिव्यांग को मदद मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं दिव्यांगों के लिए आपको कहना चाहता हूं कि हम उनको मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में लाभान्वित करते हैं, उनको लोन देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब वह लोन देने की बात विभाग करता है और पचास हजार रुपये उसको सब्सिडी लोन, बैंक खाते में हस्तांतरित होती है तो वह बैंक खाते में सीधी हस्तांतरित हो जाती है। अब वह जब लोन लेने जाता है तो उसको यह कहते हैं कि आप इसकी मार्जिन मनी भरो। वह पैसा तो आयेगा जब आयेगा पर बैंक कहता है कि मार्जिन मनी तो हमें आपको देनी ही है। अब वह पहले खुद पैसा इकट्ठा करता है, उसके पास में यह स्थिति नहीं होती, वह मार्जिन मनी भरता है और फिर जब वह पैसा बैंक के अन्दर आ जाता है उसके खाते के अन्दर तो उसको पता ही नहीं चलता कि कब आया और वह पैसा कहां पर गया। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आपके जो स्टेट लेवल बैंकर्स की

जो समिति है, उस समिति से आप बात करें या अन्य माध्यम से बात करें और यह जो बना रखा है, दो लाख रुपये तक का उनका जो लोन है, उसके अन्दर उनको जो मार्जिन मनी पहले भरनी पड़ती है, उससे उनको मुक्त करवाओ, इसी वजह से आपका 50 परसेंट बजट भी इसमें खर्च नहीं हो पा रहा है, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इसको देखें।

माननीय सभापति महोदय, दिव्यांगों के बारे में एक अंतिम बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर.पी.डब्ल्यू.डी. का जो एक्ट है, मंत्री महोदय, उस एक्ट के अन्दर 92(1) और 92(2) का प्रोविजन है। आप विभिन्न थानों में या आपके विभाग के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करना कि आज दिन तक यह दोनों जो सेक्शन है 92(1) और 92(2) उसके अन्दर कितने मुकदमे इन लोगों ने दर्ज किये हैं?

SSY/RTM/18.07.2024/15.40/2n

कितनी जगह यह पीड़ित हुए हैं? इनके पक्ष में खड़े हुए हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी सरकारें रही हों, इन मामलों के बारे में, आरपीडब्ल्युडी एक्ट के बारे में जिसमें 91 और 92 की मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। आपको ध्यान में आ जायेगा कि वास्तविकता क्या है।

जो निजी शिक्षण संस्थान हैं, उनमें ऐसे मामलों में कौन कार्यवाही करता है? आयुक्तालय करेगा या निदेशालय करेगा? इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करना। यह जो वर्ग है इसकी मदद में सच्चे रूप से हम लोग खड़े हो पायेंगे। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा था।

माननीय जनजाति मंत्री जी से सिर्फ 2 निवेदन हैं, विशेषकर के एक तो हमारे साथी ने जो पहले कह दिया है, मैं उसका पक्षकार हूं कि जो टीएसपी एरिया है उसको तो छोड़ो, लेकिन जहां नहीं है वहां तो उनके पास लाइट नहीं है। चिकित्सा, बिजली और पानी की तो हम बात करते हैं। वह जो हमारे एसटी के लोग हैं, जो वहां रह रहे हैं, उनको कृषि कनेक्शन के लिए उसी कतार में खड़ा रहना पड़ता है।

माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप हिम्मत दिखाते हुए, विभागों से बातचीत करें और आज ही इस सदन में घोषणा करें कि जो टीएसपी एरिया नहीं भी हैं, वहां जो एसटी के लोग रह रहे हैं, उनको एससी की तर्ज पर, अन्य जगह जो एसटी को कनेक्शन दिया जाता है, वहां प्राथमिकता से बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा, तो मैं समझता हूं कि इस राजस्थान के लिए सबसे बड़ा संदेश आज की तारीख में आपके विभाग की तरफ से जायेगा।

दूसरा, सिरोही में तो टीएसपी एरिया कई जगह लगता है, लेकिन जालोर में नहीं है। मगर सिरोही से अड़ता हुआ जो पूरा जालोर का इलाका है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जसवंतपुरा हो, सुंधा माताजी का क्षेत्र हो, जालोर जिले के अन्दर अन्य क्षेत्र भी हैं, उनमें 40 परसेंट से अधिक आबादी एसटी की कई गांवों में है, लेकिन वह लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। अब

उसको टीएसपी क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है, हम सब जानते हैं। हम तो उसको करना चाहेंगे। मगर जब तक उस प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जाये, जब तक उस प्रक्रिया से उनको लाभ नहीं मिल सके तब तक कम से कम आप सरकार की तरफ से कैबिनेट में ऐसा प्रस्ताव लायें, आप विधान सभा में लायें और यह तय करायें कि भले ही वह टीएसपी एरिया नहीं है, मगर जिन गांवों में आबादी करीबन 40 परसेंट हो चुकी है, जो टीएसपी एरिया नहीं है लेकिन एसटी समाज है, तो जो स्कीम हम लागू कर रहे हैं, वह स्कीम्स वहां लागू हो जायें। उन स्कीम्स से उनको लाभ प्राप्त हो जाये तो भी उनका जीवन स्तर अच्छा बढ़ जायेगा, जीवन स्तर ऊंचा उठ जायेगा।

अंत में मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले एक निवेदन आपको करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में, माउंट आबू में भील और राणा समाज की सबसे बड़ी आबादी है। महाराणा प्रताप जी जब अरावली के जंगलों में घूमे, वहां विभिन्न शेरगाह हो, उतरज हो या अन्य इलाका हो, जहां उनकी यादें आज भी हैं, जहां स्मारक जैसे भी बने हुए हैं, वहां यह भील, राणा समाज के लोग उनके साथ घूमे। वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी हो गयी। वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी के पास में, उसके बॉर्डर पर, उसके बफर जोन में यह जो भील, राणा समाज के लोग रह रहे हैं, विशेषकर सीता वन नाम की जो बस्ती है, सीता वन नाम भी पुराने समय में किसी न किसी ने योगदान दिया होगा जल, जमीन और जंगल में, उसको लेकर वह नाम पडा हुआ है।

वहां के नगरपालिका बोर्ड ने प्रस्ताव कर दिया कि इनको बसाया जाये। जमीन बता दी। फोरेस्ट वालों ने सर्वे कर दिया कि इनका कितना बना हुआ था। उसके बावजूद उनको बसाने के लिए हम कामयाब नहीं हो पाये। चंद घर हैं, थोड़े-बहुत, आराम से वह काम हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी पूरी जांच कराते हुए उन लोगों को जल्दी बसा दिया जाये ताकि वह आराम से अलग जगह बस जायें। रोज उनको फोरेस्ट तथा अन्य समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, वह अपने जीवन में और रोजगार में लग जायें। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, अंत में आपके माध्यम से हमारे समाज कल्याण मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा विभाग है, इस विधान सभा के अन्दर आप और हम सब साथी हैं। आपको भी कैबिनेट मंत्री बनकर अच्छा मौका मिला है। आपके विभाग के जो भी बुकलेट और प्रतिवेदन आते हैं, उसके ऊपर गांधी जी का, अम्बेड़कर जी का, ज्योतिबा फुले का, सावित्री बाई का फोटो लगाया जाता है। आप खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। यह समय है कि राजस्थान में भी ऐतिहासिक काम करके आप अपनी भी छाप छोड़ो।

आपने जो बजट पढ़ा अपने विभाग का,उसमें 96वें नंबर पर सुशासन में आपने प्रधान मंत्री जी के सम्बन्ध में वाक्य लिखे थे। मैं आशा करूंगा कि अगला बजट जब भी आयेगा और आप इस सीट पर होंगे तो जो यह लिखी हुई बाते हैं, उसको आप पूरा करोगे तो अगले बजट में हम भी आपकी तारीफ करेंगे। अगर इस काम को पूरा नहीं कर पाये तो जो प्रधान मंत्री जी के स्लोगन के बारे में आपने 96वें नंबर पर लिखा हुआ है उस बजट के अन्दर, वह

कारगर नहीं होगा।

आपको मौका है, हम भी वहां बैठे आप वाली बेंच के वहां, आज यहां से बोल रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति को मौका मिलता है तो उसको उसका पूरा लाभ लेना चाहिए और एक छाप छोड़नी चाहिए। आपके इस विभाग में कई एनजीओ वाले आयेंगे, कई बातें करेंगे, समाज कल्याण को ऊपर लाने की बात करेंगे। आप यह ध्येय रखना कि यह एनजीओ वाले कुछ करें कि नहीं करें, मगर आपके निर्णय, आपके फैसले इन छात्रों को, इन वर्गों को कल्याण तक पहुंचा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमृत लाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और मांग संख्या 31 पर राजस्थान के सर्वोच्च सदन में वाद-विवाद हो रहा है। हमारे दोनों मंत्री राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से आधे से ज्यादा के मालिक हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा वज़न है। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अंतर्गत और इधर हमारे जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री हैं, आपके पास उससे भी बड़ा विभाग है। राजस्थान के सारे विभाग आपके ऊपर टकटकी लगाये हुए हैं। पीडब्ल्युडी विभाग लगा रहा है, शिक्षा विभाग लगा रहा है, पीएचईडी लगा रहा है। इस विभाग को आप हलका नहीं लें।

सभापति महोदय, जब यह विभाग 1975 में आया, इस जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना हुई। इसमें आश्रम छात्रावास, खेल छात्रावास, एकलव्य आवासीय विद्यालय से लेकर के, आपके पास जितने भी हैं, 2007 में प्रतिभावान जनजाति छात्रावासों की योजना प्रारंभ हुई। आजीविका वृद्धि हेतु प्रतिवर्ष नि:शुल्क शंकर मक्का की योजना लागू हुई।

जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु सौर ऊर्जा भी आपके विभाग के अंतर्गत है। मैं मांग 30 के अन्दर यह इसलिए कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपके अंडर आश्रम छात्रावास हैं, आवासीय हैं, मॉडल हैं, एकलव्य हैं, बहूद्देशीय छात्रावास हैं, कॉलेज हैं, खेल अकादमी हैं, खेल प्रशिक्षण है, अन्य 30-40 विभाग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में आते हैं।

एकलव्य रेजीडेंशियल सामुदायिक जलोत्थान जिसके द्वारा किसान आपसे आशा रखते हैं, इस विभाग से बहुत बड़ी आशा रखते हैं कि ताकि पहाड़ी, मगरी, ढलान खेतों के एरिये में सिंचाई परियोजना चालू हो। नहरों का सुदृढ़ीकरण जनजाति विभाग के द्वारा होता है। जल संग्रहण संरचना, एनिकटों का निर्माण भी आपके द्वारा हो रहा है। जनजाति बस्तियों के सेवा केन्द्रों से जोड़ने का काम भी जनजाति विभाग के द्वारा होता है।

जनजाति भागीदारी योजना, बड़े ही शर्म की बात है कि पिछली सरकार में, पूर्व मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, हमने विधायक मद से अनेक सामाजिक योजनाओं के तहत पैसा जमा कराने के बाद एक रोड मुझे मिला। वहां 15 कामों का पैसा 30 परसेंट के हिसाब से जमा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे उधर हों, चाहे इधर हों, अभी 15 सौ करोड़ रुपये कर दिये,

यह खर्च होने वाले नहीं हैं।

जनजाति विभाग में इतना बजट है कि आधा बजट खर्च हुआ है। आप पिछला रिकार्ड उठाकर के देख लीजिये। क्यों खर्च नहीं होता है? क्यों नहीं देना चाहते हो? यह आपके घर का नहीं है, यह जनजाति क्षेत्र के लोगों का है। इस पर सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जल ग्रहण संरचना, एनिकटों का निर्माण, जनजाति बस्तियों के सेवा केन्द्रों से जोड़ने का काम भी जनजाति विभाग करता है।

Spp/Rtm/18.07.2024/15.50/2o

जनजाति विभाग की भागीदारी भी आपके अन्दर है। विद्यालय-महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष बनाने का काम भी आपसे आशा रखते हैं, शिक्षा विभाग भी आपसे आशा रख रहा है, सिंचाई विभाग भी आपसे आशा रख रहा है, PWD भी आपसे आशा रखता है, बिजली विभाग भी आपसे आशा रखता है। जनजाति क्षेत्र में धार्मिक-ऐतिहासिक स्थानों पर आधारभूत ढांचा सही करने का काम करने वाला विभाग भी जनजाति विभाग से आशा रखता है। मैं जनजाति क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिये भी, प्रधान मंत्री कुसुम योजना, बोलना पड़ेगा साहब, पता ही नहीं है, यह क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सामने वाले और ये क्या करते हैं?

श्री सभापतिः प्लीज माननीय सदस्य, आप बोलिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): पेयजल के लिये जनजाति विभाग द्वारा शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था की जाती है। कौशल एवं विकास प्रशिक्षण, मां-बाड़ी की योजना 2006 से शुरू हुई है। सही वितरण नहीं हुआ, कभी मंत्री उधर बन गया तो उधर ले गये, कभी उधर बन गया तो वहां ले गये। पिछले पांच सालों में यही देखा है। इसलिये मां-बाड़ी खोलने की व्यवस्था की गयी। 250 मां-बाड़ी पूर्व में स्वीकृत हैं, पर चालू नहीं हुए हैं। उनको निरस्त करके जहां जिस एरिये में मांग हो, उन लोगों को मां-बाड़ी देनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है पूर्व में जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी, लेकिन मौके पर कार्य स्वीकृत होकर शुरू नहीं हुए हैं तो उनको भी आप निरस्त करके जो अभी विधायक आये हैं, उनको देने का काम करें। जनजाति के प्रतिभावान लोगों को प्रोत्साहन राशि देने का काम जनजाति विभाग कर रहा है। जनजाति विभाग बालिकाओं को स्कूटी देने का भी काम कर रहा है। स्कूटी देने का काम जो कम है, उसको बढ़ाया जाये। दुर्घटना, बीमारी में मृत्यु इत्यादि, आंगनबाड़ी भवन बनाने का, हैल्थ सेंटर बनाने का, गवरी नृत्य करने का, हमारे मेवाड़ में एक गवरी नृत्य का आयोजन होता है, उसमें बूडी, राई और खेळा सब बनते हैं और वह नृत्य का कार्यक्रम सवा महीने चलता है, यह कार्यक्रम भी जनजाति विभाग की देखरेख में होता है। जनजाति गौरव दिवस, पुस्तकालय प्रकाशन, मत्स्य पालन का काम, यह सारा काम आपके द्वारा हो रहा है। मैं मंत्रीजी से आशा करूंगा, आप बहुत अनुभवी मंत्री हैं और काम सारे करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद दूंगा। उप मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं। आपकी टीम ने जिस प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्रमश: बांदा कुआ और भील राजा बांसिया चरपोटा को जनजाति नायकों के स्मारकों का और उदयपुर में वीर काली बाई का संग्रहालय बनाने का जो निर्णय किया है, यह अपने आप में जनजाति के क्षेत्र में एक गौरव का काम आपने किया है। डूंगरपुर में 25 करोड़, इसमें अगर कमी पड़े तो आप 200 करोड़ कर दो, लेकिन करना जरूरी हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही जर्जर भवन वाले 15 छात्रावासों को सुधारने के लिये आपने 45 करोड़ किये हैं। 45 करोड़ से अधिक राशि भी स्वीकृत करें। जब आपकी राशि ही लैप्स हो रही है तो उसमें जमकर खर्च करो, कौन मना कर रहा है। अनसूचित जनजाति सहित अन्य आवासीय विद्यालयों में रिपेयर करने का जो आपने निर्णय लिया और 50 करोड़ रुपये आपने इसमें बजट प्रावधान रखा है, उसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। 17 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का 77 करोड़ की लागत से जो आपने बजट आवंटन किया है, उसका भी मैं धन्यवाद दूंगा। इसके अलावा, इसमें अनुदानित छात्रावास तथा आवासीय विद्यालयों में 2,500 करोड़ से बढ़ाकर 3 हजार करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा की है खेलकूद और अन्य आवासीय विद्यालयों में और उसे बढ़ाकर 4 हजार प्रतिमाह किया है, उसके लिये भी आपको बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैस भत्ता भोजन के लिये दिया है। इसके अलावा जनजाति मंत्रीजी हमारे बीच में बिराजमान हैं, पूरे अधिकारी भी मौजूद हैं, जनजाति विकास एवं सशक्तिकरण के लिये एक-एक हजार करोड़ से बढ़ाकर डेढ़ हजार करोड़ रुपये आपको बजट दिया है विकास के लिये, उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को और वित्त मंत्रीजी दिया कुमारी जी को धन्यवाद दूंगा।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा गुरु गोविन्द जी और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इसके अन्तर्गत आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए और आपने आंगनबाड़ी, चरागाह भूमि और सामुदायिक पट्टे देने की पहल की है। फोरेस्ट वाले नहीं करते, उधर जाओ तो यह नहीं करते, कभी आपका डिपार्टमेंट नहीं करता है, कहीं एस.डी.ओ. नहीं करता, कहीं तहसीलदार नहीं करता और वह पूरे राजस्थान में भटकते फिरते हैं। यह अधिकार आपके अंडर में है, हमें आशा है पट्टे देने का काम पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नौजवान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आपके पास पूरे डिपार्टमेंट की 200 की लिस्ट है। आप जितना करें, उतना कम हैं। बिलकुल घर नहीं बैठें तब तो समाज को, महिलाओं को, वृद्धाओं को, दिव्यांगों को, असहाय लोगों को लाभ मिलेगा। सामाजिक न्याय में सबसे पहले आपके पास सुरक्षा योजना है। सुरक्षा योजना बहुत अतिआवश्यक है। मेरी भी सुरक्षा आपको करनी है। दूसरा आपका सामाजिक सुरक्षा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आपके हाथ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन भी आपके हाथ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन भी आपके

पास है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन भी आपके पास है मंत्रीजी। समय निकालना है, इसलिये बात तो करनी है। ..(व्यवधान)... एम एल ए की पेंशन भी आपके हाथ में ही है। पुनर्विवाह करने की बात भी आपके हाथ में है। है कि नहीं, यह तो बताओ। ...(व्यवधान).. कौन है, यह बताओ तो सही, पता लगे। ..(व्यवधान).. ऊपर वाला।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपका समय निकल रहा है। काम की बात कीजिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): दो मिनट। योग्यजन सम्मान पेंशन, लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन की योजना भी आपके पास है। शैक्षणिक उत्थान की भी आपके पास है, उत्तर मैट्रिक, खेद का विषय है कि तीन-तीन साल से जितने उत्तर मैट्रिक है एम.ए हैं,बी.ए. हैं, बी.एड. है, नर्सिंग हैं, कम्पांउडर की ट्रेनिंग किये हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है।

एक माननीय सदस्यः पेंशन नहीं बोलो, छात्रवृत्ति बोलो।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): हां छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आप इसकी थोड़ी जांच करवा लेना कि यह क्यों नहीं मिल रही है? यह पूरे राजस्थान की बात है। आई.डी. लेकर जायेंगे, घूमेंगे, स्थानीय एम एल ए साथ में जायेगा। हां, ठीक है रख जाओ देख लेंगे। फिर दूसरी बार लैटर जारी करेंगे कि तुम्हारा खो गया। मंत्रीजी इस सिस्टम को आपको ही सही करना पड़ेगा और यह आप ही कर सकते हैं। हमारे जैसों की औकात नहीं। हमारे तो अब उम्र हो चुकी है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये भी मैं इसलिये कहना चाहूंगा मंत्रीजी, अनुप्रिया कोचिंग योजना भी आपके पास है, छात्रावासों की सुविधा भी आपके पास है, अम्बेडकर TVT वाउचर भी आपके पास है, आवासीय विद्यालयों की योजना भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीजी के पास है। इसके अलावा, महिला एवं बाल कल्याण भी आपके पास है, आपके पास महिला सदन और महिला निकेतन भी है। विधवा विवाह और विधवा उद्धार भी आपके पास है। मुख्य मंत्री कन्यादान योजना से लेकर महिला स्वयंसिद्ध योजना, शक्ति सदन, महिला सखी भी आपके पास है। माननीय सभापति महोदय, सखी भी मंत्रीजी के पास है।

श्री सभापतिः आप तो बोलिये, यह नोट कर रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): प्रोत्साहन, ट्रांसफर वाउवर भी इनके पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास है। ट्रांसजेंडर उत्थान कोष, पालनहार योजना भी आपके पास है, मुख्य मंत्री हुनर विकास भी आपके पास है, मुख्य मंत्री कोरोना सहायता भी आपके पास है, वृद्धा कल्याण भी आपके पास है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीजी, आपके पास है। मेरा संभाग मुख्यालय पर संचालित वृद्धाश्रम संचालन करने का भी आपके पास है। जिला, तहसील, मुख्यालय पर भी वृद्धाश्रम बनाने का अधिकार भी आपके पास है। पूरा राजस्थान मंत्रीजी के पास है। मंत्रीजी युवा हैं, मेरे से 30 साल छोटे हैं। बताओ, मेरी उम्र कितनी है? ..(व्यवधान).. 65 साल का हूं मैं। यह तो बच्चे हैं। काम करने जैसे हैं।

एक माननीय सदस्यः बाल काले कर रखे हैं। ..(व्यवधान)..

Jyg/rtm/18.07.24/16.00/2p

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): बाल काले कर रखे हैं इन्होंने, दोनों मंत्री मौजूद हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि मां-बाड़ी कार्यकर्ता की जो मांग है, माननीय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्रीजी, वो आठ-दस हजार कार्यकर्ता हैं, उनको आप स्थायी करें या उनको कोई आपको उनका समाधान करना पड़ेगा, यह मेरी आपसे अपील है, मुख्य मंत्रीजी से अपील है, उप मुख्य मंत्रीजी से अपील है, पूरे सदन से भी अपील है, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति वर्ग में जो लोग नौकरी लगे हैं लेकिन लास्ट में इधर-उधर भटक जाते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं और अन्य जगह जाकर नौकरी का लाभ या प्रमोशन का लाभ लेते हैं, जो भी लाभ लेते हैं, उसका भी समाधान होना चाहिए, विशेषकर कानून लाकर भारत सरकार से निवेदन करके उनको इस प्रकार से सुविधा से वंचित किया जाए, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान में मुझे खेद है कि कि बायतू से आने वाले पूर्व मंत्रीजी, हरीशजी, उनका भिड़ना और हमारे एससी, एसटी की मांग पर चर्चा हो रही है, वाद-विवाद हो रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर और हमारे को 'ठाकुर' कहकर सम्बोधित किया इसलिए वो कितने सच्चे-काले हैं, यह हम जानते हैं, पूरी पाइप लाइन, ..(व्यवधान)... रिफाइनरी खा गए, इनकी सच्ची जांच होनी चाहिए सभापतिजी, नहीं तो ये वहां आकर उस एरिये में देखे कि कैसे होता है, किसी को कहना, अंगुली बताना मामूली नहीं है, सब जानते हैं, पूरे बाड़मेर को लूट लिया और वो आदिवासी को और एसटी को कह रहे हैं कि 'ठाकुर' हैं। यह सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा एससी, एसटी, नहीं सहेगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, नहीं सहेगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग इनसे 13 परसेंट राशि इनसे आप लेते हो विकास के लिए, देख लेना वो आपके लॉज में, कानून में प्रावधान है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह हमारे साथी जो अभी बोल रहे थे, उन्होंने एक योजना को छोड़ दिया है, सारी योजना बता दी लेकिन हमारे पास 'अंत्येष्ठि योजना' भी है। सौ वर्ष पूरे होने के बाद अंत्येष्ठि भी हमारा विभाग करता है। वो आप भूल गए तो उसको मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करता हूं।

श्री सभापति: श्री गणेजी घोघरा साहब।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदयजी, आज जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का बहुत बड़ा मुद्दा

और मांग है लेकिन इसको विधान सभा में हंसी-मजाक से समय खराब किया जा रहा है। आदिवासी आदिकाल से ही इस धरती पर रहने वाला, स्वाभिमानी, मेहनती, किसी से भीख मांगकर खाने वाला नहीं, वो है आदिवासी। लेकिन प्राचीन काल से आदिवासियों का इतिहास रहा है, जब-जब आदिवासी आगे बढ़ा है, तब-तब आदिवासी को रोका गया है। भले ही प्राचीन काल में एकलव्य को ले लो, उसका भी गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया। अंगूठा मांग लिया क्योंकि वो धर्नुधर अर्जुन से भी आगे निकल सकता था, इसलिए आज भी कई एकलव्य हैं हमारे, भले राजनीतिक क्षेत्र में कहो, भले प्रशासन में कहो, आज भी हमारे एकलव्यों का अंगूठा काटा जा रहा है, आज भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आज हमारे साथ भेदभाव होता रहा है। आदिवासी की हम सब बात करते हैं, आदिवासी विकास की हम सब बात कर रहे हैं लेकिन धरातल पर आज 77 साल हो गए, आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज हमारे जनजाति मंत्री कोटड़ा से आते हैं, आदिवासियों का इतिहास दबाया गया, उदयपुर उदा खराड़ी ने बसाया था, वो राजा था, भील राजा था, बांसवाड़ा, बांस्या भील राजा था, उसका भी इतिहास दबाया गया, डूंगरपुर, डूंगरिया भील के नाम से डूंगरपुर बसाया, उसका भी इतिहास दबाया लेकिन आदिवासी पढ़ा-लिखा नहीं था, इसलिए कहीं पर उसका भी जिक्र नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी आज क्या मांग रहा है, क्या सोचता है सरकार से, उसकी क्या भावनाएं हैं, लेकिन हम यहां पर टाइम पास करने आ रहे हैं, प्रशासन जो रिपोर्ट दे रहा है, वो आप मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की मांग क्या है, विशेष मांग, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, टीएसपी एरिया में, यह कब से, बरसों से मांग चल रही है लेकिन यह मांग आज तक पूरी नहीं हुई है, अधिकारी भी हमारे यहां बैठे हुए हैं, टीएडी कमिश्नर भी आए हुए होंगे, विभाग के अन्य अधिकारी भी आए हुए होंगे लेकिन इस मांग का प्रस्ताव नहीं भेजते कि वहां की क्षेत्र की क्या समस्या है और वहां का युवा क्या चाहता है? प्रशासनिक सेवा में एसटी को राज्य का 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है उसमें से टीएसपी को पृथक से हमारी मांग है कि 6 प्रतिशत आरक्षण हमको दिया जाए, क्यों दिया जाए, इसलिए दिया जाए कि हम वहां पर गरीब हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास दो बीघा, तीन बीघा जमीन नहीं है, पथरीले पहाडी एरिये से हम आते हैं, वास्तव में हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए हमने बहुत कर दिया, क्या कर दिया आदिवासियों के लिए वो बताओ? 77 साल हो गए, फिर भी आदिवासी वहीं का वहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सभापतिजी, आप भी आदिवासी हैं, इधर मंत्रीजी भी आदिवासी हैं और इधर बोलने वाला भी आदिवासी ही है और ये मांग करो आप, मांग होनी चाहिए, दो विशेष मांग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ..(व्यवधान)... दो विशेष मांग, यह मजाक की बात नहीं है, दो विशेष मांग हैं,

इनको जल्दी लागू करें। ..(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आप बीच में मत बोलो, बैठ जाओ। ..(व्यवधान)... हम समझदार हैं,

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप मंच को सम्बोधित करें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, जब पक्ष वाले बोल रहे थे तो हमारे यहां से एक भी नहीं बोलता है और हम बोलते हैं तो उधर से दस बोलते हैं तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका भी नम्बर आ रहा है, आप भी बोल लेना। ये जो बोल रहे है उसका जवाब दे देना।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मेरी एक और मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश की जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि वास्तविक आदिवासी रह कितना रहा है। कितना है, उसके आधार पर हमारी योजनाएं बननी चाहिए, उसके आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा आदिवासी बोर्ड भी अलग होना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, यह मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं क्योंकि जैन धर्म का कोड अलग है, बौद्ध धर्म का कोड अलग है, सिख धर्म का कोड अलग है, हिन्दू का कोड अलग है, मुस्लिम का कोड अलग है तो आदिवासी का कोड अलग क्यों नहीं हो सकता है, आदिवासियों का कोड भी लागू किया जाए। माननीय मंत्रीजी, यह नोट करें आप कि यह हमारे क्षेत्र की मांग है।

(समय: बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, जिस भी समाज में, जिस भी जिले में, राज्य में या देश में, शिक्षा होगी, वो आगे बढ़ेगा, शिक्षा बहुत जरूरी है लेकिन टीएसपी के नाम से 1500 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी, पहले भी की होगी, पूर्ववर्ती सरकार ने भी की होगी, लेकिन क्या ये 1500 करोड़ रुपया पूरा जनजाति पर ही खर्च होगा मंत्रीत्रीजी, आप बताएं। ये 1500 करोड़ रुपया पूरा जनजाति पर ही खर्च होना चाहिए। लेकिन यह नहीं हुआ है, अगर यह पूरा पैसा जनजाति पर खर्च होगा तो एक भी स्कूल और कॉलेज जर्जर अवस्था में नहीं मिलेंगे, एक भी छात्रावास जनजाति का कोई जर्जर अवस्था में नहीं मिलेगा लेकिन ये पैसा पता नहीं कहां खर्च कर देते हैं। नाम तो जनजाति का लेकिन पैसा कहीं और खर्च हो रहा है। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि जितने भी हॉस्टल हैं, कॉलेज हैं, स्कूलें हैं, उनमें कमरे नहीं हैं, कमरों की घोषणा करें, जर्जर अवस्था में हैं, उनको जल्दी से जल्दी ठीक करें। उसके बाद उच्च शिक्षा का तो है नहीं फिर भी मैं टीएसपी क्षेत्र में ग्राम पंचायत संचिया की जो स्कूल है, मदन दिलावरजी तो हैं नहीं शिक्षा मंत्रीजी, लेकिन मेरी मांग है कि वहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई है पंचायत में ..(व्यवधान)... तो आदिवासी बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा क्या? तो आदिवासी को आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाना चाहते हो आप? आदिवासी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो आप? ..(व्यवधान)...

MLS/RTM/18.07.2024/16:10/2q

अंग्रेजी माध्यम स्कूल होने से वहां के बच्चे दूसरी पंचायत में पढ़ने जाते हैं। मैं चाहता हूं, उसके पास ही जो स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय नला संचिया, उसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये। यह मेरी मांग है।

मेरी दूसरी मांग है मां-बाड़ी। मां-बाड़ी के बारे में मुझसे पूर्व सदस्य ने भी बताया। मां-बाड़ी कौन-से क्षेत्र में खोली जाये, क्या मापदण्ड है इसके, मां-बाड़ी के भवन हैं कि नहीं, कहीं तो किराये पर चल रहे हैं, किसी के मकान में चल रहे हैं। मां-बाड़ी में टीएडी का पैसा है। वहां जनजाति के ही लोग लगने चाहिये। इसमें कहीं के भी भर दिये हैं अलग-अलग वर्गों से। जनजाति को फिर क्या फायदा हुआ इसमें? सामान्य वर्ग से भी भर दिये। शिक्षा सेवक भी दूसरे भर दिये। नाम है जनजाति का। इसमें क्या नॉर्म्स हैं? आप नॉर्म्स से हटकर हर किसी को बना रहे हैं। एक दिन अख़बार में छपा था, हमारे पूर्व सांसद के पीए को समन्वयक बना दिया। बिना नियम-कायदे से आप मां-बाड़ी में हर किसी को लगा रहे हैं और जनजाति का पैसा खराब कर रहे हैं। रोजगार की बात करूं तो टीएसपी क्षेत्र में कोई उद्योग-धन्धे नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, आप भी कपासन से आते हैं। आप एससी-एसटी की तकलीफें समझ सकते हैं। वहां कोई उद्योग-धन्धे नहीं हैं। वे खाली नरेगा पर ही निर्भर हैं। नहीं तो उन्हें अहमदाबाद के लिए पलायन करना पड़ता है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि नरेगा में टीएसपी क्षेत्र में 200 दिन किये जाएं। उनकी न्यूनतम मजदूरी है, कुशल और अकुशल मजदूर, अगर आप वास्तव में जनजाति के हितैषी हैं तो उनकी मजदूरी बढ़ायी जाये। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 125 दिन किये थे, लेकिन आपने 25 दिन और कम कर दिये। ...(व्यवधान)... अभी 100 दिन हैं। मस्टररोल नहीं निकल रहे हैं, एमआर नहीं निकल रहे हैं। बीच में नहीं बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजें, विराजें। ...(व्यवधान)... आप विराजें प्लीज।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में जितनी भी खाने हैं] नाथद्वारा की माइन्स, राजसमन्द में दरीबा माइन्स, जावर माइन्स, मार्बल की खदानें चल रही हैं, लेकिन जनजाति क्षेत्र में वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। अब बाहर से आ रहे हैं। बाहरी राज्यों के मजदूर आ रहे हैं और वहां मजदूरी कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग उदयपुर जा रहे हैं, बांसवाड़ा जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। मेरा यही निवेदन है, जल हमारा, जंगल हमारा और जमीन हमारी, उसके बाद भी बाहर वालों को तो रोजगार दे रहे हैं और हमारे वाले बाहर जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार दें।

इसके बाद सड़क की बात करूंगा। आज भी टीएसपी क्षेत्र में झोली में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। कहीं सड़क नहीं है, पुल नहीं है, झोली में आपको पता है, खाट पर सुलाकर ले जाते हैं। ऐसी जगह हैं आज भी। कोई गया नहीं है। मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना

चाहूंगा कि ये सड़कें आप जल्दी से जल्दी बनाएं- पुनरावाड़ा सीमा से खराड़ीफलां होते हुए दरूड़ा, मणीलाल उर्जी खराड़ी के घर तक डामर सड़क; बाबू हुरमा गमेती के घर से भोलाफलां, कलालगाटा नवीन डामर सड़क निर्माण; पावर हाउस सती रामपुर से जाहेलाफलां, मरताबदां के घर के पीछे गुमानपुरा मेन रोड तक नवीन डामर सड़क निर्माण; बंजारियाफलां झांकोल से गड़ा माल्जी तक डामर सड़क; खेहड़ाफलां, टपलारा स्कूल से कुएंड़ा महादेव मन्दिर श्मशान घाट तक डामर सड़क; बीजूड़ाफलां बामणिया वाली पुलिया से चौंकली होते हुए वागदरी मोहन भगोरा के घर तक डामर सड़क; माकेड़ा पुलिया से पुनरावाड़ा स्कूल तक सड़क निर्माण; वड़ली के पास ग्राम पंचायत खेरवाड़ा में पुल निर्माण। मंत्री जी, ये मेरी आपसे सड़क की मांग है। बहुत ही आवश्यकता है।

सभापति महोदय, बिजली की आज तो ऐसी स्थिति हो गयी है कि बिलों में करंट आने लग गया। अब घरों में तो बिजली आ नहीं रही है। हमारे गांवों में चार-चार, पांच-पांच दिन तक बिजली गुल, लेकिन बिल लगातार आ रहे हैं। बिल में करंट आ रहा है, झटका लग रहा है और उपभोक्ता दूर जा गिर रहा है। ऐसी बिजली आ रही है आपके राज में। उसके बाद आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में भी लोग बसते हैं, आठ-आठ महीने तक ट्रांसफॉर्मर नहीं दिये जा रहे हैं। लोग रोजाना चक्कर काट रहे हैं बिजली विभाग के। माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में भी बिजली समय पर दें और पूरी दें। माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों की संस्कृति, कल्चर और परम्पराएं, मैं किसी प्रकार का नशा बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे वार-त्योहार, शादी-ब्याह और हमारे पूर्वजों को हम महुए का जो ज्यूस निकलता है, उससे धार लगाते हैं।

यह हमारा कल्चर है, परम्परा है, संस्कृति है। मैं उसे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे आदिवासियों के घरों में... (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सभापति महोदय, मेरा टाइम नहीं हुआ है। जनजाति पर ही हमें नहीं बोलने देंगे? माननीय सभापति महोदय, पुलिस ने इतनी तानाशाही कर रखी है, अगर आदिवासी, गरीब के घर में एक या दो लीटर शराब मिल जाये तो उसका 10 या 15 लीटर का असत्य मुकदमा बनाते हैं। या तो उससे तोड़ करते हैं, उसे कहते हैं कि 10 हजार रुपये ला, तेरा यह मुकदमा फाइनल करूंगा। जनजाति मंत्री महोदय, मेरी सदन से मांग है, कम से कम शादी-ब्याह, वार-त्योहार पर आदिवासियों को 8 लीटर महुए की शराब रखने की छूट दी जाये। यह कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

आपने यहां बार खोल दिये। टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दीं। पहले अंग्रेजी शराब की दुकानें बन्द कराएं टीएसपी में। पूरा ही बन्द कराएं फिर तो। यहां पर बार खोल दिये। अमीरों के लिए आपने बार खोल दिये। एक गरीब थक जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसे आप हजारों रुपये की बोतल लाने के लिए भेजेंगे वहां पर? क्या वह हजार रुपये की बोतल लायेगा? माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, ये पूरे बन्द होने चाहिये और अंग्रेजी शराब की दुकानें पूरे राजस्थान में बन्द होनी चाहिये फिर तो। बन्द करें इन्हें। क्यों चालू कर रहे हैं? पक्षपात क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? ...(व्यवधान)... भाषण नहीं

दे रहा हूं। शाम को आठ बजे बाद तो आप भी बैठते होंगे। क्या बात करते हैं आप।

माननीय सभापति महोदय, ये जल, जंगल और जमीन की बात करने वाले, मेन मुद्दे पर अब आया हूं मैं, जो जल की बात कर रहे हैं, इनकी बजट घोषणा में कहा गया है, माही डैम का पानी जयसमन्द में लाएंगे, जाखम का पानी जयसमन्द में लाएंगे और जयसमन्द से ले जाएंगे चित्तौड़, भीलवाड़ा, सिरोही और जोधपुर, लेकिन जो बांसवाड़ा के ही लोग हैं, उन्हें न तो पीने का पानी मिल रहा है और न सिंचाई का मिल रहा है। वह पानी पहले आप उन्हें तो दें। हमारे जो जल के पहले अधिकारी हैं, उन आदिवासियों को तो दें। उनके लिए तो कोई योजना बनाएं। उसके बाद जयसमन्द झील की बात की गयी, जयसमन्द के आस-पास भी पंचायतें हैं। उन्हें भी पानी नहीं मिल रहा है। न पीने का मिल रहा है, न सिंचाई का मिल रहा है। उसका पानी भी आप उधर दे रहे हैं। आस-पास के टीएसपी क्षेत्र में जिन्हें जरूरत है, उन्हें तो आप जल दे नहीं रहे हैं।

मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले स्थानीय लोगों को मिलना चाहिये। उसके बाद आप पानी उधर ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद हमारे टीएसपी क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में पहाड़ी एरिया है, तो बड़े-बड़े बांध बनाये जाएं, एनिकट बनाये जाएं, बहकर गुजरात जाने वाले बरसात के पानी को रोका जाये। उसके लिए मंत्री जी, आपका क्या प्लान है? ज्यादा से ज्यादा एनिकट बनाएं और बांध बनाएं। उसके साथ ही, मैं अब जमीन की बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी रोजाना पटवारी के, तहसील के चक्कर मारता है।

mkd/rtm/18.07.2024/16:20/3a

पटवारी भी उससे रोज पैसा ले लेकर तेरा कर दूंगा, तेरा कर दूंगा, यूं कहकर कई सारे पैसे लेता है और आज तक जमीन उसके खाते नहीं हुई है।

पैरीफेरी एरिया में, डूंगरपुर शहर के नजदीक बिलड़ी, भाटपुर, मालपुर, भंडारिया, बोरी, सहालदरी में इस हिसाब से जो लोग हैं, बिलानाम जमीन, चारागाह जमीन पर वर्षों से हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनको उनका हक, अधिकार मिलना चाहिए।

मंत्री जी, यह बहुत ही जरूरी है, जमीन उनके खाते होनी चाहिए। क्या खाली आदिवासी गरीब के लिए ही नियम बना हुआ है? हमारे विधायक फूल सिंह जी कह रहे थे, आदिवासियों के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके विधान सभा क्षेत्र में खरपेड़ा पंचायत में मैन हाइवे पर जो नदी जा रही है, वहां पर होटल का निर्माण हो रहा है, वहां पर रोका नहीं जा रहा है लेकिन जो आदिवासी वर्षों से बैठा हुआ है, उसको नियम बता रहे हो कि नहीं तू गलत बैठा हुआ है।

आज कई रिसोर्ट बन गये, कई फार्म हाउस बन गये, कई होटलें बन गईं, बिना नियम से पहाड़-पहाड़ काट काटकर, उनके लिए तो जमीन अलॉट हो रही है लेकिन आदिवासी को एक बीघा भी जमीन अलॉट नहीं हो रही है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, खाली दो मिनट लूंगा। इसके बाद ये कहने वाले हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं। जंगल की बात करूंगा, हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को जंगल से हटाया जा रहा है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो जंगल में था, उनको पट्टा देने का काम किया है। वह कांग्रेस सरकार ने किया है। आपने छतीसगढ़ में 51.21 हैक्टेयर से आदिवासियों को हटाया और जंगल को काटा जा रहा है। आप जंगल बचाने का काम कहां कर रहे हो? आपने जमीन अडानी को बेच दी ही है। अडानी को जमीन बेच दी, यह कहकर कि वहां से कोयला निकलेगा तो उन आदिवासियों का क्या करेंगे? आदिवासियों को खत्म करना चाहते हो, आप आदिवासियों को मारना चाहते हो? आप पहले कभी आदिवासियों के हितैषी थे ही नहीं और न ही होंगे।

मणिपुर, एक साल से जल रहा है। आदिवासियों के साथ हत्याएं, लूट, आगजनी, बलात्कार लेकिन मोदी जी मणिपुर न जाकर विदेश में जा रहे हैं। विदेश में जायेंगे, वहां पर बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आदिवासियों के बिलकुल खिलाफ हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र में आज तक जो भी आदिवासी का विकास हुआ है, वह कांग्रेस सरकार ने किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हर गांव में राजीव गांधी स्कूल खोली थे, ताकि आदिवासियों का बच्चा पढ़ सके, आदिवासी का बच्चा आगे बढ़कर अफसर बन सके, लेकिन इन्होंने आते ही उन राजीव गांधी स्कूलों का नाम बदलने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है।

श्री सभापतिः आदू राम मेघवाल। आप विराजिये। हो गया है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, आज तक जितने भी बड़े-बड़े बांध, तालाब जो भी बने हैं, कांग्रेस सरकार में ही बने हैं, कांग्रेस ने ही बनाये हैं। राजीव गांधी सेवा केन्द्र भवन बने थे, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उन्होंने नाम बदलने का काम किया। हमारी सरकार ने पीएचसी, सीएचसी बनाने का काम किया। उनका भी नाम बदलने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापतिः आदू राम मेघवाल।

श्री आदू राम मेघवाल (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जनजातीय क्षेत्रीय विकास की मांग पर विकास बोलने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इधर-उधर की बातें न करते हुए सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र भारत व पाक सीमा का पहला विधान सभा क्षेत्र चौहटन की बात करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, सेड़वा, जहां जनजाति की संख्या 35 परसेंट है। हमारे वहां का प्रधान भी जनजाति का है। कांग्रेस सरकार के अन्दर 2021 में अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत हुई। उस समय हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेड़वा में छात्रों की नामांकन संख्या 571 थी। अब 2023-24 में वह संख्या घटकर 210 हो गई है। हम एल के जी की बात करें, केवल एक विद्यार्थी का नामांकन है। यू के जी

की बात करें तो केवल दो विद्यार्थियों का नामांकन है। जनजाति क्षेत्र के अन्दर यह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। हमारे जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, जनजाति के लोग हैं, एससी, एसटी के लोग हैं, आज उनके बालक स्कूल छोड़ रहे हैं। इसलिए, मैं हमारे जनजाति मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय को आप अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम में भी करें, जिससे हमारे बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहे।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कई साथी माननीय सदस्यों ने, मैंने विधान सभा के कई सदस्यों की लगभग-लगभग कार्यवाही पढ़ी है और मांग पत्र भी पढ़े हैं, परन्तु हमारे जो एसटी के बंधु हैं, उनको कृषि कनेक्शन में जिस तरह से अनुसूचित जाति को वरीयता दी जाती है, उसी तरह उनको वरीयता नहीं दी जाती है।

हमारे जनजाति मंत्री हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि यह स्पष्ट करें कि लम्बे समय से कई माननीय सदस्य इस विधान सभा के अन्दर बात रख रहे हैं, परन्तु आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीस हजार एसटी के मतदाता हैं। उन मतदाताओं की यह मांग है। उनका खेती का धंधा है, पशुपालन का धंधा है। वे हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से पशुओं को चराते-चराते अपने हाथ कशीदा के हुनर से अपना जीवनयापन करते हैं। जिस तरह से कृषि कनेक्शन के लिए एससी को छूट दी जाती है, उसी तरह उन्हें भी वरीयता में छूट दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को, हमारी उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को, हमारे जनजातीय मंत्री बाबूलाल जी को और हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि आपने एसपी एवं टीएसपी फंड के अन्दर एक-एक हजार करोड़ से बढ़ाकर एक हजार पांच सौ करोड़ रुपया किया है। आने वाले समय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास होगा व उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। इसी तरह आपने आवासीय विद्यालयों के अन्दर भी, चाहे उनके रिपेयरिंग का काम हो, चाहे हमारे जनजाति बहुल के अन्दर बाड़ी केन्द्र की स्थापना हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की रिपेयरिंग एवं सामग्री के लिए पचास-पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मैं हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब को और हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को और हमारे दोनों लोकप्रिय मंत्री, जो इस राजस्थान की आधी आबादी के धनी हैं। हमारे अविनाश गहलोत जी और बाबूलाल जी को धन्यवाद देता हूं, निश्चित रूप से हमारे एससी और एसटी के लोग हैं, लेकिन आज के यांत्रिक एवं भौतिकवाद के युग में दुर्भाग्य यह रहा कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जनजाति वर्ग आज भी मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में जोधपुर, पाली सम्भाग में निवासरत आदिवासी भील समुदाय आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक इन तमाम प्रतिकूल हालातों की वजह से पिछड़ा

हुआ है। माननीय सभापति महोदय, आजादी से लेकर आज तक तमाम सरकारी और गैर सरकारी भर्तियों के अन्दर बहुतायत इस सम्भाग के अभ्यर्थियां का 95 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक चयन हो जाता है। जैसा विगत सरकार में निकाली गई पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, अधिकारी आदि भर्तियों के आंकड़े उठाकर देखें तो यह ज्ञात होता है कि स्थानीय अभ्यर्थियों को बिलकुल भी हक नहीं दिया गया है।

Bhs/Rtm/18.7.24/16.30/3b

माननीय सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान की अनुसूचित जाति में प्रतिभाओं की कमी नहीं है परन्तु शैक्षणिक भर्तियों एवं सामाजिक विकास के लिए स्थानीय समाधान का एकमात्र उपाय है कि जोधपुर, पाली और सम्भाग के निवासरत आदिवासी समुदाय को टीएसपी, नॉन टीएसपी की तर्ज पद टीडीएस रेगिस्तानी जनजाति विशेष क्षेत्र एवं नोन टीडीएस की व्यवस्था की जाये जिससे सरकारी एवं गैर सरकारी भर्तियों में स्थानीय आदिवासी भील अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, खेल, संस्कृति, धरोहर एवं युवा मामलों में आदिवासी समुदाय की धरोहर निशानेबाजी तथा तीरंदाजी रहा है जो कालांतर में विलोपित हो रही है इस धरोहर को बचाये रखने के लिए जिला मुख्यालयों पर अलग से स्टेडियम में निशानेबाजी तथा तीरंदाजी कोचिंग, प्रशिक्षण के लिए अलग से कोच की स्वीकृति सहित बजट में प्रावधान करें। आदिवासी नृत्य संगीत और हमारे पाबू जी की फड़ ऐसे वादन, मोर चंग, वीणा, सारंगी, नड़ वादन, बांसूरी वादन, चंग, ढोल आदि प्राचीन धरोहर है जिसे बचाये रखने के लिए जिला मुख्यालयों पर कला एवं संस्कृति केन्द्र तथा प्रशिक्षण के लिए अनुदेशकों की स्वीकृतियों सहित बजट में प्रावधान करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो फागलिया पंचायत समिति है उसके अन्दर एससी के तीस प्रतिशत हैं और हमारे ओबीसी के भी भाई-बन्धु हैं उनमें पशुपालक बहुतायत संख्या में रहते हैं। उनके आवासीय विद्यालय वहां खोला जाये। इसी तर्ज पर हमारे फागलिया और सेड़वा के अन्दर हमारे अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा धन्धा है और उसके अन्दर हमारे एससी और एसटी के लोग इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम तो करते ही हैं इसलिये रोजगार के लिए हैंडीक्राफ्ट हब बनाया जाये चौहटन में जिससे हमारे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं जो अपना हुनर दिखा कर जो आइटम बनाते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए हैंडीक्राफ्ट हब बने जिससे उनको काम भी मिले और उनकी बिक्री के लिए भी लोग आयें और उनके हाथों से बनाये हुए सामान की बिक्री हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर और जैसलमेर में

बहुत सारी तेल कम्पनियां हैं और वहां तेल के साथ-साथ ग्रेनाइट, लिग्नाइट, कोयला और बहुत सारे पदार्थ बाड़मेर की धरती में हैं और बहुत सारी कम्पनियां वहां इन पदार्थों का दोहन करती है। इनमें हमारे एससी/एसटी के जो लोग योग्यताधारी हैं उन लोगों को भी इन कम्पनियों में जगह दी जाये जिससे उनका रोजगार बना रहे। विशेषकर के हमारे चौहटन विधान सभा क्षेत्र में पाण्डवों की तपोभूमि है और इस पाण्डवों की तपोभूमि में हमारा सुंईया मेला लगता है जिसको यदि देखा जाये तो कुम्भ के मेले में जो छाप लगती है उससे भी ऊपर सुंईया मेले की छाप लगती है। इसके लिए तीन तरह के योग बैठते हैं सोमवती अमावस्या, पुष्य नक्षत्र और पांच तरह के योग बैठते हैं तभी वो मेला भरा जाता है चाहे उसमें पन्द्रह वर्ष लग जाये चाहे तीन वर्षों में भी आ सकता है वो अभी आने वाला है। उसके अन्दर हमारे एससी/एसटी के लोगों की आस्था है इस स्थान को भी हमारे पर्यटन मंत्री यहां विराजमान हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पर्यटन स्थल घोषित किया जाये बाड़मेर के सुंईया मेले को जहां लोग बहुत आस्था रखते हैं और जिस तरह से गंगा में स्नान करते हैं और सबसे बड़ा मेला है एक ही दिन के अन्दर पन्द्रह लाख लोग वहां आते हैं सुंईया मेले में आस्था रखने वाले। इसलिये इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः डॉ. सुभाष गर्ग।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांग संख्या 31 के अन्तर्गत कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं और यह जो इश्यूज हैं न इसमें किसी की आलोचना है, एक बेसिक प्रोब्लम की तरफ पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह प्रोब्लम है ओल्ड एज प्रोब्लम्स। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बात जब आती है हम युवाओं की भी बात करते हैं, महिलाओं की भी बात करते हैं, बाल कल्याण की भी बात करते हैं लेकिन ओल्ड एज प्रोब्लम जो बुजुर्गों की समस्या है और आबादी मैं बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापतिः सभी बुजुर्ग होने वाले हैं। सभी बुजुर्ग होंगे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): इसीलिये, सर। वर्तमान में लगभग 10 से लेकर 11 करोड़ की आबादी है जिसका अनुमान लगाया गया है कि 2050 में यह आबादी लगभग 32 से 33 करोड़ हो जायेगी और आये दिन हम यह देखते हैं अखबारों के माध्यम से भी कैसेज भी होते हैं न केवल प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, अमीर के बच्चों के द्वारा भी समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा आये दिन बुजुर्गों के साथ असम्मान किया जाता है, प्रताडि़त किया जाता है और उनको दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, समय-समय पर हालांकि न्यायपालिका ने भी इंटरवेन्शन किया है। कई निर्णय भी आये हैं और व्यवस्था भी दी है गुजारा भत्ते की और भारत सरकार 2007 में जो एक एक्ट भी लेकर आई थी मेंटिनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर

सिटिजन एक्ट, 2007 उसमें संशोधन भी किये। वर्तमान केन्द्र सरकार ने भी कुछ संशोधन किये हैं लेकिन वह पार्लियामेंट की स्टेंडिंग कमेटी को में चला गया अभी वह विचाराधीन है लेकिन मैं राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह से असम सरकार ने अभी हाल ही में एक निर्णय लिया है और वह निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अगर अपने बुजुर्गों का भरण-पोषण नहीं करता है तो वह उसकी तनख्वाह में से दस प्रतिशत से लेकर पन्द्रह प्रतिशत कटौती करके और सीधा बुजुर्गों के खाते में ट्रांसफर किया जायेगा तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और राज्य सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इसमें पहल करे और बुजुर्गों के सम्मान के लिए जिस भी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी है उसके लिए एक बिल लेकर आये और मैं सोचता हूं कि पूरा सदन इसका स्वागत करेगा और प्रदेश की जितनी भी बुजुर्गों की जनसंख्या है वो भी आपको अभिवादन देगी सदन के सदस्यों को।

माननीय सभापति महोदय, आप यह जानते हैं यह समस्या क्यों पैदा होती है। आप जानते हैं जिस तरह से उपभोक्ता संस्कृति का प्रतिपादन हो रहा है, नयी जेनरेशन और पुरानी जनरेशन में जो गेप आ रहा है बदलते सामाजिक मूल्यों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। एकल परिवार जो हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे बुजुर्गों को बहुत भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ता है और इसके बावजूद भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी। बहुत सारी योजनाएं मैं बता सकता हूं। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति है, वृद्धावस्था पेन्शन कार्यक्रम है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम भी है, स्थानीय बीमा योजना है लेकिन इनके लिए बजट तो निर्धारित कर दिया जाता है लेकिन अल्प बजट, लाभार्थियों की अनुचित पहचान और लम्बी प्रक्रिया होने की वजह से या अनियमित भुगतान होने की वजह से आज भी बुजुर्ग दर-दर भटकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह न कोई बीजेपी की लड़ाई है न कांग्रेस की लड़ाई है न लोक दल की लड़ाई है, किसी की लड़ाई नहीं है। यह प्रदेश के उन बुजुर्गों की आवाज है वो यह देखता है कि जिस भावना से हम लोगों को चुन कर भेजा जाता है कि वृद्धावस्था के लिए बुजुर्गों के लिए जब वो 65 या 70 साल से और 80-90 साल का होता है और मैं बताना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, 90 प्रतिशत बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका कोई नियमित आय का साधन नहीं है। हालांकि सरकार वृद्धावस्था पेन्शन देती है। आप जानते हैं वृद्धावस्था पेन्शन कितनी मिलती है, एक हजार रुपये।

Kas/rtm/18.07.2024/16.40/3c

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्ववर्ती सरकार का, जिन्होंने 15 परसेंट प्रतिवर्ष बढ़ाने की घोषणा की। अभी वर्तमान सरकार ने भी उसमें बढ़ोतरी कर दी है, मैं उसका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि यह व्यवस्था भी काफी कम है। जब किसी बुजुर्ग की बेटी, दोहिती, पोती घर आती है और वह अपने दादा-दादी, नाना-नानी, की तरफ एक टक

देखती है कि यह बुजुर्ग मेरे को कुछ देंगे, तब वह बुजुर्ग अपने बच्चों पर आश्रित होता है। जिसने अपनी रोटी त्याग कर, खून-पसीना बहाकर जिस बच्चे को पढ़ाया-लिखाया, बाहर भेजा, वह बच्चे उससे ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति अपने दुश्मन से मुंह मोड़ लेता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार को एक पहल करके इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये, ऐसी नीति बनाये और मैं सोचता हूं कि यह प्रदेश सरकार के लिये एक मौका है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यह एक ऐसा मौका है और एक मील का पत्थर साबित होगा, आपका कार्यकाल भी मील का पत्थर साबित होगा, इसमें पहल करें और एक्ट लेकर आये। चाहे वह निजी क्षेत्र का कर्मचारी है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र का कर्मचारी है, वह अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है, भरण-पोषण नहीं करता है तो उसकी आय में से 10 परसेंट सीधा उस बुजुर्ग के खाते में ट्रांसफर होना चाहिये। कानून बहुत हैं, हिन्दू कानून में भी व्यवस्था है, मुसलिम कानून में भी व्यवस्था है, ईसाई कानून में भी व्यवस्था है, लेकिन आप जानते हैं कि कानून प्रक्रिया इतनी लम्बी होती है, उसका कोई पालन हो नहीं पाता है।

सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से, मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर विचार करें और हो सके तो एक सर्वदलीय कमेटी इस पर बना कर इस पर एक बिल लेकर आएं और उस पर चर्चा करें, तो मैं समझता हूं कि बहुत उपयुक्त होगा।

माननीय सभापति महोदय, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज भी 30-50 परसेंट वृद्ध डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसके लिये मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक जिले के वृद्ध लोगों की जनगणना कराई जाये और इसके साथ-साथ सर्वेक्षण भी कराया जाये कि उनके आय के साधन क्या हैं। दूसरा सुझाव यह है कि मेडिकल सुविधाओं से परिपूर्ण, अर्थात् हर जिले में जेनेरिक मेडिसन डिपार्टमेंट खोला जाय। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो उस मेडिकल कॉलेज में एक जेनेरिक मेडिसिन डिपार्टमेंट खोला जाये, जहां वृद्ध अवस्था के लोगों के लिये स्पेशल वार्ड हो। तीसरा, हर जिले में सीनियर सिटीजन सैल का गठन किया जाये और साथ ही सम्मान सुरक्षा कल्याण की गारंटी दी जाये। मैं समझता हूं कि इससे हम सब अपने बुजुर्गों के साथ न्याय कर पायेंगे। अंत में एक शेर कहना चाहूंगा।

बहुत सैल्फी लेते हैं जरा मुसकुराया करो,
अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो।
जमाने के तजुरबे गूगल पर नहीं मिलेंगे,
मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो।

धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री अर्जुनसिंह बामणीया।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 31

पर बोलने के लिये आपने समय दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

मानननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर अभी हमारे माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमारे बड़े-बुजुर्ग, जिनको पेंशन मिलती है, उस पेंशन में बढ़ोतरी की है, इसके लिये मैं पूर्ववर्ती सरकार और आप सभी को धन्यवाद दूंगा। जिनका अपने परिवार के बेटा-बेटी ध्यान नहीं रखते हैं, उसका ध्यान सरकार रखती है। माननीय सभापति महोदय, यह पूरे राजस्थान का प्रकरण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, अभी दो दिन पहले ई-मित्र की चर्चा हो रही थी। ई-मित्र के माध्यम से उनके घर तक या बड़े-बुजुर्ग तक पेंशन की व्यवस्था होती है। माननीय मंत्री महोदय, यह बात सही है कई बार पेंशन की राशि उनके अकाउंट में 4-5 या 15 दिन आगे-पीछे हो जाती है, तो ई-मित्र का आदमी देखता है कि इनके अगले महीने की साथ में आ जाये, तो वह दो बार अंगूठा लगवा कर एक बार की पेंशन देता है। इसके सुधार के लिये आपके सामाजिक न्याय विभाग का कर्मचारी द्वारा उस गांव की पंचायत के पंचायत भवन पर हर महीने जिन-जिन की पेंशन आ गई है, उन सभी व्यक्तियों की राशि की लिस्ट चिपकाई जाये, तो जो इन ई-मित्रों के द्वारा उन व्यक्तियों के साथ बेईमानी होती है, वह नहीं हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग से छात्रावासों की व्यवस्था होती है। जहां-जहां छात्रावास हैं, उनके भवनों की स्थिति आप दिखवाएं। छात्रावास वार्डनों की भर्ती लंबे समय से नहीं हुई, इस वजह से वहां के बच्चों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। पिछली बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने टी.ए.डी. विभाग को 33 छात्रावास हैंडओवर किये थे। उनके करीब-करीब सारे भवन क्षतिग्रस्त थे। इसमें आधे से अधिक के हमने सेंक्शन भी किये हैं। मैं उदयपुर जिले के सागवाड़ा का एक उदाहरण बता रहा हूं, वहां 25 में से 15 बच्चियां थीं, उसका भवन जर्जर था। मैं वहां खुद गया, उनके खाने की व्यवस्था नहीं थी। हमने उन बच्चियों को टी.ए.डी. हॉस्टल में रखवाया। हमारे बांसवाड़ा में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो-जो छात्रावास भवन हैं, वह कितने पुराने बने हुए हैं, क्या स्थिति है, उसको दिखवा कर उन बच्चों की सुरक्षा करें। विभाग के सभी छात्रावासों में आपका कोई एक अधिकारी समस्त हॉस्टलों की एप चालू करके, वहां दिन में एक बार या दो बार, जब भी खाना मिलता है, अगर लोकेशन वाइज डेली उस एप पर या वाट्सएप पर जानकारी लेंगे, तो उन बच्चों के खाने की और रहने की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, विधवा बच्चियों के विवाह की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी आप बड़ी सीरियसली दिखवाएं और दिखवा कर उसमें किन-किन बच्चियों को लाभ मिलता है, किनको नहीं मिलता है। पात्र भी कभी-कभी रह जाती हैं, ऐसी स्थिति में आप दिखवाएं, क्योंकि टी.एस.पी. ऐरिये में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां आज भी उस ऐरिय में जाने के लिये व्यक्ति को तकलीफ होती है, दूर है, इसको आप विशेष

रूप से दिखवाएं। इसकी भी आप पंचायत में लिस्ट भेजें ताकि वहां भी उसके साथ जो भी छोटा-मोटा अन्याय होता है, वह नहीं हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, विशेषकर पालनहार योजना में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। पालनहार योजना में अभी तक हमारी सरकार ने राशि भी बढ़ाई है। हमारी सरकार ने उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी की है। जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं, उस परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति उन बच्चों का लालन-पालन करता है, या उसके वहां रहते हैं, उनको भी मदद करने की बात कही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें तीन बच्चों का ही रखा है। अभी विधान सभा में हमारे सीनियर सदस्य माननीय हरिमोहन जी ने बात भी उठाई थी ..

msk/rtm/18.07.2024/1650/3d

झाड़ोल के अन्दर बच्चों का जो व्यवसाय हो रहा है, बच्चों की जो खरीद-फरोख्त हो रही है, उसके मामले में उठायी थी। तो आप उसको कंसीडर करें कि जिनके माता-पिता नहीं हैं और चार बच्चे हैं। आपकी पालनहार योजना में तीन बच्चों का तो है, चार बच्चे हैं तो उस एक बच्चे की भी राशि, चाहे कम बढ़ायें, कैसे भी बढ़ायें, पर एक बच्चे की राशि बढ़ायें तो आने वाले समय में, वहां के क्षेत्र के बच्चों को लाभ होगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, पूर्व में हमारी सरकार भी रही है। मुझे जनजाति विभाग में काम करने का सौभाग्य भी मिला और अभी उस पर चर्चा भी हो रही है। झाड़ोल से आने वाले माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका धन्यवाद भी करुंगा और उसके साथ में कुछ बातें भी आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार की जो बातें हैं, आपने काफी अच्छे सुझाव भी दिये, उसके साथ-साथ आपका जो पॉजीटिव रवैया रहा है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भी आपका भाई होने के नाते राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से भेदभाव कतई नहीं करुंगा, यह मैं पवित्र सदन में आपसे कहना चाहता हूं। हम सब मिलकर उस टीएसपी क्षेत्र के जितने आदिवासी हैं, बच्चे हैं, उनका हम सब मिलकर कैसे भला करें, उस पर हमको मंथन करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। समस्त जोधपुर संभाग के जितने भी माननीय सदस्य हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) इतने में ही। क्या बैठ जाऊं फिर?

मैं जोधपुर संभाग के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और पूर्व मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जोधपुर के आदिवासी भील समाज, जनजाति के भाइयों के लिए मारवाड़ बोर्ड का गठन किया और उस मारवाड़ बोर्ड के गठन के माध्यम से माननीय मंत्री जी, वहां एक आरएएस अधिकारी बैठते हैं, जो पूरे जोधपुर संभाग को देखते हैं। पिछले टाइम पर जहां-जहां पढ़ने की असुविधाएं थीं। मैंने खुद कई जिलों का दौरा किया, वहां आज जालौर की बात करें, आहोर से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि आठवीं

पढ़ने के बाद जनजाति की एक भी बालिका आगे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमने आहोर में भी 50 बच्चियों का हॉस्टल उस समय खोला। वहां अभी भी, इस साल की स्थिति नहीं, पर 25 से ज्यादा बच्चियां कभी नहीं हुईं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम लोग वोट लेने जाते हैं, राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर बात करें। वहां से वोट ले आते हैं, पर उनकी पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था है, हम उनको मोटिवेट करें कि उनके बच्चे-बच्चियां, जहां-जहां हर जिले में दो-दो छात्रावास पिछली सरकार में खुले हैं, उनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए आप उनको मोटिवेट करें, ताकि वहां का बच्चा, वहां के आदिवासी का बच्चा पढ़ सके।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर के अन्दर आवासीय विद्यालय खोला है और वह अभी किराये के भवन में है। वह बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है। अभी-अभी मैंने उसकी जानकारी करायी है। आपके अधिकारी भी बैठे हैं। आप और जानकारी करा लें कि किसी कारणवश वहां के भवन का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। आप उसको दिखवा कर, वहां ठेकेदार की समस्या का समाधान करके उस भवन को जल्दी से जल्दी पूरा करें, ताकि वहां के बच्चों को लाभ मिल सके। उसी के साथ जोधपुर के अन्दर हमने बहुउद्देश्यीय बालिका आश्रम छात्रावास खोला है। उसमें उस समय तात्कालिकतौर पर हमने 50-50 बच्चियों की क्षमता रखी थी। मेरा आपसे निवेदन है कि उन जिलों को ध्यान में रखते हुए वहां की संख्या बढ़ायी जाये। 25-25 बच्चियां और की जाएं, ताकि जोधपुर संभाग की तमाम बच्चियां वहां जाकर अपनी तैयारी कर सके, पूरे राजस्थान की बच्चियां वहां जाकर तैयारी कर सके, क्योंकि जोधपुर के अन्दर कई तरह के कोचिंग सेन्टर चलते हैं। अपने यहां उदयपुर, डूंगरपुर की बच्चियां भी वहां जाती हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी) बन्द कर दूं?

श्री सभापति: आपका 10 मिनट का टाइम है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): 10 मिनट तो कहां हो गये?

श्री सभापति: आपको दस मिनट का टाइम दिया है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): मैं तो बैठ जाता हूं। मेरे पास अभी बोलने के लिए मसाला है। सुझाव अच्छे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, ऐसी स्थिति में वहां उन हॉस्टलों में छात्राओं का रोल बढ़ाया जाये। मैं सीमित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। माननीय सभापति जी, आप भी कपासन से पधारते हैं। कपासन में क्या स्थिति है? कैसी है? वह आप सब को पता है। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि जब 2014 से 2018 की सरकार में इन आदिवासियों के वन अधिकार के पट्टों के लिए आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि अब कोई सरकारी पट्टे नहीं। हमारी सरकार ने आते ही सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट के माध्यम से हमने 41 हजार 464 पट्टे व्यक्तिगत दिये और 361 सामुदायिक पट्टे दिये। उसके बाद उन पट्टों का आवेदन अभी तक ऑनलाइन कर रखा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कहीं-कहीं अभी भी जंगलों में मन्दिर हैं, कहीं और रास्ते हैं, उसके माध्यम

से आप उनको सार्वजनिक पट्टे देकर वहां की जनता का लाभ पहुंचायें। यह मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। ठीक उसी प्रकार से आपके झाड़ोल में दो गांव फोरेस्ट में हैं। रोड नहीं जाने की वजह से उनके लिए डामर का रास्ता नहीं है। मैं आपसे और आपके अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पेसा एक्ट के तहत वन अधिकार के ये पट्टा देकर उन ग्रामवासियों को, उन लोगों को रोड देने की आप कृपा करेंगे तो विधान सभा आपकी है। हम चाहते हैं कि उन लोगों को रोड मिले। (समय समाप्ति सूचक घंटी) घंटियां बज रही हैं।

मैं उसके साथ में लंबी बात नहीं करते हुए आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, मैं आपकी घंटी के डर से बहुत शोर्ट कर रहा हूं।

श्री सभापतिः आपका टाइम पूरा हो गया है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): दो चार बोल लेता लूं। दो मिनट बोल लेता हूं। मैं आपसे शिक्षा की बात करुंगा। माननीय सभापति जी, आप यहां जयपुर में सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने आपके लिए एक शानदार आफिस बनाकर रखा है। उस आफिस को देखा या नहीं देखा, यह मैं नहीं कह सकता। हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जवाहर सर्कल पर 11 मंजिला बनाया है। आप पधारना। इस सीट पर प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, जो महामहिम बन गये हैं, उन्होंने उस समय एक प्रश्न उठाया था कि टीआरआई के माध्यम से कोचिंग होती है और उस कोचिंग में अभी तक टीएसपी क्षेत्र के कितने बच्चे आरएएस में क्लियर हुए? उसकी एवज में हमने वहां 50 बच्चे और 50 बच्चियों का हॉस्टल बनाया है, दोनों अलग-अलग। मेरा आपसे निवेदन है कि हम अगर उन आदिवासी बच्चों का भला चाहते हैं। अभी किसी साथी ने भी उठाया था कि हमारे यहां एक हॉस्टल बनाया जाये, ताकि बच्चे पढ़ें। उस हॉस्टल में आप किसी अच्छे कोचिंग सेन्टर से बात करके, हमारे यहां टीएसपी का बच्चा-बच्ची, उस कोचिंग के लिए व्यवस्था करके वहां कोचिंग करायें।

श्री सभापतिः प्रताप लाल भील।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): एक सैकिण्ड। सर, मैं एक मिनट खत्म करुंगा। आप व्यवस्था करायें, यह मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा आपको सजेशन है कि हमने रोजगार मेला किया था और रोजगार मेले में 400 बच्चों को रोजगार दिया था। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ठीक उसी प्रकार अहमदाबाद, जोधपुर, पाली की जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, उनसे बात करके, जो बच्चे योग्य हैं, उनका वहां प्लेसमेंट करायें, ताकि उन बच्चों को रोजगार मिले। उसी के साथ एक बात मैं दूसरी कह रहा हूं। मेरा दूसरा सुझाव है कि जो बच्चे अच्छे अंकों से नीट, जेईई में पास होते हैं, उन बच्चों की एक दिन की कार्यशाला रखें। अपने आवासीय छात्रावासों में जो बच्चे अच्छी परसेंटेज लेकर भटकते हैं, उनको मोटिवेट करें, ताकि वे बच्चे आगे जाकर कर्मचारी, अधिकारी बन सकें। यह मेरा आपको सुझाव है। मैं लंबी बात नहीं करते हुए, मेरा दूसरा निवेदन है कि आपके अधिकारी यहां बैठे हैं। माननीय सभापति जी, हमने पिछली बार चलाया था। जितने हॉस्टल हैं, उनका एक ग्रुप बनाकर, कौनसे हॉस्टल में क्या खाना खिलाया जा रहा है, वह उस ग्रुप के माध्यम से सुबह-शाम की एप बनाकर उससे

जानकरी लें।

mdp/rtm/18.07.2024/17:00/3e

कई वार्डन जो हमारे समय लगाये थे, वे छोड़ कर चले गये क्योंकि मॉनिटरिंग बराबर होगी, आप भी वही बोलेंगे, मैं भी वही बता रहा हूं मॉनिटरिंग बराबर होगी तो हमारे बच्चों के साथ में अन्याय नहीं होगा।

श्री सभापतिः आप बैठिए। श्री प्रताप लाल भील।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): अभी और आगे है। 1500 करोड़ की बात है। माननीय, आपके सेक्रेट्री साहब बैठे हैं। एक सेकेण्ड, अंतिम, माननीय सभापति जी अंतिम, ये 1500 करोड़ आप अलग-अलग ...(व्यवधान)... रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ...(व्यवधान)... रखेंगे। धन्यवाद।

श्री प्रताप लाल भील (गोगून्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब दोनों विषय जनजाति एवं सामाजिक न्याय का जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके विकास के लिए बात कर रहे हैं। देश आजाद होने के बाद में सन 1975 में जनजाति विभाग का गठन किया गया। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और स्वर्गीय भैरोसिंह जी शेखावत साहब मुख्य मंत्री बने और इस विभाग की सुध ली और नंदलाल जी मीणा को सर्वप्रथम जनजाति मंत्री बनाया गया। इस 49 साल के कालखंड में जनजाति परिवारों के विकास के लिए कई प्रयास किये गये, जिसमें आपके शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, कृषि, पीने का पानी व अन्य। धीरे-धीरे सन 1995 में फिर से माननीय भैरोसिंह जी शेखावत साहब की सरकार बनी। उस समय में पंचायती राज को और सशक्त करने के लिए एक कानून लाया गया। उस कानून के तहत आज हमारे कई भाई-बहन एसटी के जिला प्रमुख हैं, कोई प्रधान है, कोई सरपंच भी है, कोई जिला परिषद सदस्य है, कोई पंचायत समिति सदस्य है। इस आरक्षण से जनजाति को कुछ आगे बढ़ने का मौका भी मिला।

हमारे इस जनजाति विभाग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किये जा रहे हैं, जैसे छात्रावास खोलना, संचालित करना, एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलना और मां-बाड़ी केन्द्र खोलना। ये सारे काम हुए हैं। मेरा इसमें निवेदन ये रहेगा कि अधिकारियों की मॉनिटरिंग की वजह से जो हमारी योजनाएं हैं, वे सफल नहीं हो पा रही है। मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि थोड़ी-सी हमारी मॉनिटरिंग बढ़ाई जावे।

इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपकी गत सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायतों पर विद्यालय क्रमोन्नत किए। विद्यालय क्रमोन्नत करने के बाद में वहां पर किसी प्रकार के कमरे की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी है। दूसरे गांव में यदि वह बच्चा पढ़ने जाता है तो कहते हैं कि आपके गांव में 12वीं तक का स्कूल है, आप वहीं पढ़िए। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में बहुत भारी समस्या पैदा हुई है। मैं मंत्री जी से निवेदन

करूंगा कि ऐसे क्षेत्र में हमारे विद्यालयों में कमरे बनाए जाएं और वहां पर अध्यापकों की कमी है, उसको भी पूरा किया जाए ताकि टीएसपी क्षेत्र में इसका लाभ मिल सके। उदाहरण के तौर पर इस वर्ष हमारे यहां पर कोटड़ा में कम से कम 400 अध्यापक बाहर से आए। कोटड़ा से हमारा एक भी अध्यापक नहीं बना। इसका कारण यह था कि वहां पर विद्यालय में अध्यापक नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं। इस कारण से आज हम यहां वंचित है।

इसके अलावा अभी वर्तमान में बजट में देवला में हमारे एकलव्य मॉडल की घोषणा की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का एवं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने एकलव्य मॉडल खोलने की घोषणा की। आपने देखा होगा कि 2018 में हमारे राजस्थान में कुछ टीएसपी क्षेत्र का विस्तार भी हुआ था। हमारा पूरा गोगून्दा क्षेत्र इसमें शामिल हुआ था। टीएसपी क्षेत्र घोषित होने से मेरे वहां पर लगभग 5 हजार लोग आपके सरकारी नौकरियों में लगे, टीएसपी के आरक्षण से। कोई पुलिस में लगा, कोई पटवारी लगा, कोई सचिव भी बना, इस प्रकार से हमारा क्षेत्र को भी टीएसपी क्षेत्र में विस्तार होने से लाभ मिला। गोगून्दा में हमारे एकलव्य मॉडल भी गत सरकार 2013 से 2018 के बीच में था। वहां पर एकलव्य मॉडल विद्यालय भी खुला और खुलने के बाद में लगभग 500 बच्चे आज की तारीख में वहां पर अध्ययनरत हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे वहां पर सन 1978 में रावस में एक छात्रावास बना था। 1978 के बाद में 2018 तक एक रुपया वहां नहीं लगा। 2018 में एक लाख रुपये उसके रंग-रोगन के लिए मिले। उसके बाद में गत टाइम में भी मैंने इस बात को उठाया था और वर्तमान में वहां पर आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है। मेरी सरकार से मांग है कि उस छात्रावास का फिर से नया भवन बनाया जावे। वहां पर लगभग 100 छात्रावासों की सीटें थी, वह भी हमने कम कर दीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां पर सीटें वापस बढ़ाई जावे।

इसके अलावा बिजली की जहां तक बात है, हमारे क्षेत्र में सौभाग्य योजना, दीनदयाल योजना में लगभग सभी गांवों में लाइट पहुंच गयी है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो वन विभाग के एरिये में आते हैं, उस कारण से वहां पर लाइट नहीं पहुंची है तो लाइट पहुंचाने के लिए भी सरकार से मैं निवेदन करूंगा।

सभापति जी, चिकित्सा की सुविधा, हमारे वहां पर बहुत सारे पीएचसी, सीएचसी भी हैं। लेकिन डाक्टर्स की भारी कमी है। जैसे मेरे उपखण्ड गोगून्दा को देखेंगे तो वहां पर 13 चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बदले मात्र वहां पर आज की तारीख में दो डाक्टर काम कर रहे हैं। वहां पर कम से कम 450 की ओपीडी रहती है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर डाक्टर्स लगाये जाएं। हमारे वहां पर कुछ पीएचसी हैं, जैसे बरवाड़ा है, नांदेसमा है, सायरा है, भानपुरा है, वहां पर डाक्टर्स की भारी कमी है, उसको देखते हुए टीएसपी क्षेत्र में डाक्टर्स की भर्ती करके हमको सुविधा दी जाए।

प्रधान मंत्री सड़क योजना, अभी-भी हम देखते होंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार सड़कों का मापदंड किया जाता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि अभी 2021 की जनगणना

के आधार पर कुछ गांव, ढाणी जो वंचित हैं, उनको सड़कों से जोड़ा जावे। कृषि के मामले में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जनजाति विभाग से सामुदायिक, जो आपके दिये जाते हैं, लिफ्ट योजना, पिछले कम से कम दस साल से गोगून्दा एवं कोटड़ा में एक भी लिफ्ट योजना आपने स्वीकृत नहीं की है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप लिफ्ट योजना को स्वीकृत करके हमारे कृषि के भाईयों को, आदिवासी भाईयों को सुविधा दें।

पेयजल, पेयजल में हमारी मुख्य समस्या है कि जो आबादी क्षेत्र वाले गांव हैं, वहां पर तो जल जीवन मिशन का काम हो जाता है, लेकिन हमारे वहां पर बिखरी हुई आबादी है। एक दूर मगरे पर होगा, दूसरा दूसरे मगरे पर होगा, मेरा निवेदन है कि आपके जल जीवन मिशन में इसको अलग तरह से लेकर लाभ पहुंचाया जावे। हमारे मेवाड़ क्षेत्र में एक गवरी नृत्य होता है। गवरी नृत्य में लगभग सवा महीने तक हमारे गांव वाले अलग-अलग गांव में जाकर गवरी खेलते हैं।

Ans/rtm 17.10 3f 18.07.2024

जनजाति विभाग से इस गवरी के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो, ताकि उसकी अलग से पहचान हो सके। इसके अलावा डेयरी क्षेत्र में भी मैं निवेदन करुंगा। आदिवासी भाईयों के पास रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, केवल मजदूरी करते हैं, तो डेयरी की भी जनजाति विभाग से ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो उनको इससे लाभ होगा।

मेरी सबसे बड़ी मांग है, जोधपुर के आस-पास पाकिस्तान के भील समाज के हजारों परिवार विस्थापित होकर जोधपुर के आस-पास, आज की तारीख में मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा कि उनको पहचान करके, उनको भी कोई सुविधा दी जाए, वह भी मानवीय तौर पर।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक मांग करुंगा कि हमारे सायरा क्षेत्र में एक जरगा जी का स्थान है, धार्मिक स्थल है। मारवाड़ से हजारों की तादाद में लोग यहां आते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए आप कोई राशि स्वीकृत करेंगे तो यह भी होगा। हमारे सायरा बेल्ट में छात्रावास की कमी है। करदा, बरवाड़ा, गुंदाली में एक छात्रावास खोला जाए। हमारे बड़गांव क्षेत्र में भी, लोसिंग और भूताड़ा क्षेत्र है, वहां पर छात्रावास खोला जाए। मेरी बहुत सारी माँगें थी, लेकिन आप सबने वहां पर, उसकी स्वीकृति भी पहले सरकार की तरफ से हो गई, तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: अशोक कुमार कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट के अनुदान की मांग संख्या- 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा मांग संख्या-31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने के लिए समय देने पर बहुत-बहुत धन्यवाद।

वर्तमान समय में एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपएल परिवारों की बालिकाओं

के ब्याह पर हथलेवा राशि के रूप में 31 हजार रुपये एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्रमश: 10वीं पास को 10 हजार रुपये, स्नातक पास होने पर 20 हजार रुपये सहायता दी जा रही है। मेरी सरकार से यह मांग है कि सर्वप्रथम यह अनुदान प्रदेश के सभी जाति वर्गों के बीपीएल परिवारों की बालिकाओं को ब्याह हेतु दिया जाए और न्यूनतम अनुदान राशि एक लाख रुपये की जाए।

दूसरा निवेदन था, बजट 2024-25 के बिन्दु संख्या-92 के अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान में युवा, दिव्यांगों को सम्बल प्रदान करने हेतु मात्र 2 हजार स्कूटी देने की घोषणा की है। यह संख्या काफी कम है, मेरी मांग है कि इसको बढ़ाकर 20 हजार कर दिया जाना चाहिए।

तीसरा, भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय छात्रावास बापूनगर एवं पूर्व भीलवाड़ा काफी पुराने निर्मित है, जिनकी मरम्मत एवं आधुनीकरण किए जाने हेतु कोई बजट काफी समय से नहीं आ रहा है। मेरी यह मांग है कि इन दोनों छात्रावासों की मरम्मत एवं आधुनिकरण का कार्य किया जाए।

जनजाति क्षेत्रीय विकास पर जनजाति समाज से मुख्यत: जो एसटी वर्ग के लोग आते हैं, उनको समाज में उचित दर्जा दिलाने के लिए संविधान में सामाजिक स्तर पर निर्माण करने हेतु आरक्षण व्यवस्था लागू कर रखी है। इस पर मेरी सरकार से मांग है कि जनजाति छात्रों हेतु अध्ययन के साथ-साथ छात्रावासों में वैकल्पिक प्रशिक्षण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और उपकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। अगर कोई विद्यार्थी वाणिज्य संकाय में स्नातक कर रहा है तो उसको स्नातक की शिक्षा के साथ-साथ सीए, एमबीए परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी देने हेतु छात्रावास में व्यवस्था दी जाए। अगर कोई विद्यार्थी कला संकाय में स्नातक कर रहा है तो उसको स्नातक के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराने हेतु छात्रावास में व्यवस्था की जाए।

भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय होने के कारण उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं का आवागमन रहता है। वर्तमान में जो छात्रावास निर्मित है वह छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। अत: मेरी यह मांग है भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर जनजाति छात्र व छात्राओं हेतु पृथक-पृथक नवीन छात्रावास की स्थापना की जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपका और सदन का एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान चाहते हैं। एससी, एसटी के भाई को कोई भी कठिन परिस्थिति होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो उस कठिन परिस्थिति में वह अपनी कोई भूमि बेचना चाहता है तो वह भूमि जनरल को नहीं बेच सकता। मजबूरी में उसको अपनी भूमि को आधी रेट में देनी पड़ती है, ऐसा मैंने मेरे पड़ोस में देखा है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि एससी, एसटी की भूमि को जनरल खरीद सके, नियम में ऐसा परिवर्तन किया जाए। पहले यह नियम इस भावना से बनाया होगा कि एससी,एसटी वर्ग के भाई होते हैं, सीधे होते हैं, इनकी भूमि को ऐसे ही कोई ले नहीं ले। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि उनकी भूमि के लिए, उनके पूरे परिवार के सदस्यों की सहमति

ले और शपथ पत्र के साथ वह दे सके। धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः घनश्याम महर।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 - जनजाति विकास एवं मांग संख्या 31 - सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, राजस्थान में लगभग 70 साल से राजशाही के मुक्त होने के बाद सरकारों का गठन हुआ। उसके बाद लगातार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की बातें होती आ रही है, परन्तु सिर्फ कागजों में लीपापोती करके ही रह जाते हैं। हालत यह है कि 70 परसेंट आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग गाँवों में निवास करते हैं। गाँवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वह देखा जाता है। हम भी गांव से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, जैसे हालात होने चाहिए वे 70 साल में भी ठीक नहीं हुए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार के बच्चे सुविधाओं के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उसका मुख्य कारण है कि उनको गांव में सही रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती। चाहे आपकी सरकार हो,चाहे हमारी सरकार हो, व्यवस्था तो की है, पर वह व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाई। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि भीमराव अम्बेडकर छात्रावास है, सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा खोले गए छात्रावास हैं, उनकी हालत बहुत बदतर है। मैं कई छात्रावासों में गया तो वहां खाने की व्यवस्था, बिस्तरों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी एक कमेटी बनाएं। चाहे सभी दलों के विधायक इसमें हों, साल में एक बार उन छात्रावासों का निरीक्षण करे, उससे पता चल पाएगा कि असल में स्थिति क्या है। वहां बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं, उनकी क्या हालत हो रही है।

मेरा आपसे एक निवेदन और है। आपने अभी बजट में प्रावधान किया, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 100 करोड़ का बजट किया, यह भी बड़ा भेदभाव है। हमारी सरकार ने इसमें 500 करोड़ का बजट किया था। इस बात से यह साबित होता है कि आपकी सरकार की एससी, एसटी, ओबीसी के लिए क्या मानसिकता है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कहां है बताओ 500 करोड़...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप रिकार्ड में देख लो पिछले बजट में ...(व्यवधान)... हमने 500 करोड़ का दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): कहां दिया ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपने एसबीसी के लिए, ईडब्लयूएस के लिए ...(व्यवधान)... 500 करोड़ का बजट दिया है। हमने अलग से बजट दिया है। ...(व्यवधान)... मंत्री जी, मेरी बात सुनें। अलग से आयोग बनाया है। एससी, एसटी आयोग में 500 करोड़ का बजट दिया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): काट-छांट करके आयोग ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): काट-छांट नहीं, सब चीज़ें रिकार्ड में हैं ...(व्यवधान)... आप आयोग में ही दे दो। आप पैसा दे नहीं रहे और बीच में टोक रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, हमसे पूछने से पहले उधर पूछ लो। इनके हाथ में था पांच साल ...(व्यवधान)... क्यों नहीं बनाया आयोग। क्यों नहीं किया।

VPS-RTM-18.07.2024-17.20-3g

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है कि यह होड़ मची हुई है बोलने की। आप आराम से सुनो, वे अच्छी बात कह रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): मैंने मांग की थी अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, पर आपने नहीं दिया। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अब दे दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज आप घोषणा करवा देना, झंझट खतम हो जायेगा। आज करवा देना घोषणा मंत्रीजी से। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): चलो हमने नहीं किया, पर आज तो सत्ता में आप हैं। आप दे सकते हो इसको, आपको देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय विभाग के सामने एक तस्वीर लगी हुई है तो उस तस्वीर में एक स्लोगन है कि जिस समाज का इतिहास नहीं, वह समाज मृतप्राय है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से चेतना पैदा होती है, चेतना से शक्ति पैदा होती है और शक्ति से शासन मिलता है और शासन से विकास होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय की बात हो रही है और आज हमारी सरकारें सभी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। प्राइवेट सेक्टर को देने से आज इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आपने हवाई अड्डे प्राइवेट सेक्टर को दे दिये, रेलवे दे दी, सभी डिपार्टमेंट को एक-एक करके प्राइवेट को दे रहे हैं और जब प्राइवेट सेक्टर में यह डिपार्टमेंट चले जाएंगे तो हमारे लोगों को नौकरी कहां पर मिलेगी, यह आप बताइये। एस.सी., एस.टी. के लोगों को कोई नहीं लेगा प्राइवेट में तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि अगर हमने प्राइवेटाइजेशन को नहीं रोका तो निश्चित रूप से एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को नुकसान होगा।

माननीय सभापति महोदय, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी दी जा रही है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस को प्राइवेटाइजेशन को रोकना होगा और अगर इसको नहीं रोका, सरकार का आदमी, कोई भी सरकारी नौकरी करता है तो वह सरकार से डरता है, नियम कानूनों से डरता है। पिछली बार जब मैं विधायक था तो कई हॉस्पिटल्स को प्राइवेट में दिया गया और उन

प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ठेकेदार आदमियों को मार देते हैं। वे आदमियों को पैसा लेकर मार देते हैं, वहां पर तो दो हजार रुपये ही इलाज का मिल रहा है, वह दूसरा आदमी बीस लाख रुपया दे देगा, आपस में दुश्मनी रहती है तो वे लोग मारने का काम करते हैं। इसी तरह से अगर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया तो निश्चित रूप से एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के लोगों के साथ यह एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा।

माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक बारां की घटना मैं आपको बताता हूं। एक हेमलता बैरवा, अध्यापक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा ली, उसमें सरस्वती की फोटो नहीं लगाई तो उसके कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया और सात महीने से उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह संविधान बनाया और उस संविधान के तहत आज इस सदन का निर्माण हुआ है। हम सब लोग विधायक बने, अधिकारी बने, कर्मचारी बने हैं। उनकी फोटो लगाने पर इतनी बड़ी क्या बात हुई कि आज उसको नौकरी से निकाल दिया गया है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहूंगा कि उस निर्दोष अध्यापिका को बहाल किया जाये, उसको वेतन दिलाया जाये। दिला दोगे? बहाल करवा दोगे? ...(व्यवधान)... ठीक है, धन्यवाद आपका।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय सदस्य, यह आप गलत कह रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या गलत कह रहे हैं? यह मंत्रीजी कह दें न इस बात को। मंत्रीजी से कहलवा दो न इस बात को, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आपको क्या जरूरत है? मंत्रीजी बैठे हैं, मंत्रीजी बोलेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपका मौका आये तो आप बोल देना। आपका टाइम आये तो आप बताना इस बात को।

श्री सभापति: यह बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): मैं खुद वहां पर गया हूं, उनसे बात की है। ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): यह मंत्रीजी का काम है, आपका काम नहीं है।

श्री सभापति: प्लीज कंटिन्यू। कृपया, आपस में बात नहीं करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय, आप बता देना। आपका टाइम आये जब आप बता देना।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि जहां तक अनुसूचित जनजाति के हॉस्टलों की बात है तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने इन आठ माह में कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के हॉस्टलों का निरीक्षण किया? अगर नहीं किया है और आप नहीं जा सकते हैं तो आपको एक टीम बनाकर वहां पर भेजनी चाहिए। ऐसी स्थिति हो रही है कि अभी मैं नांगल के एक छात्रावास में गया तो न तो वहां पर बिल्डिंग है और न वहां पर बच्चों के लिए बिस्तर है और न खाने-पीने की व्यवस्था है और वहां जो

हालात मैंने देखे वह मैं सदन में नहीं बता सकता। टोड़ाभीम, नादौती छात्रावास में बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हैं, वे जर्जर हो चुकी हैं। उनका एक बार आप मौका देखकर निरीक्षण करें।

इसके साथ-साथ ही मेरा आपसे यह निवेदन है कि आने वाले समय में हमको एस.सी., एस.टी. के जितने भी छात्रावास हैं, इनमें एक अलग से आपको कोई डिस्ट्रिक्टवाइज कमेटी बनानी पड़ेगी और अगर आप नहीं बनाएंगे और आप हर महीने रिपोर्ट नहीं लेंगे तो उनके हालात नहीं सुधर पाएंगे तो हर महीने एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में आप अधिकारियों को रख सकते हैं। जितने भी वहां पर हॉस्टलों में वार्डन के पद खाली हैं, उनको तुरंत भरा जाये। हमने कुछ अध्यापकों को लगा रखा है, कहीं ऐसे ही टेम्परेरी लोगों को रखा है तो वह सही जिम्मेदारी से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं।

इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और है कि एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के जितने भी गांव हैं, उनमें बिजली नहीं मिल पा रही है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम शहरों में तो बिजली दे रहे हैं पर गांवों में बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो इस बिजली नहीं दे पाने के कारण भी गांवों में बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है और अनुसूचित जाति के लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी आ गयी है कि पढ़ाई का, लिखाई का, हर चीज का बिजली के कारण बड़ा नुकसान हो रहा है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासियों के लिए एक डी.एन.टी. पॉलिसी को लागू की जाये। यह पॉलिसी हमारे समय में बनी थी, इस पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे तो इससे घुमंतू आदिवासी लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है तो मेरा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से यह निवेदन है कि आप डी.एन.टी. योजना को लागू करायें।

गांवों में लाइट की जो बात है, वह मैंने आपको बता ही दी।

श्री सभापतिः श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): टोडाभीम, नांगल और नादौती और राणौली छात्रावास, इन चारों-पांचों छात्रावासों का एक बार आप किसी कमेटी के द्वारा निरीक्षण करायें और वहां पर जो भी अभाव है, उन बच्चों की सुविधा का ध्यान रखें।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं मांग संख्या 31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा में जनजाति क्षेत्र के लिए पहली बार निष्पक्ष जन हित की बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुईं, जिससे जनता को सीधी राहत मिलने वाली है। जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी ने बड़ी सौगात देते हुए 220 केवी जीएसस बजाखरा (सागवाडिया)- बांसवाड़ा, सागवाड़ा-डूंगरपुर की बड़ी-बड़ी

घोषणाएं, बिजली कटौती से राहत देने का काम हमारे क्षेत्र के लिए हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. में सड़कों के लिए हमारे मोरड़ी, घाटोल, गढ़ी विधान सभा को जोड़ने के लिए 32 करोड़ रुपया, सुन्दनी से कोहाला 15 करोड़ रुपया, सरेडी से राठडिया, आसोडा 20 करोड़ रुपया, डूंगरपुर के अन्दर सांगवाड़ा, सरोदा, बनकोडा 10 करोड़ रुपया, टी.एस.पी. क्षेत्र में यह घोषणाएं करके हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र के लोगों को सड़कों की एक बहुत बड़ी सौगात दी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि अजमेर से बांसवाड़ा हमारे 358 किलोमीटर जो कि Green Field Expressways की जो घोषणा हुई है, उसमें हमारे क्षेत्रों को जोड़ा गया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना सहभागिता योजना लागू करके जन सहभागिता के काम करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है।

पहले गुरु गोलवलकर की जो योजना चल रही थी, जिसको कांग्रेस सरकार ने आते ही बंद कर दिया था। नगरपालिका परतापुर में सतुरी नदी पर एनिकट सौन्दर्यकरण, बांसवाड़ा समाई माता सौन्दर्यकरण, ऐसी बड़ी-बड़ी घोषणाएं और काम करके हमारे टी.एस.पी. क्षेत्र में बहुत अच्छे काम आने वाले समय में होने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस जनजाति क्षेत्र के जो भी महापुरुष हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट घोषणा में उनको लेकर, हमारे डूंगर बरंडा, डूंगरपुर व बांसिया चारपोटा, बांसवाड़ा और वीर बालिका कालीबाई के नाम संग्रहालय खोलने के लिए 35 करोड़ रुपये की जो घोषणा की है, वह हमारे लिए एक ऐतिहासिक घोषणा है परंतु मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें हमारे शहीद नाना बाई, राणा पूंजा का भी संग्रहालय में नाम जोड़ना आवश्यक है।

SSY/RTM/18.07.2024/17.30/3h

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व तथा वर्तमान सरकारों को धन्यवाद देता हूं कि 1977 के बाद, हमारे मुख्य मंत्री स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत जी की सरकार के बाद, जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आजादी के बाद आई हैं, उन्होंने टीएसपी क्षेत्र में बलिदान देने वाले चाहे मानगढ़ धाम की बात हो, घोटिया अंबा धाम की बात हो, चाहे बेणेश्वर धाम की बात हो, उसके विकास के लिए योजनाएं बनाकर के, कार्य प्रारंभ कर उन स्थलों का सौंदर्यकरण किया, यह ऐतिहासिक कार्य हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भैरोंसिंह जी शेखावत ने राजनीति में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण देकर, सभी लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में जोड़ने का काम किया। चुनाव लड़ने का मौका दिया। जब हमारी सरकार 1991-92 में थी,

टीएसपी क्षेत्र को अलग से आरक्षण देकर हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम पहली बार किया गया।

माननीय सभापति महोदय, 1977 के बाद जनजाति मंत्रालय का गठन हुआ। पहली बार केन्द्र में जनजाति मंत्रालय का गठन हुआ। तब से टीएसपी क्षेत्र को विकास की गति प्राप्त हुई। पूरे क्षेत्र में सभी तरह के काम होने प्रारंभ हुए।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय भजन लाल जी सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में बीएपी नाम की पार्टी का गठन करके, कांग्रेस ने आत्मसमर्पण करके हमारे आदिवासी युवाओं को भ्रमित करके गुमराह किया जा रहा है। आज जिस तरह चाहे भील प्रदेश की मांग हो, चाहे विभिन्न प्रकार से सांप्रदायिकता फैलाने का काम हो, यह कांग्रेस पार्टी का काम है। इस कारण से आज हमारे क्षेत्र में एक तरह से आतंकवाद फैलाया जा रहा है।

जैसा कि आपको पता है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर में आये दिन रात में पत्थर बाजी होना, लूटपाट होना, ऐसी अनेक घटनाएं जो हो रही हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाये। उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। हमारे पूरे क्षेत्र, वागड़ के लोग गुजरात जाते हैं। कई लोगों पर इस तरह से चौरासी विधान सभा क्षेत्र में हमले हुए हैं। मुकदमे हुए हैं। जो कि जग जाहिर हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भजन लाल जी की सरकार ने टीएसपी क्षेत्र के लिए 1000 की जगह 1500 करोड़ करके क्षेत्र के विकास के लिए, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, कृषि कार्यों की समस्याओं के समाधान आदि कई कार्य जनहित में होने वाले हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में जनजाति बच्चों के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि 100 छात्रों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर भवन सहित खोलना आवश्यक है। असिंचित क्षेत्रों में नदी, नालों पर सौर ऊर्जा चलित सिंचाई लिफ्टों की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि विद्यालयों के कक्षा कक्षों का निर्माण, एनिकट, पुलिया, गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों का डामरीकरण, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, मां बाड़ी आदि भवनों का निर्माण आवश्यक है। उनको प्राथमिकता के आधार पर करने का मैं निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध है कि बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के आस्था के केन्द्रों को पर्यटक हब से जोड़कर रोजगार के अवसर बढ़ाना आवश्यक है। जैसे बेणेश्वर धाम से त्रिपुरा सुंदरी शक्ति पीठ, माही डैम से घोटिया अंबा, मानगढ़ धाम, हडमतिया हनुमान, गलियाकोट शीतला माता शक्ति पीठ, बोहरा समुदाय की विश्व विख्यात दरगाह, खड़कदा बेड़ माता, सोमनाथ, डूंगरपुर से केसरिया जी उदयपुर यह जो टीएसपी क्षेत्र है, उसको अगर पर्यटक हब बनाया जाता है तो हमारे क्षेत्र के युवाओं को

रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। हमारे क्षेत्र के जो दार्शनिक स्थल हैं, उनका विकास भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22, 2022-23 में कांग्रेस की सरकार में बांसवाड़ा जिले में गरीब लोगों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर 15 से 20 लाख रुपया पेंशन के रूप में उठा लिया गया। उसकी जांच आज दिन तक नहीं हुई। कोई कार्यवाही नहीं हुई। अधिकारी वहीं की वहीं बैठे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच करके जिन लोगों ने गरीबों की यह राशि उठाई है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये व वसूली की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मेरं विधान सभा क्षेत्र में छात्रावासों की मरम्मत, नवीनीकरण आवश्यक है। ग्राम पंचायत पनासी, बड़ी रोवाल, ग्राम पंचायत बिलोदा, ग्राम पंचायत तलवाड़ा, चिड़ियावासा, कुशलपुरा आदि स्थानों पर नये छात्रावास खोलने आवश्यक हैं।

समस्त प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी हो। बुज़ुर्गों के फिंगर प्रिंट नहीं आते हैं। उसका भी विकल्प किया जाये। उनकी पेंशनें रुकी हुई हैं। परिवार में यदि किसी अन्य सदस्य ने लोन ले रखा है तो उसके परिवार के लोगों के खाते सील कर दिये जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि पेंशनधारी के नाम से लोन नहीं है, लेकिन परिवार में किसी अन्य का लोन होने से बैंक उनको पेंशन नहीं देती है। पेंशनधारी ज्यादा परेशान हैं। इसके बारे में कार्यवाही कर बैंकों को पाबंद किया जाये कि इन पेंशनधारियों को समय पर भुगतान किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री थावर चन्द।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 एवं 31 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही मैं वर्तमान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिए आपने पूर्व में 500 करोड़, फिर 1000 करोड़ और इस बार 1500 करोड़ किये हैं। साथ में इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे पुरखे बासियां चरपोटा, डूंगर बरंडा और काली बाई के शहीद स्मारक बनाने के लिए आपने बजट में प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज इस राजस्थान की सर्वोच्च पंचायत में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, जहां पक्ष और विपक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आदिवासी जब इस देश में कोई धर्म नहीं था, जब इस देश का नाम भारत नहीं था, संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, तब से रहता आ रहा है। अंग्रेजों के समय में भी अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई जब भारत देश आजाद हुआ, उससे पहले से लड़ते आये। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उन्होंने लड़ाई लड़ी है।

उसके बाद मेवाड़ का इतिहास सामने आता है। यह इतना गौरवशाली इतिहास है, जहां पर राणा प्रताप का नाम महाराणा प्रताप पड़ता है तो वहां के भीलों की वजह से पड़ता है।

इतने गौरवशाली इतिहास में हम लोगों का देश की आजादी में कदम-कदम पर साथ रहा है।

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें आयीं, गयीं, सबने आदिवासियों का वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया। आज आदिवासियों की वास्तविक स्थिति क्या है? आदिवासी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से धीरे-धीरे हाशिये की तरफ धकेल दिया गया। करोड़ों का बजट आया, लेकिन आदिवासियों की स्थिति वैसी की वैसी है।

5 जनवरी, 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। लेकिन आदिवासियों की हालत मजदूर जैसी बन गयी है। आज वहां रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उनको धीरे-धीरे पलायन करना पड़ता है। 100-200 के लिए भी इधर-उधर तरसना पड़ता है। हम यह कहना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए कभी पक्ष को, कभी विपक्ष को आरोप लगाते रहते हैं।

आज भी आजादी के बाद कुछ ऐसे गांव होंगे जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे होंगे। जहां पर ना तो टावर की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना अस्पताल होगा। अगर होगा तो कोई नाम का अस्पताल होगा। कोई उस जंगल के अन्दर जाने का तैयार नहीं होगा। ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए हम सबका क्या प्रयास होना चाहिए? उन आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए इस ओर ध्यानाकर्षित कराना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं साथ में यह कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के लिए संविधान में पांचवीं अनुसूची का प्रावधान दिया गया है।

Spp/Rtm/18.07.2024/17.40/3j

मैं उससे पहले यह भी जिक्र करना चाहूंगा कि सरकारें आयीं और गयीं लेकिन आदिवासियों के साथ में हमेशा धोखा हुआ है और इस बात का कुठाराघात हुआ कि हमेशा विकास के नाम पर आदिवासियों को इस्तेमाल किया गया। कभी राजस्थान के अन्दर नारा तो जोर से चलता है 'एक पेड़ मां के नाम' तो दूसरी ओर हसदेव राजस्थान के नाम कर दिया गया। कोयल के नाम पर वहां से जंगलों को काटा गया और हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया गया। आदिवासियों के जंगलों को हाथियों का घर कहा जाता था, माननीय सभापति महोदय, आज वह हाथी गांवों में घूमते हैं। जो लोग उस जमीन पर रहते थे, उस जमीन पर रहने वालों का कोई अता-पता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां से नमन करता हूं कि वे देश के पहले उप प्रधान मंत्री रहे हुए हैं और पूरे देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया था। लेकिन उनके नाम पर जब 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' बनाया गया तो 1200 गांवों को विस्थापित होना पडा और आज उनके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया। वह आज किस स्थिति में कहां रह रहे हैं। कभी डेम बनाया गया तो डेम के नाम पर

आदिवासियों को विस्थापित किया गया। कभी खनन के नाम पर वहां से विस्थापित किया गया तो उनकी ऐसी स्थिति हुई। उस स्थिति का जिम्मेवार कौन है? सरकारें यहां पर अंधी-बहरी और गूंगी होकर सुनती रहती हैं। आदिवासियों के नाम पर वोट लेने के लिये फोटो खिंचवाकर आ जायेगी। आदिवासियों के सम्मान के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें जरूर होती हैं लेकिन आज इस पीड़ा को कौन समझेगा?

माननीय सभापति महोदय, आज अखबारों के अन्दर हम देखते हैं कि 6-6 महीने के नवजात को बेचा जाता है। इस बात को सोचना पड़ेगा कि अपने कलेजे के टुकड़े को कौन बेचना चाहता है, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी उस मा-बाप की, जिसके कारण उस मां-बाप को अपने बच्चे को बेचना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी चुनाव के दौरान मंत्रीजी के गांव और डाकन कोटड़ा जैसे इलाके में गया था। मैं अखबारों में पढ़ा करता था कि यहां की बहन-बेटी को गुजरात जैसे क्षेत्र में बेचा जाता है, तो कभी सुना करता था कि ऐसा-ऐसा यहां पर होता है, यहां पर पानी की सुविधा नहीं है, कोई बिजली की सुविधा नहीं है। जब उस इलाके के अन्दर गया और वास्तविकता में मैंने देखा कि आजादी तो भारत देश के लोगों को मिली है, विकसित भारत के नाम पर भारत चाँद पर पहुंचा लेकिन आदिवासी आज वहीं का वहीं रह गया। उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में गंभीर रूप से सोचा नहीं गया। हम लोगों को गालियां देना बहुत आसान है। हमारे बारे में सत्ता पक्ष और विपक्ष में मेरे से बहुत बड़े-बड़े सीनियर भी हैं, कई तो पांच-पांच, सात-सात बार जीते हुए हैं। वास्तविकता में उस इलाके में जाकर देखेंगे तो आज पानी के लिये आदिवासी तरसता है, पढ़ाई के लिये तरसता है, सड़कों के लिये आदिवासी तरसता है। ऐसी भयानक स्थिति है जहां हॉस्पिटल के नाम पर आदिवासी तरसता है। पर हम लोग उनके बारे में कब सोचेंगे? इसके बारे में हम लोगों को गंभीर होकर सोचना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, पांचवीं अनुसूची का अगर जिक्र करें तो संविधान के अन्दर आदिवासियों के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिये पांचवीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। उस पांचवीं अनुसूची के अन्दर प्रावधान है कि आर्टिकल 244(ए) और आर्टिकल 13(3) के तहत न लोक सभा, न राज्य सभा, न विधान सभा, सबसे बड़ी ज्ञान सभा उसका पालन आज तक नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, राइट टू ऑनरशिप और राइट टू गवर्नेंस, इसका मतलब कि आदिवासी स्वशासन, स्वयं करेंगे और आदिवासियों के अन्दर मालिकाना हक हमारा होगा। पांचवीं अनुसूची के अन्दर प्रावधान हैं और उन प्रावधानों को हमेशा सरकारें कोई भी रही हों, कभी उसने जिक्र ही नहीं किया और उनको ताक पर रखकर आदिवासी क्षेत्र के अन्दर घुसपैठ हुआ। आदिवासियों के अन्दर ग्राम सभाओं का प्रावधान है। इसके अन्दर इतने बड़े कानून लागू हैं कि हमारी ग्राम सभा की बिना परमिशन के कोई कलेक्टर भी अन्दर पाँव नहीं रख सकता, इतने बड़े कानून हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह संविधान की पांचवीं अनुसूची बोल

रही है और मैं पांचवीं अनुसूची का जिक्र कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज बात करें पांचवीं अनुसूची की ...(व्यवधान).. माननीय सदस्य, जब आपकी बारी आती है तो मैं चुप रहता हूं तो मेरी बारी आये तो आप चुप रहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिकल 244 के अन्दर जब हमारे देश के संविधान के अन्दर इस तरह के प्रावधान हैं। हम लोग कहते हैं संविधान की रक्षा, कोई कह रहा है हम करेंगे, कोई कह रहा है तोड़ रहे हैं तो पांचवीं अनुसूची धरातल पर लागू क्यों नहीं हुई?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी के दूसरे सदस्य नहीं हैं, उनका भी टाइम दिया जाये। मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे बांसवाड़ा के अन्दर, धरियावद के अन्दर कई ऐसे इलाके हैं जहां खनन के नाम पर जमीनों से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। धरियावद के अन्दर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम पर आज आदिवासियों को जमीनों से बेदखल कर रहे हैं। जमीन हमारी, रह हम रहे हैं। हमारी पुरखों की विरासत से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति, बोली, भाषा, परम्पराओं से जुड़ा हुआ है और उस जमीन से हमें बेदखल करना गलत है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा एक ग्राम सभा का पॉवर है, एक पंचायत स्तर का पॉवर है और इन पॉवर के माध्यम से एन ओ सी उन लोगों को देता कौन है? खनन के नाम पर हमको हमारी मिट्टी से उठायेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा कि आज के ही दिन मैं यहां सदन में बोल रहा हूं और आज ही के दिन मानगढ़ धाम पर एक ऐतिहासिक महासम्मेलन हो रहा है, उस महासम्मेलन के अन्दर चार राज्यों के 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं। 13 नवम्बर, 1913 के अन्दर वहां पर गुरु गोविन्द के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ। उस आन्दोलन के अन्दर 1500 से ज्यादा आदिवासी अंग्रेजों के द्वारा गोलियों से छलनी कर दिये गये थे। उनकी मांग थी कि हम आदिवासियों को हमारी संस्कृति, भाषा, परम्परा, बोली, रीति-रिवाज के माध्यम से बांट दिया गया। आधों को गुजरात में बांटा, आधों को मध्य प्रदेश में बांटा तो आधों को राजस्थान के अन्दर बांट दिया। हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, बोली, भाषा, परम्पराएं एक है तो हमें हमारा हक मिलना चाहिये। हम लोग भील प्रदेश की मांग करते है, इसका प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार तक भेजिये। ..(व्यवधान).. (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूं। जब मैं बहुत जरूरी बात की चर्चा कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय कि आज हजारों पुरखों की विरासत है उसके लिये हमारी मांग है। आज इस मांग को पूरी करते हो न, मैं किसी जाति के आधार पर मांग नहीं कर रहा हूं। गुजराती के नाम पर गुजरात कर नाम पडा, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र बनता है, तो पंजाबी के नाम पर पंजाब बनता है, तेलुगू के नाम पर तेलंगाना बनता है तो भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश भी बन सकता है और इसके माध्यम से कहना

चाहता हूं कि भील प्रदेश की मांग रखी जाये। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही कुछ प्रावधान हैं, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि टीएसी विभाग हमको आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर मिला। ..(व्यवधान).. (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट का समय लूंगा। इसके अन्दर हम लोगों की समस्या क्या है, वह आदिवासी ही समझ सकता है। हम उस इलाके के अन्दर रहते हैं तो फिर टीएसी का अध्यक्ष दूसरा क्यों हो सकता है? टीएसी का अध्यक्ष भी आदिवासी ही होना चाहिये। साथ में यह कहना चाहूंगा कि टीएसी के अन्दर जो प्रावधान हैं, उसके साथ कई बार..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्रीमती रमिला ख़ड़िया।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा एक दो लाइन, जो 1931 के अन्दर हमारे को धर्म कोड मिला हुआ था। पृथक आदिवासी अलग था, 1951 में हमारा धर्म कोड था, उसको खत्म किया गया। लास्ट में मैं एक लाइन कहकर खत्म कर दूंगा-

आदिवासी मेरा धर्म है
जौहर मेरा अभिवादन है,
प्रकृति मेरी पूजा है,
तीर-कमान मेरी पहचान है,
अम्बेडकर-बिस्सा मेरा स्वाभिमान है,
भील प्रदेश मेरा अधिकार है
और इस अधिकार को हम लेकर रहेंगे।
जय जवान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।

श्री सभापतिः श्रीमती रमिला खडीया।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये आपका आभार।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाये।

श्री सभापतिः क्या सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास व

मांग संख्या 31 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): जिस तरह से आज जनजाति और सामाजिक न्याय

की चर्चा हो रही है। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं, उस क्षेत्र में 95 प्रतिशत क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र है। आज इस क्षेत्र में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं। पहाड़ी इलाका है, हमारे यहां पहाड़ी इलाके में भूरी पाड़ा है तो इसी तरह से पहाड़ी इलाके में हमारे लोग जंगलों में बसे हुए हैं। काफी समय में ये लोग, हमारे पूर्व टी ए डी मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पट्टा दिया और कुछ लोगों को आज भी उनकी सात-सात पीढ़ियां हो गयीं, सात-सात पीढियां होने के बाद भी, बिजूरी की बात है, लक्ष्मण, इसके पिताजी गुजर चुके हैं लड़ते-लड़ते पर आज भी उनको पट्टा नहीं मिला है। यह स्थिति है मेरे विधान सभा क्षेत्र की। मैं कहना चाहूंगी कि इनके लिये आप एक कमेटी गठित करें। आप बांसवाड़ा के प्रभारी भी हैं, हमारे प्रभारी भी हैं, टीएडी मंत्री भी हैं तो आप एक बार कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र घूमकर, साथ में मैं भी चलूंगी, उसका सर्वे करके वास्तविक जो लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को पट्टा देने का कष्ट करें।

Jyg/rtm/18.07.24/17.50/3k

जिस तरह से आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनजाति छात्रावास हैं, इन छात्रावासों में से कुछ छात्रावास ऐसे हैं, पिछली सरकार हमारी थी तब छात्रावास बने भी हैं, कुछ पिछले के बचे हुए छात्रावास हैं उनमें मंत्रीजी, बालिकाओं के पानी पीने के लिए आज भी व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से आज पीने के पानी के लिए टैंकर के माध्यम से आज भी टैंकर खड़ा करके बस्सी छात्रावास में पानी सप्लाई किया जा रहा है। हमने भी ट्यूबवैल निकालने की कोशिश की पर पानी गिर गया इस वजह से आज हम वहां पानी नहीं दे पाए हैं। जिस तरह से आज मैं मांग भी रखती हूं कि कसारवाड़ी एरिया में वहां करीब 8 से 10 पंचायतें पड़ रही हैं, वहां बालिकाओं का छात्रावास नहीं है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि उकाला व कसारवाड़ी में छात्रावास खोलने की कृपा करें। इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में लोग अधिकतर गरीब है, घाटा क्षेत्र में 18 से 21 पंचायतों में पानी की काफी समस्या है और एक ही फसल उनको मिलती है। कुछ पंचायतों में छोटे-छोटे तालाब और एनिकट बनाए हुए हैं, एक ही फसल के कारण जितना रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पाता है इसलिए काम करने के लिए गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत आदि जगह जाने के बाद भी कई ऐसे लोग भी हैं जो वापस आ ही नहीं पाते हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जिस तरह से घाटा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में छोटे-छोटे एनिकट बनाने की कृपा करें। इनके एनिकट बनवाने से वहां कृषि और रोजगार के छोटे-मोटे अवसर पैदा हो जाएंगे।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से कुछ पंचायतों में आज भी बिजली के कनेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि आपके यहां से लगाकर

दिल्ली तक आपकी सरकार है, आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, मैं आशा और विश्वास करती हूं कि आप इसकी जांच करवाकर वास्तविक जिन पंचायतों में, जिन गांवों में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है और सड़कें नहीं पहुंची हैं, आपके विभाग, टीएडी के द्वारा वहां सर्वे करवाकर कनेक्शन दिलाने की कृपा करेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुन लिया हमारे मंत्रीजी अच्छे हैं।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): आप भी अच्छे हो साहब। ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजो आप।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? आते ही घण्टी बजा दी।

श्री सभापतिः दो मिनट में आप अपना वक्तव्य समाप्त करें। आपका समय पूरा होने वाला है।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, ऐसे कैसे होने वाला है? हम बोलते धीरे-धीरे हैं इसका मतलब यह नहीं है, ..(व्यवधान)... आप आदिवासी के ऊपर बोलने ही नहीं दोगे तो किसके ऊपर बोलेंगे हम बताओ?

श्री सभापतिः आठ बजे मंत्री महोदय रिप्लाई देंगे, वक्ता बहुत हैं इसलिए आप अपनी बात अपने समय में पूरा करें। आपके दल ने यह दिया है।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): आप हमारे आदिवासी पर अन्याय कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एरिया गुजरात और मध्य प्रदेश से लगता हुआ है। इस तरह से आज छोटे-छोटे बच्चे पहाड़ी इलाका है, इसमें स्कूलों की, कक्षा कक्ष की काफी समस्याएं हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक पंचायत की बात करती हूं, सरोना पंचायत में गए साल स्कूल गिरने के बाद भी आज तक वहां कक्षा कक्ष नहीं हैं और गांव वालों ने चंदा करके, वो आज भी स्कूल पतरे के नीचे चल रही है, गांव वालों ने चंदा किया और वो स्कूल सरोना में आज भी पतरे के नीचे चल रही है। आज भी आप सर्वे करवा लें। यहां पर टीएडी के अधिकारी भी बैठे हुए हैं, मैडम भी बैठी हुई हैं तो इसी तरह से मैडम, उसकी जांच करके तत्काल प्रभाव से टीएडी से पैसे स्वीकृत करवाकर उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सुचारू करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, एक स्कूल ऐसी है, ग्राम पंचायत कोट्ड़ा में।

श्री सभापतिः समाप्त करें आप। ..(व्यवधान)...यहां सभी आदिवासी ही हैं। ..(व्यवधान)... श्री ललित मीना।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

कोटड़ा में खूँटा कुण्डिया में आज भी उसका सर्वे करवाकर एक कमरा है बना हुआ है, उस पूरे गांव में एक ही स्कूल है, वही एकमात्र कमरा है, उस कमरे से कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। उसका सर्वे करवाएं आप और टीएडी विभाग से उस कक्षा कक्ष का

पुनर्निर्माण करवाएं।

श्री सभापति: आप विराजें। सारी बात कह दी आपने, दस-बारह मिनट बोल लिए आप।

श्री ललित मीना।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 30 और मांग संख्या 31 पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहूंगा कि इस जनजाति क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं वो मेरे पूरे भारत में सहरिया जनजाति आदिवासी क्षेत्र है। उस सहरिया जनजाति आदिवासी क्षेत्र में विशेष प्रोविजन करते हुए केन्द्र सरकार ने संविधान में आदिवासी सहरिया परिवारों को विशेष आरक्षण दिया हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 80 हमारे मतदाता सहरिया परिवारों के हैं, जनजाति क्षेत्र के हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री को धन्यवाद दूंगा, 26 हजार घर पीएम जन मन के अंतर्गत स्वीकृत किए जिनमें से 13 हजार का वर्तमान में अभी काम चल रहा है और 1 घर का 2 लाख 40 हजार रुपये उनके खाते में आ रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ी-सी समस्याएं हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, एक तो उनको अभी भी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीएम जन मन का काम चल रहा है और वन विभाग के कारण, फोरेस्ट की सड़कें उनकी रुकी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी फोरेस्ट की सड़कों को बहाल कराएं, 1 हैक्टेयर तक शायद डीएफओ और कलक्टर के माध्यम से कंवर्जन होकर उनको सुविधा मिल सकती है। वहीं 17 हजार बिजली के कनेक्शन जिनमें से 14 हजार वर्तमान में हमारे आदिवासी परिवारों के हो चुके हैं, बाकी को भी कोई थोड़ी-बहुत फोरेस्ट की वजह से कोई पट्टे इश्यु हैं, पीपल खेड़ी के, हमारी पंचायत खीरिया है, कई और भी गांव हैं, जहां पर हमारा आदिवासी परिवार फोरेस्ट में बसा हुआ है, उसका पीएम जन मन में घर आ गया है लेकिन उसको घर बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि उसको पट्टा ही इश्यु नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी आपसे कि उनको कलक्टर के माध्यम से, डीएफओ के माध्यम से 1 हैक्टेयर की जमीन ग्राम पंचायत को दी जाए और उसको अधिकृत पट्टा दिया जाए ताकि वो पीएम जन मन के अंतर्गत वो अपना घर वहां निर्माण करवा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मेरे आदिवासी क्षेत्र में चिकित्सा के लिए जो हमारे एमटीसी वार्ड, जो कुपोषित बच्चे होते हैं, मेरे यहां 2002 में कुपोषण के कारण कुछ मौतें हुईं, वो यूएनओ में, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यह बात गूंजी, पूरे भारत में भी गूंजी तो मेरा निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र में टीएडी के माध्यम से जो पिछली सरकार 2013-18 के अंतर्गत एमटीसी वार्ड चलते थे हमारे पीएचसी पर देवरी में, कस्बा थाना में, नाहरगढ़ में रेलावन में, समरानिया में तो वो बंद हो गए थे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनको दुबारा बजट देकर उनको चालू कराने का काम करें ताकि हमारे जो कुपोषित

बच्चे हैं, उनको अच्छा पोषाहार मिल सके और उस किशनगंज-शाहबाद में हमारे आदिवासी परिवारों को मा-बाड़ी सेंटर हैं, डे केयर सेंटर हैं, उन पर डबल पोषाहार का विशेष प्रोविजन मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, तो हम कहीं न कहीं वहां अच्छा बजट देकर और उनके भवन भी जो मां-बाड़ी हमारे वर्तमान में चल रहे हैं उनको अच्छे भवन के लिए अतिरिक्त बजट टीएडी विभाग से उपलब्ध करवाएं, ताकि जर्जर अवस्था से मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण करवाया जा सके।

MLS/RTM/18.07.2024/18:00/3I

इसके साथ-साथ 2013 से 2018 के कार्यकाल के दौरान हमारे सहरिया परिवारों के जो मां-बाड़ी के सैंटर्स हैं, उनके साथ हमारे भील समाज के जो गांव हैं, उनमें भी मां-बाड़ी के केन्द्र खोले गये थे। 20 मां-बाड़ी केन्द्र खोले गये थे, जिनके वर्तमान तक पट्टे जारी नहीं हुए हैं। मां-बाड़ी की बिल्डिंग को बनाने के लिए बजट नहीं मिला। मेरा निवेदन है कि उन्हें बजट दिलाने का विशेष प्रोविजन करें।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अन्तर्गत 1991 में जब हमारे बंगाली समाज का रिफ्यूजी कैम्प टोंक में लगा तो वहां चार गांव बंगाली समाज के बसाये गये। उनको दो बीघा, पांच बीघा, दस बीघा जमीन अलॉट भी की गयी, परन्तु वर्तमान में आज 50 साल होने के बावजूद भी उनके नाम के आगे बंगाली लिखा जाता है, जबकि बंगाली कोई जाति नहीं है। मैंने सदन में पर्ची के माध्यम से भी यह बात रखी थी। सभापति महोदय, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यहां विराजे हैं, मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह है, जमाबन्दी में उसे दुरुस्त कराएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में खेरवा समाज के भी चार-पांच गांव हैं, जो हमारे कथोड़ी समाज, जो हमारे जनजाति मंत्री जी विराजे हैं, कथोड़ी कोटड़ा, झाडोल, खेरवाड़ा, वहां पर कथोड़ी जिन्हें कहते हैं, वे वहां एसटी में आते हैं। हमारे यहां पर वे कत्था तोड़ने का काम बरसों से जंगलों में करते आये हैं। उन्हें घी, तेल, दाल आदि आपके यहां विशेष प्रयोजन करके देते थे। पिछली सरकार में 2017 में भाजपा की सरकार ने उन्हें घी, तेल, दाल आदि दिलाने का काम किया, पर उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। हमारे मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें भी एनलाइज करके वह दर्जा दिलाएं।

ऐसे ही हमारा बांसफोड़ समाज है, जो झालावाड़ में हमारा बसेड़ा समाज है, उन्हें भी वहां पर एससी के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं तो यहां पर मेरे रामगढ़ में भी बांसफोड़ समाज के लोग हैं, उन्हें उसके प्रमाण पत्र का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए विशेष प्रोविजन करके उनके जाति प्रमाण पत्र विशेष रूप से दिखवा कर जारी कराएं।

इसके साथ-साथ पूरे किशनगंज-शाहबाद में पिछले 6-7 साल से फॉरेस्ट के कारण 15-16 सड़कें रुकी हुई हैं। आज वन विभाग के जो कई सारे नॉर्म्स हैं, आज बजट दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है उनका, 2017-18 में बजटरी प्रोविजन होने के बावजूद वे सड़कें पैंडिंग पड़ी

हुई हैं। मेरा आज सदन के माध्यम से निवेदन है कि आदिवासी सहरिया क्षेत्र के लिए विशेष प्रोविजन करके उन्हें पास कराएं।

मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और एमपी से लगा हुआ है। वहां पारदी गिरोह बहुत ज्यादा सक्रिय है। वहां थाने खुलवाने का श्रम करें। मेरा पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, इसलिए टीएडीए के माध्यम से अतिरिक्त बजट केन्द्र सरकार से भी दिया जाता है। हमारे टीएडीए उदयपुर से भी दिया जाता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी जो बजट पेश किया, उसमें मुझे अलग से बजट दिया। तीन जगह से बजट मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं हमारे मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो वह क्षेत्र है, उसमें हमारे एससी, ओबीसी, जनरल के भी जो लोग रहते हैं, उन्हें वहां पर हमारे पीएम जन आवास के घर मिलते हैं, उन्हें भी घर का प्रोविजन किया जाये।

इसके साथ-साथ पूरे भारत में आज वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में सहरिया समाज के लिए खाद्य सुरक्षा में केन्द्र सरकार ने पोर्टल चालू किया है। अभी उनका केवाईसी का काम चालू किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम इसके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में किया।

इसके साथ-साथ मैं इस सदन को यह बताना चाहूंगा कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इसके लिए विशेष प्रोविजन हो, डिलिमिटेशन का काम हो, केन्द्र सरकार को हम भिजवाएं ताकि आरक्षण के असली हकदार को इसका लाभ मिले।

इसके साथ-साथ मेरे किशनगंज-शाहबाद में जो हमारी सिंचाई परियोजना है, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने आते ही पहले बजट में ईआरसीपी की 900 करोड़ की घोषणा की है। बहुत बड़ी घोषणा की है। मेरे यहां महलपुर-रामगढ़ डैम भी बन रहा है, उससे 30-35 गांव डूब में हैं। मेरा आपके माध्यम से हमारे जनजातीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को विशेष प्रोविजन देते हुए पेयजल और सिंचाई के लिए जोड़ा जाये, क्योंकि उसकी डीपीआर में उसे अभी जोड़ा नहीं गया है। अत: मेरे विधान सभा क्षेत्र में बन तो रहा है, डूब में भी आ रहा है, लेकिन उसे उसका लाभ भी मिले।

मेरे 35 गांव डूब में आ रहे हैं तो उन गांवों को आप विशेष रूप से इस सदन के माध्यम से पट्टे बनवाकर जारी करें ताकि जब वे डूब में आएं तो उन्हें मुआवजा मिल सके।

मेरे भील समाज की 2017 में 20 मां-बाड़ियां जो पिछली बार खुली थीं, वे अभी तक केवल पेड़ों के नीचे जर्जर भवनों में ही चल रही हैं, पट्टे जारी नहीं हुए, उनके पट्टों और भवन के लिए आप राशि जारी कराने का काम करें।

इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे सहरिया आदिवासी जनजाति का एक

बहुत बड़ा मेला खेरवाड़ा में 20 दिन के लिए भरता है, उसे अतिरिक्त बजट दें ताकि आदिवासी परिवारों को मेले के दौरान आर्थिक सहयोग हो।

इसके अलावा, जो हमारा सहरिया आदिवासी स्वांग है, उसका आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। सहरिया आदिवासी अपनी संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। वे देश-प्रदेश में भी जाते हैं, यहां पर जब हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, उस दिन भी उनका विशेष प्रोग्राम रहता है। अतः उन्हें अतिरिक्त बजट देने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, जो फूलडोल लोक उत्सव पिछले 126 सालों से किशनगंज में मनाया जा रहा है, उसके लिए भी बजटरी प्रोविजन करने का काम करें।

यह सहरिया क्षेत्र है, अगर वहां पर कोई भी छोटा-मोटा इश्यू होता है तो पूरी राजस्थान सरकार, पूरी केन्द्र सरकार को जवाब देना पड़ता है, इसलिए वहां ये छोटे-छोटे इश्यूज जो हैं, जैसे रोड, पानी, सिंचाई आदि के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनीष यादव। आठ मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 30 और मांग संख्या 31 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। मैं आपके समक्ष मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जो विशेष रूप से राज्य के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और समाज के गरीब तबकों के लिए हमेशा जो योजनाएं चलायी जाती हैं, हर व्यक्ति की आशा रहती है कि उन योजनाओं में पारदर्शिता रहे।

समाज का हर वर्ग चाहता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सही तरीके से उन योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम छोर तक पहुंचाने का काम करे, लेकिन आज के समय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिस प्रकार से काम कर रहा है, वह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज भले ही नौजवान हो, छात्रवृत्ति के लिए भले ही वह चक्कर काट रहा हो कहीं पर, भले ही कोई पालनहार योजना हो, ऐसी कोई भी योजना हो जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आती हो, मैं कहना चाहता हूं कि सही तरीके से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का काम जो होना चाहिये, वह काम बिलकुल नहीं है। आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग केवल एक विभाग बनकर रह गया है। उसका काम जिस सामाजिक कल्याण की मंशा के लिए होना चाहिये था, वह कहीं पर नजर नहीं आ रहा है।

मैं विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर आया हूं। इस सदन में मुझे आने का अवसर मिला। हमसे छात्रों का जिस प्रकार का सीधा संवाद रहता है, आज छात्र आये दिन अपनी छात्रवृत्ति के लिए परेशान रहते हैं। विभाग की वजह से छात्रों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा

है, गरीब विद्यार्थी, भले ही वह एससी, एसटी, ओबीसी का हो या समाज के कमजोर वर्गों का हो, अगर वह छात्रवृत्ति के लिए ई-मित्र पर जाता है तो जवाब में कोई न कोई आपत्ति लगाकर उसकी छात्रवृत्ति को रोक दिया जाता है। फिर वह जिला स्तर पर आकर अपनी समस्या बताता है, वहां भी कोई सक्षम अधिकारी उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह नहीं बतात।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर जगह पर, हम कहीं पर जाएं, छात्र केवल अपनी छात्रवृत्ति की समस्या गाता रहता है।

mkd/rtm/18.07.2024/18:10/3m

उसको कभी बजट के अभाव में छात्रवृत्ति से रोक दिया जाता है। मैं बजट को पढ़ रहा था और पुराने बजट को पढ़ रहा हूं। हमेशा जो बजट प्रावधित है, जो बजट जारी किया जाता है। मैं कहूंगा कि उस बजट का बहुत कम प्रतिशत इस विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है। निचले स्तर पर जो लाभ पहुंचाना चाहिए, उसका लाभ समाज के गरीब वर्गों को नहीं मिल पाता है। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गरीब छात्रों के लिए पन्नाधाय जीवन अमृत योजना चलाई जा रही थी, उसे सरकार ने आते ही बन्द कर दिया है।

आज छात्रावासों की जो स्थिति है, आज कहीं भी जायें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच छात्रावास आते हैं, एक हमारे शाहपुरा में, मनोहरपुर में, अमरसर में, राडावास में छात्रावास हैं। हम वहां जाकर उन छात्रावासों की स्थिति देखेंगे तो ऐसे हालात बने हुए हैं कि विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। जिन व्यवस्थाओं की समाज कल्पना करता है। आज के समय में हम विद्यार्थियों को ऐसी सुविधा देंगे, वह सुविधा कहीं पर भी नजर नहीं आती है। उनके रख-रखाव के लिए, उनके मेंटीनेन्स के लिए जो भी बजट आता होगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां छात्रावास में पैसा नहीं आता है। उनको भोजन भी अच्छे से ठीक क्वालिटी का नहीं मिलता है। आज जो परिस्थिति सरकारी नौकरियों में बनी हुई है, आज सरकारी नौकरी बिलकुल नहीं है। आज ठेकों व संविदा पर नौकरियों जाने लग गई हैं। आप देखिये, आज ठेका प्रथा में ठेके पर नौकरी दी जाती है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हम सामाजिक न्याय के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी और समाज के कमजोर वर्गों की बात करते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से कोई भी नौकरी, अगर कोई मेडिकल के क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी, जिला स्तर से लगाये जाते हैं तो उसमें न आरक्षण की पालना की जाती है।

आज विद्या सम्बल योजना, महाविद्यालयों में जिस प्रकार से विद्या सम्बल योजना चलाई जा रही है, न उसमें आरक्षण की पालना की जाती है। यदि नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे मॉडल पर ले गये हैं, ठेका प्रथा मॉडल पर ले गये है तो वहां पर आरक्षण की पालना नहीं हो रही है। हम उन गरीब वर्गों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को यह ध्यान देना चाहिए कि समाज के गरीब

वर्गों के लिए विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, जो आरक्षण की व्यवस्था सब जगह पर है, उसे ठेके के आधार पर लेने वाले कर्मचारियों के लिए भी हमको हमेशा लागू करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन पिछले चार महीने से नहीं हो पा रहे हैं। तकनीकी रूप से पोर्टल में कोई वजह है, जिसकी वजह से लाभार्थी अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परेशानियों का सामना हर वर्ग को करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षिक करना चाहूंगा कि ओबीसी की जो छात्रवृत्ति है, उसको आप बिलकुल कम कर चुके हैं। केन्द्र सरकार द्वारा ओबीसी के वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था है, उनको अधिकतम 13 हजार रुपये छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा हमारी सरकार 5 हजार स्कूटी दे रही थी, आपने 2 हजार कर दी है, जो एक तरह से हम सब लोगों के साथ अन्याय करने का काम कर रहे हो। काफी दिनों से छात्रावास अधीक्षक के 300 से ज्यादा पद खाली हैं। आप समझिये कि 300 छात्रावास राम भरोसे चल रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रगति प्रयास रिपोर्ट है, उसके पेज संख्या 135 और 51 का हवाला देना चाहूंगा कि लाभार्थियों को जो लाभ होना चाहिए, जो व्यय है, वह बहुत कम है और बजट का प्रावधान ठीक-ठाक है, लेकिन व्यय का सही तरीके से नहीं पहुंचना अपने आप में चिन्ताजनक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे पद हैं, जो भरे हुए पद हैं वे 2 हजार 147 हैं और स्वीकृत पद 4 हजार 880 है, इसका मतलब अभी भी 2 हजार 713 पद रिक्त हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मेरे विधान सभा क्षेत्र में नये छात्रावास खोले, जिससे हमारे छात्रों को लाभ मिल सके। जनजाति विभाग भी हमारे क्षेत्र में ऐसे छात्रावास खोले, जिससे हमारे छात्रों को लाभ हो सके लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस सदन में हम लोगों को आने का अवसर मिला है, लेकिन बड़ी चिन्ता इस बात की हमको करनी पड़ेगी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सही तरीके से समाज के अन्तिम छोर के वर्ग को, अन्तिम छोर के विद्यार्थी को, व्यक्ति को वह लाभ दे पाये, जिससे उसको लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज एससी, एसटी और ओबीसी की अधिकतम जनसंख्या गांवों में निवास करती है। आज बिजली के हालात कैसे बने हुए हैं। उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। वह वर्ग बिजली की वजह से परेशान है। इस ओर भी हमको ध्यान देना चाहिए। सरकार विशेष रूप से इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जनजाति विभाग पर ध्यान दे, ताकि गरीब वर्गों को उसका लाभ मिल सके और समान रूप से एससी, एसटी, ओबीसी के वर्गों को समाज में जो लाभ मिलना चाहिए, वह हर जगह पर मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री समाराम। आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): आज मांग संख्या 30 और 31, जनजातीय क्षेत्रीय विकास

एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

आज जनजाति विभाग के पूर्व मंत्री भी विराजे हैं और वर्तमान मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं तो पूर्व सरकार को कहना चाहता हूं कि तर्क-वितर्क में बहुत ही अच्छा सुझाव देते हैं कि जनजाति में आदिवासियों के साथ में ऐसा हुआ है, आदिवासियों को इस प्रकार से करना चाहिए, आदिवासियों का कोई विकास नहीं हुआ है। यह सरकार कई दशकों तक रही है तो कम से कम ये सुधार जाते तो आदिवासियों का तो कल्याण होता। अगर गरीब को गणेश मानने का काम करते, यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी-कभी जब भी आई है, तभी आदिवासियों का कल्याण हुआ है बाकी कहीं नहीं हुआ है।

मैं धन्यवाद देता हूं यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, जो बजट रखा वह आदिवासी और जनजाति क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। वह बहुत ही तारीफ के काबिल है। पहले छात्रावासों की स्थिति, ये कह रहे हैं कि बाबूलाल जी छात्रावासों की एक टीम बना दी जाये। मंत्री जी अभी-अभी नये बने हैं। आचार संहिता आ गई, लोक सभा के चुनाव आये, लेकिन मैं पूर्व मंत्री जी जो बैठे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि कभी आपने भ्रमण किया है क्या? मेरे भी क्षेत्र का आंशिक भाग आदिवासी है और आबू रोड 100 परसेंट टीएसपी क्षेत्र है। पूर्व सरकार ने कभी परामर्शदात्री की बैठक भी ली है क्या? एक भी परामर्शदात्री की मीटिंग नहीं रखी और आदिवासियों की कल्याण करने वाली सरकार। कभी भी ऐसी सोच नहीं रखी कि आदिवासियों का कल्याण हो, छात्रावासों की हालत ठीक ढंग से हो और बिस्तर वगैरह ठीक हो। यह तो मंत्री जी अभी नये-नये बने हैं और छात्रावासों के हालात को सुधारेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है।

जिस प्रकार से मां-बाड़ी पहले दी है और पूर्व सरकार में जितना भी बजट दिया है, वह अभी तक काम में नहीं आया है। मां-बाड़ी भी अभी तक शुरू नहीं हुए है। उनको निरस्त किया जाये। मैं, मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करूंगा कि बेमतलब की घोषणाएं की हैं। इनकी काम करने की नीति नहीं है, पूर्व सरकार ने दुनिया भर की घोषणाएं की थीं, लेकिन एक भी काम धरातल पर नहीं हुआ है।

मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और जनजाति मंत्री विराजमान हैं। ये जो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, उनकी जांच की जाये, उनको डी-लिस्ट किया जाये। उस लिस्ट से उनका नाम हटाया जाये, क्योंकि अपना धर्म तो ईसाई और फिर जनजाति, टीएसपी क्षेत्र का फायदा भी लेते हैं और अपने आपको कहते हैं कि हम हिन्दू नहीं हैं। हर आदिवासी तो सनातन हिन्दू है और वह आदिवासी गर्व से कहता है कि हम हिन्दू हैं और कहते हैं कि हम हिन्दू नहीं है तो फिर आदिवासी जनजाति का फायदा क्यों लेते हैं? उनको इससे हटाना चाहिए। इस प्रकार की लिस्ट में से नाम हटाना चाहिए।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि लिलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक, पूर्व सरकार ने 2011 में उसका भूमि पूजन किया था। उसके बाद मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाये तो थोड़ा बहुत कुछ काम किया है, लेकिन वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। मंत्री महोदय जी, वहां

लिलुड़ी बड़ली शहीद स्मारक का अच्छी तरह से भूला के अन्दर बनाया जाये ताकि लोगों को यह हमेशा याद रहे कि लिलुडी बड़ली शहीद स्मारक बना।

मैं धन्यवाद दूंगा, यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी को और वित्त मंत्री जी को कि इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशुपालकों का 28 करोड़ का एक आवासीय छात्रावास दिया है और जनजाति छात्रावास दिया है।

Bhs/Rtm/18.7.24/18.20/3n

इसके लिए भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा जिस प्रकार से बजट में कोई कमी नहीं रखी लेकिन पूर्व सरकार में जो मंत्री जी ने कहा कि हमारे साथ भेदभाव किया, मैं तो 2003 से 2008 तक मंत्री जी के साथ में एक जनजाति कमेटी में था। मैंने सोचा था कि मंत्री जी हमारे मित्र हैं, आते ही मंत्री भी बने हैं और बजट देंगे। मैंने कहा कि एकाध मां बाड़ी दे दो, हैंडपम्प दे दो लेकिन कुछ भी नहीं दिया और वो कहते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं दिया। कम से कम कुछ-कुछ एकाध का बजट भी दिया होता तो हम मानते कि विपक्षियों के साथ में भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भेदभाव नहीं किया है सबके साथ में एक जैसा व्यवहार किया है और बजट बराबर का दिया है। मैं पुनः आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण। आठ मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों के दोनों ही मांगों पर विचार सुन रहा था। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ और दु:ख भी है और सबके लिए दुख की बात है कि 75-77 सालों में जितनी भी सरकारें बनी हैं सभी सरकारों ने अपने हिसाब से अनुसूचित जन जाति क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के विकास के लिए काम तो किया है लेकिन फिर भी अभी भी स्थिति यह है कि वहां जो बहुत ही दु:ख की बात है मेरे ख्याल से पचास साल-सौ साल पहले नहीं होगा कि आदिवासी अपने बच्चों को बेच रहे हैं सात-सात हजार में, बीस-बीस हजार में। इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी। ऐसा विकास तो मेरे ख्याल से कहीं भी शोभा नहीं देता है।

सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमारे इलाके में बिजली नहीं आती, वहां सड़कें नहीं हैं, रोजगार नहीं है, वहां ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो फिर 75 सालों में पैसे लगाये वो गये कहां है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। या तो यह हुआ कि जो योजनाएं थीं वहां जो लागू करने वाले एजेंसी थी उसने ढंग से काम नहीं किया या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है या फिर जो फंड जिस मद के लिए आता था उसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, केवल मात्र आपके जनजाति क्षेत्रीय विकास का मंत्री ट्राइबल बना देने से या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ओबीसी का मंत्री बना देने से ही

विकास नहीं हो जाता है। विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से हो, पूरा बजट खर्च हो, उसका सर्वे हो और मैं तो यह भी कहूंगा, माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से इनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये 75-77 साल में कितना विकास हुआ है, आदिवासियों के जीवन में क्या इम्पेक्ट आया है, क्या उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है या बदतर हुई, इसके लिए एक स्टडी की जाये और उस स्टडी का रिजल्ट आने के बाद में फिर यह सोचा जाये कि इसकी जो कार्यप्रणाली है जो आपने नीति अपना रखी है विकास की उसमें कोई परिवर्तन लाया जाना चाहिये या नहीं लाया जाना चाहिये, तब तक नहीं तो इस तरीके से तो बजट आते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, बजट खर्च होगा भी नहीं और कुल मिला कर आप कहते रहेंगे कि हमने विकास कर दिया और आदिवासियों को एक वोट बैंक के रूप में मान कर दोनों पार्टियां अपना राग अलापती रहेंगी। इससे विकास होना कतई सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें सरकार ने आदिवासियों को भी बांट रखा है। एक अधिसूचित एरिया टीएसपी एरिया जिसको कहते हैं दूसरा, माडा क्षेत्र है तीसरा, माडा कलस्टर है चौथा, बिखरा हुआ जनजाति एरिया है। मैं यह मान कर चलता हूं कि माडा क्षेत्र है बिखरी हुई जनजाति क्षेत्र है माडा कलस्टर उसमें फिर भी विकास दिखता है आदिवासियों की स्थिति थोड़ी बेहतर है लेकिन टीएसपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके लिए और बजट देने की आवश्यकता है, जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनको और ताकत देने की आवश्यता है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है और एक अध्ययन करके यह देखने की आवश्यकता है कि हम कहां से रवाना हुए थे और कहां तक पहुंचे हैं, नहीं तो इस तरीके से विकास होगा तो आप सौ साल तक भी इनको ऐसे ही रखोगे कुछ नहीं होने वाला है, जब 75 सालों में ही नहीं हुआ तो आगे क्या कर लोगे आप। बजट आप दे दोगे, बीजेपी वाले आयें तो कहेंगे हमने कांग्रेस से बढ़ कर बहुत ज्यादा बजट दे दिया, हम ही आदिवासियों के शुभचिन्तक हैं जब कांग्रेस सरकार आयेगी तो बीजेपी वालों को गाली ठोकेंगे, कहेंगे कि आप तो उन आदिवासियों के दुश्मन हो, असली शुभचिन्तक तो हम हैं, तो इस तरीके से चलने से तो आदिवासियों का कोई विकास होने की सम्भावना कतई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात तो आदिवासियों की हुई लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने कहा किबहुत बड़ा विभाग है। बहुत सारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति भी इन्हीं के द्वारा होती हैं और राज्य सरकार की योजनाएं सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उनकी क्रियान्विति भी इन्हीं के थ्रू होती हैं लेकिन इसमें भी खामी है। बहुत ज्यादा खामी है योजनाओं की क्रियान्विति ढंग से नहीं की जाती है, समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कहूं कि आपके एसटी के जो बच्चे हैं उनकी तीन-तीन साल से स्कोलरशिप नहीं आ रही है और जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि भारत सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं। भारत सरकार से तो पैसे आप लाइये। आपकी सरकार है, कहिये, अगर आप अनुसूचित जन जाति के बच्चों

में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो स्कोलरशिप तो दीजिये जितनी भी देते हैं आप।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो पालनहार वाली योजना है, मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने बताया था कि तीन बच्चों का है। माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित रूप से होना चाहिये कि तीन के अलावा भी अगर पांच बच्चे हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिये और इसको करना चाहिये।

ये जो आपकी आंगनबाड़ी है इन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत पैथेटिक है। वहां टॉयलेट्स नहीं हैं, वहां पंखें नहीं हैं, वहां बिजली नहीं है। आप किराये की बिल्डिंग के लिए दो सौ रुपये देते हैं, दो सौ रुपये में कोई किराये की बिल्डिंग मिलती नहीं है तो इसमें भी माननीय मंत्री जी, ध्यान दें कि कम से कम उनमें बिजली, कुछ एक-दो कुर्सियां, टॉयलेट की व्यवस्था हो और ज्यादा से ज्यादा आप यह नरेगा में ही बनवायें। आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से मां-बाड़ी की भी यही स्थिति है जो मां बाड़ी की स्कूलें चल रही हैं और जो दूरदराज के इलाकों में हैं वो भी किसी के मकान में चल रही है किसी के झौंपड़े में चल रही हैं, उनके लिए भी बिल्डिंग्स नहीं है तो उनके लिए भी बजट दिया जाना चाहिये। इसके अलावा भी... (समय समाप्ति सूचक घंटी)

हां, खत्म कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। अब मेरी मांग है दो-तीन जो मैं माननीय मंत्री जी के सामने रख दूं। आपने जितने भी आपके एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं या आश्रम छात्रावास हैं टीएसपी एरिया में तो काफी खोल रखे हैं और वहां और भी खोलें, वहां बहुत जरूरी है, उन भाइयों को हमारे बराबर लाना है, हमसे भी आगे उनको लाना है लेकिन आप माडा क्षेत्र और जो बिखरी जनजाति क्षेत्र है उसमें भी एक-दो विशेषकर यह जो सवाईमाधोपुर है, जयपुर जिले का इलाका है, कोटा का इलाका है उसमें खोलने की कृपा करें। इसी तरीके से छात्रावासों का जो निर्माण कर रखा है आपने, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस हैं और दस की स्थिति इतनी पैथेटिक है कि उनके टॉयलेट्स खराब हैं, बिस्तर नहीं है, टाइम पर बजट नहीं मिलता है और वहां का जब वातावरण ही ठीक नहीं होगा...।

श्री सभापतिः कन्क्लूड करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण (बस्सी): ... तो वह किस तरह से वहां अध्ययन करेंगे, तो इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापतिः श्री शंकरलाल डेचा। आठ मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बोलिये।

Kas/rtm/18.07.2024/18.30/3o

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का मौका

दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2024-25 के बजट घोषणा में पहली बार जनजाति हित में घोषणाएं हुईं। बजट घोषणा में टी.एस.पी. क्षेत्र के लिये प्रावधान 1000 से बढ़ाकर 1500 करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा एवं वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भजन लाल जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा व डूंगरपुर के कई काम बजट घोषणा में जोड़े गये। आदिवासी समाज के उत्थान एवं विकास के लिये 220 के.वी जी.एस.एस., किसानों के लिये सोमकमला नहर एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक का खण्ड कार्यालय सागवाड़ा में, पादडीबड़ी में 133 के.वी. जी.एस.एस. और बरबोदनिया में पी.एच.सी. की सौगात देकर जनजाति क्षेत्र के लिये बहुत बड़ी सौगात दी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे टी.एस.पी. क्षेत्र में सड़कों के विस्तार के लिये, सरोदा, करोड़ा, भासोर, बनकोड़ा एवं चौड़ाइकरण के लिये 20 किलोमीटर सागवाड़ा-डूंगरपुर जनजाति क्षेत्र के लिये 20 करोड़ की घोषणा कर बड़ी सौगात दी है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र डूंगरपुर अरावली क्षेत्र है और वहां बहुत पहाड़ी क्षेत्र है। जनजाति में पहाड़ी क्षेत्र होने से और जमीन कम होने की वजह से वहां सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, कुओं की आवश्यकता है। मैं मेरे गांव की बात करूं, मेरे गांव से कुंजेला गांव की 3 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन बीच में जंगल का क्षेत्र आता है। उस गांव में जाने के लिये 27 किलोमीटर तक चल कर जाना पड़ता है। ऐसे हमारे कई स्थान हैं, धार्मिक स्थान भी हैं, लेकिन बीच में वन विभाग की जमीन आने से वहां कभी हॉस्पिटल जाना हो या अन्य जगह जाना हो, वहां वाहन की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में जो विद्यालय में हमारे बालक आते हैं, इनके लिये भी बड़ी समस्या होती है। आंगनबाड़ी खोली तो हैं, लेकिन वहां आज दिन तक भवन नहीं हैं। मैं हमारे टी.ए.डी. मंत्री बाबूलाल जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र आपका है और जनजाति क्षेत्र में टी.एस.पी. क्षेत्र है और टी.एस.पी. में सभी समाजों के लोग रहते हैं। इसमें ओ.बी.सी. भी आ गये, एस.टी. भी आ गये, एस.सी. भी आ गये। अगर आदिवासियों का भला करना है, अभी मेरे सामने वाले भाई भी कह रहे थे, मैं कहता हूं कि आज भी आदिवासियों का विकास नहीं हुआ। मंत्री भी हमारे समाज का बनता है, सरपंच भी हमारे समाज का बनता है, प्रधान भी हमारे समाज का बनता है, प्रमुख भी हमारे समाज का बनता है, एम.एल.ए. भी हमारा व्यक्ति ही बनता है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? इसके लिये भी हम सबको मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, बिल्डिंग की कमी है। इन कमियों को दूर करेंगे तो वहां का विकास भी होगा और हमारा टी.एस.पी क्षेत्र भी मजबूत होगा।

मैं तो इतना ही कहूंगा कि मेरे डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा तहसील में अभी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की और केनाल आई। इतिहास में पहली बार वहां कैनाल आई है। इससे जनजाति क्षेत्र के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। टी.एस.पी. क्षेत्र में सभी

समाज के लोग रहते हैं, इससे सबको फायदा होने वाला है। इसलिए आने वाले समय में आंगनबाड़ी, मां-बाड़ी में ढंग से व्यवस्था होनी चाहिये। हॉस्टल में भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैं मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि हॉस्टल में भी बराबर व्यवस्था रहनी चाहिये, ताकि हॉस्टल बराबर चल सके। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं पुनः सभापति महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्रीमती इन्द्रा। 8 मिनट में अपनी बात कहें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका हृदय से धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने अंबेडकर भवनों के लिये जगह अलॉट करवा दी, उनकी 50-50 लाख रुपये की स्वीकृति करवा दी, उसके बाद आज तक वह अंबेडकर भवन धरातल पर बने नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय यह डिसाइड करें और अभी जवाब दें तो बताएं कि अंबेडकर भवन बनाने के लिये आपकी क्या योजना है और सरकार की इस तरह के काम करने की मंशा है या नहीं? अंबेडकर भवन प्रत्येक ब्लॉक पर बने, मैं तो चाहती हूं कि बड़े कस्बों में भी अंबेडकर भवन बने और उनमें लाइब्रेरी भी स्थापित हो, ताकि पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हो सके। जो बालक दूर नहीं जा सकते, उनमें कोचिंग सेंटर खोलकर वह अपनी व्यवस्था कर सकें। कई सारा उपयोग अंबेडकर भवन का होगा। कम से कम प्रत्येक ब्लॉक पर तो बनने ही चाहिये। आप सुनिश्चित करें और आप जवाब दें ताकि इन पांच सालों में यह अंबेडकर भवन हमारे ब्लॉकों में बन सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हर क्षेत्र में, हर गांव में विकलांग मिल जायेंगे। विकलांगों के लिये कोई स्थायी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ताकि वह अपना जीवन यापन कर पाएं। उनको जो स्कूटी दी जाती है, वह पेट्रोल-डीजल की न देकर, इलेक्ट्रोनिक दें, ताकि उन पर यह भार भी न पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जनजाति छात्रावास जो बोंली में भी है और अधिकतर जगहों पर खुले हुए हैं, मैं चाहूंगी कि इनकी एक बार जांच करा कर, सर्वे करवा कर मांग के अनुसार इनकी क्षमता बढ़ाई जाये ताकि प्रतिवर्ष उन छात्रावासों में बालिकाएं पढ़ने से वंचित न हो सके। छात्रावासों की मॉनिटरिंग की भी अच्छी व्यवस्था की जाये, कोई टीम गठित की जाये, क्योंकि वहां पर बालिकाओं को खाने की, कपड़ों की, रहन-सहन की व्यवस्थाएं ठीक हो सके। मैंने भी एक-दो जगह जाकर देखा, तो कहीं छत टपक रही है, कहीं टॉयलेट खराब है, कहीं बालिकाओं को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रहीं। आने वाले समय में इन चीजों का ध्यान रखें, ताकि सरकार के पैसे का सदुपयोग हो सके।

msk/rtm/18.07.2024/1840/3p

मानननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी। जनजाति मंत्री जी, थोड़ा ध्यान दें। मंत्री जी।

श्री सभापति: ध्यान दे रहे हैं, आप तो बोलिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): जनजाति मंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगी कि पिछली जन भागीदारी योजना के तहत 30 परसेंट पैसा अपने विधायक कोष कट चुका है, बाकी का 70 परसेंट पैसा जो जनजाति विभाग से मिलना है, वह आज तक नहीं मिला है और वे काम अभी तक अधूरे पड़े हैं। हमने भी थोड़े टाइम के बाद 2023 में इसके लिए दिया था। जनजाति मंत्री जी, अपने जवाब में यह बतायें कि मेरे काफी सारे एक-डेढ़ करोड़ के काम थे, उनकी क्या प्रक्रिया चल रही है? क्योंकि अब साल भर होने वाले हैं, आपकी सरकार को आठ महीने हो गये हैं। यह प्रक्रिया सवा साल से चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से गावों और शहरों के अन्दर भिक्षावृत्ति है। यहां जो बत्तियां होती हैं, जो भिखारी मांगते हैं, उनके लिए कोई ऐसी योजना बनायें ताकि वे सड़क पर खड़े होकर..। क्योंकि आज उनका वहां पर भी शोषण हो रहा है। वे खुद भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, उनके टेण्डर, उनकी ठेकेदारी प्रथा चल रही है और वे उनको कमाकर देते हैं और उसके बदले वे उनको मजदूरी देते हैं। बत्तियों पर हम सभी लोग जाते हैं, प्रदेश के अधिकारी भी जाते हैं, सरकार के नुमाइंदे भी जाते हैं। उन लोगों को सभी लोग देखते हैं, लेकिन उनकी आज तक किसी ने व्यवस्था नहीं की। आप थोड़ा-सा इसके अन्दर यह भी ध्यान रखें कि इन लोगों के लिए भी सोचा जाये। इनके लिए पहले भी एक योजना बनायी थी। उनको ले जाकर प्रशिक्षित किया था। कई सारी योजनाएं चलीं, लेकिन वे सक्सेज नहीं हो पायीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर मां-बाड़ी विद्यालय खोले गये, उन विद्यालयों में दो-तीन साल से अभी तक भवन नहीं बने हैं। काफी सालों से, दस-दस साल से नहीं बने। मेरे इलाके में तो पिछली साल दस मां-बाड़ी विद्यालय खुले थे, उनके भवन भी आज तक नहीं बनाये गये। उनके अन्दर जो बालक पढ़ने आते हैं, उनको सरकारी अवकाश के दिन भी छुट्टी नहीं दी जाती। यह भी आप ध्यान रखें। इसमें सुनिश्चित करें कि यदि प्रदेश के अन्दर सभी बालकों की छुट्टी हो तो उनकी भी छुट्टी सुनिश्चित करें और उनके भवन की भी व्यवस्था करें। क्योंकि भवन के अभाव के अन्दर अव्यवस्था हो रही है। बालक ठीक से, कभी कहां, कभी कहां, वे किराये से लेकर स्कूल चलाते हैं।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि बालक-बालिकाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर कोचिंग सेन्टर खोलने की भी व्यवस्था हो, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी गरीब जनता निवास करती है, अपने बालकों और विशेषकर बालिकाओं को बाहर नहीं भेजना चाहते। सीनियर पढ़ने के बाद एवं उसके बाद कॉलेज हो तो बीए करने के बाद भी उनको बाहर नहीं भेजा जाता। कोचिंग के अभाव में जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उसके अन्दर सफल नहीं हो

पाते। मैं आपसे यही निवेदन चाहूंगी कि हमने जितनी भी मांगें रखी हैं, उन पर गौर किया जाये। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री लक्ष्मण राम।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): सभापति महादेय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब अंबेडकर को नमन करता हूं, जिन्होंने देश के शोषित, गरीब, वंचित एवं पीड़ित तबके की उन्नति के लिए..

गांव, गरीब, शोषित की चिन्ता करने वाले बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था के समर्थक थे, जहां मनुष्य की स्थिति, उसकी योग्यता और उपलब्धियों पर आधारित थी। जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण महान या अछूत नहीं माना जाता हो। उन्होंने देश के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोषित लोगों के लिए उपचार की नीति की वकालत की।

माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब का विजन था कि जब तक समानता का अधिकार देश में नहीं होगा, विकास कोई मायने नहीं रखता है। आजादी के *77* साल बाद पूरा सदन चाहे विपक्ष हो, पक्ष हो, हम सबको सोचना चाहिए कि एससी, एसटी और आम सामान्य समाज में कितना परिवर्तन आया है और हम लोगों को कितना लाना है, यह हम सबको विदित है। किसी गांव, शहर और मोहल्ले में जाते हैं तो मेरा मानना है कि आज भी कई कॉलोनियां अलग दिखती हैं कि एससी की हैं, एसटी की हैं। यह खाई हम सबको पाटकर समानता लानी है, तभी सामाजिक नागरिकता का अलग महत्व होगा, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। मंत्री महोदय विराजमान हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एसटी नहीं हैं। इस डिपार्टमेंट के अधिकारी विराजमान होंगे। मंत्री महोदय, मेड़ता में पिछले पांच साल में 1 करोड़ रुपये के कन्या छात्रावास का निर्माण हुआ था, वह पिछले पांच साल से बन्द पड़ा है, बिलकुल जीर्ण-शीर्ण हो रहा है। बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि गांव की बच्चियां जो मेड़ता कॉलेज में पढ़ने आती हैं, पीजी कॉलेज है, उस कॉलेज में व्यवस्था हो, वह भवन तैयार हो, वहां स्टाफ लगे, ताकि वहां बच्चियों को रहने की व्यवस्था हो। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि उसकी चारदीवारी, उसका किचन, उसमें स्टाफ और वार्डन लगे, ताकि गांव की पढ़ने वाली बालिकाओं को इसका फायदा मिल सके।

राजकीय महाविद्यालयों में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न छात्रवृत्तियों में एकल बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू की जाये, क्योंकि प्रत्येक माह बॉयोमैट्रिक, विद्यार्थियों के कम संसाधनों व इंटरनेट के अभाव में विद्यार्थियों के आवेदन को रिजेक्ट न किया जा सके अथवा बॉयोमैट्रिक व्यवस्था बन्द की जाये। राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवत्ति बढ़ायी जाये, उनको छात्रवृत्ति राशि दी जाये, ताकि वे अपनी पाठ्यपुस्तकों को खरीद सकें।

मेड़ता विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी उप तहसील गोटन है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि मैंने आपको पहले भी लेटर दिया है, वहां बाबा साहब के नाम से एक मूर्ति बने और समाज कल्याण भवन बने, ताकि वहां तीन-चार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता, भोपालगढ़, खींवसर क्षेत्र के बच्चे वहां पढ सके और अपनी पढाई पूरी कर सकें।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि गाड़िया-लुहार समुदाय जो कि एक सर्वमान्य कौम है, महाराणा प्रताप के साथ लंबा संघर्ष किया, आज उस जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र बनाने में बहुत-भारी दिक्कत हो रही है। वे घूमते हैं, मैं हमेशा देखता हूं। मेरा निवेदन है कि आप मेड़ता सहित पूरे राजस्थान में गाड़िया-लुहार घुमन्तू जाति निवास करती है, यह समुदाय देश की मुख्य धारा से अभी भी कोसों दूर है, जिसका कारण इनका अस्थायी निवास नहीं होना और जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं होना है। ग्रामीण परिवेश एवं शहरी क्षेत्र में आज भी गरीब गाड़िया-लुहार के लोगों के पास सर ढंकने के लिए छत नहीं है। हम देखते हैं कि करीब-करीब सड़क पर रहते हैं। हम सबको विदित है। मंत्री महोदय, उस पर ध्यान दिया जाये।

मैंने पहले भी बोला था। राजस्थान में एक जंगलिया जाति है। हम सब किसान परिवार से हैं, विदित है। आज तक वह जाति मुख्य धारा में नहीं आयी है। उस जाति को कोई मानता ही नहीं है। मैं आपसे सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस जाति को आप मुख्य धारा में जोड़ें, उनके डॉक्यूमेंट बनायें और उनके जाति प्रमाण-पत्र जारी करें, ताकि वे ठीक रहें।

सभापति महोदय, मेरे विधायक बनने के बाद, मेड़ता में कस्तूरबा गांधी की छात्रावास चलती है, टाईप-वन, टाइप-फोर। जब मैं वहां गया तो सारे सदस्यों ने जिक्र किया। वास्तव में स्थिति बहुत ही दयनीय है। पुरानी बिल्डिंग है, वहां गरीब बच्चियां पढ़ती हैं। अभी बरसात में गया, पानी भर गया। मेरा निवेदन है कि मैंने भामाशाहों के माध्यम से कुछ विकास करवाया।

mdp/rtm/18.07.2024/18:50/3q

सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन पर ध्यान देकर विकास किया जाए। सदन के माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

एक सामाजिक क्षेत्र का ही मामला है। आज हमारे प्रदेश में नाथ सम्प्रदाय बड़ी तादाद में है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज में हम सबकी आस्था है। गांव-ढाणी से सभी लोग गोरखनाथ जी की आराधना करते हैं, लेकिन समाज में कोई भी गलत कार्य होता है, कोई गलत धंधा चल रहा है तो आम भाषा में कह देते हैं, मीडिया की बात कहे तो एक नाम उभरकर आता है गोरखधंधा, इस शब्द से समाज के पूजनीय साधु-संतों समेत उनके हम सब जो अनुयायी हैं, सबको कहीं न कहीं दु:ख होता है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): मेरा नाथ सम्प्रदाय के दर्जनों स्थानों पर जाना हुआ। अनेकों साधु-संतों ने ये पीड़ा मेरे समक्ष व्यक्त की। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस 'गोरखधंधा' शब्द पर जरूर विचार करे। मेरा सुझाव है कि समाज के पूजनीय संतों का सुझाव अगर ठीक लगे तो निश्चित तौर पर इस शब्द को कानूनी प्रावधान दिया जाए। गलत जगह पर 'गोरख' नाम के शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगे ताकि संत शक्ति की भावना आहत नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा कि मेड़ता बहुत बड़ा कस्बा है, वहां बाबा साहब की मूर्ति लगे, पार्क बने। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां बाबा साहब की मूर्ति लगे, पार्क बने। हर समाज, एससी/एसटी समाज तो है ही, लेकिन आम समाज में भी एक आस्था केन्द्र बनकर बाबा साहब का नाम उभरे। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती शिमला।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, दोनों मंत्रियों का और संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तीस प्रतिशत के आबादी के सम्बन्ध में ये डिमांड्स हैं, एक भी विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहां उपस्थित नहीं है। नाममात्र के हैं। ...(व्यवधान)... मेरा सुझाव है। आप माने तो ठीक।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यही पर है।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): आप स्वयं समझदार हैं ...(व्यवधान)... अभी है क्या?

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए। सुन लिया। श्रीमती शिमला।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपका जवाब दे रहा हूं। हरिमोहन जी सुनिए, मेरा निवेदन। सभापति महोदय, दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहीं हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटी की वीसी चल रही है केन्द्रीय मंत्री जी से, इसलिए वह हमसे पूछ कर गये हैं। ...(व्यवधान)... दोनों ही हैं।

श्री सभापति: विराजिए। आप बैठिए।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांग संख्या 31 पर बोलने के लिए मुझे अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। ...(व्यवधान)... जैसा कि विभाग के नाम से प्रतीत होता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ...(व्यवधान)... समाज के साथ न्याय, सशक्तिकरण ...(व्यवधान)... समाज से तात्पर्य मानव समाज से है, चाहे फिर उसमें किसी भी जाति, वर्ग हो ...(व्यवधान)... लेकिन यह कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। इनको बैठाइए।

श्री सभापति: आपकी माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। विराजिए।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बाबा

साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मेरी बात रखना चाहती हूं कि उन्होंने भारतीय संविधान के अन्दर जो व्यवस्थाएं दीं, हमारे दलित समाज के लिए उनके दूरगामी, दूरदर्शी सोच का परिणाम है, आज उन्हीं की देन भारतीय संविधान के माध्यम से हम यहां खड़े रहकर बोल सकते हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि आज हमें दलित समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन बिन्दोरी नहीं निकालने देंगे। दलित समाज का वोट तो हमें चाहिए, लेकिन घोड़ी पर नहीं बैठने देंगे। दलित समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन जूते उतार कर वह अन्दर आए। मेरा मानना है कि समाज में जो न्याय की बात हम करते हैं, एक समानता की बात करते हैं, समाज कल्याण विभाग के अन्दर बहुत-सी योजनाएं हमारे दलित परिवार के लिए, हमारे अनुसूचित जाति परिवार के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दीं गयी हैं, लेकिन यह योजनाएं धरातल पर सार्थक है या नहीं, कभी इसको जानने का प्रयास हमने किया है?

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रही हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चार हॉस्टल हैं, राजकीय अम्बेडकर छात्रावास हैं, जो **घड़साना** के अन्दर हैं, उनकी स्थापना 1978 व 1989 के अन्दर हुई थी, उसकी बच्चों की स्वीकृत क्षमता 65 है। आज भी उसके अन्दर जो कमरे हैं 12 है। आवेदन आते हैं, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के कारण जहां एक कमरे के अन्दर पांच बच्चों की व्यवस्था की जा सकती है तो वहां आवेदन नहीं लिए जाते। मैं मंत्री जी से कहती हूं कि इस संख्या को बढ़ाकर 100 किया जाए और वहां पर अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था की जाए।

इसी के साथ जो मेरा रावला है, तहसील क्षेत्र है, उसके अन्दर हमारा जो छात्रावास बनाया है, वह 1997-98 में बनाया है। इसकी बिल्डिंग के रंग-रोगन हेतु बजट की हमें अतिरिक्त आवश्यकता है। स्वीकृत क्षमता 50 है, इसको भी बढ़ाकर 60 या 70 की जाए। ग्राम स्तर पर हमारा जो छात्रावास है, 365 है, 2केएलडी ग्राम पंचायत, इसमें बच्चों की स्वीकृत क्षमता 35 है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर है। पहले जो प्रबुद्धजन थे, उन्होंने चंदा करके कुछ सुधार किया था। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि इस बिल्डिंग को नकारा घोषित करके वहां नया भवन बनाया जाए ताकि जो गांव व ढाणियों से आने वाले बच्चे अच्छी तरह अध्ययन कर सके।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा में लगभग ढ़ाई लाख जनता है। जो जिला मुख्यालय है, पूरी विधान सभा के अन्दर एक भी कन्या छात्रावास नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करती हूं कि अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय सावित्री बाई फुले कन्या विद्यालय का निर्माण किया जाए ताकि हमारी बच्चियां जो दूर-दराज से आती हैं, गांवों से, वह अच्छी तरह अध्ययन कर सकें, उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जिले में जो हमारे छात्रावास बने हुए हैं, इनके निर्माण के लिए और जिला स्तर पर नशा मुक्ति केन्द्र की मैं मांग करती हूं क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसी हुई मेरी विधान सभा है। पिछले

6 महीने में दस बार ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स गिरायी गई है। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है।

इसके साथ-साथ जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, समाज कल्याण विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अन्दर पिछले चार महीने से मेरे एक भी ऑनलाइन आवेदन नहीं हुआ, क्योंकि वहां टेक्निकल पोर्टल के अन्दर खामी आ रही है। जब तक टेक्निकल खामी दूर नहीं की जाती है, तब तक ऑफलाइन वे आवेदन लिए जाए। जब पोर्टल के अन्दर टेक्निकल समस्या दूर हो जाए तो उनको ऑनलाइन किया जाए।

सभापति महोदय, हमारी बहुत अच्छी योजना मुख्यमंत्री स्वज़न दिव्यांगजन से सम्बन्धित हमारी योजना है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय हैडक्वार्टर पर नहीं होने के कारण 210 किलोमीटर गंगानगर, हमारे दिव्यांगजन जाते हैं, उन दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप जिला मुख्यालय पर अनूपगढ़ में एक मोबाइल यूनिट निश्चित समयावधि के अन्दर कैम्प लगाकर दिव्यांगजन को सर्टिफिकेट दें, जिससे कि दिव्यांगजन को लाभ मिल सके। इसके साथ-साथ जो 50 हजार अनुदान बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है ताकि दिव्यांगजन अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके, लेकिन अप्रैल 2023 से लेकर 17 जुलाई 2024 तक मेरी विधान सभा के अन्दर 7 आवेदन आए थे, सातों एप्लीकेशन बैंक लेवल पर पेंडिंग पड़ी हैं। दूसरा ब्लॉक जो अनूपगढ़ है, उसमें 16 आवेदन आए थे, 16 में से एक ही व्यक्ति को पात्र माना गया था, 15 आज भी बैंक लेवल पर पेंडिंग पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्री जी से मांग करती हूं कि यदि बैंक का नियम सरलीकरण नहीं कर सकते तो उसके लिए आप एक अनुसूचित जनजाति का जो विभाग है, उसके माध्यम से इन लोगों को राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि ये लोग अपना पालन-पोषण अच्छी तरह से कर सकें, अपना जीवन-यापन अच्छी तरह से कर सकें।

मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि जो पालनहार योजना के अन्दर एकमुश्त वार्षिक सहायता बच्चों के स्वेटर के लिए, वस्त्र के लिए, जूतों के लिए दी जाती है, इसको भी बढ़ाया जाए। इसके अन्दर वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार पालनकर्ता की जो निर्धारित की गयी है, उसका दायरा बढ़ाकर ढ़ाई लाख की जाए ताकि जो व्यक्ति बच्चों का पालन-पोषण करता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो वह पालन-पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। जिन बच्चों का पिता नहीं होता है, उन बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन जितना महत्व एक बच्चे के जीवन में पिता का है, माता का देहांत होने पर इस योजना का लाभ उन बच्चों को नहीं दिया जाता है। मैं मांग करती हूं कि जिन बच्चों की माता नहीं है, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि जितना महत्व एक बच्चे की जीवन में पिता का है, उतना महत्व ही एक बच्चे की माता का उसके जीवन में होता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

Ans/rtm 19.00 4a 18.07.2024

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव)ः सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में मांगणियार समाज है, लंगा समाज है, दमामी समाज है, मिरासी समाज है। यह तमाम लोग, तमाम समाज, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक, हर तौर पर कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। आज इन तमाम लोगों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है।

साथ ही मैं बात करुंगा, हमारे पाक विस्थापित भाइयों की, गाडिया लुहार समाज, जोगी समाज, पशुपालक सम्बन्धित जितनी भी जातियां है उनकी, गवारिया समाज की, ओड समाज की, सांसी समाज की, नाथ समाज की, कालबेलिया समाज, समस्त घुमन्तू जातिया, अर्ध घुमन्तु जातियां हैं, आज के समय उनके पास किसी भी तरह की कोई भूमि नहीं है, वे हमारे अपने हैं। आज हर गांव की यह स्थिति है। वह लोग कहीं गोचर में बैठे हैं या कहीं ना कहीं सरकारी भूमि पर बैठे हैं। उन सभी को मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। समस्त घुमन्तू जातियां, पशुपालक जातियां हैं, वे सब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं। उनके बच्चे, उनकी आने वाली पीढियां शिक्षा से वंचित रह जाती है, उन सभी को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए।

विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में नये छात्रवासों की जरूरत है। मैं सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आप नये छात्रावासों के लिए विशेष पैकेज पश्चिमी राजस्थान को दे। मैं आज भील जनजाति की बात करुंगा। भील समाज और नायक समाज एक ही है, पर उन्हें अलग-अलग कैटेगिरी में डाल रखा है, निवेदन है कि इन सभी को एक साथ किया जाए। अनुसूचित जाति की तर्ज पर भील समाज को भी कृषि विद्युत कनेक्शन में वरीयता दी जाए। ग्रामीण परिवेश से आते हैं, खेती के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ज्यादा जरूरत है।

साथ ही, टाडा माडा जैसी योजनाओं को बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में रहने वाले तमाम वंचित शोषित परिवारों के लिए, उनके विकास के लिए, यह विशेष योजना शुरू करनी बहुत आवश्यक है। अभी थोड़ी देर पहले तक पश्चिमी राजस्थान की बात चल रही थी। साहब, आज के समय हमारे पास खूब सारी चीज़ें हैं, जिससे हम इन तमाम लोगों को मुख्य धारा में ला सकते हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि चंद लोगों का मल्टीनेशनल कम्पनी पर अधिकार हो गया, जिसकी वजह से हमारे ये तमाम भाई आज भी सब कुछ होने के बाद भी अभाव में जी रहे हैं। आज के समय आर्थिक रूप से, आर्थिक सामंतवाद एक नया हमारे पश्चिमी राजस्थान में आ चुका है। वोट की राजनीति के लिए एक समाज से दूसरे समाज को लड़ाने की यह जो प्रथा शुरू हो रही है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह लोकतंत्र का एक पावन मन्दिर है, इसकी एक गरिमा है। मैं सबसे छोटा हूं। यहाँ तमाम मेरे जितने भी बड़े भाई बैठे हैं, मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो।

यह सब चीज़ें हम जब देखते हैं या हमारी आने वाली पीढ़ी देखती है, युवा साथी देखते हैं जो बाहर बैठे बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं। प्रदेश की तमाम जनता सोच रही है कि अन्दर बैठे हुए जन प्रतिनिधि कुछ अच्छी बात करेंगे। हमारे इस प्रदेश की बात करेंगे, यहां के विकास की बात करेंगे। जब यह चीज़ें सुनते हैं, तो आप सोचों कि उन पर क्या गुजरती होगी। जब यह सदन चलता है तो 10-10 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग होती है कि माननीय सदस्य अन्दर बैठकर, इस प्रदेश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, पर आज के समय में क्या हो रहा है1

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में कई सारी कम्युनिटी ऐसी है जिनके अभी तक छात्रावास नहीं बने हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उनके लिए बेहतर छात्रावास की व्यवस्था करवाई जाए।

थोड़ी देर पहले किलों की, महलों की बात चल रही थी। मैं कहना चाहूंगा कि ये क़िले, यह महल ये शौर्य और गाथा के प्रतीक है। ये क़िले ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक है। जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे तो हमारी बहन-बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यह किले और महल काम आया करते थे। यह क़िले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, जब राजस्थान की बात की जाती है..

श्री सभापतिः संक्षिप्त में।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): बिलकुल। पग-पग शूरा देवली, पग-पग सतिया थान मन डरपे डग मेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा। ऐसा रंग रँगीला, ऐसा हरियाला, ऐसा अपनापन, भाईचारा, प्रेम वाला मेरा राजस्थान है। पर राजस्थान की उसी विधान सभा में जब ऐसी बातें होनी लग जाए, तो हम सभी के लिए यह पीड़ा की बात है।

मैं छोटा जरूर हूं पर मैं कोई छोटी बात नहीं करुंगा। मेरा यह नैतिक धर्म है, मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी है। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा कि सदन की एक गरिमा है, हम सभी का नैतिक धर्म है, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखे1

श्री सभापतिः विराजे। श्री रामसहाय।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): कोई भी किसी जाति, किसी भी धर्म से हो, हमें सभी का सम्मान करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कई सारी चीज़ें और भी है, आने वाले समय में और खुलकर, स्पष्ट रूप से बताई जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 व 31 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद। एससी, एसटी के लिए कांग्रेस कहती है कि गरीबी हटाएंगे लेकिन आपका स्तर नहीं बढ़ाएंगे। मैं विशेषकर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी के लिए कह रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसी नाम से नहीं, आप आसन को संबोधित करे।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): जी। कांग्रेस ने कई सालों तक राजस्थान पर शासन किया, लेकिन ना तो गरीबी हटी है, ना ही इनका स्तर उठाया गया है। इन समाजों का ना भला कर पाए हैं। पिछले सालों में संविधान की पालना ईमानदारी से की होती तो भूख, गरीब, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता समाप्त हो गई होती।

आदरणीय, यह वह समाज है जिसने मुगल काल के टाइम अपना स्वाभिमान रखा और धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज की तारीख में अनुसूचित समाज एक छवि बनाने वाला, हिन्दु समाज के साथ रहने वाला समाज है, जिन्होंने उस पीरियड़ में भी धर्म परिर्वन नहीं किया, भले ही नीचा काम कर लिया, मैला ढ़ो लिया।

आज कांग्रेस वाले संविधान-संविधान कह रहे हैं लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि उनको हरवाने का काम किया। मरणोपरांत भी उनको चैन से राजघाट पर समाधि स्थल नहीं दिया। उनको हवाई जहाज से बॉम्बे भेजा और वहां दाह-संस्कार करवाया, यह है हमारे कांग्रेस के काम। और तो और मरणोपरांत संविधान निर्माता को भारत रत्न नहीं दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनुशंसा पर वी.पी. सिंह जी की गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न दिया। संविधान की बात करते हैं लेकिन पार्लियामेंट में एक चित्र भी नहीं लगवाया। मैं इन्हीं सदस्यों से कह रहा हूं कि संविधान की बात तो करते हैं लेकिन पार्लियामेंट में एक तेल चित्र भी नहीं लगवाया।

VPS-RTM-18.07.2024-19.10-4b

इनका उद्देश्य मात्र वोट बैंक की राजनीति करना है। पिछली सरकार में एस.सी., एस.टी. के विधायक सिर्फ मांगते ही रहे हैं। गहलोत साहब कहते थे कि तुम मांगते रहो और मैं देता रहूंगा लेकिन 34 के 34 जो अनुसूचित जाति समाज से विधायक आते हैं, मैं बी.जे.पी. और कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूं, कभी भी इन्होंने संविधान में संशोधन की बात नहीं की और न ही संविधान की कोई बात उठाई। मैं धन्यवाद देता हूं अविनाशजी गहलोत को जो मंत्री बनने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में गये और हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रावास हैं, उनका निरीक्षण किया और आज उनमें सुधार हुआ है। ...(व्यवधान)... इनका नाम तो अविनाशजी है और उनका गहलोतजी है।

अभी हमारे एक सदस्य यह कह रहे थे कि अनुसूचित जाति के समाज की जमीनों की जनरल में रजिस्ट्री होनी चाहिए। भला हो भैरोंसिंहजी का जिन्होंने कम से कम पंचायती राज के अन्दर यह आरक्षण लागू किया जिसकी वजह से आज हमारे जन-प्रतिनिधि पंचायतों में हो, चाहे जिला परिषदों में, कम से कम वे वहां पर बैठे हुए हैं और अगर यह आप लागू करने की बात करते हो कि यह जमीनों की रजिस्ट्री हो जानी चाहिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वे वहीं के वहीं आपके घरों के बाहर बैठे हुए भीख मांगते हुए मिलेंगे इसलिए ऐसा कोई

प्रस्ताव इस सदन में पास नहीं करें, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को मेरी मांग के लिए बताता हूं कि जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के हैं उनको छात्रवृत्ति योजना में ढाई लाख रुपये तक की सीमा तय है और वह ही छात्रवृत्ति ओ.बी.सी. समाज में आठ लाख रुपये की है तो आप इस असमानता को दूर करें, मैं सदन में आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं क्योंकि ओ.बी.सी. का स्तर तो फिर भी ऊपर है परंतु अनुसूचित जाति का तो ढाई लाख का बहुत ही कम है तो कम से कम आठ लाख रुपये जिनकी आय हो उनको भी यह सुविधा प्रदान की जाये।

अनुसूचित जाति समाज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 338 और 338-ए के तहत प्रावधान किया गया है लेकिन आज भी राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि अभी यह बीच में कई साथी इस बात को उठा रहे थे तो मेरा भी निवेदन है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, कॉलेज शिक्षा के अन्दर मेरा निवेदन है। अनुसूचित जाति समाज के कई युवा बेरोजगार लोग हैं और उन बेरोजगार युवा लोगों को विद्या सम्बल योजना में आरक्षण नहीं है। जिसमें संविदा के तौर पर 60 हजार रुपये महीने मिलते हैं तो अगर इनको भी इस कॉलेज आयुक्तालय में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी आरक्षित पदों के लिए तो 60 हजार रुपये महीने जो पढ़ाने के मिलते हैं, इससे इनकी बेरोजगारी काफी कुछ दूर हो जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. में 1961 की जनगणना के आधार पर, 1971 में 16 और 12 परसेंट आरक्षण का परिलाभ दिया गया है। 2001 में लोक सभा और विधान सभा में 1971, 1981, 1991 और 2001 में, पांच बार जनगणना हो गयी, 2011 के अनुसार यह आरक्षण एस.सी. में 17.80 तथा एस.टी. में 13.50 है, इसको संशोधन करते हुए क्रमश: 18 परसेंट और 14 परसेंट करने का श्रम करें, यह मैं आपके माध्यम से सदन में इस बात को रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में लाखों संविदाकर्मी हैं। एस.सी., एस.टी. के लिए राजस्थान में सिविल पदों पर रखा जाना, Rajasthan Part Time Contractual Hiring Rules, 2023 में नियमों में आरक्षण के बावजूद भी प्राप्त आरक्षण में प्रतिशत का दसवां हिस्सा भी नहीं भरा गया अत: आरक्षित वर्गों को, संविदाकर्मियों का बेकलॉग वैकेंसी की गणना करवाकर विशेष भर्ती अभियान चलवा कर इन पदों को भरा जाये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर आरक्षण रोस्टर है तो इनको विश्वविद्यालय को एक इकाई मान कर करें। विश्वविद्यालय को एक इकाई मान कर करें इसके बजाए अभी विभिन्न विभागों को एक इकाई मान कर भर्ती कर रहे हैं तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि विश्वविद्यालय को एक इकाई मानते हुए करें

जिससे कम से कम अनुसूचित जाति, जनजाति का बच्चा उसमें भर्ती हो सके।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा कालीबाई भील मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण होती है लेकिन इन योजनाओं में एस.सी. की छात्राओं की संख्या के अनुपात में स्कूटी वितरण नहीं की जाती है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक छात्राओं की पात्रता एस.सी. से ज्यादा है तो एस.सी. की छात्रवृत्ति की पात्रता भी ज्यादा करनी चाहिए।

राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्यरत सरकारी संस्थाएं जैसे कि सहकारी बैंक है, दुग्ध फल भण्डार इत्यादि है, क्रय-विक्रय समितियां, उपभोक्ता भंडार, आदि है तो इनमें संचालक मण्डलों में भी एस.सी., एस.टी. का आरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वैलफेयर सोसाइटी का ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): आदरणीय, मैं दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री सभापतिः दो मिनट नहीं है।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): वैलफेयर सोसाइटी को वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी राजे ने सोसाइटी को 1 करोड़ 86 लाख का कांफ्रेंस हॉल दिया था।...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप शीघ्र ही समाप्त करें।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): 2022-2023 के अन्दर हमारे सम्माननीय गहलोत साहब जो पिछली सरकार में मुख्य मंत्री थे, इन्होंने 9 करोड़ 73 लाख रुपये की घोषणा की जो आज दिन तक वहां पर न तो इसका कोई बजट पास हुआ, केवल घोषणा ही हुई है तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी उसको लागू करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः श्री विनोद कुमार। अब आप बैठें।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): क्योंकि अंबेडकर वैलफेयर सोसाइटी राजस्थान की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति की संस्था है और वहां से कई आई.ए.एस. निकलते हैं, कई आई.पी.एस. निकलते हैं, कई सरकारी सेवाओं में निकलते हैं तो कृपया आप इसको करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप समाप्त करें। आप बोलें।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 एवं 31 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से भीमराव अंबेडकरजी को आज बी.जे.पी. और आर.एस.एस. ने याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि

बाबा साहब को मंत्री बनाया गया, उस टाइम अगर कांग्रेस उनका साथ नहीं देती तो शायद आज जो संविधान है, वह लागू ही नहीं होता। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं, मैं जैतसर, विजयनगर, श्रीगंगानगर का एक मामला बताना चाहूंगा कि एक एस.सी. की जमीन है जो सामान्य के नाम से रजिस्ट्री कर दी गयी, इंतकाल कर दिया गया और कलक्टर के द्वारा आज तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरीके से एस.सी. की जमीनों को कन्वर्ट करके हाथों हाथ सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा खरीद कर, एस.सी. के लोगों को बिना जमीन का किया जा रहा है, उस पर आप संज्ञान लें। पांच साल तक वह जमीन दूसरे के नाम पर नहीं हो, चाहे वह कॉमर्शियल हो जाये, इस तरीके का प्रावधान करें, यह बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा।

बेकलॉग में जितने भी पद खाली हैं, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के तो उन सब पदों को उनकी केटेगरी से भरने का श्रम करें, इससे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को फायदा मिलेगा और उपखंड लेवल पर जिस तरीके से भाटी साहब और अन्य माननीय सदस्य बोल रहे थे, जिस तरीके से हमारे बहुत से पीलीबंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर के साथी जो एस.सी., एस.टी. के टीचर लगे हैं या कोई अन्य नौकरियों में लगे हैं तो बहुत से लोगों की यह समस्या रहती है कि वहां उनको कोई कमरा भी नहीं देता है, यह हकीकत है। सदन के माध्यम से मैं यह बात रखना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो बात रखी, वे यह कह रहे थे कि जातिवाद को खतम करो, यह करो, हो सकता है कि यह एक सामाजिक बुराई है, हमें मिलजुल कर इन सब बातों पर काम करना होगा तब ही जाकर हम राजस्थान को विकास की ओर ले जा सकेंगे।

अब एस.सी., एस.टी. के जितने भी अधिकारी आज राजस्थान के अन्दर ए.पी.ओ. हो रहे हैं तो उसमें जब संख्या देखी जाए ए.पी.ओ. की तो लगभग 70-80 परसेंट जो ए.पी.ओ. होते हैं उसमें एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लोगों को ए.पी.ओ. किया जाता है और उनको पोस्टिंग भी नहीं मिल पाती है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ी समस्या है अगर 200 यहां पर एम.एल.एज. बैठे हैं तो एक प्रमुख समस्या पूर्व में जब गांव बसते थे तो हड्डा-रोड़ी जहां-जहां पर बनी हुई है, वहां पर ज्यादातर निवासरत जो लोग रहे हैं, वे एस.सी., एस.टी. और बहुत ही अन्य दलित व पिछड़े लोग बसे हुए हैं और जो हालात हैं अगर वहां पर हवा चल जाती है तो उनका जीवन बड़ा नरक की तरह हो जाता है तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह बताया कि हरियाणा में एक प्रोजेक्ट बनाया है। वह एक चिमनी की तरह होता है, तो वहां की तरह यहां पर भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट बनाया जाये तो उनका जीवन भी आसान हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, हो सकता है किसी विधान सभा क्षेत्र में नहीं हो लेकिन लगभग 70-80

परसेंट विधान सभा क्षेत्र में, हर गांव में एक यह गम्भीर समस्या है।

SSY/RTM/18.07.2024/19.20/4c

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में जितने भी हॉस्टल हैं, लगभग 1990 के आसपास और उससे पहले के बने हुए हैं। जैसे पीलीबंगा हो, रावतसर हो, डबली राठान, गोलूवाला, कई जगह तो बनाने वाले हैं, अगर एससी, एसटी के लोगों को लाभ पहुंचाना है तो उन लोगों को हॉस्टल में सुविधाएं देकर के, अच्छी शिक्षा देकर के नई विचार धारा से उनको साथ में ले सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि धानक और धानका जाति का जो मामला चल रहा है, उसमें लोगों के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनते। लोग अपनी बात लेकर के कभी कलेक्टर के पास जाते हैं। कभी जयपुर आते हैं। इनका विशेष रूप से ध्यान करके इस जाति को जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से दिलवायें जायें।

मुख्य मंत्री कन्या दान योजना के अन्दर जो अलग-अलग श्रेणियों में 21 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही थी, उसको 51 हजार रुपये प्रति विवाह करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मुझे आपके द्वारा अपनी बात रखने का मौका मिला। बहुत से सदस्यों ने विधान सभा में 10 हजार की जनसंख्या पर योजनाएं लागू करने की बात की थी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 10 हजार की आबादी वाले गांव बहुत कम हैं। एक विधान सभा में मुश्किल से एक-दो गांव होंगे। जो योजना 10 हजार की जनसंख्या पर लागू की गई, मुझे नहीं लगता कि हम उन योजनाओं को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा पायेंगे। क्योंकि 10 हजार से ऊपर हो गयी तो वह नगरपालिका बना दी गयी। इतनी बड़ी पंचायतों का परिसीमन किया गया तो ग्राम पंचायतों की जनसंख्या अपने आप ही कम हो गयी। इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा। इसमें भी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करुंगा कि 10 हजार की आबादी को कम किया जाये।

सभापति महोदय, अति पिछड़े जो लोग हैं सांसी समाज हो, भोपा, लोहार, गड़रिया, हमारे पीलीबंगा तथा रावतसर में मेन हाई वे और रेलवे के बीच में बसे हुए हैं। उनका जीवन बहुत कठिन है। दोनों तरफ ही मौत के बीच में बैठे रहते हैं। उनके लिए एक विशेष योजना लाकर के उनको लाभ पहुंचाने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में एससी की खातेदारी उनके नाम से है और कब्जे अन्य लोगों ने कर रखे हैं, उन सब पर कार्यवाही करते हुए, राजस्थान में एक सर्वे कराकर, उन लोगों को हक दिलाने के लिए सरकार कार्यवाही करे। सभी कलेक्टर्स को बोलकर हर जगह, तहसील मुख्यालय पर, उप खण्ड स्तर पर एसडीएम को बोलकर एक लिस्ट बनवायी जाये, जिससे कि एससी के लोगों को लाभ मिल सके और उनको जमीनें मिल सकें।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जनजाति क्षेत्रीय विकास पर अगर सबसे पहले बात की जाये तो भारत के संविधान निर्माता डॉ. बी.आर.अम्बेड़कर जी को याद करना सबसे पहले जरूरी है। उन्होंने इस देश में हमारे संविधान को लागू करके इस सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के मुद्दे पर हम लोगों को ताकत दी। मैं सबसे पहले डॉ. अम्बेड़कर जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।

सभापति महोदय, साथ ही साथ जहां सामाजिक असमानता की बात हुई, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारा भी 200 में से उस दृष्टि से लास्ट में नंबर आता है, इसलिए आप हम पर भी दया करें। यह अन्याय कम से कम हमारे साथ तो ना करें।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता के इस बिन्दु पर हम सब लोग चर्चा करते आ रहे हैं। 76 वर्ष के बाद, आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण प्राप्त होने के बाद भी राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश की बात करूँ तो सभी माननीय सदस्य हर गांव में जाते हैं, लेकिन मैं जहां तक पाता हूं ग्रामीण परिवेश में अनुसूचित जाति के लोगों का सही मायनों में जो हम उत्थान करना चाहते थे, सही मायने में हम उनको उच्च स्तर पर ले जाना चाहते थे, ऐसी स्थिति मुझे वहां घूमने से नहीं लगती।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि इन लोगों का गांव में सर्वे कराकर, 76 वर्ष बाद भी अगर लोगों को आरक्षण देने के बाद भी हम उनका उत्थान नहीं कर पाये तो कितने और वर्षों तक इस बात का अलाप करते जायेंगे कि हमने एससी, एसटी के लोगों का उत्थान किया। चाहे बीजेपी कहे, चाहे कांग्रेस कहे, चाहे मैं कहूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 76 वर्ष बाद भी इनको हम सही मुकाम पर नहीं ले जा पाये हैं। मंत्री महोदय, इनका गांवों में सर्वे कराकर, 76 वर्षों बाद भी जिनके परिवारों को नौकरी नहीं मिल पायी, उनको आप शिक्षा के स्तर पर विशेष पैकेज के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें।

इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाएं जो राजस्थान प्रदेश में दूसरे प्रदेश से शादी होने के बाद आती हैं, उनको हमने माइग्रेटेड व्यक्ति की श्रेणी में शामिल किया है। वह माइग्रेटेड नहीं हो सकती। मैं बताना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1950 की धारा 20 में यह प्रावधान किया गया है कि जो महिला शादी होकर हमारे प्रदेश में आ जायेगी, उसको स्थायी और मूल निवासी का कानूनी दर्जा मिलेगा। इसके बाद भी हमारे क्षेत्र में जब उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय में जाते हैं तो इनके जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनते हैं। इस कारण से नहीं बनते कि यह दूसरे प्रदेश से आयी हैं इसलिए इनको आरक्षण

का लाभ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि आरक्षण का लाभ मिले कि नहीं मिले, इस इश्यु को छोड़कर जब यह मूल और स्थायी निवासी बनती हैं तो इनका कम से कम सामान्य रूप से जाति प्रमाण-पत्र बनना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही ईडब्ल्युएस की भी हमारे सामने स्थिति है। इन महिलाओं का ईडब्ल्युएस में भी आरक्षण का सर्टिफिकेट बनता। लेकिन स्पष्ट प्रावधान नहीं करने के कारण काफी कार्यालयों में जब ईडब्ल्युएस का महिलाएं सर्टिफिकेट बनवाती हैं तो उनका बनने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। मंत्री महोदय, आप हर उप खण्ड अधिकारी को निर्देशित करें कि ईडब्ल्युएस में किसी भी स्टेट की, कोई भी महिला अगर शादी शुदा होकर आ गयी तो उनका सर्टिफिकेट ईडब्ल्युएस में बनता है। उनको शामिल किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं एससी, एसटी और ओबीसी इन 3 श्रेणी के लोगों को आप छात्रवृत्ति देते हैं। शिक्षा के माध्यम से देते हैं। लेकिन 2-2 वर्षों तक लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण बहुत सारे एससी, एसटी के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इतनी भारी भरकम फीस भरने में वह सक्षम नहीं होते हैं। वह संस्था के लोग फीस भरे बिना उनको बाहर कर देते हैं। हमारी देरी से मिलने वाली छात्रवृति उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम करती है।

सभापति महोदय, ओबीसी वर्ग के लिए सिर्फ नाम मात्र बचा है कि हम उनको छात्रवृति देते हैं। आप उनमें बीपीएल परिवारों को शामिल कर रहे हो। बीपीएल को भी तब देते हो जब आपके पास बजट की उपलब्धता है, तो आप देते हो।

सभापति महोदय, मैं इसलिए इनसे मांग करता हूं कि ओबीसी के सभी छात्रों को आप छात्रवृति का प्रावधान करें। यह बीपीएल की बात हटा दें। जो छात्र ओबीसी में आता है, आवेदन करता है उसको छात्रवृति मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। आप लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये बढ़ाने की बात की। लेकिन आप 150 रुपये ही बढ़ा पाये। माननीय मंत्री महोदय, मैं मांग करता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन इस महंगाई के दौर में कम से कम 4 हजार रुपये करने का प्रयास करें। इसके साथ ही इस वृद्धावस्था पेंशन में एक बाधा और है कि राजकीय कर्मचारी जिसके बेटा, बेटी हैं, उनको पेंशन नहीं देते हैं। हरियाणा में आपकी ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हरियाणा सरकार में यह राइडर नहीं है। हर वृद्ध को पेंशन मिलती है। चाहे उसका सर्विस में बेटा, बेटी हो।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग रखूंगा। एक तो सादुलपुर क्षेत्र में मुख्यालय पर देवनारायण छात्रावास की मांग करता हूं। ईडब्ल्युएस और ओबीसी के छात्रावास की स्थापना की जाये। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा में तहसील मुख्यालय सिद्धमुख और उप तहसील हमीरवास में सामाजिक छात्रावास निर्माण करने का काम करें।

एक और है जिसें मैं तो सामाजिक सुरक्षा का ही विषय मानता हूं। आरटीई में जो छात्र शामिल होते हैं और जिनको प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन दे दिया गया है, पिछले लंबे अर्से

से सरकार उनका भुगतान नहीं कर रही है। इसलिए विद्यालयों में उन बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है या उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं।

Spp/Rtm/18.07.2024/19.30/4d

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही महिला वर्ग के लिये ANM या शिक्षा विभाग में जो अध्यापक हैं, उनके बारे में आप बार-बार कहते हैं लेकिन उनको अपने नजदीक स्थान पर आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। इसलिये उन महिलाओं के साथ बड़ा सामाजिक भेदभाव है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न दिव्यांगों का है। आपने स्कूटी की घोषणा की है। अभी 2 हजार की घोषणा की है, हो सकता है और बढ़ाकर 5-10 हजार कर देंगे, लेकिन आप 80 प्रतिशत विकलांगता वाले को स्कूटी देने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि इसको आप हटा दीजिये और जो दिव्यांग है और काबिल है और उसको जरूरत है तो उसको स्कूटी उलपब्ध होनी चाहिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 40 प्रतिशत वाले को देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 40 प्रतिशत वाले को देंगे हमारी मांग पर तो इसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि घुमक्कड़ जातियों के लिये इतने वर्षों में कोई भी, घुमक्कड़ जाति में जिस तरीके से आपके भोपा, लुहार, मिरासी, दमामी, रेबारी, गवारिया इन जातियों के लिये आज तक सरकारों ने स्थायी निवास की कोई व्यवस्था नहीं की और स्थायी निवास की जब तक व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तब तक इन लोगों का उत्थान नहीं हो सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, एक मेरी विशेष मांग है। हम गांवों में जाते हैं तो लोग हमारे से मांग करते हैं, आपसे भी करते होंगे। विधुर की पेंशन लागू करने की मैं नई बात कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: बिराजिये। ..(व्यवधान)..

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 40 साल की उम्र में जो विधुर हो जाता है, जिनकी पत्नी एक्सपायर हो जाती है, उनके छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं तीन, चार, पांच उनके, वह लोग मजदूरी भी नहीं कर पाते। उन बच्चों की देखभाल करते हैं।

श्री सभापति: श्री मनोज मेघवाल। श्री सी.एल. प्रेमी। (अनुपस्थित)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इसलिये उनकी विशेष पेंशन बननी चाहिये, यह मैं आपको कहना चाहता हूं जिससे वह अपने बच्चों को पाल सके।

इसके साथ एक लाइन और कहना चाहता हूं जो विधवा महिलाओं की पेंशन है। वह बड़ी उम्र में पेंशन ज्यादा देते हैं। मैं कहता हूं कि विधवा को छोटी उम्र में ज्यादा पेंशन की

जरूरत है। इसलिये विधवा महिलाओं को छोटी उम्र में पेंशन ज्यादा दी जाये, बड़ी उम्र में चाहे कम कर दी जाये। ..(व्यवधान)..

श्री सभापति: श्री मनोज मेघवाल।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 31 पर बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का मतलब यह है कि समाज के हर तबके को न्याय मिले और अधिकार मिले। अधिकार क्या मिले? समाज में जीने का बराबरी का अधिकार मिले और वह तब मिल पायेगा कि जब उसका जीवन स्तर हर उस वर्ग के बराबर हो, जो समाज में अग्रणी बैठा है, तब उसको बराबर का अधिकार मिल पायेगा। बहुत पहले बाबा साहब ने शुरूआत जरूर करी कि उन्होंने बराबरी के हक का, बराबरी के न्याय का, समानता का, जो बहुत सी कुरीतियां थीं, उनको दूर करने के लिये अभियान चलाया और कांग्रेस ने उनको मौका दिया कि संविधान सभा का उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और उन्होंने उसमें बहुत-से प्रावधान किये। पिछले 70-80 साल में कुछ सुधार होना संभव हुआ, पर आज भी बहुत जरूरत है। इस विभाग द्वारा बहुत से ऐसे काम किये जा रहे हैं। पेंशन जिसके लिये अभी बहुत-से सदस्य बात कर रहे थे, पेंशन को बढ़ाने की बात कर रहे थे, इसका दायरा और बढ़ाओ। पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने इसको बढ़ाते-बढ़ाते आज कम से कम 90 लाख पेंशनधारी इस राजस्थान प्रदेश में हैं और बहुत बड़ा दायरा उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। वह पिछली सरकार ही थी जिसकी सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें फैसला लिया था। तीन जो बड़े फैसले लिये उसमें एक फैसला यह भी था कि जो 250 रुपये पेंशन है, उसको 500 रुपये किया जाये। इसी सरकार ने 500 को मिनिमम 1,000 रुपये किया कि हजार रुपये से कम पेंशन नहीं मिलनी चाहिये। इसी सरकार ने कानून बनाया कि हर साल एक अप्रेल को 15 प्रतिशत स्वत: बढ़नी चाहिये। यह सरकार उससे कहां आगे जायेगी, अब यह देखने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बहुत-से प्रावधान किये। चाहे बोर्ड हो, निगम हो, उनके माध्यम से और इस बार एस.सी., एस.टी. के ऋण की सीमा जो तय की है, वह नाममात्र की है। 86 नंबर का यह पाइंट है और उसमें साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिये 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी और उसमें अन्य पिछड़ी जाति भी विकास निगम में सम्मिलित होगा। उसमें अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से भी ऋण दिलाया जायेगा। 100 करोड़ में एस.सी., एस.टी. ओबीसी, आप किस-किस में बांटोगे? आपने इसमें ओबीसी को भी शामिल किया है। वाल्मीकि समाज को अकेले को पिछली बार 100 करोड़ का प्रबन्ध किया, जिसके लिये भी आपने लिखा है कि सफाई कर्मचारी को, जबकि 100 करोड़ का उसका अकेले का प्रावधान था।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ आपकी डबल इंजन की सरकार कह रही है कि हम उद्योगपतियों को, उनको जो ऋण दे रहे हैं, लाखों-करोड़ों रुपये दे रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपये

का ऋण तो राइट आफ कर दिया और इनको 100 करोड़ का दे रहे हैं कि ज्यादा ऋण देंगे तो कहीं डूब नहीं जाये। एक तरफ आप 16 लाख करोड़ रुपये का ऋण उनका माफ करने जा रहे हैं और इस 100 करोड़ में भी सारे बोर्ड कर दिये। कम से कम इनको अलग अलग तो करो ताकि पता चले कि किस बोर्ड में आप कितना पैसा देने वाले हो। आप विश्वास कर सकते हैं क्या कि ओबीसी बोर्ड को भी वह पैसा जायेगा तो बचेगा क्या एस.सी. के लिये? मंत्री महोदय, यह सोचने की बात है। कम से कम आप इसके प्रावधान अलग अलग करें। अगर बजट बढ़ाने के लिये नहीं हैं तो कम से कम अलग अलग करें और कम से कम 100-100 करोड़ सबको करोगे तो थोड़ा बहुत काम चलेगा।

माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्ति की अभी बात कर रहे थे। छात्रवृत्ति की बहुत बड़ी समस्या बच्चों की है। उनको एक-दो साल तक छात्रवृत्ति नहीं आती तो दिक्कत होती है। इसमें एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। यह जो इतने सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, यह उनकी छात्रवृत्ति में भी रोड़ा लगाते हैं जब तक उनको उसमें से पैसा नहीं दिया जाता। यह पैसा उनका नहीं है, यह पैसा जो पढ़ रहा है, उसको दिया जा रहा है। उससे चाहे वह फीस चुकाये और कुछ करे। इसमें भी कहीं न कहीं अडंगा लगाया जा रहा है। आप लोगों ने करीब 311 इंस्टीट्यूट को मार्क भी किया है कि जिनमें आप लोगों ने कहा है कि इनकी गड़बड़ियां हैं, आपने गड़बड़ियां भी पकड़ी हैं। पर इन इंस्टीट्यूटशन की गड़बड़ियां पकड़ने से नहीं होगा। जो वहां एक नया खेल शुरू हो गया है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। एक ही जांच अधिकारी सबकी जांच कर रहा है। क्या विभाग में और कोई अधिकारी है नहीं क्या? सिर्फ एक अधिकारी है जिसके भरोसे जांच कमेटी चल रही है। सबकी वही जांच कर रहा है और उसके बाद में उसमें सेटलमेंट का काम चल रहा है। यह नहीं चलेगा। आप किसी और से भी जांच करायें। उनको दंडित करने का काम करें। उन्होंने जो गलतियां की हैं, उनको पकड़ने का काम करें, तब यह काम हो पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, छात्रों को छात्रवृत्ति की एक बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर ई-मित्र की छोटी-सी त्रुटि हो जाये मंत्री महोदय, कई बार ई-मित्र वाले छोटी सी गलती कर देते हैं जब वह छात्रवृत्ति का आवेदन करता है और उसके बाद में वह छात्र भटकता रहता है, उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। माननीय मंत्रीजी, इसमें थोड़ा-सा सरलीकरण करें कि अगर कोई गलती ई-मित्र वाले ने फार्म भरने में कर दी तो कहीं न कहीं अमेंडमेंट उसी स्तर पर होना चाहिये। जिला स्तर पर होना चाहिये ताकि वह उसमें सुधार कर सकें। उसमें सुधार ही नहीं होता और उसकी छात्रवृत्ति हमेशा के लिये लटकती रहती है। गलती किसी से भी हो जाती है। मानवीय भूल भी हो सकती है पर उसमें सुधार का सरलीकरण हो कि उसमें सुधार जिला स्तर पर हो सके। यह आप लोगों को देखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो छात्रावास चल रहे हैं, उन छात्रावासों में एक-एक अधीक्षक को तीन-तीन, चार-चार का जिम्मा दिया गया है तो इस परिपाटी को तो बंद करो। एक छात्रावास एक के अधीन हो। हालांकि शिक्षा विभाग के जो आप लगा रहे हैं, वैसे तो यह पूरा

शिक्षा विभाग के टीचरों के अधीन ही चल रहा है। उनके टीचर्स हैं वह उनका अधीक्षक का काम देख रहे हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

आप इसमें भर्ती करें और जो तीन-चार जगह का कार्य देख रहे हैं, उनको तुरंत हटाये और एक के पास सिर्फ एक का चार्ज रहे ताकि वह व्यवस्था कर सकें। नहीं तो वह उन पढ़ने वाले छात्रों को ठीक ढंग से देख नहीं पायेंगे। इसके अलावा पालनहार योजना है। इसका बजट पिछली सरकार में 500 से हजार किया था और 6 से 18 वर्ष वालों का 1500 रुपये उसमें किया गया था। इस सीमा को अब और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप लोग, जो हो गया सिर्फ उसको कंटीन्यू करने से नहीं, जिस तरह से आज मंहगाई बढ़ रही है, उसको और आप लोगों को देखना पड़ेगा। बहुत जरूरतमंद लोग हैं, जिनके मां-बाप नहीं हैं, पालनहार में उन लोगों को आप जोड़ रहे हैं। साढ़े 6 लाख के करीब का वह दायरा पूरा हो चुका है। आज भी ऐसे बहुत से वंचित है, उनको भी जोड़ने का आप प्रयास करें ताकि वह जो बच्चे जोकि मां-बाप के नहीं रहने से अनाथ हो गये और पालनहार से जोड़े गये हैं, उनका पूरा हक, पूरा लाभ वह कहीं न कहीं ले सकें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब बिराजें। श्री भागचन्द टांकड़ा।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): स्कूटी योजना की बहुत से लोगों ने बात कही। 5 हजार स्कूटी को आप लोग 2 हजार पर ले आये।

श्री सभापतिः बिराजें, बिराजें माननीय सदस्य।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद साहब।

Jyg/rtm/18.07.24/19.40/4e

श्री सभापतिः विराजें। श्री भागचन्द टांकड़ा।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रथम बार स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को इलेक्टिकल पावर व्हील चेयर हेतु 1 लाख रुपये की सहायता राशि तथा केयर टेकर को यात्रा पास देने की जो घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, स्पाइनल मस्कुलर एंट्रॉफी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी गम्भीर असाध्य बीमारी है कि जिसको यह बीमारी हो जाती है वह मरीज इस कदर डिसेबल हो जाता है कि वो ठीक से चल नहीं पाता है। अभी दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 के अंतर्गत इनकी सहायता के लिए विशेष उपबंध के प्रावधान किए गए हैं। धारा 24(6) में केयर टेकर भत्ता दिए जाने की बात भी कही गई है। माननीय सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश, उडीसा, बिहार, हिमाचल राज्य में स्पाइनल मस्कुलर एंट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी अन्य श्रेणियों से पीड़ितों के लिए आंध्र प्रदेश में 15 हजार रुपये मासिक पेंशन, उडीसा में 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती

है, हिमाचल में ऐसे पीड़ितों को 30 हजार रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, वहीं बिहार में 6 लाख रुपये चिकित्सीय अनुदान की सुविधा दी जाती है। माननीय मंत्रीजी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि इन मरीजों को राजस्थान में भी और प्रदेशों की तरह सहायता राशि और पेंशन दी जाए।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों के लिए महीने के 8 से 10 ऑक्सीजन सिलेण्डर बाजार से खरीदने होते हैं और जो पेंशन मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है। उनकी पेंशन बढ़ाई जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि कोरोना के टाइम जिन-जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे, वो आज रख-रखाव के अभाव में खराब हो रहे हैं, ऐसे पूरे प्रदेश से जहां-जहां सिलिकोसिस बीमारी के मरीज है उनको वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मरीजों की स्थिति इतनी खराब है कि इनकी आर्थिक अवस्था बहुत ही कमजोर वर्ग से ये लोग आते है और मैं जिस जिले और जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, दौसा जिला में मेरा विधान सभा पड़ता है, वहां सिकन्दरा के अन्दर एशिया की सबसे बड़ी हैण्डीक्राफ्ट स्टोन की मण्डी है। वहां कम से कम 10 से 15 हजार मजदूर इस पत्थर व्यवसाय के काम में आते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में वहां ये सिलिकोसिस बीमारी है, इनके कार्ड बनने में और इनको जब तक प्रमाण पत्र नहीं बनता है तब तक इनको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। भ्रष्टाचार की चपेट में ये जिला सिलिकोसिस बीमारी के इतने चढ़े हुए हैं कि वहां पर लोगों ने पैसे दे देकर, अभी थोड़े दिन पहले अख़बार में भी आया था कि गलत लोगों के सिलिकोसिस कार्ड बना दिए और जिसको जरूरत है उस व्यक्ति को तो यह सहायता मिल नहीं पाती और जिसको जरूरत नहीं है उसका कार्ड बना देते हैं, इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में मेरे विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सावित्री बाई फुले छात्रावास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, वृद्धाश्रम और आभानेरी में देवनारायण छात्रावास का आप निर्माण करवाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और लव-कुश बोर्ड का गठन हो चुका है, उनमें नियुक्तियां की जाएं। बोर्डों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचालन हेतु बजट में समुचित प्रावधान रखा जाए। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक चिट्ठी केन्द्र सरकार को भिजवाएं जिससे महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले को भारत रत्न मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सभी अपने-अपने क्षेत्र की, अपनी-अपनी कौम की और

अपने-अपने वर्ग की बात कर कर रहे हैं तो मैं जिस वर्ग से आता हूं उसकी बात करूंगा। राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली जातियां जैसे सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सुमन, काछी, मालाकार, वनमाली, कुछावा, भूई, माली इत्यादि के लिए विशेष प्रावधानों के तहत 12 परसेंट आरक्षण की मांग सरकार से करते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा 24 अप्रैल, 2023 को वार्ता की गई, उस वार्ता के पश्चात् मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिए गए मांग पत्र को मूल रूप से सभी जिला कलक्टर महोदयों के यहां पहुंचाया गया लेकिन उसकी आज दिनांक तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप जल्दी ही सरकार द्वारा एक चिट्ठी लिखवाएं और सभी जिला कलक्टरों से हमारी मांग को आर्थिक दृष्टि से देखकर उस रिपोर्ट को आप जल्दी से जल्दी मंगवाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन में हमारी जनगणना करवाई जाए और जनगणना करवा कर जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उस भागीदारी के हिसाब से हमें आरक्षण मिलना चाहिए। मान्यवर, प्रदेश के उक्त हुए आंदोलन में कई युवाओं के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषतापूर्ण मुकदमे दर्ज हुए थे, उस समय दर्ज किए गए मुकदमे में अनुसंधान के पश्चात् न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिए गए हैं। प्रदेश में सरकार द्वारा पूर्व में भी विभिन्न समाजों द्वारा किए गए आंदोलनों के फलस्वरूप उसके दर्ज मुकदमे वापस लिए गए हैं, इसी अनुरूप सैनी, माली, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा समाज के खिलाफ धरनों में, आंदोलनों में जो मुकदमे दर्ज हुए है उनको वापस लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत, जय ज्योति, जय क्रांति।

श्री अध्यक्ष: श्री सी.एल. प्रेमी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय सदस्यों के बोलने और दोनों मंत्रियों का जवाब पूरा होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय माननीय सदस्यों के बोलने और दोनों मंत्रियों का जवाब पूरा होने तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय सदस्यों के बोलने और दोनों मंत्रियों का जवाब पूरा होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास व
मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 30 और 31, जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए करता हूं कि बाबा साहब ने इस संविधान को लिखकर जो एससी, एसटी और ओबीसी वालों को रिजर्वेशन दिलाया है, चाहे वो एमएलए बने, चाहे एमपी बने लेकिन शायद बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब का जन्म नहीं होता तो मैं समझता हूं कि एससी, एसटी और ओबीसी वालों का कोई अस्तित्व नहीं होता। बाबा साहब का जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरा। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि उनको पढ़ने के लिए भी दूर बैठाया जाता था, पानी भी नल से नहीं पिलाया जाता था। इन परिस्थितियों में बाबा साहब ने पढ़ाई करके हमारे समाज का गौरव हमें दिलाया, मैं उस समय के बड़ौदा नरेश को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बाबा साहब को लन्दन भेजा, वहां उन्होंने मैं समझता हूं कि आज भी भारतवर्ष के किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल लोगों के पास जितनी डिग्रियां बाबा साहब के पास थी, उतनी किसी के पास आज भी नहीं है। उन्होंने न सिर्फ सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि महिला सशक्तीकरण, यूनिफोर्म सिविल कोड, मौलिक दायित्व के मुद्दों पर अपनी बात रखी।

MLS/RTM/18.07.2024/19:50/4f

भारत मां के ये महान सपूत अपने प्रगतिशील विचारों के चलते करोड़ों भारतीयों के प्रेरणास्रोत और आदर्श बने। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि 70 साल में आपने क्या किया? कांग्रेस ने जितना 70 साल में किया, आप लोगों को तो अभी 15-16 साल का ही चांस मिला है, लेकिन जो भी इस देश ने किया और इस देश की प्रोग्रेस, चाहे वह बांधों के मामले में हो, रेलवे के मामले में हो, चाहे बीएसएनएल के मामले में हो या कई इंस्टीट्यूशंस के मामले में हो, इस भारतवर्ष ने बहुत प्रोग्रेस की। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही प्रोग्रेस हुई है।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां तेजी से घट रही हैं। ज्यादातर डिपार्टमेंट संविदा पर लोगों को ले लेते हैं, एससी, एसटी के लोगों को लेते ही नहीं हैं। जब विज्ञप्ति निकलती है, परमानेंट होने का चांस आता है तो 20 या 30 परसेंट उन लोगों को 2 साल, 5 साल की देकर उन्हें नौकरी पर लगा लेते हैं। ऐसे में हमारे एससी, एसटी और ओबीसी के लोग कहां जाएंगे? इसमें सुधार किया जाना चाहिये। मैं गहलोत साहब से निवेदन करूंगा, समाज कल्याण मंत्री से कि इस पर ध्यान दिया जाये ताकि एससी-एसटी

के लोगों को भी इन निजी संस्थाओं में...

श्री अध्यक्षः कौन-से गहलोत साहब से निवेदन कर रहे हैं?

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): ये गहलोत साहब अपने मंत्री अविनाश जी। सदन में जो अभी बैठे हैं साहब। अभी गहलोत साहब यहां कहां हैं? ...(व्यवधान)... मंत्री जी से कह रहे हैं, आपसे थोड़ी कह रहे हैं साहब।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): 115 में से 30 बैठे हैं आप।

श्री अध्यक्षः और आप भी 70 में से 10-12 ही बैठे हैं।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब गहलोत साहब की सरकार थी तो एससी के 4 मंत्री थे और एसटी के 3 या 4 मंत्री थे। आज आपकी स्ट्रैंग्थ वह नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एससी-एसटी के लोगों को प्रतिनिधित्व दें तो अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से राजस्थान में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजस्थान पुलिस महकमे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एससी, एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2017 से 2023 के बीच कुल 56,880 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 2017 में 4,532, 2018 में 5,478, 2019 में 8,472, 2020 में 8,811, 2021 में 9,472, 2022 में 1,174 और 2023 में 9,060 मामले सामने आये हैं।

माननीय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी आजादी के 70 साल बाद दलित लोगों को, मेघवाल-बैरवा को घोड़ी से उतार दिया जाता है। कोई मूंछ रख लेते हैं तो उनकी मूंछ पर ऑब्जेक्शन किया जाता है। मैं गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोकथाम के कड़े प्रबन्ध किये जाएं और पुलिस के अधिकारियों, एसपी और कलक्टर को इस बात की हिदायत दी जाये कि इस टाइप के मामले ज्यादा न हों।

श्री अध्यक्षः माननीय, आपको एक मिनट ज्यादा दे दिया। श्री राधेश्याम बैरवा।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): ठीक है साहब, धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः समय का ध्यान रखें। अभी दोनों मंत्रियों के जवाब भी आने हैं।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 30 और मांग संख्या 31 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पिछली सरकार मैस भत्ता 2500 रुपये देती थी। हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 3000 रुपये किया है। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। छात्रावासों में जो बच्चे-बच्चियां पढ़ते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। हमारे राजस्थान में जो घुमन्तू समाज है, सांसी समाज है, गाड़िया लोहार समाज है, ये पूरे राजस्थान में हैं। कई सरकारें आईं और चली गईं, आज तक इन समाजों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।

मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इन समाजों को भी मुख्यधारा से जोड़ा

जाये। लोहार समाज के लोग हों, सांटिया समाज के लोग हों, ये रोड पर पड़े रहते हैं। इनका न तो आवास है, न इनकी कुछ रहने की व्यवस्था है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि इस समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का काम हो सके। हमारे जो समाज कल्याण मंत्री हैं माननीय अविनाश

**** गहलोत जी, सॉरी गहलोत जी, इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया वह नाम संशोधित कराएं। इन्होंने समाज कल्याण मंत्री बता दिया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): By slip of tongue, नाम अविनाश की जगह अशोक जी बोल दिया है, उसे ठीक करा लें।

श्री अध्यक्ष: वह ठीक हो जायेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): गहलोत को गहलोत से आपत्ति है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप क्यों चिन्तित हो रहे हैं, चिन्तित तो अशोक गहलोत साहब को होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: चलिये माननीय सदस्य।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): छात्रावास अधीक्षक के अनेक पद रिक्त चल रहे हैं, जिस कारण छात्र-छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा उक्त रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरा जाये। साथ ही, छात्रावास भवनों को मरम्मत कार्य की अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त भवनों का मरम्मत कार्य कराया जाये। विभाग में नीतिगत स्थानान्तरण किये जाएं। तीन वर्ष से पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण होना चाहिये, जिससे विभागीय कार्य त्वरित रूप से सम्पादित हो सकें।

बारां में अनाथ बच्चों के रहने हेतु केवल एक ही बाल गृह है, जबकि प्रत्येक उप-खण्ड स्तर पर बाल गृह खुलना चाहिये। बारां में एससी और एसटी वर्ग के छात्र-छात्राओं को विगत दो वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। विभाग द्वारा शीघ्रतापूर्वक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति खातों में स्थानान्तरित की जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बून्दी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस सरकार के शासन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पदों के पुनर्गठन के अन्तर्गत किस आधार पर मूल्यांकन कर सबसे निम्न स्तर पर जिला पर्यवेक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं, जिसके कारण से प्रशिक्षित एवं अनुभवी अधिकारी नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में बारां किस आधार पर चयनित किया गया है?

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री राधेश्याम बैरवा (बारां-अटरू): मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

*** माननीय अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार संशोधित किया गया।

श्री अध्यक्षः श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष जी, मेरे साथ सोहन जी भी हैं। मैं इनके बाद में बोल लूंगा।

श्री अध्यक्षः फिर आप नहीं बोलेंगे?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं बोलूं?

श्री अध्यक्षः आप बताएं, आप बोल रहे हैं तो आपका नाम बोलूं, नहीं तो उनका नाम पुकारूं?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, दोनों को बोलना है। इनको बुलाना जरूरी है।

श्री अध्यक्षः फिर आप विराजें। श्री सोहन नायक। जरूरी है तो जरूर बलवाएं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ये एक अनुसूचित जाति के एमएलए का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या 31 और 30 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो छात्रावास हैं, उनके हालात जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बताये, बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। न तो वहां हॉस्टल वार्डन हैं, न कोई सुरक्षा व्यवस्था है। मेरा विधान सभा क्षेत्र, जो कि एक सीमान्त क्षेत्र है, वहां पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा ड्रग्स सप्लाई होती हैं और वे समस्त बच्चे उस नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं।

mkd/rtm/18.07.2024/20:00/4g

वहां सुरक्षा की अति आवश्यकता है। मेरा आपसे सदन के माध्यम से यह भी निवेदन है कि जहां 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति..।.

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आज आपका जन्मदिन है तो जरा सबसे बधाई भी लें और जरा सबको सुनो भी। आज आपके माननीय सदस्य श्री श्रीचन्द कृपलानी जी का जन्मदिन है। उनको व्हाट्स ऐप पर खूब बधाइयां आ रही हैं। अब सबको मिठाई खिला देना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस सत्र के अभी समाप्त होने के उपरान्त सभी के लिए विविध प्रकार के भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): इनका जन्मदिन आज से 23 तक चलेगा। आज से शुरू हो रहा है और 23 तक।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं बिलकुल तैयार हूं।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस गांव में 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वहां आप कस्तूरबा विद्यालय खोलें। आप एक लाइब्रेरी विशेषकर बच्चियों के लिए जरूर खोलें, क्योंकि प्रतियोगिता का जमाना है। हमारी बच्चियां दूर-दूराज जाकर कम्पीटीशन की तैयारी नहीं कर सकती हैं। जहां 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी है,

वहां पर आप लाइब्रेरी खुलवायें और अच्छी पुस्तकें देकर उनकी तैयारी की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जहां भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया खोले जा रहे हैं, वहां अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षित दर से कम पर प्लॉट दिया जाये, जिससे वे अपना पैतृक धंधा अपनाकर रोजगार को बढ़ावा दें और सही ढंग से अपना पालन-पोषण कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि जो नगरपालिका पेरीफेरी क्षेत्र हैं, उसमें आस-पास की एससी की जमीनों को ये जो डवलपर्स हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, वे खरीद लेते हैं और कम कीमत पर खरीदकर लाखों का मुनाफा कमाते हैं और एससी, एसटी के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि अगर उन्होंने किसी के नाम से खरीदी है तो कम से कम पांच साल तक उनको कनवर्जन नहीं किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी बाबा साहब का बड़ा गुणगान कर रहे थे। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया? किसकी वजह से किया?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपकी वजह से।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): हमारी वजह से नहीं, +++ धर्म की वजह से।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी धर्म का नाम लेकर, धर्म को सम्बोधित करके..।

श्री अध्यक्ष: अंकित न करें, एक्सपंज कर दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 1952 में बाबा साहब को चुनाव किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हराया।

श्री अध्यक्ष: आप सावधानी रखिये, धर्म का नाम नहीं लेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष नेता, कृपया आप उनको बता दें।

श्री अध्यक्ष: कार्यवाही से हटा दिया।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): बाबा साहब के संविधान पर जो गुणगान कर रहे थे, वे यह बतायें कि जितने उनके बड़े नेता हैं, उन्होंने जो टिप्पणियां की थीं कि हम चार सौ आते ही संविधान बदल देंगे। वे कैसा संविधान लाने चाहते हैं? आये दिन अखबारों में आता रहता था, आपके एमपी ने कहा है, आपके मंत्रियों ने कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कुछ ऐसी जातियां हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है। उनको एसटी में भी लिया और एससी में भी लिया। मात्र वह एक शब्द से जैसे धानक एक जाति है और धानक के आगे 'ए' लगा दो, उसको धानका कर दिया, उनके साथ अन्याय हो गया। नायक जाति है, जिसके एनएवाईएके 'ए' लगाकर नायका कर दिया, जबकि राजस्थान में कोई नायका जाति

नहीं है, नायक जाति है, जो शिड्यूल्ड ट्राइब में आती है। 1976 में केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को एक नोटिस जारी किया कि नायक जाति को कौन-सी सुविधाएं मिलती हैं। राजस्थान सरकार ने जवाब दिया कि अनुसूचित जाति की वे सभी सुविधाएं राजस्थान के अन्दर मिल रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि..।

श्री अध्यक्षः टाइम हो गया है, आधे मिनट में समाप्त करें, घड़ी बोल रही है। अब समाप्त करिये।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जन्मदिन में मेरे चार मिनट खा गये।

मेरा निवेदन है कि एससी, एसटी की जो जमीनें हैं, बड़े लोगों ने उनकी अपने नौकरों के नाम से रजिस्ट्रियां करवा रखी हैं। उनको चिन्हित करके, उनसे छुड़वाकर वापस उन मालिकों को दी जाये। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। ज्यादा न कहते हुए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः श्री सुभाष मील।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

हम सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय इस बात पर आधारित है कि सबको समान अधिकार मिलें, सबको समान अवसर मिलें और सबके साथ समान रूप से व्यवहार हो। इसी सिद्धान्त के ऊपर सामाजिक न्याय आधारित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी को ध्यान में रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 परसेंट से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं। सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को मानते हुए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों के लिए हमारे विधान सभा क्षेत्र खंडेला में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना हो, जिससे वे गरीब और होनहार बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। जो अच्छी जगह नहीं जा पाते, धन के अभाव में, संसाधनों के अभाव में, जो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते। मेरा आपसे आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र खंड़ेला में एक अनुसूचित जाति, जनजाति का आवासीय विद्यालय खोला जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको पता है कि अधिक फीस होने की वजह से गरीब बच्चे बड़ी जगह पर नहीं जा पाते हैं, वे वहां की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं यह चर्चा सुन रहा था, विपक्ष के भी बहुत से साथियों ने इस पर गम्भीर विचार रखें और इस चीज को हम सबको पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठते हुए हमारे पूरे राजस्थान में एक ऐसी व्यवस्था हो, पूरे राज्य में एक ऐसी व्यवस्था हो, जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी हैं, उस अनुपात में उनके लिए अच्छे आवासीय

विद्यालयों की स्थापना हो। हमें उन होनहार बच्चों की चिन्ता करनी चाहिए, जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से एक मुख्य बात कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, अलग-अलग कक्षाओं में, कॉलेजो में मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इन छात्रृत्तियों के कारण, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हमसे रोज कहते हैं कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, किस कारण से अटकी हुई है। इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो और जो छात्रावास चल रहे हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए उनके भी प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था हो, जिससे उनमें कैसे काम हो रहा है, इसका उन सबको फायदा मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि बाबा साहब का गुणगान बहुत कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अब बाबा साहब के गुणगान से भी तकलीफ होने लगी है क्या? आपने उनका नाम लेकर सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को वोट बैंक समझकर, आज तक उनका भला करने का काम नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष, महोदय मैं कहना चाहता हूं कि आज तक देश में 32 भारत रत्न मिले हैं, 16 भारत रत्न उनको जीवित रहते हुए मिला। माननीय नेहरू जी को और इन्दिरा गांधी जी को, उनको जिन्दा रहते भारत रत्न मिला, लेकिन आप बाबा साहब का नाम लेकर बार-बार वोट की राजनीति करते हैं तो आपने उनको भारत रत्न देने तक का काम नहीं किया।

Bhs/Rtm/18.7.24/20.10/4h

और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। इसलिये आप कौन से मुंह से वह बात करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री जी को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा पहलू जो हर गांव के अन्दर, हर पंचायत के अन्दर एक बहुत बड़ा उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। यह सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो सैकड़ों लोग हर पंचायत के अन्दर आज हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वर्षो से जिनके पास जमीन नहीं है जो पिछले साठ-सत्तर सालों से जमीन के अभाव में सरकारी भूमि या गोचर भूमि पर अपना निवास करके अपना जीवनयापन कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप समाज कल्याण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ एक प्रस्ताव बना कर सरकार को भेजें कि जो लोग पिछले साठ-सत्तर सालों से गांव में गोचर या सरकारी भूमि पर निवास कर रहे हैं उनकी आबादी नियमन करने की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि सामाजिक न्याय का सपना बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार मिलेंगे तो जिनके पास रहने के लिए जमीन

नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी सरकार को इस तरफ विशेष तौर से ध्यान दिलायें कि हर जगह, हर पंचायत, हर गांव की एक महत्वपूर्ण विचार करने योग्य बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मेरे एक पाइंट पर चर्चा करना चाहता हूं कि जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी...।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तीन मिनट का समय दीजिये प्लीज।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट नहीं, एक मिनट।

श्री सुभाष मील (खंडेला): नहीं, अभी मेरे तीन मिनट बच रहे हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपके 6 मिनट हो गये।

श्री सुभाष मील (खंडेला): शुभ शक्ति योजना जो एक बहुत बड़ी योजना थी जिसके माध्यम से गरीब आदमी के बच्चों को शादी के लिए, शिक्षा के लिए अविवाहित महिला या बेटियों की शादी के लिए शिक्षा के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए 55 हजार रुपये दिये जाते थे और यह एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मजदूरों के और श्रमिकों के कल्याण की बात करने वाले जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, बहुत ही गहनता से जो बातें सुनते हैं माननीय टीका राम जूली साहब, आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के अन्दर पिछले पांच साल के अन्दर शुभ शक्ति योजना में एक भी श्रमिक और उसकी बेटियों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया। अगर आपने एक भी व्यक्ति को लाभान्वित किया है तो बता दें। मैं माननीय, आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ बातें करते हैं मैं दो लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूं...।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लेबर डिपार्टमेंट की डिमाण्ड है समाज कल्याण की नहीं है, लेबर की जिस दिन आये उस दिन बोलना।

श्री सुभाष मील (खंडेला): सर, इसी में समाज कल्याण में जुड़ गया। हर वर्ग की बात हो रही है और कहना चाहता हूं...।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): दोनों हैं उसमें लेबर में एससी और एसटी।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, वो गरीबी से हर रोज मरता था, अपने सर नगीने जड़ा ताज सहता रहा, राजनीति का स्तर था ऐसा गिरा, गरीब आदमी उसमें उलझता रहा और माननीय अध्यक्ष महोदय, बेटियां ब्याह कर न हो सकी अपने घर से विदा, क्योंकि बूढ़ा बाप रकम के लिए भटकता रहा।

श्री अध्यक्ष: श्री रफीक खान। तीन मिनट।

श्री सुभाष मील (खंडेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं मेरी एक डिमाण्ड है मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट दे दिये और। पहले वो ही बोलनी चाहिये। आप पहले भाषण दूसरा करते हो।

श्री सुभाष मील (खंडेला): ओबीसी के लिए और जो सर्वसमाज के गरीब वंचित लोग हैं उनके लिए भी छात्रावास की मांग करता हूं। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ओबीसी के लिए और सर्व समाज के गरीब छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाये।

श्री अध्यक्ष: हो गया। विराजें।

श्री सुभाष मील (खंडेला): चूंकि समय कम दिया लेकिन फिर भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और अन्त में, मैं एक ही बात कहूंगा, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और जो कमजोर तबका है उसके लिए दो लाइनें कह कर मेरी बात को खत्म करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा बोलते हो लेकिन समय हो गया। अब विराजो। श्री रफीक खान। आप बोलें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम समय होने के बावजूद भी आपने मुझे समय दिया और मैं यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की नींव ज्योतिबा फूले ने रखी और आज के समय हम पूरे दिन सामाजिक न्याय पर चर्चा कर रहे हैं पर न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। न्याय की बात हम किसी भी तरह की न्याय की बात किसी भी समाज को लेकर नहीं कर रहे हैं। आपका बजट आपने दिया 13 करोड़ रुपये आपने कहा कि हम मन्दिरों की साज-सज्जा के लिए देंगे। दीपावली पर देंगे, होली पर देंगे आप महावीर जयन्ती को भूल गए, आप क्रिसमस-डे को भूल गए, आप ईद-बकरीद को भूल गए। आप गुरुनानक जयन्ती को भूल गए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप बजट का रिप्लाई दें और जब भी उसमें करेक्शन करें तो ये त्योहार इसमें जरूर जोड़ें जायें और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यूडीएच मंत्री भी बैठे हैं। वाल्मीकि समाज, यह खाली जयपुर की ही समस्या नहीं है पूरे प्रदेश की समस्या है और मैं यूडीएच मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज साफ-सफाई का काम करता है और सबको मालूम है। यूडीएच मंत्री महोदय, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: इनकी मांगें आयेंगी अभी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पूरे प्रदेश में वाल्मीकि समाज सफाई का काम करता है और विषम परिस्थितियों में करता है और नतीजा क्या होता है कि पचास की एज तक पहुंचते-पहुंचते उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है, बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। मैं एक रिलेक्सेशन, आप सबको कहना चाहता हूं कि हम सबको मिल कर करना चाहिये अलग-अलग जाति के लोग सफाई कर्मचारी बन करके लग जाते हैं और फिर ऑफिसेज में लगते हैं, सफाई का काम नहीं करते हैं सिर्फ वाल्मीकि समाज ही सफाई का काम करता है तो हम सबको मिल करके अगर कोई, आपके साथी भी कह रहे हैं सही बात है। अगर कोई सरकारी

कर्मचारी पचास पार करने के बाद यह चाहे कि उसके डिपेंडेंट को उसकी एवज में नौकरी दे दी जाये तो यह हम सबको माननी चाहिये ताकि हमारा राजस्थान शहर साफ-सुथरा रहे और वो लोग जो ये काम ट्रेडिश्नली करते आ रहे हैं वो ये कर सके क्योंकि दूसरी जाति के लोग लग तो जाते हैं लेकिन फिर वो आप और हमसे सिफारिश करा के ऑफिसेज में लग जाते हैं काम नहीं करते हैं। यह सबका एक चिन्ता का विषय है। हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गुजारिश और लास्ट में एक लाइन और मैं खत्म करना चाहता हूं। आप सब जब चुनाव में जाते हो, समाजों के साथ न्याय नहीं करते हो। एक नेता था आपके पास माइनोरिटी का और आप सबका सीनियर था सिर्फ माइनोरिटी का था इसलिये आपने टिकट काट दिया। आप सबको साथ लेने की बात नहीं करते हो। चुनाव में बातें करते हो सबका साथ और सबका विकास लेकिन समाज के साथ न्याय नहीं करते हो, सभी समाज के साथ में ...(व्यवधान)... न राजस्थान में एक आदमी लड़ाते हो, न दिल्ली में लड़ाते हो, न यूपी में लड़ाते हो, न गुजरात में लड़ाते हो, न मध्य प्रदेश में लड़ाते हो।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो। श्री बाबू लाल खराड़ी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री अध्यक्षः विराजो। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी, श्री बाबू लाल खराड़ी। जवाब सुनिये मंत्री जी का। आप तो चुप रहिये। आप क्यों बोल रहे हैं। चलिये बैठिये, माननीय सदस्य। यह आपका काम है क्या, मेरा काम है देखना। नहीं, आप चुप रहिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट व परिवर्तित बजट 10 जुलाई, 2024 में जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई। इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं उप मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की मांगों पर विचार प्रकट करने के लिए एवं सुझाव देने के लिए मैं हमारे सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। आपके सकारात्मक सुझाव, बहुमूल्य सुझाव आपने इस सदन में दिये हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सुझावों को सम्मिलित करके ठीक प्रकार से यह विभाग जनजाति विभाग के लिए अच्छे से अच्छा करने के लिए करने का हम सब लोग मिल कर प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र और कलस्टर माडा क्षेत्र, बिखरी आबादी और सहरिया। अनुसूचित क्षेत्र में 70 प्रतिशत से ज्यादा की आबादी है घनी आबादी है उसे जनजाति उपयोजना क्षेत्र माना है इसमें हमारे तीन जिले पूर्ण रूप से है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आंशिक रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, पाली, सिरोही इस प्रकार से आठ जिलों को मिला करके जनजाति उप योजना क्षेत्र को परिभाषित किया है।

Kas/rtm/18.07.2024/20.20/4j

माड़ा क्लस्टर, माड़ा और बिखरी आबादी में पूरे राजस्थान में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। उन सब लोगों के लिये सरकार की ओर से जितनी भी योजनाएं हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिये उन योजनाओं को लागू करके उन तक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज 94 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैं इन माननीय सदस्यों को समय पर जवाब पहुंचा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा अल्प अवधि में कई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किये गये हैं तथा कई नवीन योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। जनजाति क्षेत्र में सामुदायिक वनाधिकार संभावित क्षेत्र के आकलन हेतु एफआरए एटलस तैयार की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने सामुदायिक वनाधिकार क्षेत्र के पट्टों के बारे में जिक्र किया। हमारी सरकार द्वारा एफआरए एटलस तैयार किया गया है। इसमें राजस्व भूमि और वन क्षेत्र की भूमि को मिलाकर एक एटलस तैयार किया जायेगा, जिससे यह पता लगेगा कि वन क्षेत्र की भूमि कौनसी है और राजस्व भूमि कौनसी है। कई बार विवाद होता है, राजस्व यह जताता है कि यह जमीन हमारी है और फोरेस्ट कहता है यह जमीन हमारी है। इस कारण से इसका पूर्ण सीमांकन करके दोनों नक्शों को मिलाकर इस प्रकार की व्यवस्था की जायेगी, ताकि इस प्रकार के विवाद न हो।

जहां तक वनाधिकार का विषय है, काफी सदस्यों ने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, कई बार संशय हो जाता है। व्यक्तिगत पट्टे, वनाधिकार पट्टे, जिसमें व्यक्ति खेती कर सकता है, मकान बना सकता है, सब प्रकार का काम कर सकता है, लेकिन उसको बेचान नहीं कर सकता। सामुदायिक वनाधिकार पट्टा खेती के उद्देश्य से नहीं है, उस पट्टे में फलदार पेड़ लगाये, फोरेस्ट विकसित करे, इस उद्देश्य से है। इसमें हमारे कुछ काश्तकारों का रहता है कि इसमें हम खेती करेंगे। अध्यक्ष महोदय, गत सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में जनजाति विकास सम्बन्धित 49 बजट घोषणाएं की थीं और उसमें से आपने केवल 36 पूरी की हैं। यहां आप मेज थपथपाते हो, लेकिन हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो उसका लाभ क्या मिलेगा? अध्यक्ष महोदय, आपने दूसरा काम और किया, जितना पैसा आपको आवंटित हुआ, उसको पूरा खर्च भी नहीं कर पाये, क्योंकि हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसका हिसाब-किताब भी देखना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में एन.डी.ए. सरकार द्वारा जनजाति वर्ग से सम्बन्धित कई नवीन योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जनमन आदि योजना प्रारम्भ की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है? यह योजना केन्द्र की है और केन्द्र से संचालित होती है। उस गांव का चयन भी सीधा केन्द्र से होता है और उस गांव का 20 लाख रुपये का बजट भी सीधा उस गांव को मिलता है। उस गांव की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, इन सारे कामों में खर्च करके एक आदर्श ग्राम बनाने के सपने को पूरा करने का उद्देश्य

है।

अध्यक्ष महोदय, जनमन योजना सहरिया क्षेत्र के लिये है। उनका सर्वांगीण विकास हो, उनकी मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचे, इसके लिये माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस योजना को बनाया था। जनमन योजना के अंतर्गत सहरिया क्षेत्र में अधिकतर लोगों के मकान बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार से उस गरीब को ऊपर उठाने का काम हमारी केन्द्र की सरकार करती है और अब राजस्थान सरकार भी इस आम-अवाम, गरीब, जो जनजाति का व्यक्ति अंतिम किनारे पर बैठा है, उसको ऊपर उठाने का हमारा विभाग प्रयास करेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जनजाति आबादी के कुल 4302 गांव हैं। इसमें चरणबद्ध तरीके से दो चरणों में 1500 गांवों को चिह्नित कर इनके सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम विकास योजना तैयार की जा रही है और अब तक लगभग 9000 कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ...(व्यवधान)... वह तो केवल सपना दिखाते हैं। मैं सारा बता रहा हूं, एक-एक चीज का बताऊंगा। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, जनजाति कार्य मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा कई अभिनव पहल भी की गई है। जिसमें एम्स जोधपुर के सहयोग से आबूरोड में सेटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हैल्थ स्थापित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अच्छी पहल है। आबूरोड में एक केन्द्र स्थापित किया है, वहां पर स्थाई रूप से एक डाक्टर, दो कंपाउंडर बैठते हैं। मरीज ऑन लाइन एम्स के डाक्टर से सलाह लेता है। वह एक्स-रे वगैरह ऑन लाइन उनको भेजता है और वह वहां से कहता है कि इसके लिये यह दवा है और इस दवा को लेने से यह बीमारी ठीक होगी। इस तरह से जनजाति क्षेत्र में इस प्रकार की चिकित्सा सुविधा सैटेलाइट से पहुंच रही है, यह बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग है। इन सेंटर्स के कुछ चिकित्सक गांवों में जाकर भी चिकित्सा करते हैं। इसमें कुछ डाक्टरों को बारी-बारी से बुलाकर गांवों में भेजते हैं, वह गांवों में जाकर मरीजों को देखते हैं, मरीजो को प्रोत्साहित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इसरो के सहयोग से एकलव्य मॉर्डन आवासीय विद्यालय सलूंबर, गोगुन्दा में खोले गये हैं। इनके विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान, सेटेलाइट डिजाइन, इसरों के विभिन्न मिशन, जैसे चन्द्रयान -3, आदित्य एल, आदि के सम्बन्ध में जानकारी देना, इसे हमारा नवाचार कह सकते हैं। बच्चे को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिये दो विद्यालय, एक गोगुन्दा और दूसरा सलूंबर में है। इनके विद्यार्थियों को ऑन लाइन उनसे जोड़कर चन्द्रयान कैसे काम करता है, आदित्य-एल कैसे करता है, इस प्रकार की जानकारी बच्चों में देकर बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह काम भी हमारी सरकार कर रही है।

msk/rtm/18.07.2024/2030/4k

अध्यक्ष महोदय जी, केन्द्र सरकार के द्वारा जनजाति वर्ग के कृषि एवं वन आदि के उत्पादकों को विपणन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वन-धन केन्द्रों की स्थापना की

गयी है। 9 जिलों में 474 वन-धन केन्द्रों पर लगभग 1 लाख 45 हजार सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। यह सबसे बड़ा काम है। मैं उधर था तो कई बार आपको सुझाव भी देता था।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): इम्पलीमेंट कब होगा...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): वह हम शुरू कर रहे हैं और करेंगे एवं करके बतायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, जनजाति का व्यक्ति जंगल में रहता है, जंगल के आसपास रहता है, प्रकृति पूजक भी है, उसकी सुरक्षा भी करता है, संरक्षण भी करता है, लेकिन वहां से जो भी उत्पादन होने वाला है, उनको उत्पादन का ठीक प्रकार से जो मूल्य मिलना चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। ये वन-धन केन्द्र जो वन उपज है, वे सारी की सारी वन उपज जैसे शहद, गोंद, महुआ और अन्य वन उपज हैं, उन वन उपज को इकट्ठा करायेगा और इकट्ठा कराने के बाद उनको एक मार्केट उपलब्ध करायेगा तो कम से कम उनको पूरा दाम मिले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, ऐसा हमारा मानस है।

अध्यक्ष महोदय जी, इसमें हमारी जो राजीविका है, हमारे जो समूह बने हुए हैं, वे भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी वन उपज है, उन सारी को इकट्ठा करके यहां नहीं, दिल्ली के मार्केट में बेचते हैं। मेरी उनसे कई बार बातचीत होती है तो वे कहते हैं कि भाई साहब, जब हम उस मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो कोटड़ा के नाम से बिकता है। उनकी गुणवत्ता अच्छी है। इससे दुबारा मांग होती है और हम ले जाते हैं तो वहां दोगुने दाम पर बिकता है। इस प्रकार से उनको मार्केट उपलब्ध कराकर कम से कम उनका जीवन ऊपर कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय जी, काफी लंबे समय से छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के मेस भत्ते को बढ़ाये जाने की मांग थी। हमारी सरकार के द्वारा इस बजट में छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र-छात्राओं को देय मेस भत्ता 2 हजार 500 से बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया है। यह बहुत अच्छा है। अभी महंगाई का समय है। अध्यक्ष महोदय जी, महंगाई बढ़ रही है। उनकी खान-पान की चीजें की महंगी हो रही हैं, लेकिन इन्होंने मेस भत्ता नहीं बढ़ाया। हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 3 हजार रुपये करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय जी, खेलकूद आवासीय छात्रावासों में हमने 4 हजार रुपये कर दिये हैं। यह भी हमारी एक अच्छी उपलब्धि है।

इस बजट में 17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के उन्नयन एवं रखरखाव के लिए 77 करोड़ की घोषणा की गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हॉस्टलों के शौचालय ठीक नहीं हैं, बिस्तर ठीक नहीं हैं, बेड ठीक नहीं हैं। हमको यह जो पैसा मिला है, इससे हम इन सारी सुविधाओं को ठीक करेंगे। पहली बार इस प्रकार की घोषणा हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसके

अतिरिक्त भी देवला- कोटड़ा और उदयपुर व जालौर में जसवंतपुरा में एक नवीन आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है। लंबे समय से ये मांगे आ रही थीं कि हमारे यहां भी आवासीय विद्यालय खोलो। गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है तो यह काम भी हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय जी, मारवाड़ क्षेत्र से निरन्तर नवीन छात्रावास खोले जाने के लिए समय-समय मांग की जाती रही है। हमारी सरकार ने क्षेत्र की इस मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बजट में शेरगढ़, मेर मंडवाणा, सिरोही में भटेवर, पिण्डवाणा में, पोसाण, जालौर में, नवीन अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोले जाने की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय जी, यहां बिखरी हुई आबादी है, यहां कोई सोचता नहीं है, देखता नहीं है। इसकी चिन्ता भी हमारी सरकार ने की है। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान भी छात्रावासों की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किये हैं। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने छात्रावास आवासीय विद्यालय के रिपेयर एवं रखरखाव के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है और 4 छात्रावास जो कि बिल्कुल जर्जर हैं, दानपुर-बांसवाड़ा। मंत्रीजी, बजाओ। आपका छात्रावास नवीन बना रहे हैं। आपने तो किया नहीं, हम कर रहे हैं। आपने नहीं किया, वह काम हम पूरा कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): आप कर रहे हो, कब आये थे, यह देख लो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कहरी-डूंगरपुर, डूंगरसारण-डूंगरपुर, फलासिया, ये तीन आपके ही आसपास के हैं। उस समय आप नहीं कर पाये, यह काम हम पूरा कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो गयीं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अभी तो शुरूआत हुई है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, चलिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र के लगभग 92 हजार बालक-बालिकाओं को 3 हजार से अधिक मां-बाड़ी केन्द्रों में पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। इस बजट में 250 मां-बाड़ियों की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय जी, पिछली सरकार ने 250 मां-बाड़ियों की घोषणा की थी। माननीय पूर्व मंत्री विराजे हुए हैं। इन्होंने आनन-फानन में नियम-विरूद्ध मां-बाड़ियां खोल दीं। कलेक्टर की अध्यक्षता में हमने जांच बैठायी और जांच बैठाने के बाद में 49 मां-बाड़ियां नियम-विरूद्ध खोले जाना पाया गया। आपने नियमों को ताक पर रखकर किया। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय जी, ये जो 49 मां-बाड़ी केन्द्र हैं, उनका स्थान परिवर्तित करके जहां आवश्यकता है, जहां आवश्यक है, ऐसी जगहों को चिह्नित कर वहां पर खोलकर उन बच्चों का भला करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मां-बाड़ी केन्द्रों और डे-केयर केन्द्र में शिक्षा सहयोगी तथा महिला सहयोगिनी के चयन, हटाने की प्रक्रिया को हम सरल करेंगे और पारदर्शिता पूर्ण करेंगे। आपने गांव की

समिति बना ली। गांव की समिति में जैसा व्यक्ति वैसा निर्णय होता था। अब पारदर्शिता से चयन करके अच्छे व्यक्तियों को लाकर कम से कम उन बच्चों का भला हो, ऐसा विचार हम लोगों ने किया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इनका ध्यान रखना।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इनका तो पहले से रखूंगा।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): लिस्ट देकर इम्प्लीमेंट तो करें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बिल्कुल जो कहा है, वह करके बतायेंगे, माननीय मंत्री महोदय जी।

श्री अध्यक्ष: आप सुन लीजिये। आपका पांच साल का मौका था, अब इनका सुन लीजिये। आप सुनिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मंत्री जी, अभी शुरूआत हुई है, इसका अन्त कैसे होगा, वह भी पता लगेगा।

mdp/rtm/18.07.2024/20:40/4l

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे महापुरुषों, महानायकों को उचित सम्मान देना हमारी सरकार का संकल्प है। जननायकों के इतिहास को उचित स्थान दिलाने के लिए हमने इस बजट में और बजाओ ताली, डूंगर बरंडा और बांसिया चरपोटा के नाम से स्मारक बनाने की घोषणा भी हुई है। मैं इस सम्बन्ध में उनकी उस समय क्या भूमिका रही थी ताकि इतने प्रख्यात हुए थे, ये थोड़ा-सा जिक्र करना चाहूंगा। डूंगर बरंडा नामक भील नायक ने 13वीं शताब्दी में डूंगरपुर की स्थापना की, 13वीं शताब्दी में। डूंगरपुर के आसपास के समस्त पालों के सरदारों ने डूंगर बरंडा को अपना राजा चुना। रावल वीर सिंह ने डूंगर बरंडा को हराकर डूंगरपुर पर कब्जा कर लिया। एक शादी में गये थे, आपको ध्यान होगा, नहीं है तो पढ़ लेना कहीं, वहां पर षडयंत्रपूर्वक, ये जो राजा है, इसके द्वारा आक्रमण हुआ। बाराती मारे गये थे, लेकिन डूंगर बरंडा वहां से निकल कर आ गये। जिनकी आज अभी वहां छतरी है, वहां पर घेर कर उनकी हत्या कर दी थी। ये है उनका इतिहास। डूंगरपुर के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी पर डूंगर बरंडा की छतरी बनी हुई है। आप गये हुए होंगे, नहीं गये तो अब चले जाना।

बांसिया चरपोटा, अर्थून से आकर घने जंगलों के मध्य बांसिया चरपोटा भील ने अपने नाम पर मकर सक्रांति के दिन 15/01/1515 को बांसवाड़ा की स्थापना की। यह भूमिका इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम हमें इतिहास का पता रहना चाहिए और ये रिकॉर्ड में रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। बांसिया बहादुर वीर, सत्यप्रिय और कुशल राजा थे। रावल जगमाल सिंह ने मऊडीखेड़ा सियासत में नरू निनामा के यहां आदिवासी के वेश में मेहमान बनकर भील राजा बांसिया बहादुर की धोखे से हत्या कर दी। एक सगाई का कार्यक्रम था। वे सगाई कार्यक्रम में गए। जो यह राजा था, जिसने हत्या की वह भील के वेश में आया था और उसने हत्या की थी। यह है इनका इतिहास।

अध्यक्ष महोदय जी, इसी तरह कला एवं संस्कृति के संरक्षण एंव संवर्द्धन करने हेतु डूंगरपुर जिले में शिल्पग्राम बनाया जाएगा। साथ ही जनजाति आस्था केन्द्र सीताबाड़ी, कमलनाथ, जवाहर माता के विकास के लिए बजट की घोषणा की गयी है। डूंगरपुर वाले तो चले गये भाषण देकर। ये इतना बड़ा काम है, उसके बाद में भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? सब हमने ही किया तो कुछ बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो शिल्पग्राम बनेगा, इसमें आपकी कलाएं, 64 कलाएं और 16 संस्कार, उनका प्रदर्शन होगा। उसमें गवरी भी होगी, हमारे गाने भी होंगे, हमारे वाद्य यंत्र भी होंगे। ये सारी चीजें बाहर आयेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी, आप भी देखना भील प्रदेश वाले, मतलब ये सारी की सारी कलाएं आने वाली पीढ़ियां देखेंगी और उससे प्रेरणा लेंगी। इसीलिए हम बना रहे हैं।

काली बाई का जिक्र आपने कभी नहीं किया। काली बाई का इतिहास भी है, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा। हम तो नहीं बना रहे, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर तो तुम लोग बना रहे हो। अगर जाति के आधार पर राज्य बनते, धर्म के आधार पर देश के टुकड़े हुए और जाति के आधार पर प्रदेश को बांटो आप। आपके स्टेटमेंट हैं। ...(व्यवधान)... क्या कांग्रेस जाति के आधार पर प्रदेश को बांटना चाहती है? नेता, प्रतिपक्ष आप बताइए। बांटना चाहती है जाति के आधार पर प्रदेश को?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो जो चर्चा हुई है, वह जवाब दे दीजिए फटाफट।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं वही दे रहा हूं। आपका स्टेटमेंट है, आपकी पार्टी की तरफ से। अगर पार्टी की तरफ से नहीं है तो आप मना कर दीजिए, व्यक्तिगत बयान था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक जवाब और आना है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, ...(व्यवधान)... अभी तो मैंने शुरू किया है। काली बाई का इतिहास क्या है? नाना खांट एक शिक्षक थे और वह आजादी की अलख जगा रहे थे। अंग्रेजों को भनक लगी और भनक लगने के बाद में जाकर उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनको गाड़ी से बांधकर रगड़कर लेकर जा रहे थे। काली बाई अपनी घास की गठरी बांध कर आ रही थी। उसने देखा कि गुरु जी को इस प्रकार ले जा रहे हैं। उसने आव न देखा ताव, दराती कमर से निकाली और रस्सी को काटा दिया। वहीं गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अध्यक्ष महोदय जी, कमलनाथ का तो मैं बता ही दूं, बहुत ज्यादा नहीं करूं तो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मंत्री महोदय, समाप्त कीजिए, बहुत ज्यादा हो गया।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): थोड़ा और करूंगा। ...(व्यवधान)... चलिए मैं पूरा कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): समाप्त कीजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): बोलने दीजिए इनको। ...(व्यवधान)... बोलने दीजिए। आपने क्या किया 5 साल में।

श्री अर्जुनसिंह बामणीया (बांसवाड़ा): हमने क्या किया 5 साल में ...(व्यवधान)... सब किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दोनों विराजिए। चेयर को संबोधित कीजिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दो बातें कहकर खतम करूंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिए। सुनिए, माननीय मंत्री जी, आपने जवाब दिया होगा तो इन्होंने भी सुना होगा। जवाब देने दीजिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, कमलनाथ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पिछली बार वहां खड़ा होकर मैंने बात कही थी यहां पर। स्थगन के मार्फत उठाया था। वर्णन करूंगा तो बहुत लम्बा होगा, लेकिन आपके मंत्री, अभी नहीं हैं, डोटासरा, उन्होंने जवाब दिया था।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): आप नाम मत लीजिए। वह जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं है तो नाम मत लीजिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सर, नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड तो कराऊं, मैंने बात कही थी ...(व्यवधान)... चलिए नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधान सभा के सदस्य तो हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष जी, उस समय मुझे जवाब मिला था कि हम इसको विकसित करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। हमने किया। एक बात कहकर क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक बात मुझे कहनी आवश्यक है, पूरी तो मुझे नहीं कहने देंगे, हमारे बिरसा मुंडा की बात बहुत सारे लोग करते हैं, भील प्रदेश वाले। बिरसा मुंडा क्या था? यह उनको समझना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे मत बोलिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, बिरसा मुडा का जन्म 15 नवम्बर, 1857 में रांची जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा कहां हुई? शिक्षा - दीक्षा बिरसा मुंडा ने बिरजू मिशन स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पायी और आगे की पढ़ाई के लिए शाही भाषा के लूथरन मिशन स्कूल में दाखिला लिया, जहां बिरसा मुंडा की शिखा काटी गयी।

Ans/rtm 20.50 4m 18.07.2024

पारीक साहब, शिखा क्या है इनको बताओ। शिखा क्या होती है, शिखा चोटी होती है। अध्यक्ष महोदय, चोटी पर भी लोग राजनीति करते हैं, इसलिए मैं यह जिक्र करना चाहता हूं। बिरसा मुण्डा ने उलगुनाल क्रांति का आवाहन किया। किसलिए किया, अंग्रेजो द्वारा फूट डालो

राजनीति करो। इसी के निमित्त जो चोटी काटी, हमारे धर्म की हानि हुई, हमारे धर्म पर प्रहार हुआ, अनावश्यक रूप से हम पर कर लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। यह विदेशी हमें नहीं चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, यह था उनका, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं।

मेरे ऊपर भी प्रेशर है, आगे नहीं कहते हुए मैं मेरी बात को पूरी करुँ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः चर्चा नहीं होती।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, मंज़िले चाहे दूर हो मगर चल पडा हूं, चलता रहूंगा उसी डगर पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पारित की जाए।

श्री अध्यक्षः श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर आज सदन में माननीय 28 सदस्यों ने अपनी बात रखी। इस कटौती प्रस्ताव पर लगभग 46 माननीय सदस्यों ने 146 कटौती प्रस्ताव किए। मैं उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, अभिन्नदन प्रकट करता हूं। आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि 24 घंटे के अन्दर-अन्दर विभाग की तरफ से आपको जवाब उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे दिन से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के महत्वपूर्ण बजट व अपनी माँगों पर माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की। मैं कुछ बोलू इससे पहले, उन महापुरूषों के चरणों में नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। आदरणीय महात्मा ज्योतिबाफुले, आदरणीय महात्मा गांधी जी और आदरणीय बाबा सहेब अम्बेड़कर जिन्होंने इस देश को संविधान दिया और इस देश के संविधान की प्रस्तावना से लेकर क्रियान्विति तक, देश आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे मजबूत नेतृत्व के हाथों में खड़ा है, जहां विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर है। मजबूर सैन्य शक्ति की ओर अग्रसर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। 1962 के बाद, 62 वर्षों में देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दल के नेता ने प्रधान मंत्री के रूप में, नरेन्द्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, यह जीत नरेन्द्र मोदी की नहीं है, यह जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। यह जीत है गति की, यह जीत है नीति की, यह जीत है अंतिम पंक्ति की, यह जीत है प्रकृति की, यह जीत है ज्योति की, जीत है विरासतों के प्रीत की, जीत है कर्म के धर्म की, जीत है देश

प्रदेश की, जीत है नये युग के प्रवेश की, यह जीत है हिन्दुस्तान की, यह जीत है राजस्थान की, यह जीत है जनता जनार्दन की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सुबह से माननीय सदस्यों के प्रस्ताव को सुन रहा था ...(व्यवधान)... तब मैंने यह कहा कि आजकल बहुत बार ऐसा होता है, देश की आजादी के बाद, जब से संविधान लागू हुआ, आजकल संविधान को बचाने की बड़ी जुगत चल रही है। बड़े-बड़े नेता संविधान की किताब लेकर चाहे संसद हो या सांसद के बाहर अपना प्रदर्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि संसद में यह किताब हाथ में लहराने से इस संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर होती है या नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने संविधान को पढ़ा भी नहीं है। इस संविधान की प्रस्तावना के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लिख हुआ है,

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India to a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all"

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ में, जिस संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, जब कोई व्यक्ति संविधान की किताब हाथ में लेकर, संविधान को बचाने की, संविधान को नहीं तोड़ने की बात करते हैं लेकिन समझना होगा यह वही संविधान है जिसके आधार पर देश चलता है। उस समय वह देश कहां चला जाता है, देश की आत्मा, संविधान कहां चला जाता है +++ ऐसे वक्तव्य देने वालों के खिलाफ व्यक्ति खड़ा होता है ...(व्यवधान)... तो मेरा इस बात के लिए ओब्जेक्शन है

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): असंसदीय है। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: असंसदीय नहीं है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर मेरी एक भी बात इस सदन में कहीं हुई असत्य हो तो मैं मेरी बात को वापस लेने के लिए तैयार हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह सामाजिक अधिकारिता है ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह ऑन रिकार्ड बात है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भारत के टुकड़े करना चाहते हैं ...(व्यवधान)... यह क्या कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सामाजिक न्याय, उसके सिद्धांतों की बात करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, भारत के टुकड़े होंगे ...(व्यवधान)... भारत के टुकड़े करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष: असंसदीय शब्द हो तो बात करें ना। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भारत के टुकड़े कैसे होने देंगे? ...(व्यवधान)... यह कैसे होने देंगे।

श्री अध्यक्ष: यह थोड़े ही होने दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके नेता प्रतिपक्ष ने देश में यह बात कही है और मैं वादा करता हूं ...(व्यवधान)... मैं चुनौती देता हूं मैं साबित कर दूंगा ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह असंसदीय है ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके नेता ने यह बात कही है ...(व्यवधान).. मैं साबित कर दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, या तो इसको कार्यवाही से ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके नेता ने यह बात कही है ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): या तो निकलवाइये या हम बर्हिगमन करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह आपको तय करना है ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सक्सेज रेट हमारे सरकारी विद्यालय में 33 परसेंट के करीब मानी जाती है ...(व्यवधान)... वहां 18 परसेंट

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आप इसको कार्यवाही निकलवाइये, नहीं तो हम इसका बॉयकाट करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह खुश होते हैं ...(व्यवधान)... अगर खुश होते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं देश के संविधान की बातें करने वाले नेहरू जी ने 16 बार संविधान को बदला। इंदिरा जी ने 31 बार संविधान को बदला ...(व्यवधान)... राजीव गांधी ने 11 बार संविधान को बदला। सोनिया गांधी ने 6 बार संविधान बदला ...(व्यवधान)...देश में 100 से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता

...(व्यवधान)... मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, पिछले दिनों संविधान को हाथ में लेकर, संविधान बचाने की बातें की गई। जिस जातिवाद तुष्टिकरण के आधार पर ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विषय पर आइये। माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विषय पर आइये। माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जिस संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक ...(व्यवधान)...समानता की बात कही गई है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विषय पर आइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): एक्सपंज कराइये। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अगर एक भी गलत हो तो मेरा शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह परम्परा नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विषय पर आइये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसके बाद बात करें, अंग्रेजो ने फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर भारत को कई सालों तक गुलाम बनाकर रखा। उसके बाद कांग्रेस स्थापना के बाद, इस देश को जातिवाद तुष्टिकरण के आधार पर बांटकर इसको गुलाम बनाने का प्रयास किया है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं सब देख लूंगा। असंसदीय ...(व्यवधान)... असवैधानिक होगा तो मैं देखूंगा ...(व्यवधान)... अससंदीय होगा तो देखूंगा ...(व्यवधान)... नो, अभी कुछ नहीं। जवाब आ रहा है। आप सुनिये। बोलिए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सामाजिक न्याय ...(व्यवधान)...

VPS-RTM-18.07.2024-21.00-4n

श्री अध्यक्ष: आप सामाजिक न्याय पर अपना विषय रखिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक बात का जवाब दूंगा, आप लोगों को बैठकर सुनना होगा।

श्री अध्यक्ष: हां, आप सामाजिक न्याय पर विषय रखिये। मैंने सुन लिया, आप विराजें।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप लोगों को बैठकर सुनना होगा। ये जो सारी बातें, यह मेरे पास जो वक्तव्य है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

विभाग से जुड़ा हुआ है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष और संगठित शक्ति द्वारा जातिगत आधार पर बांट कर और मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान की बात करता हूं और पिछली बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने ...(व्यवधान)... नेता, प्रतिपक्ष महोदय, मैं आपकी सरकार के क्रियाकलापों के बारे में बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मैं इस पर विचार करूंगा। विराजो। असंसदीय होगा, असंवैधानिक होगा तो हटेगा। असंसदीय, असंवैधानिक होगा तो देखूंगा। यह मैं देखूंगा। असंवैधानिक होगा तो मैं देखूंगा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीटों से नारे)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार राज्य सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 30 जातिगत आधारित बोर्डों का गठन किया और उसमें से मात्र चार बोर्डों के अन्दर नियुक्तियां हुईं और 26 बोर्ड में कोई किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: असंवैधानिक होगा तो देखूंगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जिस तरीके से राजस्थान में ये जिले बनाये गये और आचार संहिता से एक दिन पहले तीन जिले बनाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया, उसके बावजूद भी आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई यहां पर। अगर ये 30 बोर्ड आपने यहां पर नहीं बनाये तो बतायें? ये 30 बोर्ड माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बनाये जातिगत आधार पर इस हिंदू समाज को बांटने के लिए, राजस्थान की आठ करोड़ जनता को बांटने के लिए जो 30 बोर्ड बनाये और नियुक्ति महज इन चार बोर्डों के अन्दर हुई है, ये 26 बोर्ड आज भी बिना अध्यक्ष के, बिना कार्य समिति के ऐसे के ऐसे चल रहे हैं जो 30 बोर्ड जातिगत आधार पर आप लोगों ने बनाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज भी माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने आज भी जातिगत आधार बनाकर राजस्थान के समाज को बांटने का प्रयास किया है। ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिससे राजस्थान के हिंदू समाज के अन्दर बंटवारा हो जाये। ...(व्यवधान)...

सदन कूप में

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया है कि कोई असंसदीय, असंवैधानिक होगा तो मैं देखूंगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि जिस सामाजिक न्याय की आप लोग बात करने का असत्य ढोंग करते हैं अगर आप में हिम्मत है तो आप लोग बैठकर सुनिये मेरी बात को। मेरा एक-एक शब्द राजस्थान की आठ करोड़ जनता के कल्याण का होगा। एक शब्द मैं गलत नहीं बोलूंगा और मैं जो बोलूंगा डाटा के साथ बोलूंगा, आकड़े के साथ में बोलूंगा और

मेरी बात अगर एक भी गलत हो जाये तो जो आप कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं, मेरे शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख के अन्दर मैं बात करता हूं सामाजिक न्याय के इस बजट के बारे में। जब इस बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का वर्ष 2024-25 का जो बजट था, वह 2 लाख 90 हजार 219.40 करोड़ रुपये का पूरा राजस्थान का बजट था और उसमें से 17559.25 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप नई परम्परा मत डालो। मिस्टर रफीक खान। आगे से, I will deprive you. ...(व्यवधान)... आप सब अपने-अपने स्थानों पर जाएं। हां, आप बोलिये। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का बजट था और इस बजट की राशि 6.05 प्रतिशत के करीब है और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट है, इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले राजस्थान सरकार ने 4023.40 करोड़ रुपये अधिक मतलब, पिछली बार से 30 प्रतिशत अधिक बजट हमने इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दिया है और मैं विभाग के कुल बजट के बारे में भी आपको निवेदन करूं कि हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हो, चाहे हमारा निदेशालय, विशेष योग्यजन हो, हमने हर मद के अन्दर बजट को बढ़ाकर पेश करने का काम किया है और इस बजट के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, हमारे वित्त मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राजस्थान को इतना ऐतिहासिक बजट दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और तो और पूर्व समय के समय 2023-24 के समय राजस्थान सरकार की तरफ से कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का, जो राजस्थान का कुल 2 लाख 58 हजार 883.68 करोड़ रुपये का बजट था और इस बार हमने 2 लाख 90 हजार 219.40 करोड़ रुपये के करीब का बजट रखा है। पिछली बार इसका बजट 5.22 प्रतिशत ही था और इस बार हमने 6.05 प्रतिशत के करीब इसका बजट रखा है। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग के उन मद, उन योजनाओं के बारे में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो हमारा बजट का प्रावधान है यह 14129 करोड़ है और इसमें कुल लाभार्थियों की संख्या, 89 लाख के करीब हमारे लाभार्थियों की संख्या है। छात्रवृत्ति योजना हो, मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हो, छात्रावास योजना हो, अंबेडकर वाउचर योजना हो, मुख्य मंत्री कन्यादान योजना हो, पालनहार योजना हो, सिलिकोसिस योजना हो, ऐसी वे तमाम योजनाएं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके विस्तृत बजट के बारे में इस बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और तो और मैं देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदीजी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्य

मंत्री भजन लालजी का और हमारी उप मुख्य मंत्री आदरणीय दिया कुमारीजी का, जिन्होंने यह बजट पेश किया है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने इस ऐतिहासिक बजट के अन्दर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भी ऐतिहासिक रूप से शामिल रखा। हमारी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के कुशासन के बावजूद आम जन को राहत पहुंचाने के लिए बजट के स्वरूप को बढ़ाकर विकसित राजस्थान 2047 का स्वरूप दिया है, यह हमारे माननीय मुख्य मंत्री का विजन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात को भी कोट करना चाहूंगा जो हमारे परम पूज्यनीय गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने एक स्थान पर कहा है कि श्रद्धा के साथ कुछ कष्ट उठाते हुए स्वार्थों को तिलांजलि देते हुए जो दिया जाता है, वह ही सच्चा समर्पण है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वृद्धजन, महिलाओं एवं बालकों, पशुपालकों तथा समाज के दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान करने तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु प्रावधित एस.सी.एस.पी. एवं टी.एस.पी. फंड्स को एक हजार करोड़ रुपये की राशि से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल तथा परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रथम बार 150 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारी राज्य सरकार ने किया है। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्षः पहले आप अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मैंने कह दिया कि असंसदीय, अलोकतांत्रिक होगा तो मैं इसको देखूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसी क्रम में हमारी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं राहत प्रदान करने हेतु अनुजा निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। 2023-24 में विभाग, विशेष योग्यजन विभाग, अनुजा निगम के कुल बजट प्रावधान राशि रुपये 13536.16 करोड़ रुपये की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस बार राशि 4023.40 करोड़ की वृद्धि की है और हमारी सरकार ने इस परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान में कुल राशि रुपये 17559.25 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना का प्रारम्भ पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किया गया था। इस योजना के अंतर्गत समाज के ऐसे परिवार के बच्चे जिनके माता-पिता नहीं रहे अथवा जो अनाथ है एवं जो निर्धारित देख-रेख एवं संरक्षण की श्रेणी में आते हैं, ऐसे बच्चों के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति को निर्धारित मापदंड के अनुसार पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक वातावरण में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रति छात्र प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान बजट में 1110 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से जून, 2024 तक 311 करोड़ रुपये की राशि का व्यय अभी तक किया जा चुका है।

विशेष योग्यजन के क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में विभिन्न योजनाओं में 238 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसके अंतर्गत 19522 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजनाओं में 171.30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है, जिसके तहत 11464 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सिलिकोसिस जैसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित एवं परिवारजनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अधिकृत चिकित्सा अधिकारी एवं अपीलीय जिला स्तरीय बोर्ड के द्वारा प्रमाणीकरण किये जाने पर सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। सिलिकोसिस की राशि के अन्दर, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, इसकी डिटेल मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पहले आप अपनी-अपनी सीटों पर जाओ। पहले आप सीटो पर जाइये। माइक मेरे पास नहीं होता है। आपको सीटों पर जाना पड़ेगा, नहीं तो माइक ऑटोमैटिक बंद होता है। किसी का भी हो जाता है। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रति माह राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित विशेष योग्यजनों को एक लाख रुपये तक के व्हील-चेयर दिये जाने का वर्ष 2024-25 के बजट में प्रावधान किये जाने की घोषणा की है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप लोग पहले सीटों पर जाएं। पहले आप अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मैंने यह कह दिया कि असंवैधानिक, असंसदीय होगा तो मैं उसको जरूर देखूंगा। हम दबाव में नहीं आयेंगे। असंसदीय, असंवैधानिक कोई भी चीज होगी तो उसको निकाला जायेगा। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इससे पूर्व इस रोग से ग्रसित विशेष योग्यजनों के लिए पृथक से कोई योजना संचालित नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा हमारी सरकार

ने पेंशन में 15 प्रतिशत राशि बढ़ाकर आम आदमी को राहत देने, सम्बल देने का काम किया है और सामाजिक सुरक्षा का पहला आधार हमारी सरकार ने 15 प्रतिशत बढ़ाकर किया है। आपने क्या किया? चुनावी मौसम में कानून बनाकर न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा में बढ़ाने का काम किया लेकिन आपके पास बजट का कोई प्रावधान नहीं था, आपने सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए अंतिम चुनाव के वर्ष के अन्दर जो घोषणा की है लेकिन बजट का प्रोविजन मुख्य मंत्री भजन लालजी शर्मा की सरकार ने किया है, राजस्थान की सरकार ने किया है।

SSY/RTM/18.07.2024/21.10/4o

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ही विभाग के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने छात्रावास में रहने वाले बालक, बालिकाओं का मासिक अनुदान 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 हजार रुपये करके छात्र, छात्राओं के जीवन को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का कार्य किया है।

श्री अध्यक्षः आप आराम से सीटों पर बैठिये। मैं व्यवस्था दे दी कि अलोकतांत्रिक, असंसदीय होगा तो जरूर निकाल देंगे ...(व्यवधान)... इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होगा।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जिस पर राज्य सरकार पर 26.95 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा। जिसके तहत 870 छात्रावासों के 41781 एवं 39 देवनारायण आवासीय विद्यालयों के 14957 छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्षः अपनी सीटों पर जायेंगे, तब होगा। अभी बोलने की अनुमति नहीं है। किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। आप भी विराजो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री मनोज मेघवाल जी ने प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी के ऋण सीमा बढ़ाने एवं ईडब्ल्युएस की ऋण सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया।

श्री अध्यक्षः आप बैठो। बोलने की अनुमति नहीं है तो काहे की बात है। बोलने की अनुमति नहीं है। आप बैठो। जब आपको बोलने का होगा तो चालू कर देंगे ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इस सम्बन्ध में हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा ...(व्यवधान)... निगम के माध्यम से ईडब्ल्युएस को ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

श्री अध्यक्षः हमने नहीं किया है। जिसको बोलने की अनुमति होती है उसी का चालू रहता है। मैंने कोई नहीं किया है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसके साथ ही अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के ...(व्यवधान)... 10 लाख रुपये स्वीकृत करने का प्रावधान पूर्व से ही है।

श्री अध्यक्ष: इनके सबके बंद हैं। जो बोलता है उसी का होता है ...(व्यवधान)... जो बोल रहा है केवल उन्हीं का होता है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं, उन सबका भुगतान त्वरित गति से हो रहा है। हमारे चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की घोषणा पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 करना, जिसमें राज्य सरकार पर 1523.32 करोड़ का वित्तीय भार आयेगा।

श्री अध्यक्ष: आपको इसके लिए थोड़े मिलेगा कि आप डिस्टर्ब करते रहो। इनको जब अनुमति होगी, तब चालू हो जायेगा ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जिला मुख्यालय ...(व्यवधान)... 88 लाख पेंशनधारियों को 1037 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये।

श्री अध्यक्ष: इनको अनुमति अभी नहीं है।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर लगभग 20 लाख से अधिक हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो लाभार्थी हैं, वह वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

मैं यहां सभी सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विभाग द्वारा 31 मई, 2024 तक समस्त लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तथा जून, 2024 महीने का भुगतान भी पेंशन का शुरू हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाइये। इनको जब बोलने की अनुमति दूंगा, तब चालू हो जायेगा। इनको बोलने की अनुमति थोड़े ही है, जो अभी इनको जरूरत है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पेंशन की राशि को रोक दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: यह नियम है। जब भी बोलने की अनुमति जिसको होती है उसका चालू रहता है। आपको जब अनुमति होगी तो आपका भी चालू हो जायेगा। अभी किसी का नहीं है ...(व्यवधान)... नहीं किसी का नहीं है। पहले इनका भाषण पूरा हो जाये। भाषण पूरा हो जाये उसके बाद, मैंने 2-3 बार कहा असंसदीय, असंवैधानिक होगा तो निश्चित करेंगे ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय पेंशन की राशि का भुगतान 3 से साढ़े 3 महीने की पैंडिग पर रहता था ...(व्यवधान)... लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में, आचार

संहिता के बावजूद, ढाई महीने की लंबी आचार संहिता के बावजूद मई महीने का पूरा भुगतान कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: नो, यह विधायक के तरीके हैं क्या? मैंने कह दिया असंसदीय, असंवैधानिक होगा तो उसे हटाया जायेगा ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जून की पेंशन राशि का 25 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान हमने आज दिन तक ...(व्यवधान)... आगे हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी एक महीने की पैंडेंसी को भी हम खत्म करेंगे। एक महीना होते ही अगला महीना जैसे ही शुरू होगा राजस्थान के लोगों को ...(व्यवधान)... पेंशन की राशि हम लोग देने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी कि असंवैधानिक होगा तो हटेगा। असंसदीय होगा तो भी हटेगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, घुमंतू समुदाय जिसमें राजस्थान की 32 जातियां शामिल हैं, उनमें से कुछ जातियां अनुसूचित जाति में हैं। कुछ ओबीसी में हैं। कुछ सामान्य वर्ग में शामिल हैं। परंतु विकास की धारा में ये जातियां पिछड़ गयी हैं। अत: इनके उत्थान के लिए राज्य सरकार विशेष उपाय कर रही है।

सर्वप्रथम इनकी पहचान हेतु पहचान प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वोटर आईडी आदि ...(व्यवधान)... करने बाबत जिलों में घुमंतू सहायता शिविर लगाने की रूपरेखा तैयार कर रखी है।

श्री अध्यक्ष: मेरे को धमकाओ मत। आप मेरे को धमका नहीं सकते। आसन के खिलाफ ...(व्यवधान)... नहीं कर सकते हो। आसन के खिलाफ नहीं कर सकते। बैठिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 2024-25 में आवास हेतु हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री घुमंतू आवास योजना की घोषणा की है। इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। शिक्षा हेतु सुमेरपुर पाली में आवासीय विद्यालय भी बनाया जायेगा।

हमारी सरकार के बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरा करने के लिए घोषणा के अन्दर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए अम्बेडकर तीर्थ योजना को शुरू किया जा रहा है। जिसमें संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेड़कर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह लोग हैं, जो ना तो संविधान में विश्वास करते हैं, ना लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में विश्वास करते हैं। इनको विपक्ष में होने के नाते सच बातें सुनने की आदत नहीं है। यह पहले भी कई बार हमारे इस सदन को छोड़कर गये हैं। इसमें बहस में उन्होंने भाग नहीं लिया है। इसलिये मैं

कहता हूं कि स्वच्छ लोकतंत्र की परम्परा यह होती है कि आप हमारी कही हुई बातों को सुनें क्योंकि हमने भी आपको सुना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने हाउस के अन्दर जो कहा है, उसमें मेरी एक भी अगर गलत हो या मैंने कहीं गलत बात कही जो किसी ने नहीं कही है तो में मेरे शब्द वापस लेने को तैयार हूं। लेकिन यह जो लोग हैं, यह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने 100 से ज्यादा बार चुने हुये लोकतंत्र में सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। इन्होंने जवाहर लाल नेहरू से लेकर यहां तक सरकार को बदनाम करने के लिये जो विपक्षी सरकार है.. (व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः आप अपने विषय पर बोलिये, विभाग पर बोलिये और वाइंड-अप जल्दी कीजिये।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं जल्दी वाइंड-अप कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बनी, उसके बाद में हमारी सरकार में विभाग की तरफ से 100 दिन की कार्ययोजना भी हमने बनायी है। उस कार्ययोजना में अधिकतर काम हमने पूरे कर दिये। कुछ काम इसलिये बाकी रह गये, चूंकि लोक सभा की आचार संहिता थी। लोक सभा की आचार संहिता के कारण नहीं हो पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विश्वास दिलाते हैं अब मैं एक-एक कार्ययोजना के बारे में पढ़ूंगा तो समय लम्बा हो जायेगा, क्योंकि यह तो विपक्ष को सुनाना था। हमारे साथियों को पता है। वह सुनने को तैयार नहीं इसलिए मैं इसको टेबल कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अन्दर बहुत सारी घोषणाएं की हैं जिसमें प्रदेश के विभिन्न वर्गों में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालय का निर्माण, आधारभूत सुविधाएं विकसित करने सम्बन्धी बहुत सारे कार्यों की घोषणा की है। इसके अलावा राजकीय अनुदानित छात्रावासों तथा गैर आवासीय एवं आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को देय मैस भत्ते को 2 हजार 500 से बढ़ाकर 3 हजार रुपये किया गया। आवासीय विद्यालय के खिलाडियों का मैस भत्ता 4 हजार रुपये प्रति माह किया गया और नशे की लत, जो राजस्थान के लिये बड़ी चिंता का विषय है, इसको ध्यान में रखते हुये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बैड क्षमता के नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जायेगी और इस पर राज्य सरकार का 10 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभिन्न सदस्यों ने जो प्रस्ताव दिये हैं, उसके बारे में हम सबको जवाब भिजवा देंगे और कुछ जो हमारे सदस्य हैं जिन्होंने दो-तीन दिन पहले हमसे सवाल भी लगाये थे, उनके बारे में निवेदन करूं, जसवंत यादव जी ने सवाल लगाया

था। हमने उत्तर भिजवा दिया है। ई-मित्र को ब्लैक लिस्ट करने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं। और भी कोई समस्या पेंशन के सम्बन्ध में आयेगी तो हमने नोडल अधिकारी बना दिया है। उसका भी हमने आदेश निकाल दिया है।

जिस पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के बारे में बात चल रही थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार की घोषणा थी 2006-07 के अन्दर और 2016-17 में यह योजना चली। उसके बाद में जो प्रीमियम राशि है उसका आंवटन नहीं होने के कारण यह 2016-17 में ही बंद हो गयी। उसके बाद 2017 के बाद हमारी वैकल्पिक योजना के रूप में दो योजना और चलायी गयी लेकिन मुझे बड़ा दुःख हुआ कि जब दो दिन पहले इस सदन में एक क्वेश्चन लगा तो वरिष्ठ साथी ने सवाल उठाया कि विगत वर्ष में कितना हुआ, जबकि मैंने उनको उसी समय उत्तर दिया था कि 2016-17 के अन्दर इतनी राशि व्यय हुई और उसके बाद में योजना बंद हो गयी। पांच साल कांग्रेसी सरकार रही, एक भी रुपया प्रीमियम का नहीं आया और उसके बाद अभी हमने मई, 2024 में इस योजना को बंद इसलिये किया, क्योंकि इसकी एवज में अल्टरनेट हमारी जो दो स्कीमें हैं, वे ऑलरेडी पहले से चल रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के मात्र 10 दिन के अन्दर-अन्दर जब मैंने मंत्री के रूप में शपथ ली, बहुत लम्बे समय से जो प्रक्रियाधीन थे, हमारे विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों के प्रमोशन का जो काम लंबित था, उसको आते ही 70 विभागीय अधिकारियों को और 28 कर्मचारियों को पदोन्नत किया। 30 तारीख को मैंने शपथ ली और 10 तारीख को ही, 10 दिन के बाद ही हमने उसका लाभ दिया। उसके बाद समय समय पर और जितने हमारे विभागीय प्रमोशन की कार्यवाही है, वह भी जारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसके अन्दर राजस्थान के विभिन्न जिलों को हम लोग प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से यह जो सूची है, उसमें लगभग 52 के करीब ऐसी संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनके माध्यम से राजस्थान के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिये हम लोग मुख्य मंत्री अनुप्रति योजना चलाते हैं और उसमें उन बच्चों को कोचिंग करवाते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के जो बच्चे हैं, वह पढ़-लिखकर आगे बढ़ें, अच्छी नौकरी के अन्दर जायें, अच्छे संस्कार लें। जिसके लिये समय समय पर जब भी हमें कभी लगेगा इसमें हम और सुधार करने का प्रयास करेंगे और यहां से अच्छे अधिकारी- कर्मचारी बनकर निकले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि हमारे इस विभाग के अन्दर जो दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना थी, उसको साकार करने का सबसे बड़ा कोई विभाग है तो हमारा यह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को .. (व्यवधान).. मैं बता रहा हूं, हमारा सपना है कि समाज के अंतिम छोर पर जो वंचित वर्ग खड़ा है, उसको हम लोग सुविधाएं दें, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ें और उसको वापस सामाजिक और आर्थिक रूप से संबल देने का काम हम लोग करने का प्रयास करें। इसलिये राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं और प्रत्येक पंचायत समिति

स्तर पर एक SSO होना आवश्यक है।

Spp/Rtm/18.07.2024/21.20/4p

लेकिन कुछ हमारे पास में कम है, हमने वित्त विभाग को भेज दिया है कि उसकी वेकेंसी लगाकर इनको पूरा करें ताकि जो व्यक्तिगत योजना है, जितनी विभाग की योजना है, उन योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिये धन्यवाद देता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-31-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को पारित किया जाये।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): खराड़ी साहब भी कुछ घोषणाएं टेबल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दो।

मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,14,43,85,60,000/- (तीन खरब चौदह अरब तैंतालीस करोड़ पचासी लाख साठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 31 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,72,89,37,000/- (एक खरब अठारह अरब बहत्तर करोड़ नवासी लाख सैंतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शुक्रवार, 19 जुलाई 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.21 बजे शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

...

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग पर कटौती प्रस्ताव

<u>मांग संख्या–30</u> मुख्य शीर्षक <u>जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग</u> के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

<u>**श्री समाराम (वि.सं.175)**</u>

1. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा की ग्राम पंचायतों क्रमशः ठण्डी वेरी (पिण्डवाडा) बपाबा (आबू रोड़) एवं मोरस (पिण्डवाडा) में जनजाति बालिका आवासीय छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री छगन सिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)**</u>

2. विधान सभा क्षेत्र आहोर के काणदर गांव में जनजाति सामुदायिक भवन की स्वीकृति दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र आहोर के पांचोटा गांव के पास धनदास जी संत महाराज जहाँ पर जनजाति समाज की आस्था का प्रतीक है उस स्थान पर सामुदायिक भवन की स्वीकृति दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी गांव के जनजाति क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सियाणा में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सियाणा गाँव में जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)**</u>

7. प्रदेश में नायक जाति को जनजाति में सम्मिलित करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री थावरचन्द (वि.सं.75)**</u>

8. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों हेतु जारी अधिसूचना 2013 एवं संशोधित अधिसूचना 2016 के आधार पर लागू आरक्षण व्यवस्था की विसंगतियों को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. प्रदेश के आदिवासी समाज की संस्कृति, कला, परम्परा व भाषा के संरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. उदयपुर व बांसवाड़ा संभाग की प्रत्येक तहसील (ब्लॉक) में नि:शुल्क कोचिंग सेण्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

13. प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्तर्गत किशनगंज-शाहबाद में सहरिया परिवारों के लिये बन रहे आवासों में जनजाति के भील व मीणा समाज को भी साथ में जोड़ने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री फूलसिंह मीणा (वि.सं.98)</u>

14. उदयपुर आदिवासी क्षेत्र में मां-बाड़ी या ऑगनबाड़ी खोलकर दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)</u>

15. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में घुमक्कड़ गाड़ोतिया लुहारों को नवीन आवासीय भवनों हेतु पट्टे दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

16. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी जनजाति क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिये सामुदायिक सिंचाई योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी जनजाति क्षेत्र में शेष रही ग्राम पंचायतों में जनजाति छात्र आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी जनजाति क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी तहसील क्षेत्र में वंचित ग्रामों में "माँ बाड़ी केन्द्र" की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अमृत लाल मीणा (वि.सं.10)</u>

20. प्रदेश में बिखरी आबादी में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिये विशेष पैकेज देने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा।

21. प्रदेश में जनजाति वर्ग के लिये पृथक से विकास की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जनजाति क्षेत्र में नई सड़कें स्वीकृत कर गांव-ढाणियों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उथरदा झामरी नदी पर एनिकट, सांखरिया खेड़ा एनिकट, काली मंगरी एनिकट, लोदा एनिकट, धनकेश्वर एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

25. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनजाति विकास के कोष के अन्तर्गत एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के जनजाति गाँवों एवं बिखरी बस्तियों में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के जनजाति बाहुल्य बस्तियों में पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।
28. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में माड़ा, माड़ा कलस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्रीय योजना में विकास कार्यों की स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
29. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के जनजाति बाहुल्य गांवों का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयन एवं विकास करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं.142)</u>

30. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में माँ-बाड़ी भवनों का पुनर्निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
31. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, को विकसित करने के लिये पृथक से बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
32. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, को अनुसूचित मापदण्डों में परिवर्तन कर जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से दुबारा सर्वे करवाकर टीएसपी क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
33. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में आदिवासी व सहरिया संस्कृति को बचाने के लिये सहरिया सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री गणेश घोघरा (वि.सं.39)</u>

34. प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र के स्कूलों एवं कॉलेजों में व्याख्याताओं एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
35. प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र में पानी को संग्रहित करने के लिये तालाब, एनिकट बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
36. प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र में सिंचाई हेतु पुराने कुओं को गहरा कराने तथा चारों और पक्की मुण्डेर बनवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
37. प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र में जनजातिय लोगों को समारोह, त्यौंहारों, शादियों के मौके पर अतिरिक्त मदिरा रखने की छूट देने के संबंध में चर्चा के लिये।
38. प्रदेश में टी.एस.पी. क्षेत्र में जनजाति छात्रावास खोले जाने एवं पुराने भवनों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

39. केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति समुदाय के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकार को आवंटित राशि के व्यय किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की 100 दिवस कार्ययोजना के विभिन्न कार्य व व्यय की जाने वाली राशि के संबंध में चर्चा के लिये।

41. सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब पिछड़े जनजाति परिवारों के उत्थान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

42. जनजाति क्षेत्रीय विकास से संबंधित योजनाओं की क्रियान्विति माढा तथा बिखरी हुई जनजाति क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं तथा जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

43. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में नवीन "मां-बाडी" केन्द्र खोलने एवं भवन निर्माण किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

44. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के जनजाति बाहुल्य गांवों में सी.सी.रोड़ बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में राजकीय कार्मिकों एवं अध्यापकों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिये स्टूडियो फ्लेट्स निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में बहुउद्देशीय बालिका छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के जनजाति बाहुल्य गांवों के आंशिक व पूर्णत: जर्जर राजकीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र लाड़पुरा के जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और गैर उपयोजना क्षेत्र में सामुदायिक भवन निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)

49. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में टाडा/माडा चयनित बस्तियों में पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प अथवा पानी की पाईप लाईन द्वारा पर्याप्त पेयजल व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

50. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की अनुसूचित जनजाति की कच्ची बस्तियों, चांदपोल स्थित छोटी भील बस्ती एवं बड़ी भील बस्ती को जनजाति क्षेत्रीय विकास मद की राशि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं.123)</u>

51. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में जनजाति विकास हेतु सामुदायिक केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं.50)</u>

52. विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के सोप, नांगललाट में 100-100 नामांकन का छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

53. जिला बालोतरा के परिक्षेत्र में जनजाति विकास के लिये अनुसूचित जनजाति आबादी बाहुल्य ग्राम पंचायतों में सड़क विस्तार एवं विकास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
54. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में टाडा-माडा योजना की तर्ज पर रेगिस्तान (थार) में योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
55. जनजाति क्षेत्रों में धर्मान्तरण रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
56. विधान सभा क्षेत्र सिवाना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त बजट आवंटन के प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।
57. प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति परिवारों के उत्थान के लिये विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

58. प्रदेश में जनजातीय छात्रों के अध्ययन के साथ-साथ छात्रावासों में वैकल्पिक प्रशिक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर और उपकरण की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।
59. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर जनजातीय छात्र व छात्राओं हेतु पृथक-पृथक नवीन छात्रावास की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार सादुलपुर (वि.सं.113)</u>

60. प्रदेश में जनजाति वर्ग के लिये आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (51)</u>

61. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में जनजाति छात्रों हेतु घटियावली क्षेत्र में छात्रावास का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>

62. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में बजटीय घोषणा के अनुसार स्वीकृत राशि व्यय नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
63. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति लंबित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
65. प्रदेश में जनजाति क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में अधीक्षक के पद लम्बे समय से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
66. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिये उपलब्ध राजकीय सेवाओं में आरक्षण की तर्ज पर प्राईवेट सेक्टर में भी आरक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

67. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में ब्लॉक आसपुर व दोवडा में एकलव्य विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
68. प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा व उदयपुर संभाग में जनजाति क्षेत्र में बजटीय घोषणा अनुसार स्वीकृत राशि व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।
69. विधान सभा क्षेत्र आसपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर संभाग में स्थित छात्रावासों में मापदंड के आधार पर स्वीकृत पदों को शीघ्र भरने व 5 वर्ष से अधिक ठहराव वाले कार्मिकों को हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
70. प्रदेश के जनजाति (आदिवासी) क्षेत्र बांसवाड़ा व उदयपुर संभाग व विशेषकर डूंगरपुर, आसपुर विधान सभा क्षेत्र में जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बन्द पड़ी सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
71. प्रदेश के आदिवासी जनजाति क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने एवं बेणेश्वर में खेल मैदान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रताप लाल भील (वि.सं.93)</u>

72. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा व जनजाति उप योजना क्षेत्र में जनजाति कृषक परिवारों के लिये सामुदायिक जलोत्थान स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
73. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में रावछ छात्रावास के जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
74. गोगुन्दा के विधान सभा क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र में विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
75. जनजाति उप योजना क्षेत्र में घरेलु बिजली कनेक्शन से शेष रहे परिवारों को कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
76. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पंचायत समिति बड़गांव के लोसिग व भूताला क्षेत्र में बालक-बालिका छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)</u>

77. विधान सभा उदयपुर ग्रामीण के जनजाति क्षेत्र में विद्यालय में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर के जनजाति उप योजना क्षेत्र में जनजाति कृषक परिवारों के लिये सामुदायिक जलोत्थान स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रतन देवासी (वि.सं.122)</u>

79. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा जिला-सांचोर-जालोर के कई गांवों में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी, भील-राणा) समाज की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक है, अतः ऐसे गांवों को टी.एस.पी. क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. अनूसूचित जनजाति को अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग की भांति कृषि एवं घरेलु विद्युत कनेक्शन में रियायत/प्राथमिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

81. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा जिले में मंगणियार समाज के लिये भूमि आवंटन हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. बाड़मेर, जैसेलमेर, बालोतरा में निवासरत पाक विस्थापित एवं गाडिया लौहार, जोगी, ग्वारिया, ओड, सांसी, नाथ, कालबेलिया इत्यादि घुमन्तु जातियों को भूमि आवंटन के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. सीमावर्ती जिलों में भील जनजाति द्वारा गाई जाने वाली लोकदेवता पाबूजी की फड़ को संरक्षण एवं संवर्द्धन देने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. सीमावर्ती क्षेत्र में निवासरत भील जनजाति के लिये अनुसूचित जाति की तर्ज पर अनुसूचित जनजाति को भी कृषि विद्युत कनेक्शनों में वरीयता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. टाडा-माडा योजना की तर्ज पर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा जिले में निवास कर रहे भील जनजाति के उन्नयन एवं विकास हेतु विशेष योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

86. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में घुमन्तु जनजाति लौहार, बावरिया आदि के स्थायी आवास के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

87. विधान सभा क्षेत्र कपासन में बिखरी आबादी क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र कपासन के बिखरी आबादी में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों के उत्थान के लिये रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

89. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

90. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में माडा योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों में सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के जनजाति बाहुल्य गांवों को माडा से जुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के माडा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की प्रगति पर चर्चा के लिये।

93. माडा क्षेत्र के लोगों के लिये शैक्षणिक दृष्टिकोण से शिक्षा के विस्तार हेतु नये निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)

94. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरू के राजस्व गांव हापला खुर्द डबल के अन्दर बिखरी आबादी में वर्षा के समय नदी आ जाती है और गांवों में आना-जाना नहीं हो पाता है इसलिए पुलिया निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 31 -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-31 मुख्य शीर्षक **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>**श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)**</u>

1. प्रदेश में चिता, मेहरात, काठात जातियों को अल्पसंख्यक वर्ग से हटाकर पुनः अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)**</u>

2. विधान सभा क्षेत्र आहोर में दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी की संख्या बढ़ाई जाने एवं तीन पहिया साईकिल का वितरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र आहोर में अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में भवन की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. निष्क्रमणीय पशुपालक विद्यालय में लम्बे समय से कार्यरत शिक्षक के स्थान पर नए शिक्षक की प्रतिनियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भूती एवं जोडा में सामुदायिक भवन की स्वीकृति दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. पालनहार योजना में बच्चों की मासिक राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)**</u>

7. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में छात्रावासों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं. 05)**</u>

8. सरदारशहर स्थित बापा सेवा सदन को समस्त बुनियादी सुविधाओं के साथ पुनः संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. सरदारशहर के बापा सेवा सदन द्वारा संचालित सर्वोदय छात्रावास को राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में परिवर्तित कर चालू करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री ललित मीना (वि.सं. 142)**</u>

10. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में बीएड व इंजिनियरिंग के छात्रों को एसटी, एससी एवं ओबीसी की वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री फूलसिंह मीणा (वि.सं. 98)**</u>

11. उदयपुर जनजाति ऐरिया में वृद्धजनों, विधवा व दिव्यांगों के फिंगरप्रिन्ट नहीं आने से पेंशन में हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (वि.सं. 47)

12. विधान सभा क्षेत्र धोद के धोद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय (भवन) की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)

14. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के समाज कल्याण छात्रावास बिलाड़ा/पीपाड़ शहर/बिसलपुर के भवनों की मरम्मत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
15. प्रदेश में दी जा रही विधवा पेंशन में बढ़ोतरी के साथ ही विधुर पेंशन भी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
16. प्रदेश के समाज कल्याण छात्रावासों में वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, रसोईया, चौकीदार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती कर सुचारू रूप से संचालन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं. 168)

17. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के निम्बाहेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत कनेरा मुख्यालय पर अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
18. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अम्बेडकर सामुदायिक भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
19. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में मूक-बधीर, मानसिक विमन्दित दिव्यांगों के लिये विशेष विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
20. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा तहसील में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका आवासीय छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)

21. सलूम्बर जिले में वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. सलूम्बर जिले के शिक्षित एवं पात्र दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
23. प्रदेश के पात्र पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान संबंधित डाकघर से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
24. प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों को परिवहन हेतु दी जाने वाली राशि उसकी मासिक उपस्थिति के आधार पर जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
25. राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष की उम्र के पात्र लोगों को दी जाने वाली पेंशन की पात्रता के लिए भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)</u>

26. अम्बेडकर जिला स्तरीय पुरस्कार में नकद राशि देने का प्रावधान करने एवं कई जिलों में पुरस्कार नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
27. राजसमन्द जिले के केलवा एवं कुवारियां में अनुसूचित छात्रों के लिये छात्रावास प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
28. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का स्वयं का कार्यालय भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
29. राजसमन्द जिले के पीपली आचार्यान में अनुसूचित जाति छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 50 विद्यार्थी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
30. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर आर्थिक पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

31. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में निवासरत बंगाली समाज के राजस्व रिकॉर्ड को सुधार कर उनकी वास्तविक जाति- चंडाल, अहेड़ी, डोम, नट एवं धोबी इंगित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
32. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए किशनगंज तहसील में नया राजकीय अम्बेडकर छात्रावास (बालक/बालिका) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
33. बारां जिले में सहरिया जनजाति को पृथक से 25 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
34. बारां जिले में सहरिया जनजाति के छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश प्रणाली में आरक्षण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गणेश घोगरा (वि.सं. 39)</u>

35. प्रदेश में विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति व गृह किराया दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
36. प्रदेश में दिव्यांगों, विकलांगों को ट्राईसाइकल/स्कूटी दिये जाने एवं नौकरियों में उम्र सीमा में छूट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
37. प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
38. प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन समय पर दिये जाने एवं फिंगर सत्यापन की वजह से भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।
39. प्रदेश में बकाया छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं. 05)

40. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के गांव जैतासर में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के भवन निर्माण के लिए बजट का आवंटन शीघ्र करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)

41. विधान सभा क्षेत्र नोहर में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र-छात्राओं की लम्बित छात्रवृत्ति राशि शीघ्र दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
42. विधान सभा क्षेत्र नोहर में विधवा/दिव्यांग/वृद्धावस्था/अनाथ/परित्यक्ता पेंशन से वंचित पात्र व्यक्तियों को पेंशन दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
43. विधान सभा क्षेत्र नोहर की तहसील पल्लू, उपतहसील फेफाना व उपतहसील खुइयां में अनुसूचित जाति के छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
44. विशेष योग्यजनों (दिव्यांगजनों) को सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नोहर के पात्र विशेष योग्यजनों के लम्बित आवेदनों के संबंध में चर्चा के लिये।
45. प्रदेश में कोरोना महामारी से माता-पिता की मृत्यु से अनाथ हुए बच्चों हेतु राजकीय सेवा में नियुक्ति व अन्य सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)

46. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों पर विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं की क्रियान्विति एवं युवा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली स्कूटी योजना पर चर्चा के लिए।

श्री रोहित बौहरा (वि.सं. 139)

47. प्रदेश में दिव्यांगों को स्कूटी देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं. 94)

48. प्रदेश में विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था पेंशन राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)

49. प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
50. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम खिवाड़ा में समाज कल्याण छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)

51. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ में राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास बालेसर की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
53. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)</u>

54. प्रदेश में गरीब/विधवा/अनाथ/परित्यक्ता नि:सहाय महिलाओं एवं बच्चों की पहचान कर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।
55. प्रदेश के गरीबों के उत्थान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
56. प्रदेश में आदिवासी छात्रों के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
57. उदयपुर एवं बांसवाड़ा संभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों में सीटें बढ़ाने व भवन मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं. 82)</u>

58. प्रदेश में विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए लम्बित प्रकरणों की समयबद्ध निस्तारण संबंधी कार्ययोजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
59. प्रदेश में बालिकाओं को सम्पूर्ण सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था और महिला छात्रावास अधीक्षक पद की स्वीकृति सहित छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
60. प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए नि:शुल्क इलैक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने हेतु बजट राशि को दुगुना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
61. प्रदेश में विभागीय छात्रावासों में भोजन एवं सुरक्षा के मानकों को सुदृढ करने, सी.सी.टी.वी. सुरक्षा प्रणाली लागू करने और औचक निरीक्षणों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
62. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विभागीय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रफीक खान (वि.सं. 123)</u>

63. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में बालिकाओं की शादी हेतु राशि स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।
64. जयपुर में बी.पी.एल. परिवारों को रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटन हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं. 50)</u>

65. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)

66. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजना अन्तर्गत मासिक भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में दिव्यांगजनों को स्कूटी दिये जाने की स्कीम में आवेदन ऑनलाईन किये जाने एवं मांग के अनुसार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सी.डी.पी.ओ. समेकित योजना का कार्यालय पंचायत समिति समदड़ी में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक द्वारा अन्य प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की युवती से शादी करने पर युवती को अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)

70. प्रदेश में सभी जाति वर्गों के बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं को विवाह हेतु अनुदान स्वीकृत करने एवं अनुदान राशि अधिकतम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. प्रदेश में दिव्यांगजनों को देय स्कूटियों का कोटा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय छात्रावास बापूनगर एवं पुर (भीलवाड़ा) की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)

73. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन राशि बढ़ाने, विधूर पेंशन चालू करने एवं छोटी उम्र की विधवाओं को ज्यादा राशि दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं. 31)

74. प्रदेश में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति की पात्रता एवं देय लाभ के संबंध में चर्चा के लिये।

75. प्रदेश में वृद्धजन पेंशन धारकों की बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश में विभिन्न योजनान्तर्गत एस.सी, एस.टी. के बालक-बालिकाओं को दी जा रही छात्रवृत्तियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं. 51)

77. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में उपनिदेशक कार्यालय को क्रमोन्नत करने एवं प्रशासनिक अधिकारी का पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विभाग के सभी कार्यालयों को एक ही परिसर में शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं. 112)</u>

79. प्रदेश में एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. को ऋण स्वीकृति की सीमा बढाने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में ई.डब्ल्यू.एस. की ऋण स्वीकृति की सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश में स्कूटी वितरण योजना में उम्र की शिथिलता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)</u>

82. राज्य में भिक्षावृत्ति के सम्पूर्ण उन्मूलन हेतु एवं ठोस कार्ययोजना बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के एस.सी., एस.टी. एवं दिव्वांगजन तथा विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु ऋण सहायता/अनुदान आदि उपलब्ध कराने में विगत पांच वर्षों में की गई घोर उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (सहयोग योजना) के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की पात्र कन्याओं एवं महिलाओं को देय सुविधाओं में अतिवृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. जिला मुख्यालयों पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर कक्षाओं (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्गों के छात्रों को आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह रूपये दो हजार मात्र दिये जाने की योजना उपखण्ड स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. प्रदेश में वर्षो से चली आ रही छुआछूत की कुप्रथा का वैज्ञानिक ढंग से समाप्त करने के लिये समाजशास्त्रियों से विचार विमर्श कर तदनुसार दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं. 23)</u>

87. प्रदेश में पिछले वर्षों में टीएसपी में अधिसूचना 2013 व संशोधित अधिसूचना के आधार पर पुलिसकर्मी के एसटी/एससी अभ्यर्थियों को उचित पद नहीं मिलने तथा टीएसपी में रोस्टर की वर्तमान स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

88. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों हेतु जारी अधिसूचना 2013 एवं संशोधित अधिसूचना 2016 के आधार पर लागू आरक्षण व्यवस्था की विसंगतियों को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण में हो रही विसंगतियों को दूर करने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के विधार्थियों को देय छात्रवृत्ति लंबित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

91. विधान सभा क्षेत्र भीम में संचालित राजकीय छात्रावासों में सुविधाओं के विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
92. विधान सभा क्षेत्र भीम की तहसील मुख्यालय देवगढ़ में राजकीय देवनारायण छात्रावास की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रताप लाल भील (वि.सं. 93)</u>

93. प्रदेश में विधवा व असहायजनों को दी जाने वाली पेन्शन राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
94. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पंचायत समिति मुख्यालय सामरा में बालक-बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री प्रताप लाल भील (वि.सं. 93)</u>

95. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के पंचायत समिति मुख्यालय सामरा में बालक-बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
96. प्रदेश में विधवा महिलाओं के बालक-बालिकाओं को पालनहार योजना में दी जाने वाली सहायता राशि को बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)</u>

97. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में एससी आवासीय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
98. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)</u>

99. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में संचालित कक्षा 6-12 तक के छात्रावासों में कम नामांकन वाले छात्रावासों की समीक्षा कर उन छात्रावासों को महाविद्यालय स्तर तक अपग्रेड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
100. प्रदेश में दिव्यांगजन को दी जा रही पैट्रोल स्कूटी के स्थान पर इलेक्ट्रोनिक स्कूटी या ई-रिक्शा का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
101. प्रदेश में विशेष योग्यजन के लिए कम से कम 15 दिवस तक वर्क फ्रोम होम की स्कीम लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
102. प्रदेश में निष्क्रमणीय पशुपालकों के बच्चों के अध्ययन हेतु राजकीय निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के आवासीय छात्रावास रामसीन, तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर, सांचौर/चितलवाना, जिला सांचौर एवं बाखासर, जिला बाड़मेर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. राजकीय सेवा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु राजधानी मुख्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के गरीब बच्चों के रहने के लिए राजस्थान के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के समान अनुपात में छात्रों का प्रवेश देने का प्रावधान करते हुए राजकीय छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)

104. विधान सभा क्षेत्र शिव में शिव उपखण्ड मुख्यालय पर आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।
105. विधान सभा क्षेत्र शिव में शिव उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।
106. विधान सभा क्षेत्र शिव में शिव उपखण्ड मुख्यालय पर सर्वसमाज आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
107. विधान सभा क्षेत्र शिव में गडरारोड़ उपखण्ड मुख्यालय अनुसूचित जनजाति वर्ग (एसटी) के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।
108. विधान सभा क्षेत्र शिव में विभाग के कार्यालयों में रिक्त पदों को अविलम्ब भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुरवीर सिंह (वि.सं. 42)

109. प्रदेश में संचालित आवासीय विद्यालयों की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
110. गंगानगर जिले में पाक विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटित करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
111. प्रदेश में दिव्यांगों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

112. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ मुख्यालय पर ईडब्ल्यूएस के विधार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)

113. प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वंचित छात्रों को छात्रवृत्तियां दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (वि.सं. 31)

114. विधान सभा क्षेत्र डग में एससी छात्रावास/आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं. 48)

115. प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल एवं अल्पसंख्यक परिवारों की कन्याओं के विवाह के समय हथलेवा के रूप में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष मील (वि.सं. 179)

116. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक आवासीय विद्यालय (छात्रावास) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
117. प्रदेश में पूर्व संचालित शुभ शक्ति योजना पुनः संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
118. प्रदेश में दिवयांगजनों के लिये आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
119. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक आवासीय विद्यालय (छात्रावास सहित) खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं. 13)

120. प्रदेश में सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर समाज के सभी लोगों को समानता का अधिकार देने हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
121. प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षित करने व उनके उच्च अध्ययन व कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
122. अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)

123. प्रदेश में विभाग के अधीन संचालित योजनाओं की क्रियान्विति जिला स्तर के बजाय ब्लॉक स्तर पर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
124. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के ग्राम पंचायत खेजरोली व नांगल भरडा में छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)

125. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
126. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के बीरमाना कस्बे में नया छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
127. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अम्बेडकर छात्रावास में सीटों की संख्या बढ़ाने तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
128. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में समस्त पेंशनधारियों को विभिन्न कारणों से आ रही परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)

130. प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते में पारदर्शिता एवं सरलीकरण और शीघ्र भुगतान के संबंध में चर्चा के लिये।
131. प्रदेश में बालिका एवं महिलाओं के लिये छात्रावासों में सुरक्षा गार्ड लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
132. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि तथा विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।
133. प्रदेश में वृद्धाश्रमों के विकास एवं रख रखाव हेतु अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।
134. प्रदेश में विभाग में अस्थाई रूप से नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं रिक्त पदों पर भर्तियां करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री आदूराम मेघवाल (वि.सं. 19)

135. प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
136. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कृषि कनेक्शन में आरक्षण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
137. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में एससी वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला देवी (वि.सं. 163)

138. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में बालिका छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
139. प्रदेश में पालनहार योजना की सुव्यवस्थित क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (वि.सं. 98)

140. प्रदेश में वंचित विकलांगों एवं विधवाओं को पेंशन दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
141. प्रदेश में बुजुर्गों के फिंगरप्रिन्ट सत्यापन में आ रही परेशानियों से पेंशन बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)

142. बाड़मेर एवं बालोतरा जिले के होनहार विधार्थियों को विगत तीन वर्षो से पुरस्कार राशि अथवा स्कूटी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)

143. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में हो रही अव्यवस्था को दुरूस्त कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. बालोतरा जिले की समस्त पंचायत समितियों एवं नगर परिषद क्षेत्र में रह रहे 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभाग के कर्मचारियों के रिक्त पद भरने एवं कार्यालय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)

146. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अराई, बौराड़ा, सुरसुरा, तिलौंनिया एवं नगर परिषद के परासिया क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।